मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2015 सत्र

शुक्रवार, दिनाँक 31 जुलाई, 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

(वर्ग 5 : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, संसदीय कार्य, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण)

<u>जिला अस्पतालों में दवा सप्लाई हेतु अधिकृत कम्पनियां</u>

1. (क्र. 92) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा जिला अस्पतालों में ली जाने वाली दवाई सप्लाई करने हेतु किन-किन कम्पनियों को अधिकृत किया गया है? **(ख)** सतना जिले में जिला अस्पतालों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कब-कब, कितनी-कितनी दवाई किस-किस सप्लायर से किस-किस कंपनी की दवाई क्रय की गई है? **(ग)** सतना जिले में अनाधिकृत कम्पनियों से कितनी दवाई क्रय की गई है? **(घ)** अनाधिकृत कम्पनियों से दवाई खरीदी के लिये दोषी व्यक्तियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा और कब तक बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जिला अस्पतालों में प्राप्त बजट के 80 प्रतिशत की राशि से विभाग द्वारा निर्धारित निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों पर दवा सप्लाई करने हेतु अधिकृत फर्मो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। जिलों द्वारा प्राप्त बजट के शेष 20 प्रतिशत बजट की राशि से स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार औषधियों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। **(ख)** सतना जिले में जिला अस्पताल में वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रय की गई दवाईयों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** सतना जिले में अनाधिकृत कंपनीयों से दवाईयाँ क्रय नहीं की गई है। **(घ)** अनाधिकृत कंपनीयों से दवाई की खरीदी नहीं की गई है। अतः दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थिति नहीं होता है।

<u>सतना जिले में संचालित नर्सिंग कालेजों की जानकारी</u>

2. (क्र. 95) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में कितने नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं? शासकीय एवं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की जानकारी दें? **(ख)** क्या नर्सिंग कालेजों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों का

पालन किया जा रहा है? **(ग)** यदि नर्सिंग कॉलेज निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करते हैं तो इनकी मान्यता कब तक समाप्त कर दी जायेगी? **(घ)** नर्सिंग कॉलेज के फर्जी पाये जाने पर मान्यता देने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ड.)** शासन द्वारा सतना में स्वीकृत नर्सिंग कॉलेज भवन का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? कब तक कार्य प्रारम्भ होगा? भूमि चयन के बाद भी कार्य प्रारम्भ न होने का दोषी कौन है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सतना जिले में तीन निजी नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** हैं। **(ख)** स्वास्थ्य विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है। **(ग)** यदि नर्सिंग कॉलेज निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, तो भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा उस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी जाती हैं। **(घ)** नर्सिंग कॉलेज के फर्जी पाये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। **(ड)** स्वास्थ्य विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

परिशिष्ट – "एक"

शासकीय स्कूलों के रिक्त पदों की पूर्ति

3. (क्र. 110) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कसरावद विधानसभा क्षेत्र में शासकीय हाई स्कूल एवं उ.मा.वि. की संख्या बताई जावे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में अंकित शालाओं में शिक्षक एवं अन्य संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी दी जावे? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक पूर्ति कर दी जावेगी? **(घ)** शिक्षकों की कमी के कारण उक्त विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य किस प्रकार संपादित किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर। **(ख)** प्राचार्य व्याख्याता शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति से पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है। **(ग)** युक्तियुक्तकरण के तहत् एवं अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। **(घ)** शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शैक्षणिक कार्य संपादित किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

अनूसूचित जन जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत कार्यों की स्वीकृति

4. (क्र. 249) श्री मेव राजकुमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जन जाति क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विकास कार्यों को करने हेतु वर्ष 2014-15 में कितना बजट प्रावधान किया जाकर विभाग को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विभाग द्वारा प्रश्न दिनाँक तक कितने कार्यों में कितनी राशि स्वीकृत करते हुये कितने कार्य प्रांरभ किये जाकर कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अनुपयोगी होकर शेष है? **(ख)** प्रश्न **(क)** के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र महेश्वर की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जन जाति बस्तियों के विकास हेतु कितने प्रस्ताव कब-कब विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये? **(ग)** प्रश्न **(ख)** के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कब प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये?

कितने प्रस्तावों में कितने कार्य कितनी लागत के एवं कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? **(घ)** क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लगभग एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी कार्यों में तकनीकी, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है? क्या यह कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक नहीं है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है एवं इनके विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आदिवासी विकास से बजट प्रदान नहीं **(क)** प्रश्नांश अन्तर्गत आदिवासी विकास से बजट प्रदाने नहीं किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी प्रश्नांश 'ख' के संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 07 अनुसार है। (घ)** दिनाँक 03/12/2914 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वाह को लिखा गया। कार्य की तकनीकी स्वीकृति एवं आवश्यक जानकारी के अभाव में स्वीकृति न होने के लिए कोई दोषी न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीन"

उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति

5. (क्र. 250) श्री मेव राजकुमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु कितने प्रस्ताव कब-कब विभाग को प्राप्त हुये? प्राप्त प्रस्तावों में से कितने नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले गये एवं कितने प्रस्ताव लंबित है एवं कितने प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया? यदि अस्वीकृत किया गया तो कारण बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में नवीन स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्र में कितने पद स्वीकृत किये गये एवं स्वीकृत पद पर वर्तमान तक पदस्थापना की गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त है? **(ग)** इंदौर संभाग में जिलेवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने एवं कहाँ-कहाँ नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव एवं कब-कब, किस-किस के द्वारा प्रस्तुत किये गये? उन प्रस्तावों में से कितने नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई एवं कितने, किस-किस स्थान के प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकृति हेतु विचाराधीन होकर लंबित है अथवा प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये है, अस्वीकृत करने का कारण बतावें? **(घ)** विधानसभा क्षेत्र महेश्वर के नगर करही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुये, प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया? कब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

होटल, रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जाँच

6. (क्र. 253) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा उज्जैन-इंदौर संभाग में 01 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कब-कब किस-किस होटल रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थ की जाँच की गई। इनमें क्या-क्या अनियमितता पाई गई, क्या इस संबंध में विभाग द्वारा कोई प्रकरण दर्ज किया गया है। यदि हाँ, तो अवगत करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में अनियमितता के संबंध में कार्यवाही हेतु नियमों में क्या प्रावधान

है? किस-किस प्रकार के प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या उक्त संभाग में होटलों एवं रेस्टोरेंटो के खिलाफ कार्यवाही करने में पक्षपात एवं अनियमितताओं की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। **(घ)** क्या विभाग के अधिकारियों द्वारा छोटे होटल रेस्टोरेंट के खिलाफ छोटी-मोटी कार्यवाही कर बड़े रेस्टोरेंट एवं होटलों को संरक्षण दिया जा रहा है, यदि नहीं, तो किन-किन बड़े रेस्टोरेंट के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पैकेटों में अमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री

7. (क्र. 254) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंदसौर-रतलाम-नीमच जिले में खाद्य अधिकारियों द्वारा 01 जनवरी, 2014 के पश्चात किस-किस दुकान, प्रतिष्ठान पर छापामार कार्यवाही कर किस-किस प्रकार के प्रकरण किस-किस के खिलाफ दर्ज किये? **(ख)** क्या अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त जिलों में भारी मात्रा में अमानक खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, यदि नहीं, तो विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ संपल की जाँच हेतु भेजा गया? **(ग)** उक्त जिलों में कितने अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ 01 जनवरी, 2014 के पश्चात शिकायत प्राप्त हुई इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** विभाग में मंदसौर, रतलाम, नीमच जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के विरूद्ध विभाग में 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ए.ई.ओ. परीक्षा निरस्त होने पर कार्यवाही

8. (क्र. 265) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिक्षा विभाग द्वारा 09 सितंबर 2013 की आयोजित ए.ई.ओ. परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो परीक्षा निरस्त करने के क्या कारण थे? **(ख)** क्या परीक्षा निरस्त करने का मुख्य कारण परीक्षा नीति निर्धारण ठीक नहीं था? यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** ए.ई.ओ. 2013 परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किए, कितने शामिल हुए तथा परीक्षा आयोजित कराने में कुल कितनी राशि विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क सहित खर्च की गई? **(घ)** नवीन ए.ई.ओ. परीक्षा कब तक आयोजित कर ली जायेगी, समय-सीमा बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** उत्तरांश ''क'' के उत्तर अनुसार। **(ग)** विभागीय निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश ऑनलाईन द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल 24,306 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में बैठने के लिये ऑनलाईन आवेदन किया था। कुल 22,834 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुये थे। एम.पी. ऑन लाईन द्वारा परीक्षा आयोजित करने में खर्च की गई कुल राशि रूपये 1,42,67,622/- (रूपये एक करोड़ बयालिस लाख सड़सठ हजार छः सौ बाईस मात्र)। **(घ)** उत्तरांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

उज्जैन, संभाग में ट्रामा सेन्टर की स्थापना

9. (क्र. 266) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक सड़क हादसों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु तथा कितने घायल हुए जिलेवार जानकारी वर्षवार देवें। **(ख)** उज्जैन संभाग में अभी तक कितने ट्रामा सेन्टर पूर्ण रूप से उपकरण सहित कार्य कर रहे है कितने बनकर तैयार है तथा कितनों में उपकरणों एवं डॉक्टर विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है? **(ग)** क्या विभाग सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों की जान बचाने हेतु उक्त समस्त ट्रामा सेन्टर में पूर्ण सुविधायें मुहैया कराने पर विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** उक्त संभाग में कहाँ-कहाँ ट्रामा सेन्टर स्वीकृत हो चुके है और कहाँ-कहाँ प्रस्तावित है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उज्जैन संभाग में जिला उज्जैन एवं रतलाम में ट्रामा सेन्टर चिकित्सक एवं उपकरणों सहित क्रियाशील है। शेष जिलों देवास शाजापुर, मन्दसौर, नीमच में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर डॉक्टर विशेषज्ञ एवं उपकरणों की व्यवस्था की जावेगी। **(ग)** जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(घ)** उज्जैन संभाग में जिला उज्जैन देवास शाजापुर, मन्दसौर, नीमच में ट्रामा सेन्टर स्वीकृत है। जिला आगर-मालवा में ट्रामा सेन्टर स्वीकृती की कार्यवाही प्रचलन में है।

<u>परिशिष्ट - ''चार''</u>

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाये गये वाहनों पर व्यय

10. (क्र. 317) कुंवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहोरीबंद, बरही, विजयराघवगढ़, रीठी, बड़वारा में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से वाहन लगाये जाने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की गई? वाहन लगाये जाने हेतु क्या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई? यदि अपनाई गई तो विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? **(ख)** परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नांश **(क)** की अवधि में हितग्राहियों एवं प्रेरकों को परिवहन सुविधा हेतु प्रतिवर्ष उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कितनी राशि प्राप्त हुई? परिवहन सुविधा के भुगतान हेतु कितनी राशि व्यय की गई? **(ग)** उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु प्रश्नांकित अवधि 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि शासन द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत हुई? स्वीकृत राशि में से उक्त केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों व किस व अन्य कार्य में कितनी राशि खर्च की गई? कार्यवार, राशिवार विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बस्ती विकास के अन्तर्गत राशि का दुरुपयोग

11. (क्र. 413) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अन्तर्गत जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिण्ड के द्वारा हरिजन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनवरी 13 से 30 जून 2015 तक किन ग्राम पंचायतों को किनकी

अनुशंसा पर निर्माण कार्य के लिए राशि जारी की गई है? **(ख)** क्या ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति निवासरत ग्रामों में बस्ती विकास के लिए राशि जारी की जावेगी? यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(क)** में जारी की गई राशि के ग्रामों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवासरत है कितने अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ हुआ है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत राशि जारी करने में नियमों के विपरीत विभाग द्वारा कार्य करके अनुसूचित जाति के लोगों के विकास कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किये जा रहे है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायतों में किन ग्राम पंचायतों में कब कितनी राशि किस निर्माण के लिए जारी की गई? क्या भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस्ती विकास और अनुसूचित जाति बस्ती विद्युतीकरण के लिए राशि जारी नहीं की गई? क्यों? कौन से प्रकरण विचाराधीन हैं, कब तक राशि जारी हो जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के पृष्ठ क्रमांक-1 से पृष्ठ क्रमांक-16 अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' के पृष्ठ क्रमांक-17 से पृष्ठ क्रमांक-32 अनुसार** है। **(ग)** भिण्ड जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2014 के प्रावधानों का पालन करने के संबंध में जाँच कराई जावेगी। यदि नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाना नहीं पाया जायेगा तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ठ-''ब'' के पृष्ठ क्रमांक-17 अनुसार** है। भिण्ड विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति बस्ती विकास की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट' 'स'' के पृष्ठ क्रमांक 33 से पृष्ठ क्रमांक-35** एवं विद्युतीकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' के पृष्ठ क्रमांक-36 अनुसार** है।

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाएं प्रारंभ की जाना</u>

12. (क्र. 443) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की योजनाओं को गारंटी नहीं दी जा रही है, जिस कारण केन्द्र सरकार बजट उपलब्ध नहीं करा पा रहा है गांरटी न देने का क्या कारण है? **(ख)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सन् 2012 में महू में डॉ. अंबेडकर जयंती के अवसर पर घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय वित्त विकास निगम की योजनायें पुन: चालू की जायेगी किन्तु आज दिनाँक तक चालू नहीं होने का क्या कारण है? **(ग)** क्या उक्त केन्द्रीय योजना में भारत सरकार द्वारा ब्याज नि:शुल्क दिया जाता है? जबकि म.प्र.शासन द्वारा अनुसूचित जाति से चार से छ: प्रतिशत ब्याज लिया जाता है तब भी केन्द्र सरकार को स्वीकृति नहीं भेजी जाती है क्यों कारण स्पष्ट करें? **(घ)** क्या मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति आर्थिक विकास योजना में अधिकतम 25 लाख के लोन पर तीन लाख अनुदान दिया जाता था किन्तु वर्तमान में पच्चीस लाख लोन एवं दो लाख अनुदान क्यों कर दिया गया है, इसी प्रकार अन्तयोदय स्वरोजगार योजना में पूर्व में ऋण सीमा निर्धारित नहीं थी लेकिन वर्तमान में सीमा निर्धारित करते हुये अनुदान पच्चीस प्रतिशत एवं राशि दस हजार रूपये तथा राशि बीस हजार रूपये एवं पचास प्रतिशत अनुदान निर्धारित कर दी गई है इसके पीछे शासन की क्या मंशा है स्पष्ट करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। शासन द्वारा स्वयं की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। राज्य शासन द्वारा समस्त स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किये जाने के कारण ऋण सीमा तथा अनुदान राशि संशोधित की गयी हैं। 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** तथा 'मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना' की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दिनाँक से वेतन वृद्धि का लाभ

13. (क्र. 447) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दिनाँक से वेतन वृद्धि देने के आदेश हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें? **(ख)** क्या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सतना जिले के शिक्षा कर्मी द्वारा याचिका दायर करने पर नियुक्ति दिनाँक से वेतन वृद्धि देने के निर्णय पारित किए गए हैं? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(ख)** का उत्तर हां है तो शासन द्वारा प्रदेश के सभी शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दिनाँक से वेतन वृद्धि देने के आदेश क्यों नहीं जारी किये गये, कारण सहित बताएं? कब तक आदेश जारी किये जायेंगे? **(घ)** क्या क्रमोन्नति पश्चात् सहायक अध्यापकों को अंतरित राहत 1000/- के स्थान पर 2250/- देने के आदेश है? यदि हाँ, तो सतना जिले के किन-किन विकासखण्डों एवं संकुल केन्द्रों में क्रमोन्नति प्राप्त सहायक अध्यापकों को 2250/- अंतरिम राहत नहीं दिया जा रहा है? कब तक एकरूपता लाने के लिए शासन स्तर से आदेश प्रसारित किये जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी नहीं। रिट याचिका क्रमांक 1098/2006 के आदेश दिनाँक 21.1.2009 के द्वारा नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार ही वेतन वृद्धि दिये जाने के आदेश है। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही

14. (क्र. 616) श्री संजय पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता को जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण जिला कटनी द्वारा पृ.क्र./आ.जा.क./निर्माण/2015-16/425 कटनी दिनाँक 22.06.2015 द्वारा पत्र लिखकर अवगत कराया गया था कि अनुसूचित जाति सामुदायिक बस्तियों में 29 निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला कटनी से तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कराकर उपलब्ध कराने हेतु लेख किया था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार विवरण दें। प्रश्नांश **(क)** के संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों? उसके लिये कौन दोषी है? क्या तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कटनी से प्राप्त किये जा चुके हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्कूलों में शौचालय निर्माण

15. (क्र. 638) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सांवेर विधानसभा क्षेत्र के कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या शालाऐं शौचालय विहीन हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कितनी राशि खर्च की गयी तथा कितनी राशि खर्च करना शेष है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में विद्यालयों/कन्याशाला में कितने विद्यालय ऐसे है जहां छात्र-छात्राओं एवं स्टॉफ के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवं यूरिनल उपलब्ध है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में अगर उपलब्ध नहीं हैं तो क्या वित्तीय वर्ष 2015-16 में पृथक-पृथक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण हेतु बजट में कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक, माध्यमिक शाला, कन्या शाला परिसर शौचालय विहीन नहीं है। **(ख)** सांवेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु शौचालय निर्माण के लिए 2.31 लाख प्रति स्वीकृत किये थे जो शौचालय निर्माण पर पूर्ण व्यय हो चुके हैं। प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है-

स.क्र	वर्ष	शौचालय की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	2014-15	9	8.51 लाख	8.51 लाख	-
2.	2015-16	91	116.14 लाख	116.14 लाख	-

कोई राशि व्यय करना शेष नहीं है, शालावार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** सांवेर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसरों में छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय/यूरीनल उपलब्ध हैं। विद्यालयों में स्टाफ द्वारा उन्हीं शौचालय/यूरीनल का प्रयोग किया जाता है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के समस्त 482 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय/यूरीनल उपलब्ध हैं, स्टाफ के लिये पृथक से शौचालय/यूरीनल का प्रावधान नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

ग्रन्थपालों को यू.जी.सी. वेतनमान

16. (क्र. 958) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिक्षा महाविद्यालय के ग्रंथपाल शालेय शिक्षा के उच्च वेतनमान ग्रंथपाल ही होते हैं? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** उत्तर जी हाँ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्र. 290/300 के द्वारा कितने ग्रंथपालों को यू.जी.सी. वेतनमान दिया गया और कितने ग्रंथपालों को वंचित रखा गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** उत्तर यदि हाँ, है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्र. 526 (1985) 2 SLR 248 (1985) 2 SLP 58, 1385 2 SCC 648 क्रमांक 10 में क्या यह निर्देशित किया है कि किसी निर्णय के लाभों को समानरूप स्थिति वाले सभी सेवकों को वंचित रखना विभेदकारी है निर्णय के परिणामों से सभी सेवकों को भले ही उन्होंने न्यायालय की शरण न ली हो नियोजक द्वारा स्वयं दिया जाना चाहिए?

(घ) प्रश्नांक **(ग)** का पालन आज तक क्यों नहीं किया गया? इसका जिम्मेदार कौन है? और पालन किया जाना है तो कब तक किया जावेगा? और नहीं किया जाना है तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। **(ख)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश क्र. 290/300 में पारित निर्णय के अनुक्रम में म.प्र. शासनादेश क्र.एफ 44-99/2007/बीस-2, दिनाँक 19.11.2008 द्वारा श्री रामकुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल सी.टी.आई. जबलपुर को एवं म.प्र. शासन के आदेश क्र. एफ 44-99/2007/बीस-2, दिनाँक 25.06.2008 द्वारा श्रीमती जोगिन्दर कौर तत्कालीन ग्रंथपाल शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर को यू.जी.सी. वेतनमान दिया गया है। **(ग)** उत्तरांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश क के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मानसिक चिकित्सालय केन्द्र की स्वीकृति

17. (क्र. 987) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के मानसिक चिकित्सालय की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई? **(ख)** यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? **(ग)** प्रदेश में मानसिक चिकित्सालयों की कार्य क्षमता, उपचार सुविधा, बजट की जिलेवार व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत दो मानसिक चिकित्सालय संचालित हैं:- 1. मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर 2. मानसिक चिकित्सालय, इंदौर। **1. मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर** :- मानसिक आरोग्यशाला में पलंगो की संख्या 212 हैं, जिसमें पुरूष क्लोज वार्ड, फीमेल क्लोज वार्ड, पुरूष ओपन वार्ड, महिला ओपन वार्ड, हाफ वे होम नशा मुक्ति केन्द्र हैं। मरीजों का मानसिक उपचार उनकी सुख सुविधायें एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हैं। स्वस्थ मरीजों के पुनर्वास की विशेष व्यवस्था हैं। मानसिक आरोग्शाला, ग्वालियर में बजट प्राप्त नहीं होता, अपितु अनुदान प्राप्त होता हैं। जिसका व्यय मरीजों की उपचार सुविधायें एवं उनके पुनर्वास पर किया जाता हैं। **2. मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर :-** इस चिकित्सा में 155 बिस्तरों की क्षमता है, चिकित्सालय में आंतरिक एवं बाह्य रोगियों को नि:शुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाती है। मांग संख्या 7280 अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय, इन्दौर एवं मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर के उन्नयन हेतु वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 266.60 लाख बजट प्रावधान है। शेष जानकारी स्वास्थ्य विभाग एवं सामाजिक न्यय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग से प्राप्त की जा रही है।

नगर निगम जबलपुर में अधीक्षक स्कूल शिक्षा की नियम विरूद्व पदस्थापना

18. (क्र. 1047) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के ऐसे कोई नियम हैं कि प्राचार्य पद पर पदस्थ कर्मचारी को दो स्थानों का प्रभार एक साथ दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियम बतावें? यदि नहीं, तो क्या शासकीय लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल रांझी जबलपुर में पदस्थ प्राचार्य श्रीमती वीणा वर्गीश को प्राचार्य के साथ-साथ नगर निगम में अधीक्षक शिक्षा विभाग का भी दायित्व सौंपा गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या नगर निगम जबलपुर में अधीक्षक शिक्षा विभाग का पद शासन द्वारा सृजित किया गया है? यदि हाँ, तो कब, आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो नगर निगम जबलपुर में अधीक्षक शिक्षा विभाग के पद पर शासकीय लक्ष्मी

नारायण स्कूल रांझी की प्राचार्य श्रीमती वीणा वर्गीश को किस नियम के तहत नगर निगम में अधीक्षक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। उनके द्वारा क्या-क्या कार्य संपादित किये जा रहे हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में वर्णित अधीक्षक का पद यदि शासन द्वारा सृजित नहीं किया गया है, तो श्रीमती वीणा वर्गीश को किस नियम के तहत किस अधिकारी द्वारा नगर निगम जबलपुर में अधीक्षक शिक्षा विभाग के पद पर अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है? क्या नियम विरूद्ध पदस्थ किये गये अधीक्षक के पद पर पदस्थ कर्मचारी को पदमुक्त किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक एवं नियम के विरूद्ध आदेश करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) यह प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जिसके लिए नियम नहीं होते है। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा किया गया है। **(ख)** जी नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नगर निगम मे शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। प्रभारी शिक्षा अधिकारी के पद / प्रभार अंतर्गत 05 उ.मा. शालाओं एवं 01 संस्कृत विद्यालय, 01 बाल मंदिर में पदस्थ शैक्षिक अमले पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के साथ- साथ शालाओं का निरीक्षण शालेय व्यवस्था नगरीय सीमा में संविदा शाला शिक्षक के संविलियन/ अनापत्ति/05 उ. मा. शालाओं में अतिथि शिक्षकों की भर्ती एवं शैक्षणिक गतिविधियों संबधी अन्य शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी अन्य शैक्षणिक कार्य संपादित किये जा रहे है। **(ग)** उत्तरांश क के उत्तर अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त आवंटन</u>

19. (क्र. 1233) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2014 तक सिवनी जिले में योजनावार शीर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? त्रैमासिक प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि आहरित की गई है तथा कितनी राशि व्यय की गई है? व्यय राशि का विवरण किस-किस संस्था/फर्म को कितना भुगतान किया गया है? **(ख)** सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी के नाम से कितने बैंक खाते हैं? खाते का प्रकार, बैंक का नाम, खाता नम्बर की जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' तथा 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

<u>अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्य</u>

20. (क्र. 1239) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सिवनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विगत 2013 एवं 2014 में कराये गये कार्यो जैसे सी.सी. निर्माण कार्य, विद्युतीकरण, कूप, निर्माण, सामुदायिक भवन एवं विभाग द्वारा संचालित समस्त प्रकार की योजनाएं एवं कितने हितग्राहियों की संख्या है, बतावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अवधि में सिवनी जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा की गई है? **(ग)** यदि हाँ, तो उनकी समीक्षा एवं जाँच जिला स्तर के अधिकारियों एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा करायी गई है? यदि हाँ, तो जाँचकर्ता द्वारा दोषी अधिकारी कर्मचारी एवं ठेकेदारों पर क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जिला सिवनी में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013 एवं 2014 में कराये गये कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>**शिक्षा विभाग में किये गये युक्तियुक्तिकरण**</u>

21. (क्र. 1293) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिला स्थित शासकीय बाल मंदिर माधव चौक शिवपुरी का विलय/संविलियन शासकीय प्राथमिक विद्यालय माधव चौक शिवपुरी में लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुका है? यदि हाँ, तो वर्तमान में चल रही युक्तयुक्तीकरण प्रक्रिया में किस-किस शिक्षक, सहायक शिक्षक को शास. बाल मंदिर में पदस्थ बताया गया है और क्यों? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या शासकीय बाल मंदिर में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों, सहायक शिक्षकों को स्वैच्छिक काउन्सिलिंग में प्रथम वरीयता दी गयी, जबकि उक्त विद्यालय का पूर्व में ही शासकीय प्राथमिक विद्यालय माधव चौक में विलय/संविलियन कर दिया गया था? ऐसी शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, अध्यापकों की सूची उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या उक्त प्रकरण में व्यक्ति विशेष को लाभ दिये जाने हेतु नियम विरूद्ध कार्यवाही की गयी है उक्त त्रुटि के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है व उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** युक्तियुक्तकरण के तहत स्वैच्छिक काउसलिंग हेतु वरिष्ठता क्रम की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**परिशिष्ट - "छः"**</u>

<u>**सिविल अस्पताल में डाक्टरों की पदस्थापना**</u>

22. (क्र. 1312) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के सिविल अस्पताल सिहोरा में कितने चिकित्सक/कर्मचारियों के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? किन-किन विशेषज्ञों के पद कब से रिक्त हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा निरंतर मांग किये जाने के बाद भी अभी तक डॉक्टरों की पदस्थापना क्यों नहीं की गई? कारण बतायें? पदस्थापना कब तक कर दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जनप्रतिनिधियों से पद पूर्ति संबंधी प्राप्त टीप के आधार पर एवं विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियुक्तियों हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किए जाते हैं एवं बंधपत्र/संविदा चिकित्सक की नियुक्ति हेतु रिक्तियां प्रदर्शित की जाती है। विभाग के अधीन पद पूर्ति की कार्यवाही, लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही सक्षम स्तर से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट - "सात"**</u>

नवीन प्राथमिक शाला की स्थापना

23. (क्र. 1313) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 225 दिनाँक 31.03.15 के अनुरूप विकास खण्ड सिहोरा अंतर्गत झॉंझा, ढमढमा, धमधा, खम्हरिया टोला में नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु आपके पत्र क्र. 3415 दिनाँक 23.03.15 के द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण को लिखा गया था? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** प्रस्ताव अनुसार क्या अभी तक नवीन प्राथमिक शाला आरंभ नहीं की गई और शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गया है, जिससे इन ग्रामों के बच्चों को अध्ययन हेतु अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? कब तक नवीन विद्यालय आरंभ हो जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विकासखण्ड सिहोरा अंतर्गत प्रस्तावित बसाहट, धमधा में प्राथमिक शाला प्रारंभ की जा चुकी है। शेष बसाहटें झॉंझा, ढमढमा, खम्हरिया टोला निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करती है। **(ख)** बसाहट धमधा में दिनाँक 11.7.2015 से प्राथमिक शाला संचालित है। शेष उत्तरांश क अनुसार।

ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में अध्यापकों की कमी

24. (क्र. 1363) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्वालियर के गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के अनेक डॉक्टर अध्यापकों के नौकरी छोड़ जाने के कारण महाविद्यालय की मान्यता समाप्त हो सकती है? कारण, तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? **(ख)** उक्त महाविद्यालय में कितने विभाग वर्तमान में अस्तित्व में है और शासन द्वारा कितने पद स्वीकृत हैं? विभागवार स्वीकृत पदों, रिक्त पदों की वर्तमान में जानकारी दी जावे? **(ग)** उक्त महाविद्यलाय में वर्ष 2013-2014 से जून 2015 तक कितने डॉक्टरों द्वारा नौकरी छोड़ी जा चुकी है तथा शासन द्वारा उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? नाम, पद सहित विभागवार जानकारी दी जावे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुरैना जिला अस्पताल परिसर में निर्मित ट्रामा सेन्टर के निर्माण में विलम्ब

25. (क्र. 1364) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुरैना जिला अस्पताल परिसर में बन रहे ट्रामा सेन्टर भवन का कार्य बन्द हो गया है? क्यों कब से किस कम्पनी को ठेका दिया था? समय-सीमा क्या निर्धारित की गई थी? कितनी राशि खर्च की जानी थी? **(ख)** क्या मुरैना ट्रामा सेन्टर के अभाव में अनेक दुर्घटना में घायलों को त्वरित इलाज का लाभ नहीं मिल पाने के कारण ग्वालियर भेजा जाता है जहां रास्ते में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है? जिला अस्पताल प्रबन्धन की इस लापरवाही के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** इस लोक महत्व के अस्पताल भवन को जल्द बनाने हेतु अभी तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गैर वन भूमियों को वन भूमि माना जाकर अधिकार पत्रों का वितरण

26. (क्र. 1406) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले में ग्रामों की समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमियों को राजपत्र में डीनोटीफाईड कर दिया गया उन ग्रामों की भूमियों को वन भूमि माना जाकर जनवरी 2008 से प्रश्नांकित दिनाँक तक वनभूमि के दावे मान्य एवं अमान्य किए गए है? **(ख)** यदि हाँ, तो वन विभाग द्वारा जिन ग्रामों की समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि डीनोटीफाईड कर दी गई थी उनमें से किस ग्राम की भूमि को वन भूमि माना जाकर कितने आदिवासियों के कितने दावे मान्य एवं कितने दावे अमान्य किए गए कितने गैर आदिवासियों के कितने दावे मान्य एवं कितने दावे अमान्य किए गए? **(ग)** जिन ग्रामों की समस्त वन भूमि डीनोटीफाईड कर दी गई थी उन ग्रामों की भूमि को वन भूमि मानकर वन अधिकार पत्र के दावों को मान्य किए जाने या अमान्य किए जाने का क्या कारण रहा है ऐसा किस न्यायालीन आदेश के तहत किया गया या किस कानून की धारा के अनुसार किया गया? **(घ)** डीनोटीफिकेशन की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सत्यापन किया जाकर मान्य एवं अमान्य दावों के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा समय-सीमा सहित बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार दावे मान्य एवं अमान्य किये गये है। **(घ)** वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत दावों का निराकरण किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "</u>आठ"

क्रीड़ा परिसर शाहपुरा एवं बैतूल में खर्च की गई राशि

27. (क्र. 1407) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में शाहपुर एवं बैतूल में क्रीड़ा परिसर का कितनी लागत से किस वर्ष में निर्माण किया गया, इन परिसरों में प्रश्नांकित दिनाँक तक मरम्मत या रखरखाव के किन-किन कार्यों पर किस वर्ष में कितनी राशि खर्च की गई? **(ख)** गत दो वर्ष में किस क्रीड़ा परिसर की मरम्मत या रखरखाव के लिये किस दिनाँक को कितनी राशि जनपद पंचायत बैतूल एवं जनपद पंचायत शाहपुर को उपलब्ध करावाई, कितनी राशि सहायक आयुक्त कार्यालय के द्वारा खर्च की गई? **(ग)** गत दो वर्षों में क्रीड़ा परिसर की मरम्मत या रख-रखाव के कार्यों के लिये किस दिनाँक को किसे कितनी राशि का भुगतान किया गया? उस भुगतान का सत्यापन किस अधिकारी के द्वारा किया गया बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जिला बैतूल के क्रीड़ा परिसर शाहपुर एवं बैतूल का निर्माण/मरम्मत की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	स्वीकृत वर्ष	संस्था का नाम	राशि लाख में
1	1987-88	बा.क्रीड़ा परिसर शाहपुर	29.50
2	2006-07	कन्या क्रीड़ा परिसर बैतूल	400.00

उपरोक्त क्रीड़ा परिसरों में प्रश्नांकित दिनाँक तक मरम्मत/रख-रखाव के कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** विगत दो वर्षों में जनपद पंचायत बैतूल एवं प्राचार्य उ.मा.शाला बालक शाहपुर को उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है। जनपद पंचायत शाहपुर को क्रीड़ा परिसर हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराया गया है।

क्र.	वर्ष	ज.प.का नाम/आवंटित संस्था का नाम	उपलब्ध कराया गया आवंटन
1	2013-14 2014-15	जनपद पंचायत बैतूल -'-	5.00 -'-
2	2013-14 2014-15	प्रा.उ.मा. -'-	5.00 -'-

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बैतूल के द्वारा किसी भी प्रकार की राशि व्यय नहीं की गई है। **(ग)** वर्ष 2013-14 में क्रीड़ा परिसर बैतूल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत में दिनाँक 20.3.2014 को संबंधित कोच को रू. 5.00 लाख भुगतान की है। सत्यापन विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया गया। क्रीड़ा परिसर शाहपुर के लिये प्राचार्य द्वारा आहरित राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों का नियमितिकरण

28. (क्र. 1446) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो देवास जिले में विगत तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया? **(ख)** देवास जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग में कितने कर्मचारी वर्तमान में नियमित नहीं है, नाम सहित कार्यरत वर्ष बतावें? **(ग)** क्या विभाग द्वारा उक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किया जावेगा? यदि किया जावेगा तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनाँक 16.5.2007 के अनुसार नियमितीकरण का प्रावधान है। देवास जिले में विगत तीन वर्षों में पद रिक्त न होने से किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। **(ख)** विभागांतर्गत देवास जिले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पात्र अनुमोदित 60 कर्मचारियों मे से वर्तमान में 26 कर्मचारी नियमित नहीं है। **सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** पद रिक्त होने पर पात्रता अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "नौ"

कुपोषण निवारण कार्यक्रम

29. (क्र. 1528) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 में कितना धन खर्च हुआ तथा इससे कितने बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली? **(ख)** वित्त वर्ष 2015-2016 में राज्य में कुपोषण निवारण के लिये सरकार की क्या योजनाएं है और उनके लिये क्या वित्तीय प्रावधान है? **(ग)** वर्तमान में भारत सरकार से कुपोषण उन्मूलन के लिये राज्य सरकार को कितनी सहायता किस हिसाब से दी जाती है? **(घ)** क्या चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकार को दिये जाने वाले अंशदान में कमी की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दीजिए और इसके प्रभाव के बारे में बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार** है। **(ग)** भारत सरकार द्वारा कुपोषण उन्मूलन हेतु पृथक से कोई राशि जारी नहीं की जाती है। बच्चों के समग्र विकास हेतु आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी संचालन हेतु राशि दी जाती है। भारत सरकार नियत गतिविधियों हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपलब्ध करायी गई राशि का केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा हेतु निर्धारित 50:50, 75:25, 90:10 के व्यय अनुपात में विभिन्न घटकों में राशि पुर्नभुगतान किए जाने का प्रावधान है। **(घ)** उक्त संबंध में भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय से आज दिनाँक तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः शेष का प्रश्न नहीं।

<u>परिशिष्ट - </u>"दस"

माझी विषयक भारत सरकार को अभिमत भेजा जाना

30. (क्र. 1623) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र दिनाँक 01.02.10 सितम्बर 2013 को माझी जनजाति की किन्हीं जातियों से साम्यता के संबंध में मा. मुख्यमंत्री जी को कोई अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं? **(ख)** विभाग द्वारा मा. विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में वर्ष 2007 में गठित किन्हीं की समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में आ.जा.अ. संस्था एवं अध्यक्ष व सदस्यों के अभिमत क्या दर्शित रहे हैं और किसके अध्ययन को अध्यक्ष सहित सदस्यों द्वारा सर्वमतेन पारित किया है और विधि विभाग के किसी अभिमत सहित वर्ष 2008 के किसी दिनाँक को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है? **(ग)** क्या भारत के महारजिस्ट्रार ने राज्य की किसी संस्था के किन्हीं अभिमतों के आधार पर किन-किन बिन्दुओं पर अपनी कॉमेन्ट्स दी है? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** के स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में किन लक्षणों एवं विशेषताओं के आधार पर राज्य के लिये मान्य किन अनुसूचित जनजातियों में साम्यता पायी जाना सिद्ध की है? **(ड.)** प्रश्नांश **(क)** प्रतिवेदन में प्रश्नांश **(ग)** की कॉमेन्टों के स्पष्टीकरण में आ.जा.अ. संस्था द्वारा कण्डिकावार अभिमत विभाग को किसे कब और क्या प्रस्तुत किया गया है और कब तक भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (घ)** माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक 4911 दिनाँक 10/09/2013 के साथ प्रस्तुत उल्लेखित प्रतिवेदन से संबंधित अंश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। (ड.)** जी हाँ। उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को तदानुसार अग्रेषित किया गया है।

<u>माझी जनजाति से लाक्षणिक साम्यता विषयक प्रतिवेदन</u>

31. (क्र. 1624) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अनुसूचित जनजातियों के किन्हीं लक्षणों व विशेषताओं के विस्तृत विवरणों युक्त किन्हीं खण्डों में कोई पत्र दिनाँक 23.03.2015 को मा. मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** पत्र में किन आदेश, निर्णय, अभिमत, संकल्प व पत्र का तथा किन वर्षों के किनके संदर्भ साहित्यों के किन तथ्यों का उल्लेख किया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के विभिन्न खण्डों के साम्यतापूर्ण अध्ययन में राज्य की किन अनुसूचित जनजातियों की उत्पत्ति, सामाजिक प्रास्थिति, परिषद/पंचायत, समनामिता, रक्तमिश्रण, उपजाति-समूह, गोत्र, संस्कार, देवी-देवता, त्यौहार, धर्म, बोली, पेशे आदि पर किन्हीं जातियों से साम्यता और किन्हीं अनुसूचित जनजातियों का अपात्र होना दर्शित की गयी है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** पत्र में किन्हीं को किसी जाति के साथ सम्मिलित किये जाने और किन्हीं अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची से विलोपित किये जाने की मांग किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ड.)** क्या राज्य में आदिमजाति अनुसंधान संस्था की स्थिति राज्य सरकार और मंत्रीपरिषद से उच्च है और इस कारण वह मंत्री परिषद के निर्णय, विभागीय अनुशंसा, सरकार के जनसंकल्प और मा. मुख्यमंत्री जी के आग्रहपत्र की अवज्ञा कर अपना अभिमत मंत्री परिषद से बिना अनुमोदन कराये भारत सरकार को भिजवा देती है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। **(ड.)** शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "</u>ग्यारह"

आदिवासी कन्या छात्रावास का संचालन

32. (क्र. 1635) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सीधी जिले के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत कितने छात्रावास संचालित है? स्थान, वर्ष एवं कितनी सीट की स्वीकृति दी गई है? **(ख)** क्या सीधी जिले के आदिवासी विकास खण्ड कुसमी के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय कमछ में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत कन्या छात्रावास संचालित की गई थी? यदि हाँ, तो किस वर्ष कितनी सीट (शैय्या) संचालित की गई थी? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में क्या संचालित कन्या छात्रावास को बन्द कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किन कारणों से बंद किया गया है? क्या आदिवासी विकास खण्ड कुसमी के अंतर्गत संचालित कन्या छात्रावास को बन्द करने से आदिवासी कन्याओं के शिक्षा पर विशेष असर नहीं पड़ेगा? यदि हाँ, तो कन्या छात्रावास को पुन: कब तक संचालित कर दिया जावेगा? समय-सीमा बताये? **(घ)** प्रश्नांक **(ग)** के संदर्भ में माननीय विधायक धौहनी के द्वारा कन्या छात्रावास को पुन: संचालित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया था? पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? अवगत कराये। यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। **(ख)** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले के विकासखंड कुसमी अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 50 सीटर बालिका छात्रावास कमछ संचालित किया गया था। **(ग)** जी हाँ। भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2014-15 में स्वीकृत बालिका छात्रावासों की संख्या के अनुसार ही वर्ष 2015-16 में बालिका छात्रावास संचालन की स्वीकृति दी गई। विकासखण्ड कुसुमी में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टमसार से मात्र सात किलोमीटर दूर स्थित बालिका छात्रावास कमछ था, जिसमें छात्राओं की न्यून उपस्थिति थी। वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार पालन सुनिश्चित करते हुये बालिका छात्रावास कमछ का संविलियन विकासखण्ड कुसुमी के ही बालिका छात्रावास खरबर में की जाकर बालिका छात्रावास खरबर की सीट संख्या 100 की गई है। जी नहीं। बालिका छात्रावास कमछ का संचालन बंद किये जाने से विकासखण्ड कुसुमी की आदिवासी कन्याओं की शिक्षा पर विशेष असर नहीं पडेगा क्योंकि सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत विकासखण्ड कुसमी में कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय टमसार, बालिका छात्रावास खरबर तथा आदिवासी विकास विभाग से कन्या आश्रम कुसमी, कन्या आश्रम पौडी, कन्या आश्रम ददरी कन्या आश्रम जूरी तथा कन्या आश्रम भुईमॉड संचालित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ। उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - </u>"बारह"

प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापनाएं

33. (क्र. 1637) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासक के साथ कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पदों पर पदस्थापनायें की गई है, कितने पद रिक्त हैं? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में स्वीकृत पदों पर कितने विभागीय एवं कितने प्रतिनियुक्ति के आधार पदस्थापनायें की गई हैं? जिनकी पदस्थापनायें की गई हैं उनके नाम, पद एवं विभाग सहित जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांक **(क)** के संदर्भ में क्या विभागीय अधिकारी उपलब्ध नहीं है? यदि उपलब्ध है तो अन्य विभाग के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति क्यों की गई? कारण बताये? प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिनकी पदस्थापनायें कि गई हैं क्या उनके मूल विभागों में पद रिक्त नहीं है? यदि पद रिक्त हैं, तो आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर किस आधार पर किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थापना की गई है उन्हें उनके मूल विभाग में वापस किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताये? उनके प्रतिनियुक्ति पर आने से मूल विभाग के रिक्त पदों से कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है? यदि हाँ, तो शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत सहायक आयुक्त के 31 एवं परियोजना प्रशासक के 23 पद स्वीकृत हैं। कर्मचारियों की जानकारी संकलित की जा रही है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर एक अधिकारी एवं परियोजना प्रशासक के पद पर एक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** विभाग में पदों की रिक्तता के कारण निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिनियुक्ति पर सेवायें ली गयी है। यह अस्थायी शासकीय व्यवस्था है। **(घ)** विभागीय अधिकारी उपलब्ध होने पर संबंधित अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापिस

किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर आने से उनके मूल विभाग के रिक्त पदों से कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की कोई सूचना नहीं है।

इंदौर जिले में की गई अनुकम्पा नियुक्ति

34. (क्र. 1656) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या इंदौर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकंपा नियुक्ति संबंधी परिपत्र क्रमांक सी/3-4/1/3/06, दिनाँक 18.08.2008 के क्रम में जारी निर्देश परिपत्र क्र./सी./3/17/1/3/2010, दिनाँक 13.01.2011 अनुसार दिनाँक 18.08.2008 के आदेश पूर्व के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों जो कि पूर्व आदेशानुसार अपनी अनुकंपा नियुक्ति पाने की सीमा समाप्त कर चुके है, (ऐसे प्रकरण जिन पर कर्मचारी की मृत्यु उपरांत संबंधित आश्रित सदस्य ने दिनाँक 18.08.2008 तक अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं की गई हैं) पर भी लागू कर सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई हैं? यदि हाँ, तो कर्मचारी के नाम, पदस्थ संस्था व पदस्थ दिनाँकवार सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार दिनाँक 18.08.2008 के पूर्व की ऐसी अनुकंपा नियुक्ति जिन पर संबंधित ने जिले में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण भृत्य अथवा संविदा का पद समय-सीमा की बाध्यता को देखते हुए स्वीकार किया है, जिसके कारण यह उपरोक्तानुसार नियुक्त कर्मचारी से पद व ग्रेड में पिछड़ गये है, के लिये प्रदेश शासन इन्हें पद व ग्रेड में समान न्याय दिये जाने हेतु क्या व्यवस्था कर रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। **(ख)** एक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति स्वीकार करने के उपरांत अन्य पद के समान पद व ग्रेड दिये जाने का प्रावधान शासन नीति अनुसार नहीं है। अतः किसी व्यवस्था का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में गणवेश की राशि प्रदाय में अनियमितता

35. (क्र. 1657) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासन के आदेश क्र. एफ/27-46/2014/2/2, भोपाल दिनाँक 17.06.2014 अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागी खिलाडियों को गणवेश हेतु प्रति खिलाड़ी 500/- की दर निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो इंदौर संभाग में आदेशानुसार प्रति खिलाड़ी निर्धारित राशि से कम राशि जारी की गई है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार यदि प्रति खिलाड़ी हेतु निर्धारित राशि जारी नहीं की गई है तो शेष राशि का किस मद में उपयोग किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश क के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेरह"

गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में आदिम जाति छात्रावासों की संख्या

36. (क्र. 1672) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के कितने छात्रावास संचालित है? नामवार सूची दें? **(ख)** प्रत्येक छात्रावास में कितने छात्र निवास करते हैं?

छात्रावासानुसार संख्या बताये? **(ग)** छात्रावास में निवासरत छात्रों को विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है? **(घ)** क्या गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में और नये छात्रावास खोलने पर विभाग विचार करेंगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) नरसिंहपुर जिला अन्तर्गत गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के 02 कन्या एवं 03 बालक कुल 05 छात्रावास **संलग्न परिशिष्ट अनुसार संचालित हैं। (ख)** आदिवासी मद से संचालित छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों की संख्या **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** विभाग द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावासों में नि:शुल्क निवास सुविधा, भवन, पानी, बिजली एवं भोजन हेतु शिष्यवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। **(घ)** जी हाँ। जिला कलेक्टर से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विचार किया जा सकेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "चौदह"

अनूपपुर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या

37. (क्र. 1689) श्री रामलाल रौतेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जैतहरी में स्थापित तत्कालीन मोजर बियर पावर प्रोजेक्ट में कुल कितने कुशल, अकुशल श्रमिक कार्यरत है? नाम, पता का विवरण देवें? **(ख)** क्या जिले में असंगठित मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसी समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो सदस्यों का नाम बतावें? उक्त उपक्रम में लगे श्रमिकों का संनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के तहत पंजीयन किया गया है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें? **(ग)** क्या पंजीकृत श्रमिकों को विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) विभाग द्वारा इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब'** में है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पात्र श्रमिकों का पंजीयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैतहरी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जैतहरी के द्वारा किया जाता है। **(ग)** जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

प्रदेश के शास. चिकित्सालायों में दंत चिकित्सकों की भर्ती

38. (क्र. 1713) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग के शासकीय चिकित्सालयों में दंत रोग चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत है? इनमें से कितने पद भरे एवं रिक्त है? स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की संख्या बताएँ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में रिक्त पदो को कब तक भरा जावेगा? कृपया अवधि बताऐं? **(ग)** वर्ष 2012-13 से आज तक दंत रोग चिकित्सकों के कितने पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई? **(घ)** कितनी जनसंख्या पर एक दंत चिकित्सक की नियुक्ति का प्रावधान है? क्या विभाग दंत चिकित्सक की पद संख्या में वृद्धि कर चिकित्सकों की नियुक्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्रंथपालों को शिक्षकों के समान पदोन्नति एवं वेतनमान

39. (क्र. 1723) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश राजपत्र भोपाल दिनाँक 04 अगस्त 2012 द्वारा ग्रंथपालों को शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1973 में संशोधन किया गया है? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में वर्णित अनुसार ग्रंथपालों को शैक्षणिक सेवा का पद माना गया है? यदि हाँ, तो क्या ग्रंथपालों को भी शिक्षक संवर्ग के समान सेवा निवृत्त आयु 62 वर्ष कर दी गयी है एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता है? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारियों को तृतीय समयमान का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? **(ग)** शालेय शिक्षा विभाग में ग्रंथपालों की पदोन्नति किस पद पर किये जाने का प्रावधान है व पदोन्नति आदेश कब-कब किये गये है, सूची उपलब्ध करावें? **(घ)** क्या क्षेत्रीय ग्रंथपाल पद पर प्राचार्य प्रभारी के तौर पर कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो ग्रंथपालों की पदोन्नति अथवा क्षेत्रीय ग्रंथपालों की भर्ती से पद क्यों नहीं भरे गये? प्रभारी क्षेत्रीय ग्रंथपालों को हटाकर कब तक स्थायी कर्मचारी निर्धारित पद अनुसार कार्य करेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं, केवल अनुसूची एक में केवल छटवें वेतनमान में संशोधन किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख)** जी नहीं, सेवा निवृत्त की आयु 60 वर्ष है। तृतीय वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है। क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है। **(ग)** निम्न वेतनमान ग्रंथपाल से उच्च वेतनमान ग्रंथपाल एवं उच्च वेतनमान ग्रंथपाल से क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है। उक्त पदोन्नति हेतु आदेश 30.6.1992 एवं 15.3.1995 एवं दिनाँक 09.10.2012 को जारी किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (घ)** प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल क्षेत्रीय पुस्तकालय में श्रीमती वंदना शर्मा प्राचार्य उमा.वि.क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पद विरूद्ध कार्य कर रही है। प्रदेश के 05 क्षेत्रीय ग्रंथपालों के पद पर पदोन्नति हेतु आदेश जारी किये गये थे, परन्तु कुमारी ममता ठाकुर द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जिनकी पदोन्नति निरस्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है एवं श्री निरंजन सिंह शासकीय केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर से दिनाँक 30.6.2015 को सेवा निवृत्त हुए है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। क्षेत्रीय ग्रंथपाल के पदों पर पदोन्नति उपरांत क्षेत्रीय ग्रंथपाल भोपाल में पदस्थ प्राचार्य को उनके मूल पद पर भेजा जायेगा।

ग्रन्थपालों को यू.जी.सी. वेतनमान

40. (क्र. 1724) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 290/2003 के परिवालन में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृ.क्र.एफ 44-99/2007/बीस-2, भोपाल, दिनाँक 31.7.2008 अंतर्गत मार्च 2002 से यू.जी.सी. वेतनमान दिये जाने के आदेश दिये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों को वेतनमान दिया गया? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** में वर्णित आदेश के अनुसार समान पद में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी इस आदेश के तहत वेतनमान दिये जाने हेतु विभागीय निर्णय लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय लिया जाकर लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** शालेय शिक्षा विभाग में कितने ग्रन्थपाल हैं जो यू.जी.सी वेतनमान से वंचित हैं? उनका नाम, पद, स्थान सहित बतावे तथा उन्हें कब तक यू.जी.सी. वेतनमान प्रदाय कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर। (ख)** जी नहीं। शालेय शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत ग्रंथपालो को यूजीसी वेतनमान दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हैं। **(ग)** ख के संदर्भ में शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं।

परिशिष्ट - "सोलह"

सर्वशिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य

41. (क्र. 1736) श्री कल सिंह भाबर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के सर्वशिक्षा योजना के अंतर्गत क्या विगत तीन वर्षों में झाबुआ जिले में स्वीकृत नवीन माध्यमिक शालाओं/हाईस्कूलों के भवनों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये और संबंधित निर्माण एजेन्सी द्वारा स्वीकृत राशि आहरण कर ली गई है तथा एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है? विभाग द्वारा ऐसे अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? स्वीकृत भवनों की भवन निर्माण की स्वीकृत सूची उपलब्ध करायें? **(ख)** क्या झाबुआ जिले की समस्त शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाई गई है? क्या संबंधित संस्थाओं द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है? कार्य पूर्ण नहीं किये जाने वाली संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? उन संस्थाओं की सूची (स्वीकृति) उपलब्ध करावे जहां शौचालय स्वीकृत है, लेकिन निर्माण नहीं किया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्वशिक्षा अभियान योजनांतर्गत झाबुआ जिले में कोई भी नवीन हाईस्कूल भवन का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। जी हाँ। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत झाबुआ जिले में विगत 3 वर्षों में 18 माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी राशि संबंधित एजेंसी द्वारा आहरित कर ली गई है। स्वीकृत 18 भवनों में से 16 माध्यमिक शाला भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 2 माध्यमिक शाला भवनों का कार्य अपूर्ण है, जिनके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार**। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्य प्रगतिरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार**। जी हाँ। जी नहीं, कार्य प्रगतिरत है। कुल 1242 स्वीकृत शौचालय में से 536 पूर्ण है एवं 746 प्रगतिरत है। पूर्ण/प्रगतिरत शौचालय निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार**। कार्य प्रगतिरत है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां शौचालय स्वीकृत है परंतु निर्माण नहीं कराया गया।

<u>चंदेरी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्वीकृत</u>

42. (क्र. 1753) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या चंदेरी में 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? क्या दो वर्ष पूर्व कलेक्टर अशोकनगर एवं जिला योजना समिति की अनुशंसा से इस संबंध का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से अवगत करायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शासकीय विद्यालयों में सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति</u>

43. (क्र. 1767) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा शासकीय विद्यालयों में सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या नियम है? प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्न की कंडिका **(क)** की उपलब्ध जानकारी अनुसार क्या सीधी भर्ती के पदों पर शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति की जा सकती है? यदि हाँ, तो बतावें? **(ग)** प्रश्न की कंडिका **(ख)** का उत्तर यदि नहीं, है तो क्या राजगढ़ जिले के शा.उ.मा.वि. करनवास में सीधी भर्ती के रिक्त पद पर लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के आदेश क्र./स्हा2/अ./पदों 62/2013-14/1340 भोपाल दिनाँक 12/12/2014 से जारी पदोन्नति सूची में सरल क्र. 45 पर अंकित शिक्षक की पदोन्नति नियमों के प्रतिकूल होकर जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा रिक्त पद की गलत जानकारी दिये जाने से की गई है? **(घ)** प्रश्न की कंडिका **(ग)** का उत्तर यदि हाँ, तो उक्त पदोन्नति को तत्काल निरस्त करते हुये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्तमान में प्रचलित संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** राजगढ़ जिले के शासकीय उ.मा.वि. करनवास में प्रश्नांकित आदेश क्रमांक दिनाँक द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति कोटे के रिक्त पद पर की गई थी। अतः शेषाश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्राथमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण</u>

44. (क्र. 1775) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छोटे-छोटे बच्चों के लिए बाउण्ड्रीवाल विहीन शालाएं सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है? **(ख)** यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पनागर की प्राथमिक शाला मनियारीकला, तिवारीखेड़ा, सुहजना, इमलिया, टिकारी, डुगारिया, गुडगांव, कदराखेड़ा, गुडगवां, एवं अन्य 41 शालाओं की बाउण्ड्रीवाल अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? **(ग)** क्या इन शालाओं की बाउण्ड्रीवाल बनाई जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सामान्यतः जी नहीं, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे नाले/नदियों के किनारे तथा भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाकों में स्थित शालाओं में ऐसी स्थिति हो सकती है। **(ख)** प्राथमिक शाला डुंगरिया में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया जा चुका है। प्रश्नांकित शालाओं एवं अन्य 41 शालाओं हेतु जिले की वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था। स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। **(ग)** वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>विधानसभा क्षेत्र पनागर की शाला भवनों का पुनर्निर्माण</u>

45. (क्र. 1776) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अत्यंत जर्जर एवं क्षतिग्रस्त शाला भवन जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, के पुर्ननिर्माण हेतु योजना है? **(ख)** यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पनागर के शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पडवार एवं शासकीय प्राथमिक शाला देवरी खुर्द जो कि लगभग 50-60 वर्ष पुरानी निर्मित है, का पुर्ननिर्माण कब होगा? **(ग)** यदि ऐसे भवनों के पुर्ननिर्माण की तत्कालिक योजना नहीं है, तो क्या दोनों शालाओं को वैकल्पिक स्थान में स्थानांतरित किये जाने की कोई योजना बनाई जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला देवरी खुर्द के पुराने भवन के स्थान पर भवन के पास रिक्त भूमि पर तीन कक्षों का निर्माण करा लिया गया है। पुराने भवन को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र पनागर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़वार में मरम्मत कार्य कर पुराने भवन में शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। **(ग)** जी नहीं। परिसर में स्थित हाईस्कूल/माध्यमिक शाला के कक्षों में शाला संचालित की जा रही है। शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय पड़वार के भवन निर्माण की योजना नहीं है।

<u>बी.एम.ओ. कार्यालय जैसीनगर के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही</u>

46. (क्र. 1807) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जैसीनगर विकासखंड के बी.एम.ओ. कार्यालय के लिये 01.04.2010 से 31 मार्च 2015 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी तथा उसमें से कब-कब कितनी राशि का व्यय किया गया है? **(ख)** क्या बी.एम.ओ. जैसीनगर के विरूद्ध वित्तीय अनियमितताओं और आवंटित राशि का दुरूपयोग करने के लिये कई शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो किसके द्वारा और क्या शिकायत की गयी थी? इन शिकायतों की जाँच किसके द्वारा और कब करायी गयी और जाँच परिणामों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** क्या रोगी कल्याण समिति के लिये शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बी.एम.ओ. जैसीनगर द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है? न ही अब तक उनके द्वारा रोगी कल्याण समिति की कोई बैठक ही बुलायी गयी है? **(घ)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश कंडिका **(ग)** के अनुसार रोगी कल्याण समिति के लिये शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन न करने के लिये एवं 01.04.2013 से 31.03.2015 तक तत्कालीन बी.एम.ओ. द्वारा वित्तीय अनियमिततायें करने के लिये कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>एक ही स्थान पर लंबे अर्से से पदस्थ चिकित्सक का स्थानांतरण</u>

47. (क्र. 1816) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अम्बाह विधानसभान्तर्गत P.H.C पोरसा में डॉ. मेवाफरोस कब से पदस्थ हैं? क्या इनकी कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर भा.ज.पार्टी के तत्कालीन विधायक श्री कमलेश सुमन विधायक अम्बाह की शिकायत पर इनका स्थानांतरण पहाड़गढ़ जिला मुरैना किया गया था? यदि हाँ, तो संबंधित चिकित्सक किस आदेश से P.H.C पोरसा में ही कार्य कर रहा है? **(ख)**

शासन द्वारा एक ही स्थान पर कर्मचारी/अधिकारी को कितने समय तक पदस्थ रखे जाने का प्रावधान है? कितनी समयावधि बाद स्थानांतरण की श्रेणी में आ जाते है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मान. जिलाधीश महो. मुरैना, C.M.O. मुरैना मान. मंत्री महोदय मुरैना, मान. प्रभारी मंत्री महोदय मुरैना व आयुक्त महोदय लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण को जनता की शिकायत के आधार पर डॉ. मेवाफरोश की शिकायत संबंधी मंत्री महोदय व अधिकारियों को की थी? **(घ)** यदि हाँ, तो उक्त शिकायत की जाँच किस अधिकारी से कब-कब कराई गई? यदि जाँच नहीं कराई गई तो जाँच कब तक करायी जावेगी तथा संबंधित चिकित्सक का स्थानांतरण कब तक कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) डॉ. शिवनारायण मेवाफरोश, चि.अ. के पद पर दिनाँक 09.03.2007 से कार्यरत हैं। जी हाँ। इनके स्थानांतरण से पहाड़गढ़ चिकित्सक विहिन होने के दृष्टिगत् कलेक्टर मुरैना द्वारा इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया तथा प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी पोरसा के पद पर पदोन्नति उपरांत दिनाँक 05.10.2013 से सी.बी.एम.ओ. पोरसा के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हैं। **(ख)** वर्ष 2012-13 में जारी स्थानांतरण नीति की कण्डिका 9.10 तथा वर्ष 2015-16 में जारी स्थानांतरण नीति की कण्डिका 8.7 में उल्लेख है कि चिकित्सक आदि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रह सकते हैं। **(ग)** जिलाध्यक्ष मुरैना कार्यालय की शिकायत शाखा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार डॉ. मेवाफरोश के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होना नहीं पाई गई। संचालनालय की शिकायत शाखा में डॉ. मेवाफरोश के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया। **(घ)** उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास कार्य</u>

48. (क्र. 1819) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना अंतर्गत अनु.जाति बस्तियों में अनु.जाति मद से C.C रोड हैण्डपंप, विद्युत तथा अन्य विकास कार्य कराने हेतु किस-किस मान. विधायकों द्वारा कहाँ-कहाँ कार्य कराने हेतु अनुशंसा की गई थी, 01.04.2014 से 31.03.2015 की स्थिति में विधानसभावाईज, समस्त अनुशंसित कार्यों की जानकारी दी जावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अंतर्गत विधायकों द्वारा की गई अनुशंसाओं में से किस-किस विधायक की अनुशंसा को मानकर कितने-कितने कार्यों को स्वीकृत किया गया है तथा कितनी-कितनी राशि किस-कस कार्य हेतु स्वीकृत की गई? **(ग)** क्या अम्बाह विधानसभा क्षेत्र जिसमें वास्तविक रूप से अनु.जाति बस्तियों की अधिकता है, फिर भी अनुशंसित कार्यों में से अन्य विधायकों की तुलना में न्यूनतम कार्यों की स्वीकृति देकर पक्षपात क्यों हो रहा है? इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। अम्बाह विधान सभा क्षेत्र में अन्य विधान सभा क्षेत्र की तुलना में न्यूनतम कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। अत: कोई भी उत्तरदायी नहीं है।

<u>बड़वानी जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही</u>

49. (क्र. 1828) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में पदस्थ तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी श्री ए.के. मेहता के द्वारा किये गये भर्ती घोटाले की कोई शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो कब तथा उस शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** क्या फार्मासिस्ट एवं अन्य पदों की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जिसके कारण भर्ती को निरस्त कर छोटे कर्मचारियों को निलंबित किया गया? फिर मुख्य रूप से जिम्मेदार अधिकारी को क्यों बचाया गया? **(ग)** क्या उच्च संरक्षण के कारण उक्त अधिकारी को बड़वानी में किए गये भ्रष्टाचार में सजा के स्थान पर अन्य जिले में पदस्थ कर दिया गया है? क्या उक्त भ्रष्ट अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही होगी या जाँच लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक जाँच होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>विद्यालयों में छात्र, शिक्षक अनुपात</u>

50. (क्र. 1833) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में कुल कितने प्रा.वि./मा.वि./हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी संचालित है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** विकासखण्डवार संचालित विद्यालयों में कुल कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत होकर कितने शिक्षक कार्यरत है? **(ग)** क्या छात्र संख्या के हिसाब से पर्याप्त शिक्षक पदस्थ है? यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से विद्यालय है जहाँ शिक्षकों का अभाव है? विद्यालयवार संख्या बतावें? क्या शासन स्तर पर ऐसी कोई योजना है कि विद्यालयों में छात्र संख्या के हिसाब से शिक्षकों की पूर्ति हो सके? यदि हाँ, तो कब तक इन पदों की पूर्ति हो सकेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) बड़वानी जिले में 2365 प्रा.वि., 267 मा.वि., 81 हाईस्कूल एवं 49 हायर सेकेण्डरी स्कूल कुल 3174 संचालित हैं। विकासखण्डवार विद्यालयों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।** जी हाँ। पदपूर्ति सतत्/निर्धारित प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, एवं प्रधान पाठक के स्वीकृत पद</u>

51. (क्र. 1848) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिवासी विकास विभाग झाबुआ अंतर्गत कितने सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक के पद शासन स्तर से स्वीकृत है? **(ख)** उक्त स्वीकृत पदों में वर्तमान में कितने सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान पाठक के पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिवासी विकास विभाग झाबुआ अन्तर्गत सहायक शिक्षक 930, उच्च श्रेणी शिक्षक 478, प्रधान पाठक 200 पद शासन से स्वीकृत हैं। **(ख)** उक्त स्वीकृत पदों में वर्तमान में सहायक शिक्षक 930, उच्च श्रेणी शिक्षक 222, प्रधान पाठक 165 भरे हुए हैं एवं सहायक शिक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है, उच्च श्रेणी शिक्षक 17 एवं प्रधान पाठक 35 पद रिक्त हैं।

<u>आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम. योजना में खर्च राशि</u>

52. (क्र. 1850) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** झाबुआ जिले को वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक आर.सी.एच. एवं एन.आर.एच.एम. योजना के तहत कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि में से किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई थी? **(ख)** उक्त योजना में झाबुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत योजनावार कितना-कितना व्यय किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) झाबुआ जिलो को वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक आर.सी.एच एवं एन.आर.एच.एम योजना के तहत राज्य स्तर के एन.आर.एच.एम कार्यक्रम से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	प्राप्त आवंटन (रू. लाख में)
1	2011-12	885.93
2	2012-13	1224.31
3	2013-14	1712.45
4	2014-15	1847.97

प्राप्त राशि में से कार्यवार व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृष्ठ 1 से 41) अनुसार है। (ख)** झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं में हुए व्यय की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	योजनावार व्यय (रू. लाख में)			
		आर.सी.एच.	एन.आर.एच.एम	टीकाकरण	कुल व्यय
1	2011-12	154.28	26.00	04.54	184.82
2	2012-13	226.64	41.30	14.32	282.26
3	2013-14	252.51	85.71	20.91	359.13
4	2014-15	262.87	125.88	21.42	41.17

स्वैच्छिक स्थानांतरण एवं युक्तिकरण

53. (क्र. 1857) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक स्था.2/युक्तियुक्तकरण/2015/1349 दिनाँक 10.06.2015 के द्वारा शिक्षक (विज्ञान) के कितने लोगों का स्वैच्छिक/युक्तियुक्तकरण/ से स्थानांतरण किया गया है? **(ख)** क्या शासन की नीति के अंतर्गत कांऊसलिंग में संबंधित शिक्षकों को बुलाकर तीन स्थान पूछे गये हैं तथा स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिये गये हैं? **(ग)** क्या रिक्त पद पर पदस्थ शिक्षक (विज्ञान) मा.शाला बोर्ड कालोनी, रविशंकर नगर भोपाल, का भी स्वैच्छिक स्थानांतरण/युक्तियुक्त करण, अज्ञात व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदन देने पर कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या इसे तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** दर्शित आदेश में किसी शिक्षक का स्थानांतरण फर्जी हस्ताक्षर वाले आवेदन से किया गया है? यदि हाँ, तो किसके हस्ताक्षर

से? क्या संबद्ध फर्जी आवेदक के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी? यदि हाँ, तो कब, नहीं तो क्यों? **(ड.)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में कोई जाँच की मांग की गई है? यदि हाँ, तो इस पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 07 शिक्षक (विज्ञान) का युक्तिकरण से स्थानांतरण किया गया है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** से **(ड.)** माननीय प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र के अनुक्रम में प्रकरण का (घ) परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत शासन की एवं युक्तियुक्तकरण नीति अन्तर्गत प्रकरण का नियमानुसार निराकरण संभव हो सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>सहायक अध्यापक क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान</u>

54. (क्र. 1861) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का वेतनमान, शासन के नियमानुसार क्या हैं? शासन के आदेश की प्रति रखे साथ ही क्रमोन्नत वेतनमान एवं अंतरिम राहत के क्या प्रावधान हैं? **(ख)** क्या छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत क्रमोन्नत सहायक अध्यापक संवर्ग को माह सितम्बर 2013 से देयक अंतरिम राहत/नवीन वेतन संरचना में अध्यापक पद की अंतरिम राहत राशि दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या यह भी सही है कि वर्ष 2010 में क्रमोन्नति प्राप्त सहायक अध्यापक संवर्ग को 2250/- अंतरिम राहत दिये जाने के प्रावधान है? यदि हाँ, तो अभी तक क्यों वंचित रखा गया है? कब तक दे दी जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर। (ख) जी नहीं। शासन आदेश दिनाँक 20.10.2014 के अनुसार अंतरिम राहत में परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है। **(ग)** जी नहीं। उत्तरांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट –</u> ''सत्रह''

अनुदेशकों की नियुक्ति

55. (क्र. 1862) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या औपचारिकेत्तर केन्द्र में वर्ष 2008 में अनुदेशकों के लिए परीक्षा ली गई थी? यदि हाँ, तो इसमें छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत जुन्नारदेव विधान सभा क्षेत्र के कितने व्यक्तियों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी? **(ख)** क्या इन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कर दी जायेगी? **(ग)** क्या परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी अनुदेशक के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है? इसके लिए कौन दोषी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2008 में व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा में विधान सभा क्षेत्र जुन्नारदेव के 14 अनुदेशकों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी। **(ख)** जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-56/20-2 दिनाँक 05/10/2009 द्वारा शिक्षा गारंटी शालाओं के कार्यरत गुरूजी, पर्यवेक्षक एवं तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के पर्यवेक्षक व अनुदेशक जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल म.प्र. द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति हेतु पृथक से आयोजित चयन परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है को, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही संविदा भर्ती नियम 2005 के संशोधित नियम-7 क अनुसार की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)**

संविदा भर्ती नियम 2005 के संशोधित नियम-7 क अनुसार 9 अनुदेशक अर्ह नहीं पाये जाने के कारण संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बस्ती विकास योजना के स्वीकृत कार्य</u>

56. (क्र. 1908) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बस्तियों में खरंजा निर्माण एवं विद्युतीकरण के लिये राशि प्राप्त होती है? इसके लिए क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कार्यों हेतु धार जिले को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 में कितनी राशि दी गई तथा कितनी अनुशंसा पर कितनी राशि आवंटित की गई? मदवार जानकारी दें। **(ग)** सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में उक्त वर्षों में किन-किन ग्रामों / मजरों में खरंजा निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृति हुए हैं? कार्यवार लागत एवं कार्य एजेन्सी सहित जानकारी दें? क्या माननीय मंत्री जी इन कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करायेंगे? **(घ)** उक्त स्वीकृत कार्यों में बस्ती विकास योजना में विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर में कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं एवं कितने लंबित हैं? शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना में खरंजा निर्माण का प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति अन्तर्गत सी. सी. रोड हेतु राशि दी जाती है एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से वंचित 100 से कम आबादी वाली अनुसूचित जाति बस्तियों को विद्युतीकृत करने हेतु राशि आवंटित की जाती है, जबकि जनजाति मद से जिलों के प्रस्ताव एवं उपलब्ध बजट के आधार पर राशि पुनरावंटित की जाती है। **(ख)** अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में आवंटित रू.76.24 लाख, 2013-14 में राशि रू. 79.48 लाख एवं 2014-15 में राशि रू. 20.69 लाख की राशि दी गई। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग)** अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है** जबकि जनजाति विद्युतीकरण योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में वर्णित अनुसार है।** कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना में दो कार्य अपूर्ण है। कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>अठारह"

शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

57. (क्र. 1911) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर जिला धार के विभिन्न शालाओं में प्राचार्य, संविदा वर्ग 1, 2 एवं 3 तथा अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त है? **(ख)** उक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी? **(ग)** क्या शासन यह सुनिश्चित करेगा कि युक्तियुक्तकरण के अनुसार शिक्षकों को शालाओं में पदस्थ किया जायेगा, जिससे छात्रों के अध्यापन के कार्य में व्यवधान न हो?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से शासन स्तर से की जायेगी, संविदा वर्ग-1, 2, एवं 3 के

पदों की पूर्ति व्यापमं के माध्यम से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों से स्थानीय निकाय व पंचायतों के द्वारा की जाना है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी हाँ। यथासंभव युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की गई है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

हाई स्कूल के भवन का निर्माण

58. (क्र. 1920) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले की धार तहसील के ग्राम धामंदा एवं तोरनोद में हाई स्कूल संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो कब से? **(ख)** क्या उपरोक्त दोनों ग्रामों में हाई स्कूल के भवन न होने से शिक्षण कार्य में कठिनाई आती है तथा पूर्व के माध्यमिक स्कूलों के कमरों में ही हाई स्कूल कक्षाएं लगानी पड़ रही है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या उक्त दोनों गांवों में इस वर्ष नवीन भवन निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान किया जाकर बजट उपलब्ध कराया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। ग्राम धामदा एवं तोरनोद में हाईस्कूल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत दिसम्बर 2010 से स्वीकृत होकर संचालित है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विद्यालय स्वीकृत है। अत: भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सीमित वित्तीय संसाधनों अंतर्गत भवन निर्माण की कार्यवाही हेतु अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

स्कूल में शौचालयों का निर्माण

59. (क्र. 1921) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले के सभी 13 विकासखण्डों के शासकीय स्कूलों में शौचालय बनाये जाने का प्रस्ताव है? **(ख)** यदि हाँ, तो कुल स्कूलों की संख्या तथा उनमें बनाये जाने वाले शौचालयों की संख्या कितनी है तथा वहां इनकी सफाई हेतु पानी का क्या प्रबंध किया जा रहा है? **(ग)** शौचालय निर्माण हेतु कौन-कौन से विकासखण्ड में कौन-कौन सी एजेंसी विभाग या संस्था को अधिकृत किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी कितने पूर्ण हो चुके है एवं कितने शेष है? **(घ)** उपरोक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच की क्या व्यवस्था की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। शौचालय विहीन शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्मित किए जा रहे है। **(ख)** हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में 188 शौचालय यूनिट निर्मित किए जा रहे है, उनकी सफाई हेतु रनिंग वाटर व्यवस्था इसमें सम्मिलित है। धार जिले के सभी 13 विकास खण्डों में 3320 प्राथमिक एवं 855 माध्यमिक, इस प्रकार कुल 4175 स्कूल है तथा उनमें बनाये जाने वाले शौचालयों की संख्या 1651 है। वहां उनकी सफाई हेतु पानी के लिये फोर्स लिफ्ट पंप व पानी की टंकी का प्रबंध किया जा रहा है। **(ग)** हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। शौचालय निर्माण हेतु जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाला प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत, सार्वजनिक उपक्रम अंतर्गत पी.एस.यू. के तहत वेस्टर्न कोल इंडिया लि.मि. एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अधिकृत किया गया है। विकासखण्डवार सर्व शिक्षा अभियान एवं पी.एस.यू. व्दारा कराये जा रहे शौचालय निर्माण की पूर्णतः शेष का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ-अनुसार** है। **(घ)** निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच समय-समय पर संबंधित एजेन्सी एवं

विभाग व्दारा संयुक्त निरीक्षण कर की जाती है। सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत तकनीकी अमले, वेस्टर्न कोल इंडिया लि.मि. एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के तकनीकी अमले की देखरेख में गुणवत्ता नियंत्रण तथा जिला शिक्षा केन्द्र धार के पत्र क्रमांक-2875, दि. 15.7.15 से जारी निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग, धार में स्थापित प्रयोग शाला में कार्यों की गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था की गई है।

बैतूल जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की स्वीकृति

60. (क्र. 1937) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में विगत 5 वर्ष में आ.जा.क. विभाग द्वारा कितने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्वीकृत किए गए हैं? **(ख)** इनमें से बैतूल जिले को कितने स्वीकृत किए गए हैं? **(ग)** बैतूल जिले में प्रस्तावित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल कब तक स्वीकृत किए जावेंगे? **(घ)** नहीं किए जाने का कारण बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मध्प्रदेश में विगत 5 वर्ष में अ.जा.क. विभाग द्वारा 83 हाईस्कूल एवं 161 हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत किये गये है। **(ख)** विगत 5 वर्षो में बैतूल जिले में 21 हाईस्कूल एवं 16 हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत किये गये है। **(ग)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** सीमित वित्तीय संसाधनों अंतर्गत उन्नयन की कार्यवाही की जाती है।

बाजार में मिथ्याछाप / अमानक कॉस्मेटिक सामग्रियों की बिक्री

61. (क्र. 1950) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट कब से लागू है तथा प्रदेश में कॉस्मेटिक अमानक / मिथ्याछाप सामग्री बाजार में विक्रय पर रोक के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा क्या उपाय किए गए है एवं इस कार्य की रोकथाम के लिए कितने औषधि निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी का अमला कार्यरत है? **(ख)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विगत 03 वर्षो में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर शहरों में कॉस्मेटिक सामग्री के कब-कब औषधि निरीक्षकोंवार कितने-कितने नमूने लिए गए एवं इनकी जाँच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हुई? अमानक/मिथ्याछाप पाए गए नमूनों में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें एवं किस-किस औषधि निरीक्षक के पास कितने-कितने प्रकरण लंबित है, विवरण दें? **(ग)** यदि औषधि निरीक्षकों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? क्या इनके विरूद्ध एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी? **(घ)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या कॉस्मेटिक सामग्रियों (सौंदर्य सामग्री) में लेड/सीसा निर्धारित मात्रा से अधिक उपयोग किए जाने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है? क्या बाजार में बिक रही इन सामग्रियों के नमूने लेकर फोरेंसिक लेब में जाँच कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु डी-मेट परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा

62. (क्र. 1954) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन यह मानता है कि निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित डी-मेट परीक्षा में फर्जीवाड़ा संभावित है? यदि हाँ, तो क्या शासन ने उसकी जाँच हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया है अथवा निर्णय लेगा? **(ख)** डी-मेट परीक्षा में संविधान के अनुसार आरक्षण क्यों नहीं है? शासन ने डी-मेट परीक्षा में आरक्षण क्यों नहीं रखवाया? ए.एफ.आर.सी. ने इस हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? **(ग)** क्या शासन वर्ष 2007 से 2014 तक डी-मेट से चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिवर्ष सेम्पल के रूप में 100-100 परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका का परीक्षण करवायेगा कि उनमें बाद में गोले काले किए गए या नहीं? **(घ)** क्या शासन यह मानता है कि डी-मेट परीक्षा के संचालन में ए.एफ.आर.सी. का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण असफल रहा? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2015 की डीमेट परीक्षा पर क्या-क्या कदम उठाए?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रदेश में अमानक दवाईयों का क्रय एवं वितरण</u>

63. (क्र. 1955) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संबंधित अस्पतालों के कार्यालय प्रमुख द्वारा दवा क्रय के उपरांत प्राप्त प्रत्येक दवा की जाँच निर्धारित दिवस मे लेबोरेट्री में कराने के उपरांत ही क्रय की गई दवा का उपयोग किया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो वर्ष 2011 से प्रश्नांकित दिनाँक तक विभिन्न अस्पतालों में क्रय की गई दवाओं में से किन-किन दवाओं की जाँच किस-किस लेबोरेट्री से कराई गई? जाँच रिपोर्ट किस दिनाँक को प्राप्त हुई? तथा दवाओं का वितरण किस दिनाँक को किया गया? बगैर जाँच कराए दवाओं का वितरण एवं उपयोग किन-किन जिलों में किया गया? **(ख)** वर्ष 2010-11 से अभी तक कितनी दवा कंपनियों की दवाएं अमानक पाई गई एवं क्रय की गई अमानक दवाओं का भुगतान किन-किन कंपनियो को कितना-कितना किया गया? वह कौन सी दवाएं है और कौन सी कंपनियाँ है एवं कितनी राशि की दवाएँ अमानक पाई गई? **(ग)** क्या अमानक दवा प्रदायकर्ता कंपनियों के द्वारा कंपनी का नाम बदलकर पुन: शासकीय अस्पतालों में दवा प्रदाय की जा रही है? प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** अनुसार अमानक दवाओं का क्रय, बगैर जाँच कराएं दवाओं के वितरण एवं भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या इस संबंध में शासन द्वारा जाँच कराई है? यदि नहीं, तो क्या शासन जाँच के आदेश प्रदान कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश प्रदान करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>1996 से कार्यरत ई.जी.एस. गुरूजियों को सहायक अध्यापक पद पर संविलियन</u>

64. (क्र. 1975) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 1996 से कार्यरत ई.जी.एस. गुरूजियों को बगैर परीक्षा दिये संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई आदेश जारी किया है? यदि हाँ, तो इस आदेश के तहत खंडवा जिले की जनपद पंचायतों में गुरूजियों को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संविदा शिक्षकों का संविलियन सहायक

अध्यापक के पद पर करने हेतु आदेशित किया गया है? उस आदेश की दिनाँक और क्रमांक क्या है? इस आदेश के अनुसार खंडवा जिले की किन-किन जनपद पंचायतों में संविदा शिक्षकों का संविलियन कर दिया गया हैं? किन जनपद पंचायतों में संविलियन नहीं किया गया हैं? इसका क्या कारण हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभागीय आदेश क्र. एफ 44-6/2014/20-2, दिनाँक 10.2.2014 अनुसार ऐसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर परीक्षा लिये बिना ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी की सरकार द्वारा अवधारित की जाये, नियोजित किये जा सकेंगे। जी हाँ। **(ख)** विभागीय आदेश क्र. एफ 44-6/2014/20-2, दिनाँक 10.2.2014 अनुसार ऐसे गुरूजी एवं पर्यवेक्षकों का जो मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हो, ऐसे नियोजन के तीन वर्ष पश्चात इस इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन किया जा सकेगा कि उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर का उन्नयन</u>

65. (क्र. 1979) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिलचीपुर को सिविल अस्पताल में उन्नयन कर क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत है अथवा नहीं? **(ख)** खिलचीपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी सिविल अस्पताल नहीं है? क्या खिलचीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने की स्वीकृति देकर शासन स्तर पर आदेश जारी करेंगे? **(ग)** यदि उन्नयन करने की स्वीकृति जारी करेंगे तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं, वर्तमान में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर का ही पूर्ण उपयोग नहीं होने एवं प्रदेश में चिकित्सकों की निरन्तर कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर का सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सामुदायिक स्वा. केन्द्र व प्राथमिक स्वा. केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति</u>

66. (क्र. 1981) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खिलचीपुर विधान सभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपस्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? **(ख)** सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में कहाँ-कहाँ कितने डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, कितने पदस्थ है व कितने पद अभी तक रिक्त हैं? **(ग)** रिक्त पदों को कब तक भर दिये जावेंगे? **(घ)** महिला चिकित्सकों के पद कहाँ-कहाँ स्वीकृत हैं? कब तक भर दिये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासन की योजनान्तर्गत उपचार की सुविधा

67. (क्र. 1999) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से आमजन का संपूर्ण उपचार, जाँच परीक्षण, दवाई वितरण इत्यादि कार्य किये जा रहे है? **(ख)** क्या गंभीर रोग से पीडि़त जनों के उपचार हेतु स्थानीय परीक्षण, जिला स्तरीय परीक्षण कर अन्यत्र स्थानों पर उपचार हेतु भेजा जाता है? **(ग)** क्या विगत सत्र में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इंदौर, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले मरीजों के उपचार, जाँच परीक्षण इत्यादि का केन्द्र इंदौर को बनाया जाने हेतु आदेश जारी किया जाएगा? **(घ)** यदि हाँ, तो अत्यंत दूरस्थ स्थानों पर जाने के बजाय क्या शासन/विभाग माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में दिये आश्वासन पर इंदौर में दोनों संभागों के अंतर्गत आने वाले मरीजों की सुविधा हेतु आदेशानुसार पालनार्थ कार्यवाही कर रहा है? यदि हाँ, तो अवगत कराएँ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से आमजन को प्राथमिक एवं सेकेन्डरी स्तर के नियुन्तम आवश्यक औषधियां एवं परिक्षण कार्य किये जा रहे है। **(ख)** जी हाँ। आवश्यकता अनुसार। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत चिकित्सकों, एम्बुलेंस, उपकरणों एवं स्टॉफ कर्मचारियों की कमी

68. (क्र. 2000) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जावरा नगर सिविल हॉस्पिटल, पिपलोदा नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचेवा, सुखेड़ा, मावता, कालूखेड़ा, बडायला माताजी, ढोढर एवं रिंगनोद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्रीय व्यवस्था हेतु कार्यरत है? **(ख)** क्या उपरोक्त उल्लेखित स्थानों के अंतर्गत लगभग 3 लाख से अधिक जनसंख्या निवासरत होकर हजारों नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का उपरोक्त केन्द्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जाना होता है? **(ग)** क्या उपरोक्त समस्त स्थानों पर चिकित्सकीय स्टॉफ कर्मचारियों, उपकरण एवं एम्बुलेंस की कमियां होकर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान किये जाने में अत्यधिक कठिनाईयां महसूस की जा रही है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त उल्लेखित कमियों की आवशकताओं को पूर्ण करने हेतु शासन/विभाग द्वारा समुचित प्रबंधन किया जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक? अवगत कराएँ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

क्रमोन्नति का लाभ

69. (क्र. 2011) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा 12 एवं 24 वर्ष की सेवा दे चुके शिक्षकों को क्रमोन्नती का लाभ दिए जाने का प्रावधान है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार क्या प्रदेश में ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें उक्त नियम का लाभ नहीं दिया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के अनुक्रम में क्रमोन्नति का लाभ न दिए जाने के संबंध में कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विभाग ने शासन के नियम पालन नहीं करने वाले उक्त अधिकारियों

के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** के अनुसार उक्त लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** निर्देशों के अनुसार पात्र शिक्षकों को सुविधा दी जाती है। ऐसे शिक्षक जिन्हें किसी कारणवश यह लाभ नहीं मिला है की संख्या बताया जाना सभव नहीं है। **(ग)** एवं **(घ)** पात्रतानुसार प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>आर.टी.ई. प्रवेश तथा स्कूलों की जानकारी</u>

70. (क्र. 2014) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले में आज दिनाँक तक कुल कितनी एक शिक्षकीय शाला, कितनी शून्य शिक्षकीय शाला हैं? इन शालाओं में दर्ज छात्र संख्या कितनी है? इन शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति कब और किस तरह की जावेगी? **(ख)** खरगोन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में शासकीय प्राथमिक एवं शासकीय माध्यमिक शालाओं में दर्ज संख्या कितनी रही उन्हें गणवेश वितरण की संख्या पाठ्य पुस्तक वितरण की संख्या देवें? **(ग)** वर्ष 2010 से 2015 तक छात्र संख्या में प्रतिवर्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत बतायें? वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अत्यधिक कमी का कारण बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 655 एक शिक्षकीय शालाएं एवं 181 शून्य शिक्षकीय शालायें है, जिसमें एक शिक्षकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या 38,495 तथा शून्य शिक्षकीय शालायें में दर्ज छात्र संख्या 10983 है। इन शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति अध्यापकों के संविलियन, स्थानांतरण, पदोन्नति एवं नवीन नियुक्तियों के माध्यम से करने की कार्यवाही अनवरत है, तब तक अतिथि शिक्षकों के भरती के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था की जा रही है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ पर। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब पर।** जिले में नामांकन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में समग्र शिक्षा पोर्टल प्रारम्भ होने से दोहरा नामांकन समाप्त होने के कारण, अशासकीय संस्थाओं में आर.टी.आई. के अंतर्गत 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश होने से एवं प्रतिवर्ष अशासकीय विघालयों के खुलने से शासकीय विद्यालयों के छात्रों के नामांकन में कमी आई है।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>बीस"

सायकिल रखरखाव/मरम्मत सहायता राशि वितरण

71. (क्र. 2015) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी छात्राओं को सायकिल रखरखाव/मरम्मत सहायता राशि प्रदान की गई? **(ख)** खरगौन जिले में वर्ष 2012 से 2015 तक आयटीडीपी योजना अंतर्गत सामग्री प्रदायकर्ता दुकानदार का नाम, पता तथा हितग्राही की संख्या देवें? **(ग)** वर्ष 2014-15 में अनुच्छेद 271 (1) अधोसंरचना के कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक प्रति देवें? **(घ)** क्या खण्डवा आदिवासी विकास विभाग द्वारा श्री दादाजी इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट के छात्रों को अधिक छात्रवृत्ति वितरण की शिकायत भगवानपुरा विधायक द्वारा खण्डवा कार्यालय को प्रेषित की गई है? उस शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें? **(ड.)** सत्र 2012-13 से पूर्व प्रति इंजीनियरिंग एसटी/एससी छात्र औसतन स्कालर राशि कितनी रही? सत्र 2012-13 के बाद प्रति इंजीनियरिेंग एसटी/एससी छात्र औसतन स्कालर राशि कितनी रही? इस औसत राशि में कितना

अंतर है? 2012 के पूर्व आदिवासी विकास विभाग द्वारा किन नियमों के अंतर्गत इंजीनियरिंग के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि वितरण कर रहा था? बाद में राशि में कमी किस नियमानुसार की गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत प्रति छात्रा रूपये 1,000/- के मान से 416 छात्राओं को राशि रू. 4.16 लाख प्रदान की गई है। **(ख)** 4981 हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की गई। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** अधोसंरचना के अंतर्गत कोई आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार भुगतान किया गया है। **(ड.)** माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा अपील नम्बर ए.सी.93/2010 पर दिये गये निर्णय अनुसार शिक्षण शुल्क की राशि रूपये 45,600/- का भुगतान किया गया है। वर्ष 2012-13 में निर्धारित शुल्क 24350/- एवं वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में सेन्ट्रल काउंसलिंग से प्रवेशित छात्र को रूपये 37,000/- एवं कॉलेज में सीधे प्रवेश लेने वाले छात्र को राशि रूपये 24,350/- प्रति छात्र शिक्षण शुल्क भुगतान किया गया है।

जननी सुरक्षा वाहन नियम/निर्देश

72. (क्र. 2030) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले के समस्त विकासखण्डों में महिलाओं को प्रसूती हेतु लाने एवं छोड़े जाने हेतु लगाई जाने वाली जननी वाहनों के क्या नियम-निर्देश है? घट्टिया एवं बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय अंतर्गत विगत एक वर्ष में कितने वाहन कब से, किस अवधि तक, किस दर पर, किस फर्म के लगाये गये है? उक्त अवधि में उक्त फर्म को किये गये भुगतान एवं कार्य की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** उज्जैन जिला चिकित्सालय क्षेत्रांतर्गत समस्त विकासखण्ड में कुल कितने वाहन चालू हालत में है तथा कितने वाहन खराब स्थिति में है तथा कितने किस-किस कार्य में किसके द्वारा उपयोग में लिये जा रहे हैं? नाम, नंबर एवं वाहन चालक सहित व्यय की जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** विगत 03 वर्षों में सभी वाहनों की मरम्मत एवं ईंधन पर व्यय की जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** क्या वर्तमान में किसी विकासखण्ड में शासकीय कार्य हेतु प्रायवेट वाहन भी अनुबंधित किये गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त वाहनों हेतु जारी निविदा एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर क्रय की गई सामग्री के टेण्डर

73. (क्र. 2031) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला चिकित्सालय उज्जैन एवं ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपस्वास्थ्य केंद्रों पर आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा लगाए गए सफाई कर्मियों को वेतन भत्ते आदि का भुगतान चेक से किया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या भुगतान चेक के माध्यम से हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या जिला चिकित्सालय उज्जैन एवं ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप-स्वास्थ्य केंद्र पर आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा सफाई कार्य हेतु उपयोग किये जाने वाली सामग्री यथा झाड़ू/फिनाईल/सफाई यंत्र आदि क्रय करने हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कब-कब टेण्डर का प्रकाशन किया गया? **(ग)** उपरोक्त दोनों बिंदुओं में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों ने कब-कब जाँच की? जाँच में क्या कमी पाइ्र गई तथा क्या

कार्यवाही की गई? आउट सोसिंग एजेंसी द्वारा चेक से भुगतान न करने एवं टेण्डर की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में शासन आउट सोर्सिंग एजेंसी एवं अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सर्व शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्य

74. (क्र. 2043) श्री कल सिंह भाबर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन के सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत झाबुआ जिले में स्वीकृत नवीन माध्यमिक शालाओं/हाईस्कूलों के भवनों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये और संबंधित निर्माण एजेन्सी द्वारा स्वीकृत राशि आहरण कर ली गई है तथा एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है? विभाग द्वारा ऐसे अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? स्वीकृत भवनों की भवन निर्माण की स्वीकृति सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या झाबुआ जिले की समस्त शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाई गई है? यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण नहीं किये जाने वाली संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी तथा उन संस्थाओं की सूची (स्वीकृति) उपलब्ध करावे जहां शौचालय स्वीकृत है एवं निर्माण किया गया या नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्व शिक्षा योजना के अंतर्गत झाबुआ जिले में 315 माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृति किये गये। जिसमें से 304 माध्यमिक शाला भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा राशि का आहरण कर लिया गया है। शेष 11 माध्यमिक शाला भवनों का कार्य अपूर्ण है, उनके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है। स्वीकृत भवनों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत झाबुआ जिले में कोई भी नवीन हाईस्कूल भवन का कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। कार्य पूर्ण नहीं किये जाने वाली शाला प्रबंधन समिति के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। कुल 1242 स्वीकृत शौचालय में से 536 पूर्ण है एवं 746 प्रगतिरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्य प्रगतिरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।** शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय भवनों का निर्माण

75. (क्र. 2058) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या-50 (क्रमांक 1319) दिनाँक 25 फरवरी 2015 के उत्तर में बताया गया था कि नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया की बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव जिले से प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी? तो क्या उक्त संबंध में बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय भवनों के निर्माण का विधिवत प्रस्ताव जिले से स्वीकृत हेतु शासन को प्राप्त हो चुका है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** उपरोक्तानुसार क्या अस्पताल परिसर की बाउण्ड्रीवाल एवं आवास सुविधा के अभाव में निर्मित भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा एक

करोड़ रूपये से अधिक लागत का भवन असामजिक तत्वों का जमावड़ा बना हुआ है? यदि हाँ, तो क्या शासन शीघ्रतिशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया की बाउण्ड्रीवाल एवं आवसीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं, विद्युत कनेक्शन नहीं होने से अस्पताल भवन का उपयोग नहीं हो रहा है। विद्युत कनेक्शन लेने की कार्यवाही प्रचलन में है एवं लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. द्वारा बाउण्ड्रीवाल एवं आवासीय भवनों का प्राक्कलन राशि रुपये 260.86 लाख का तैयार करके सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

ग्राम सेमलापार में 10 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

76. (क्र. 2059) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम सेमलापार तहसील मुख्यालय से 60 कि.मी की दूरी पर स्थित है तथा लगभग 1200 जनसंख्या निवासरत है एवं चारों दिशा में 20-25 कि.मी की परिधि में कोई स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं है तथा विगत 30 वर्षों से उपस्वास्थ्य केन्द्र के रूप में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद निर्मित है? जो वर्तमान में संलग्नीकरण के कारण तीन-चार वर्ष से रिक्त है? **(ख)** क्या शासन उक्त सेवा विहीन ग्राम सेमलापार में 10 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कार्यों का भौतिक सत्यापन

77. (क्र. 2082) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्र चितरंगी अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना द्वारा आदिवासी उपयोजना, आयोजना (मांग संख्या 41,42,52 एवं 68) एवं आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत स्वीकृत कार्यों व इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संचालनालय पेयजल हेतु वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि प्राप्त हुयी है और उक्त राशि में कौन-कौन से कार्य कराए गए हैं? ग्रामवार विवरण दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक में समय बताने का कष्ट करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत परियोजनाओं को मांग संख्या-42, 52, एवं 68 अन्तर्गत आवंटन प्राप्त नहीं होता है। **शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सोनाग्राफी एवं एक्सरे मशीन का संचालन

78. (क्र. 2092) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शामगढ़ सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोनाग्राफी एवं एक्स-रे मशीन कब से उपलब्ध हैं? वर्तमान में इन मशीनों को कौन विभागीय अधिकारी कर्मचारी ऑपरेट कर रहे हैं? **(ख)** सुवासरा नवीन हास्पिटल में शासन द्वारा एक्स-रे एवं सोनोग्राफी मशीन एवं महिला चिकित्सक कब तक उपलब्ध कराएं जावेंगे? **(ग)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में विगत दो वर्षों में रोगी कल्याण समिति की बैठक किन-किन दिनांकों को की गई जानकारी दी जावे यदि नहीं, की गई तो उसका कारण बतावें? **(घ)** शामगढ एवं सीतामऊ के अस्पतालों में विगत दो वर्षों में रोगी कल्याण समिति के द्वारा लिये गए निर्णयों पर किन-किन बिन्दुओं का पालन किया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामगढ़ में सोनोग्राफी मशीन वर्ष 1998 से उपलब्ध है। एक्सरे मशीन वर्ष 2010 से संचालित है। सोनोग्राफी मशीन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण मशीन संचालित नहीं है। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से श्रीमती लीला तंवर रेडियोग्राफर को पदस्थ कर एक्सरे मशीन ऑपरेट कराई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतामऊ में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है। शासन के मापदण्ड अनुसार सोनोग्राफी मशीन स्थापित नहीं की जा सकती है। एक्सरे मशीन वर्ष 1997 से उपलब्ध है। श्री मुकेश कुमार रेडियाग्राफर मशीन ऑपरेट कर रहे है। **(ख)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुवासरा में शासन के मापदण्ड अनुसार सोनोग्राफी मशीन स्थापित नहीं की जा सकती है। एक्सरे मशीन यथासंभव उपलब्ध कराई जावेगी। निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं। स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत एवं रिक्त है प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी होने के कारण शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। पदोन्नति की कार्यवाही निरन्तर जारी है, पद पूर्ति हेतु निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "इक्कीस"</u>

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापना

79. (क्र. 2109) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक, स्काउट प्रभारी, रेडक्रास प्रभारी, योजना अधिकारी एवं सांख्यिकीय अधिकारी की पदस्थापना किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या नीति/नियम निर्धारित किये गये है, यदि हाँ, तो बतलावें? **(ख)** दमोह जिले के शिक्षा विभाग में जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक, रेडक्रास प्रभारी, स्काउट प्रभारी योजना अधिकारी एवं सांख्यकीय अधिकारी के पद पर जिन कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है, क्या वह शासन द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखते है? यदि हाँ, तो प्रत्येक की पदवार पृथक-पृथक क्या योग्यताएं है? **(ग)** क्या जिले में शासन द्वारा निर्धारित योग्यताएं न रखने वाले कर्मचारियों को प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो उक्त लापरवाही के लिए कौन दोषी है? क्या शासन ऐसे सभी प्रकरणों की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध न्यायौचित कार्यवाही करेगा, यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** प्रदेश के अन्य कितने जिलों में शासन के नियम/नीति को दरकिनार करते हुए अपात्र कर्मचारियों को प्रभारी नियुक्ति किया गया है? क्या शासन ऐसे अपात्रों की

नियुक्ति संबंधी जाँच कराकर उन्हें हटावेगा तथा पात्र कर्मचारियों को पदस्थ किया जावेगा, यदि हाँ, तो कब तक, कृपया समय-सीमा बतलावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक एवं सांख्यकीय अधिकारी की पदस्थापना स्वीकृत पद अनुसार भर्ती पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो अनुसार** है। सांख्यिकीय अधिकारी, रेडक्रास प्रभारी, स्काउट प्रभारी, को अपने मूल पद के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य सौंपा गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तर (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** परीक्षण किया जा रहा है।

<u>रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन</u>

80. (क्र. 2110) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले में विगत 2 वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार कब-कब रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई है? तेन्दूखेड़ा एवं जबेरा में आयोजित बैठकों में कितने सदस्य आमंत्रित किये गये, सदस्यों के नाम एवं पते बतलावें एवं कुल कितने सदस्य है? बैठकवार उपस्थित सदस्यों की जानकारी देवें? **(ख)** क्या यह सत्य है कि जबेरा एवं तेन्दूखेड़ा सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्रों में प्रश्नांश **(क)** में दर्शायी अवधि के दौरान रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन नहीं किया? **(ग)** यदि नहीं, तो उसका क्या कारण रहा है, यदि हाँ, तो रोगी कल्याण समिति की अंतिम बैठक का दिनाँक एवं बैठक में लिये गये निर्णय तथा निर्णय के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी देवें? **(घ)** विगत 2 वर्षों से तेन्दूखेड़ा एवं जबेरा में रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन न होने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसका नाम पदनाम सहित बतलावें? क्या संबंधित दोषी अधिकारी पर अनियमितता के फलस्वरूप कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जबेरा में विगत बैठक दिनाँक 20/04/2015 को आयोजित की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेन्दूखेड़ा में दिनाँक 25/03/2015 को बैठक प्रस्तावित थी परन्तु माननीय विधायक महोदय के दूरभाष पर दिये निर्देश के पालन में बैठक आगामी तिथि तक निरस्त की गई। **(ग)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जबेरा का कार्यवाही विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेन्दूखेड़ा में दिनाँक 25.03.2015 को बैठक आयोजित की गई थी परन्तु माननीय विधायक महोदय के दूरभाष पर दिये निर्देश के पालन में बैठक आगामी तिथि तक निरस्त की गई। **(घ)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जबेरा में दिनाँक 02.09.2013, 26.03.2015 एवं 20.04.2015 को बैठक का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तेन्दूखेड़ा में दिनाँक 25.03.2015 को बैठक आयोजित की गई थी परन्तु माननीय विधायक महोदय के दूरभाष पर दिये निर्देश के पालन में बैठक आगामी तिथि तक निरस्त की गई। नियमानुसार बैठक समय पर आयोजित ना करने के लिये संबंधित अधिकारी जिम्मेदार है इस हेतु उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

<u>परिशिष्ट -</u> "बाईस"

नगर पालिका क्षेत्र में अस्पताल खोलने की योजना

81. (क्र. 2136) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा नगर पालिका स्तर पर लोक स्वास्थ्य केन्द्र पर बीस/तीस बिस्तरीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका क्षेत्र में बीस/तीस बिस्तरीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना प्रस्तावित/ लंबित है? **(ग)** यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जिला चिकित्सालय में सभी प्रकार की सुविधाएं</u>

82. (क्र. 2157) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में सभी तकनीकी स्वास्थ्य परीक्षण मशीनें उपलब्ध कराने की घोषणा या व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो कब तक सभी जिला चिकित्सालय में उपलब्ध करा दी जावेगी? **(ख)** मण्डला जिले के जिला चिकित्सालय में मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विगत तीन वर्ष में आधुनिक मशीनें जैसे सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई, डायलसिस आदि कौन-कौन सी मशीन कब-कब, कितनी-कितनी राशि से क्रय की गयी? क्या ये विधिवत काम कर रही है तथा रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है? **(ग)** क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी बंजर जिले का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें लगभग 176 ग्रामों के लोग चिकित्सा संबंधी सेवाऐ लेते हैं? क्या यहां स्वीकृत डॉक्टरों के पदों पर 5 में से 1 ही कार्यरत है जो बी.एम.ओ के चार्ज में है? क्या 30 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत है जिसका भवन बनकर तैयार है? यदि हाँ, तो यहां कब तक डॉक्टर एवं पेरामिडकल स्टाफॅ की पदस्थापना हो जायेगी? **(घ)** क्या चाही गयी डॉक्टरों की पदस्थापना उपरांत मेरे द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र की जनमांग के आधार पर 100 बिस्तर के अस्पताल को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालयों में न्यूनतम आवश्यक वायटल, ऐसेन्शीयल व डिजायरेबल श्रेणी के स्वास्थ्य परीक्षण मशीनें शर्ते निर्धारित पूरी होने पर उपलब्ध कराने संबंधी दिशा निर्देश संचालनालय के आदेश क्रमांक-2210 दिनाँक 29/12/2014 जारी किए गए है। कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं। **(ख)** जिला चिकित्सालय मण्डला में विगत तीन वर्ष के पूर्व से ही सीटी स्केन मशीन उपलब्ध है तथा वर्तमान में बन्द होने के कारण सुधार कार्य कराया जा रहा है। एम.आर.आई. डायलसिस आदि मशीने क्रय नहीं की गई है। पूर्व में क्रय की गई अन्य उपकरणों/मशीनों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। जिनसे रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। **(ग)** जी हाँ। जी हाँ। जिला मण्डला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी 30 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत एवं संचालित है। पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं। **(घ)** जी नहीं, 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन करने की शासन की कोई ऐसी योजना नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "</u>तेईस"

दैनिक वेतन पर उपयंत्री की नियुक्ति

83. (क्र. 2158) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके, श्री तरूण भनोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में आदिवासी विकास विभाग में नियमित उपयंत्री के कितने पद स्वीकृत है? वर्तमान में कौन-कौन उपयंत्री पदस्थ है? **(ख)** क्या आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश में दैनिक वेतनभोगी उपयंत्री का पद स्वीकृत है? या रखने का प्रावधान है यदि हाँ, तो शासनादेशों की छाया प्रति उपलब्ध कराये यदि नहीं, तो बालाघाट जिले में श्री कुलदीप सिन्हा को किस आधार पर दैनिक वेतनभोगी उपयंत्री के पद पर रखा गया जबकि नियमित उपयंत्री पदस्थ है? **(ग)** क्या यह सही है कि आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र. भोपाल के आदेश दिनाँक 07/06/1996 के द्वारा सेवा समाप्ति के निर्देश दिये थे तथा आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र भोपाल क आदेश क्र. 22245 दिनाँक 19/10/2012 के द्वारा श्री सिन्हा की नियुक्ति अवैधानिक एवं नियमों के विपरीत माना है यदि हाँ, तो आज दिनाँक तक श्री सिन्हा को सेवा से पृथक क्यों नहीं किया गया? कब तक कर दिया जायेगा समय-सीमा बताये? **(घ)** क्या यह सही है कि श्री कुलदीप सिन्हा को कुशल श्रमिक का पारिश्रमिक दिया जा रहा है यदि हाँ, तो क्या कुशल श्रमिक को उपयंत्री की पदमुद्रा पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है तो शासनादेशों की छायाप्रति उपलब्ध कराये? यदि नहीं, तो इस अनाधिकृत कृत्य के लिये श्री सिन्हा के विरूद्ध दण्डात्मक की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) उपयंत्री का 01 पद स्वीकृत है। वर्तमान में श्री रमेश सिंह परमार एक नियमित उपयंत्री एवं श्री कुलदीप सिन्हा दै.वे.भो. उपयंत्री के रूप में पदस्थ हैं। **(ख)** जी नहीं। श्री कुलदीप सिन्हा पूर्व से बालाघाट में नियमित पद के विरूद्ध दैनिक वेतन पर पदस्थ है, नियमित उपयंत्री की पदस्थापना बाद में की गई है। **(ग)** जी हाँ। श्री कुलदीप सिन्हा का नियमितिकरण प्रकरण राज्य स्तरीय छानबीन समिति को भेजा गया था। राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनाँक 07.5.2009 में श्री सिन्हा की नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं होने से लंबित रखने संबंधी अभ्युक्ति अंकित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। श्री सिन्हा द्वारा सम्पदित कार्यों के संधारित प्रत्येक अभिलेख पर उपयंत्री/सहायक यंत्री के द्वारा प्रति हस्ताक्षर करने के पश्चात कार्य/अभिलेख मान्य किये जाते हैं। श्री सिन्हा से नैमित्तिक उपयंत्री के रूप में कार्य लिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत भवन विहीन हाई हायर सेकण्डरी स्कूल</u>

84. (क्र. 2174) श्री महेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र बीना में कितने हाई स्कूल/हायरसेकण्ड्री स्कूल भवन विहीन हैं तथा वर्तमान में किसके भवन में संचालित है और कब तक भवन स्वीकृत हो जायेंगे, सूची उपलब्ध करायी जावे? **(ख)** क्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ का भवन वर्ष 2008 में स्वीकृत हो गया था एवं निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया था, भवन आधा बनकर तैयार है लेकिन वर्ष 2008 से प्रश्न दिनाँक तक भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है इसके निर्माण में विलंब क्यों हो रहा है एवं इसके लिये दोषी कौन है? यदि कोई अधिकारी/ठेकेदार दोषी है तो क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त भवन का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र बीना के कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल में नियमित प्राचार्य कार्यरत है एवं कितनों में प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे हैं, सूची उपलब्ध करावें एवं

विगत 02 वर्षों का 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम क्या रहे हैं? **(घ)** नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना कब तक हो जायेगी, जिससे परीक्षा परिणामों में सुधार आ सके?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में 5 हाईस्कूल एवं 8 हायर सेकेण्डरी स्कूल के स्वयं के भवन संचालित नहीं है। वर्तमान में उक्त सभी विद्यालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों में संचालित हैं। जिसकी सूची **संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनमें से 01 हाईस्कूल एवं 07 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, शेष विद्यालयों में सीमित बजट प्रावधान के कारण भवन स्वीकृत नहीं किए जा सके हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** विकासखण्ड बीना में संचालित शास. उ. वि. भानगढ़ का भवन वर्ष, 2008 में राज्य बजट से मंडी बोर्ड सागर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे फिनिशिंग स्तर पर बजट अभाव में बंद कर दिया गया था। यह कार्य विगत 3 वर्षों से बंद था। उक्त शाला के अपूर्ण भवन के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल संभाग क्रमांक 2 के पत्र दिनाँक 03.07.2015 के अनुसार पुनः कार्यादेश जारी किया जा चुका है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र बीना में 15 हाईस्कूल एवं 13 हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं। हाई स्कूलों में से 03 शालाओं में नियमित प्राचार्य एवं 12 शालाओं में प्रभारी प्राचार्य पदस्थ हैं एवं 13 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से 02 स्कूलों में नियमित प्राचार्य तथा 11 स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य पदस्थ हैं। **संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार** है। बीना विधानसभा क्षेत्र में शालाओं में हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम वर्ष 2013-14 में 44.71 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 57.46 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी स्कूल का परीक्षा परिणाम वर्ष 2013-14 में 55.93 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 76.46 प्रतिशत रहा है। **(घ)** प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पदोन्नति समिति की बैठक दिनाँक 05.11.2014 एवं 30.01.2015 को हो चुकी है एवं व्याख्याता से प्राचार्य हाईस्कूल की पदोन्नति समिति की बैठक 27.05.2015 को हो चुकी है। पदांकन की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "चौबीस"</u>

<u>स्कूलों में शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण</u>

85. (क्र. 2180) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत होकर बन चुकी है एवं कितनी बाकी हैं? **(ख)** क्या इन सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री शालाओं में शौचालय स्वीकृत होकर बन चुके हैं एवं कितने बाकी हैं? सूची प्रदान करें? **(ग)** जिन शालाओं में प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के कार्य लंबित हैं? विभाग द्वारा कार्य पूर्णता हेतु क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014-15 में जिले में प्राथमिक/माध्यमिक एवं हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत नहीं है। **(ख)** जिले में 34 शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय स्वीकृत होकर बन चुके हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार** है। जी हाँ। सभी प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत शौचालय

बन चुके हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार।** **(ग)** प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "</u>पच्चीस"

जबलपुर संभाग में संविदा मानदेय

86. (क्र. 2181) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर संभाग में पदस्थ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के समस्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) को मानदेय सभी जिलों में मिशन संचालक के आदेश दिनाँक 03.03.2014 के पुन:रीक्षण निर्धारण के आधार पर दिये जा रहे हैं? **(ख)** यदि नहीं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संचालक के आदेश पर जबलपुर संभाग के जिलों द्वारा अलग-अलग मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। **(ख)** मिशन संलचाक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. के परिपत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2014/2563/ दिनाँक 25.03.2014 एवं क्र./एन.एच.एम./एच.आर./के.आर.एस./2015/3289/ दिनाँक 25.03.2015 के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

<u>खंडवा जिले में शिक्षा के अधिकार नियम का उल्लंघन</u>

87. (क्र. 2195) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खंडवा जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के नियमों को पालन किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो गत वर्ष इस वर्ष एवं खंडवा नगर की कौन निजी स्कूलों में कितने-कितने गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया? स्कूल का नाम एवं संख्या की जानकारी दी जाए? **(ग)** क्या निजी स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी कर गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश नहीं दिया जाकर सशुल्क प्रवेश पा चुके बच्चों को उस श्रेणी में दर्शाया जा रहा है? जिससे पात्र परिवार शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं? **(घ)** यदि हाँ, तो ऐसे स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? कितने स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है, यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** वर्षवार प्रवेशित बच्चों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट (अ)** एवं **(ब) अनुसार** है। **(ग)** प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के अनुक्रम में अनियमितता पाए जाने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

<u>नर्सिंग होम एवं रिसर्च सेंटर</u>

88. (क्र. 2231) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग में कुल कितने नर्सिंग होम, कितने रिसर्च सेन्टर तथा कितने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एवं सेंटर हैं? रिसर्च सेंटर के नाम पर कहाँ-कहाँ शासन द्वारा लीज पर जमीन दी गयी हैं? **(ख)** रिसर्च सेंटर के नाम पर शासन से टैक्स में कुल कितनी छूट ली गयी है? अलग-अलग रिसर्च सेंटर, शहरों के नाम सहित जानकारी दें? **(ग)** रिसर्च सेंटर द्वारा विगत एक वर्ष में

क्या-क्या रिसर्च किये गये है? कृपया रिसर्च सेंटर के अनुसार जानकारी दें? **(घ)** ऐसे कितने रिसर्च सेंटर हैं, जिनमें टैक्स में तो छूट ली गयी है किन्तु कोई रिसर्च कार्य नहीं किया गया है? ऐसे सभी रिसर्च सेंटर पर शासन ने क्या कार्यवाही की है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

89. (क्र. 2253) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बरगी विधान सभा क्षेत्र के नटवारा, बेलखेड़ा, चरगंवा, बेलखेड़ा एवं बरगी चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने-कितने पद चिकित्सालयवार स्वीकृत है? **(ख)** उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत है? उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में वर्णित है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः सा.स्वा.के. शहपुरा (नटवारा) में विशेषज्ञ के 03 पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। नटवारा, बेलखेड़ा एवं बरगी में पद स्वीकृति मान से चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं। विभाग रिक्त पद पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। हाल ही में म.प्र. लोक सेवा आयोग से 1896 चिकित्सकों हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रा.स्वा.के. चरगवां में पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्नांकित संस्थाओं में पैरामेडिकल संवर्ग के पर्याप्त कर्मचारी पदस्थ हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

बेलखेड़ा चिकित्सालय को 30 बिस्तरीय में उन्नयन

90. (क्र. 2254) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बरगी विधान सभा के अंतर्गत बेलखेड़ा चिकित्सालय में लगभग 60 गांवों के निवासी उपचार हेतु आते है परंतु चिकित्सालय में मात्र 10 बिस्तर होने के कारण मरीजों की जबलपुर रिफर कर दिया जाता है? **(ख)** क्या शासन 60 ग्रामों के ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य हेतु बेलखेड़ा चिकित्सालय को 10 बिस्तरों से 30 बिस्तरों की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला दमोह, स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2002 से लम्बित विभागीय अनुकंपा नियुक्तियां

91. (क्र. 2271) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग में दमोह जिले में कितने प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के वर्ष 2002 से आज दिनाँक तक लंबित हैं? नाम, पतावार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** स्कूल शिक्षा विभाग के लंबित

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को कब तक नियुक्ति प्रदाय की जावेगी? जानकारी उपलब्ध करावें, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण, जीवन निर्वाह हो सके।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निपटारा अभिलेखों की पूर्ति, पात्रता एवं पद रिक्त होने पर नियमानुसार किया जाता है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

सागर नगर के शासकीय बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज की मान्यता एवं भवन निर्माण

92. (क्र. 2294) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर का भवन निर्माण कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था? इस निर्माण कार्य पर किए गये व्यय का ब्यौरा तिथिवार बताएं? **(ख)** इसके निर्माण पर अब तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस पर कितना व्यय किया जा चुका है और कितना निर्माण कार्य शेष है? **(ग)** क्या यह सच है कि भवन का निर्माण कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया है एवं वर्तमान में निर्माण एजेंसी के द्वारा कार्य बंद कर दिया है? इसका कारण क्या है एवं कौन जिम्मेदार है? **(घ)** यदि भुगतान न होने की वजह से कार्य बंद है तो शासन द्वारा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ट्रामा सेंटर भवन का निर्माण</u>

93. (क्र. 2317) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल में ट्रामा सेंटर के भवन का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और कब तक तैयार होना था? किस एजेंसी /ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कार्य हो रहा है? एजेंसी/ठेकेदार का नाम/पता, दिनाँक सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या भवन निर्माण में हो रही देरी के कारण उसकी लागत बढ़ती जा रही है? निर्माण के समय लागत क्या थी और प्रश्न दिनाँक को क्या हो गई है? इस बढ़ी हुई लागत का जिम्मेदार कौन है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत निर्माण में हो रही देरी के लिये जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही की जायेगी? कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन</u>

94. (क्र. 2318) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में 8 मार्च, 2015 से जननी सुरक्षा योजना बंद कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस पदनाम/नाम के व्यक्ति के निर्देश पर? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत क्या जयारोग्य चिकित्सालय समूह के संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा जननी सुरक्षा योजना के कड़ाई से पालन के निर्देश स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग को दिये गये हैं? यदि हाँ, तो कब?

प्रश्न दिनाँक तक स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने अधीक्षक के निर्देशों पर क्या-क्या कार्रवाई की? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** व **(ख)** के तहत क्या प्रसूताओं की सूची का सत्यापन कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं हुआ? क्या प्रसूताओं की सूची में हेराफेरी कर प्रसूता राशि में अनियमितताएं की जा रही हैं? क्या उक्त संपूर्ण मामले की जाँच वर्तमान में पदस्थ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग अध्यक्ष को हटाकर करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ट्रामा सेन्टर में चिकित्सकों की पदस्थापना</u>

95. (क्र. 2332) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में शासन नियमानुसार किस श्रेणी के कितने चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ व सुविधाएं पृथक से होनी चाहिए क्या वे उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? **(ख)** क्या शासन आदेश दिनाँक 8 अप्रैल 2011 के द्वारा उक्त सेन्टर हेतु चिकित्सा विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ के एक-एक पद सहित चिकित्सा अधिकारियों के 5 पद स्वीकृत किये गये है इनकी पदस्थापना वर्तमान तक न करने के क्या कारण हैं? कब तक की जावेगी? शासन द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या उक्त चिकित्सकों की पदस्थी के अभाव में ट्रामा सेन्टर में आने वाले गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही हैं इस कारण उन्हें तत्काल अन्यत्र रेफर कर दिया जाता हैं? कई गंभीर मरीज गंतव्य तक पहुंचने के पूर्व ही दम तोड़ देते हैं? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या शासन ट्रामा सेन्टर हेतु उक्त स्वीकृत पदों पर उक्त चिकित्सकों की पदस्थी अविलंब करेगा यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) पदों के पुर्नआवंटन अप्रैल 2011 अनुसार प्रत्येक ट्रामा सेन्टर हेतु 03 विशेषज्ञ व 05 चिकित्सा अधिकारियों हेतु पद स्वीकृत किए गए है। नवीन निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतूर्थ श्रेणी पदों के स्वीकृति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आवश्यक सुविधाओं के संबंध में **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** समस्त ट्रामा सेन्टरों में आवश्यक स्टॉफ एवं सुविधाऍं उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रक्रिया निरंतर जारी है। **(ख)** जी हाँ। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी होने तथा चिकित्सकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की भर्ती के कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** जी नहीं, जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों/स्टॉफ द्वारा मरीजों को यथासंभव स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। अत्यंत गंभीर अवस्था में आये मरीजों को ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों, इस दृष्टि से अन्य उच्च संस्था में रेफर किया जाता है। **(घ)** उत्तरांश ''ख'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट –</u> "अट्ठाईस"

स्कूलों में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण

96. (क्र. 2333) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूलों में सभी संवर्गों के शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने के

संबंध में शासन के क्या निर्देश है? **(ख)** श्योपुर जिले में चालू वित्त वर्ष में उक्त निर्देशानुसार उक्त स्कूलों में उक्त शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके कहाँ-कहाँ पदस्थ किया गया? **(ग)** क्या युक्तियुक्तकरण संबंधी निर्देशो को अनदेखा करके डी.ई.ओ श्योपुर द्वारा मनचाहे तरीके से शिक्षकों को पदस्थ किया गया? उक्त प्रक्रिया में खामिया होने के कारण इस प्रक्रिया को स्थगित रख जा रहा है नतीजन शैक्षणिक व्यवस्था गड़बड़ा रही हैं? **(घ)** क्या शा.प्रा.वि. चिमल का बालाजी में वर्ष 2011,2012 व 2013 में छात्र संख्या क्रमश: 52,41 व 42 थी? दो शिक्षक वहां पूर्व से पदस्थ थे इसके बावजूद क्या डी.ई.ओ श्योपुर द्वारा अनियमित तरीके से दिनाँक 16.01.13 एवं 06.07.13 को दो अन्य शिक्षकों की पदस्थी कर दी गई तथ पूर्व पदस्थ दोनों शिक्षकों को सरप्लस में दर्शा दिया गया? **(ड.)** यदि नहीं, तो क्या युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में बरती गई अनियमिताओं की शासन जाँच कराएगा व दोषी डी.ई.ओ. के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर।** **(ख)** युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। **(ग)** जी नहीं, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना शेष है। विघालय में उपलब्ध शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित रूप से शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। **(घ)** जी हाँ। शासकीय प्राथमिक विद्यालय चिमलका बालाजी में पूर्व से ही दो शिक्षक कार्यरत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्योपुर के आदेश दिनाँक 16.01.2013 द्वारा श्री ओमप्रकाश शर्मा, (अनुदेशक) की संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर शासकीय प्राथमिक विघालय चिमलकाबालाजी में पदस्थापना की गयी तथा 01 संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 श्री ब्रजेश शर्मा की पदस्थापना सीधी भर्ती द्वारा की गई। खण्ड स्त्रोत समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत श्योपुर एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, श्योपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से इस कार्यालय का जनपर पंचायत श्योपुर में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 के रिक्त पदों की सूची संस्थावार उपलब्ध करायी गयी थी। जिसे आनॅलाईन किया गया था, प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया सम्पादित की गयी थी। युक्तियुक्तकरण नियमों के तहत् अतिशेष शिक्षकों की गणना की गयी है। **(ड.)** युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सिवनी जिला अंतर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

97. (क्र. 2350) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सिवनी अंतर्गत आने वाले शासकीय जिला चिकित्सालय सिवनी एवं जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के एवं विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के क्रम में रिक्त पदों के रहने के कारण सहित जानकारी दें एवं पद रिक्त रहने के कारण चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित न हो इस बाबत क्य कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या शासन आम नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं एवं बीमारियों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये शीघ्र ही रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। **(ख)** विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् हैं।

प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है, सिवनी जिले में रिक्त पद की पूर्ति हेतु वर्ष 2013 में लोक सेवा आयोग से चयन पश्चात 21 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना सिवनी जिले अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई थी। हाल ही में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत आन लाईन कांउसलिंग अंतर्गत सिवनी जिले हेतु 22 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी। चिकित्सकों द्वारा चयन किए जाने की स्थिति में शीघ्र पदस्थापना आदेश जारी किए जावेंगे। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। **(ग)** जी हाँ, उत्तरांश ''ख'' अनुसार शीघ्र पदस्थापना आदेश जारी किए जा रहे हैं तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

<u>विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कडों को लाभान्वित किया जाना</u>

98. (क्र. 2351) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में 22 जून,2011 को विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जन जातिय कल्याण विभाग का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो सिवनी जिले में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जन जातियों की पहचान संबंधी जनसंख्या एवं ग्रामों का विवरण दिया जावें? **(ख)** वर्ष 2011 से प्रश्नांश दिनाँक तक सिवनी जिले को कितना आवंटन दिया गया तथा कितना व्यय हुआ? वर्षवार संपूर्ण जानकारी देवें? **(ग)** क्या जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण सिवनी नोड़ल अधिकारी हैं, उन्होंने अब तक उनके हित में किस प्रकार की कार्यवाही की स्पष्ट करें? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(क)** विभाग से सिवनी जिले को प्राप्त आवंटन राशि का दुरूपयोग करने व अनियमितता किये जाने पर प्रकरण की जाँच लोकायुक्त में प्रचालित है? यदि हाँ, तो विस्तृत प्रकरण की जानकारी देवें? उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही हुई हैं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। सिवनी जिलें में विमुक्त,घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजातियों की पहचान संबंधी जनसंख्या एवं ग्रामों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट-एक प्रपत्र अनुसार है। (ख)** वर्ष 2011 से प्रश्नाशं दिनाँक तक सिवनी जिले को 45.00 लाख का आवंटन दिया गया तथा 9.55 लाख का व्यय अनुदान के रूप में किया गया, वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो प्रपत्र अनुसार है। (ग)** जी हाँ। नोडल अधिकारी द्वारा शासन नियम/निर्देशों के अनुसार स्वरोजगार योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरण तैयार किये जाकर जिला टास्क फोर्स समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरण वर्ष 2015 में 53 प्रकरण संबंधित बैंकों को ऋण स्वीकृति/वितरण हेतु प्रेषित किए गए है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "</u>उनतीस"

शासकीय हायर सेकण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण

99. (क्र. 2372) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिगौड़ा ग्राम में शासकीय हायर सेकण्ड्री स्कूल के भवन का निर्माण वी.आर.जी.एफ. योजना के तहत कराया गया था? क्या उक्त भवन निर्माण में कार्य ऐजेंसी ठेकेदार कौन था तथा उक्त भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? **(ख)** क्य उक्त भवन निर्माण शासन के मापदण्डों के अनुरूप बनाया गया तथा उक्त हायर सेकण्ड्री स्कूल दिगौड़ा का भवन अभी

शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? क्या उक्त भवन के निर्माण बाद दीवार फट गई है तथा ऊपर की छत क्षतिग्रस्त होकर चूँ रही है? क्या ग्रामीणों द्वारा कई बार इस संबंध में शिकायतें भी की है परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई? **(ग)** क्या उक्त ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? क्या ठेकेदार से राशि वसूली की करेंगे? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। उक्त भवन की कार्य एजेन्सी ठेकेदार श्री राधारमण पस्तोर है। उक्त भवन की स्वीकृत राशि रू. 50.00 लाख है। **(ख)** हाईस्कूल भवन दिगोड़ा का निर्माण शासन के मापदण्डों के अनुसार किया जा रहा है। उक्त भवन अभी निर्माणाधीन है, अतः शिक्षा विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। उक्त भवन के निर्माण के बाद दीवार नहीं फटी है। भवन के ऊपर की छत क्षतिग्रस्त नहीं हुई है एवं न ही चू रही है। ग्रामीणों द्वारा कार्य की गुणवत्ता से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में यह प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

<u>टीकमगढ़ जिले में शिक्षा विभाग में किये गये स्थानान्तरणों में विसंगति</u>

100. (क्र. 2374) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या टीकमगढ़ जिले में शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण किये गये है वह सही है क्या तथा छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुये स्थानान्तरण किये है यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? **(ख)** क्या जिले टीकमगढ़ में ऐसी कितनी शिक्षण संस्थायें है प्राथमिक एवं माध्यमिक है जिनमें आर.टी.के मान से शिक्षक पदस्थ है एवं ऐसी कितनी शालायें जिनमें छात्र संख्या अति न्यून है तथा ऐसी कितनी शालायें जहां पर अधिक शिक्षक स्थानान्तरण भेजे गये है? **(ग)** क्या जिले के अंतर्गत ऐसी कितनी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालायें है कि जिनमें छात्र संख्या अधिक है और शिक्षक अति न्यून है तथा प्राथमिक शाला नदी खेरा संकुल केन्द्र हटा जनपद बल्देवगढ़ जो प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र का है उक्त नदी खेरा में मात्र 18 बच्चे ही संस्था पर दर्ज है वहां पर दो शिक्षक स्थानान्तरित करके भेजे गये है **(घ)** क्या मा.शाला सिमरा जनपद पलेरा टीकमगढ़ से इन्हें भेजा गया है क्योंकि वहां मा.शा.सिमरा में 531 बच्चे हैं और मात्र दो शिक्षक हैं क्या ऐसे में स्थानान्तरण नीति टीकमगढ़ जिले में पुन: की जायेगी छात्र संख्या को ध्यान में रखा स्थानांतरण जावेगा यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताये यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जिला स्तर पर विभागीय परिपत्र क्र. एफ 1-21/2015/20-1 दिनाँक 29/04/15 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 में निहित प्रावधानों के तहत ही स्थानांतरण किये गये है। **(ख)** टीकमगढ़ जिले के 290 माध्यमिक शालाओं एवं 1583 प्राथमिक शालाओं में आर.टी.ई. के मान से शिक्षक पदस्थ हैं। अति न्यून छात्र संख्या वाली संस्था से किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया गया है। अपितु शिक्षक विहीन एवं एक शिक्षिकीय शालाओं की पूर्ति की गई है। जिले में 39 प्राथमिक शालायें एवं 15 माध्यमिक शालायें ऐसी है जहां छात्र संख्या न्यून है। **(ग)** टीकमगढ़ जिले में 08 प्राथमिक शालायें एवं 46 माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या अधिक है। आर.टी.ई. के मान से प्राथमिक शाला में दो शिक्षक पदस्थ रहना अनिवार्य है, जिसकी पूर्ति की गई है। प्राथमिक शाला नदी खेरा की छात्र संख्या 26 है जो शिक्षक विहीन थी। **(घ)** माध्यमिक शाला सिमरा में न्यूनतम 3 शिक्षकों की पूर्ति युक्तियुक्तकरण द्वारा प्रचलित है।

आर.टी.ई. के अनुसार शेष रिक्त पदों की पूर्ति आगामी शिक्षक भर्ती से संभव हो सकेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं

101. (क्र. 2400) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर एवं रतलाम जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में विगत पांच वर्षों में कितने नवीन भवनों (स्कूल, छात्रावास) कितनी संस्थाओं में बाउड्रीवालों, शौचालय, किचन शेड आदि निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? उनकी निर्माण एजेन्सी कौन थी? कितने निर्माण प्रारंभ किये गये? कितने पूर्ण हुए कितने अपूर्ण हैं व कितने प्रगति पर है? वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार, संस्थावार स्वीकृति लागत एवं व्यय की गई राशि सहित संपूर्ण विवरण दें? **(ख)** विगत पांच वर्षों में विभागीय छात्रावासों में क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई? क्रय सामग्री का विवरण देते हुए बताये कि उक्त सामग्री जिले के किस-किस छात्रावास में कब-कब पहुंचाई गई व उसकी उपयोगिता क्या थी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जिला अशोकनगर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं रतलाम जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख)** जिला अशोकनगर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं रतलाम जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द' एवं 'ई' अनुसार है।**

शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक पदस्थ करने बाबत्

102. (क्र. 2409) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के बहोरीबंद एवं रीठी विकासखण्ड के अंतर्गत कितने प्राईमरी स्कूल/ मिडिल स्कूल हाई स्कूल/ हायर सेकेण्ड्री है विवरण दें? उक्त स्कूलों में से कितने स्कूल शिक्षक विहीन है? वहां शिक्षक पदस्थ करने की क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो कब की जावेगी? **(ख)** शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों के अनुपात से शिक्षकों को नियुक्त न कर पाने से क्या शिक्षा के स्तर में कमी आई है? उक्त विकासखण्ड के स्कूलों का परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम कम होने से और शिक्षकों की कमी होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यदि हाँ, तो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु शिक्षकों की प्रतिपूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) कटनी एवं बहोरीबंद एवं रीठी विकासखण्ड के अंतर्गत शालाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

वि.खं.	**प्रा.शाला**	**मा.शाला**	**हाईस्कूल**	**हायर सेकेण्डरी**
बहोरीबंद	249	90	10	09
रीठी	169	71	12	12

शिक्षक विहिन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। कोई भी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। इन शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति शिक्षकों/अध्यापकों के संविलियन, स्थानांतरण,पदोन्नति एवं नवीन नियुक्तियों के माध्यम से करने की कार्यवाही अनवरत् है, तब तक अतिथि शिक्षकों के भर्ती के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था

की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>कन्या आदिवासी छात्रावास जामनेर के भवन का निर्माण</u>

103. (क्र. 2425) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कन्या आदिवासी छात्रावास जामनेर का भवन जो वर्ष 2007 से स्वीकृत है, अपूर्ण एवं निर्माण कार्य बन्द पड़ा है? **(ख)** पुनरक्षित आवंटन उपरांत भी अभी तक भवन निर्माण प्रारंभ क्यों नहीं हुआ है? **(ग)** इस कार्य में विलंब के लिए दोषी कौन है एवं दोषियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। निविदा प्रक्रिया उपरांत तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जावेगा। **(ग)** निविदा प्रक्रिया प्रचलित है। अत: विलम्ब के दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>अनु.जाति व जनजाति के कन्या एवं बालक प्री-मेट्रिक छात्रावासों में परिवर्तन</u>

104. (क्र. 2426) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राघौगढ़ में संचालित अनु.जाति एवं जनजाति के कन्या एवं बालक प्री-मेट्रिक छात्रावासों को विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ठ छात्रावासों में परिवर्तित किया गया है? **(ख)** क्या शासन के प्रावधान अनुसार राघौगढ़ में प्री-मैट्रिक छात्रावास को विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ठ छात्रावास में परिवर्तन के उपरांत नये प्री-मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत कर खोले गये हैं? **(ग)** नहीं तो क्यों एवं कक्षा 6 से 8 तक छात्र/छात्राओं के लिए शासन ने क्या व्यवस्था की है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जिले के अन्य प्री-मैटिक छात्रावासों में प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है तथा उत्कृष्ट शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के कारण तथा समीप में माध्यमिक शालाऐं संचालित होने के कारण।

<u>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बृजकोर्स केन्द्रों का संचालन</u>

105. (क्र. 2441) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने बृजकोर्स केन्द्र विगत तीन वर्षों में संचालित किये गये विधान सभावार केन्द्रों के नाम, पते तथा संचालन की अवधि बतायें? **(ख)** इन केन्द्रों में कितने बच्चों को शिक्षित कर स्कूलों मे नियमित किया गया? शाला का नाम बृजकोर्स केन्द्रवार संख्या दें? **(ग)** इन केन्द्रों पर केन्द्रवार व वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई? **(घ)** केन्द्रों में शिक्षित किये गये बच्चों में से कितने अभी भी नियमित रूप से शालाओं में अध्ययन कर रहे हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है।

<u>शिक्षकों को बिना कोई कारण के सेवा से पृथक करने के संबंध में</u>

106. (क्र. 2456) श्री लाखन सिंह यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास का पत्र क्रमांक/विपिजजा/31/2014/24623 भोपाल

दिनाँक 11/12/2014 के पालन में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ग्वालियर के द्वारा संरक्षण विकास योजना अन्तर्गत कार्यरत भाषासी शिक्षकों को वेतन प्रदाय एवं सेवा निरंतर न रखने बाबत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरई, भितरवार एवं डबरा जिला ग्वालियर में वर्ष 2008 से सेवारत आदिवासी समाज के शिक्षकों की सेवा में समाप्त हेतु आदेश किये है? **(ख)** क्या इन आदिवासी शिक्षकों से 7-8 वर्षों तक सेवा लेने के बाद बिना कोई कारण बताये सेवा समाप्ति क्या आदिवासी समाज के शिक्षकों के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं है? **(ग)** इन सेवा से पृथक किये गये आदिवासी शिक्षकों को कब तक सेवा में लेकर उनके साथ न्याय किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। इन शिक्षकों को परियोजना अवधि के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रावधान समाप्त करने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार।

<u>ग्वालियर जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लिये चलाई जा रही योजनायें</u>

107. (क्र. 2457) श्री लाखन सिंह यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनाँक तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिये कौन-कौन सी योजनायें चलाई जा रही है, संपूर्ण योजनाओं का नाम, किस योजना में कितने हितग्राही को लाभ दिया? **(ख)** ग्वालियर जिले में आदिमजाति अनुसूचित कल्याण विभाग द्वारा किस-किस स्थान पर किस-किस प्रकार के छात्रावास/आश्रम कितनी-कितनी सीटर के संचालित है, उन छात्रावासों/आश्रमों पर कौन-कौन कर्मचारी/अधीक्षक पदस्थ है, उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनाँक स्पष्ट करें? **(ग)** ऐसे कितने छात्रावास/आश्रम है, जिन पर अधीक्षक गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके नाम स्पष्ट करें? ऐसे कितने छात्रावास/आश्रम है, जहां पर एक अधीक्षक दो-दो या उससे अधिक का प्रभारी हैं? उनके नाम स्पष्ट करें ऐसा क्या कारण है कि एक-एक अधीक्षक को अन्यत्र का भी चार्ज दिया गया है, किस नियम के तहत किस अधिकारी द्वारा आदेश दिया है? अब इनसे कब अतिरिक्त प्रकार हटा लिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।** ग्वालियर जिले में अनुसूचित जन जाति के संचालित छात्रावास /आश्रमों के स्थान/सीट कर्मचारी/अधीक्षक के नाम, पदस्थापना दिनाँक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग)** ग्वालियर जिले में 13 छात्रावास/आश्रम हैं जिन पर अधीक्षक गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के है, उनके नाम की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है।** छात्रावास/आश्रम में एक अधीक्षक को दो या उससे अधिक का प्रभारी बनाया गया है। जानकारी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।** शासन द्वारा स्वीकृत नवीन छात्रावास/आश्रम में अधीक्षकों के पद पूर्ति न होने तक छात्रावास संचालित किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यरत अधीक्षकों को कलेक्टर/सहायक आयुक्त द्वारा अतिरक्ति प्रभार दिया गया है। अधीक्षकों की पद पूर्ति पर इनसे अतिरिक्त प्रभार हटा लिया जायेगा।

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस के भवन का निर्माण</u>

108. (क्र. 2489) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण डेमेज के भवन अपर्याप्त भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है? **(ख)** यदि हाँ, तो नये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कब तक कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र कैलारस का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं है बल्कि भवन का कुछ भाग डेमेज होने के कारण, अपर्याप्त भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। **(ख)** भवन का सर्वेक्षण कराने के उपरांत आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं चंबल संभाग में संचालित किया जाना</u>

109. (क्र. 2490) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यालय मुरैना में कब प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं चंबल संभाग के मुरैना में संचालित न होने के कारण चंबल संभाग के जिलों में निरीक्षण/सुपरवीजन न होने से ग्रामीण/स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से न होने के कारण ग्रामीण जनता स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं? **(ग)** उक्त कार्यालय चंबल संभाग में न होने से कितने पद रिक्त हैं और कितने, कौन-कौन से? यदि हाँ, तो ये कब तक भरे जावेंगे? **(घ)** जौरा विधानसभा क्षेत्र की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल लिपिकीय आदि के कितने पद रिक्त है? कब तक भरे जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मुरैना संभागीय कार्यालय की स्वीकृति जारी होने के उपरांत। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं, वर्तमान में कार्यरत संभगीय संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा निरीक्षण, सुपरविजन एवं स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन का कार्य संपादित किया जा रहा है। **(ग)** चम्बल संभाग मे मुरैना, भिण्ड व श्योपुर जिलों में चिकित्सकों के 159 स्टाफ नर्स के 146 व पैरामेडिकल के 241 पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जौरा विधानसभा क्षेत्र की संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों के 12 पद, पैरामेडिकल लिपिकीय के 10 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। समयावधि बताना संभंव नहीं।

<u>प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करना</u>

110. (क्र. 2497) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में कार्यरत खाद्य निरीक्षक/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की योग्यता, वेतनमान एवं कर्तव्यों में क्या-क्या अंतर है? **(ख)** क्या खाद्य निरीक्षकों एवं औषधि निरीक्षकों का कार्य नमूना/निरीक्षण कार्यवाही करना तथा खाद्य एवं औषधि प्रतिष्ठानों के लायसेंस जारी कर, खाद्य एवं दवा दुकानों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या उक्त दोनों खाद्य निरीक्षकों की योग्यता औषधि निरीक्षकों की योग्यता (स्नातक) से अधिक एवं कर्तव्य समान होने के बावजूद भी खाद्य निरीक्षक/खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कम वेतन

दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? **(घ)** खाद्य निरीक्षकों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के वेतनमान में सुधार के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक इनको वेतनमान में सुधार किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जे.ए.हॉस्पिटल ग्वालियर में दान की आंखे कचरे में फैंकने के संबंध में</u>

111. (क्र. 2499) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर में दिनाँक 01 जनवरी 2009 से 31 मई 2015 तक किस-किस महिला/पुरूषों द्वारा कब-कब नेत्रदान किया? दान किये गए नेत्रों को किन-किन को कब-कब प्रत्यारोपित किया गया? **(ख)** क्या उपरोक्त अवधि में जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर में आई बैंक के बिना रजिस्ट्रेशन के आंखे दान में लेना एवं बिना एथिकल कमेटी की स्वीकृति के आंखों पर रिसर्च की प्रत्येक रिसर्च रिपोर्ट करना नियमानुसार है? यदि नहीं तो किन-किन डॉक्टरों ने किन-किन दानदाताओं की आंखों पर रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत की? **(ग)** माह अप्रैल 2015 में श्री किशन गंभीर निवासी तानसेन नगर ग्वालियर की माँ श्रीमती अमृत गंभीर की आंखे कचड़े में फैंकने एवं वर्ष 2014 में मरीजों से अस्पताल में बाजार से लैंस मंगाकर लगाने के मामलों की जाँच आयुक्त ग्वालियर द्वारा कराई थी? जाँच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में दोषी पाए गए चिकित्सकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या जे.ए. हॉस्पिटल ग्वालियर में गंभीर रोगों से पीडि़त मरीजों को ट्रॉमा सेन्टर सहित सभी विभागों में ऑपरेशन के समय बाजार से उपकरण/दवायें खरीदकर न लाने वालों को लम्बे समय तक भर्ती रखकर ऑपरेशन न कर डिस्चार्ज किया जाता है? यदि नहीं तो 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनाँक तक ऐसे कौन-कौन से मरीज है जिनका भर्ती दिनाँक के आठ दिन बाद भी ऑपरेशन नहीं किया गया? प्रत्येक का कारण सहित विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>स्थानांतरित शिक्षकों द्वारा नवीन पदस्थापना ज्वाईन नहीं करना</u>

112. (क्र. 2507) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में सभी वर्गों में कुल कितने शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था? क्या शासन का यह स्पष्ट निर्देश है कि स्थानांतरित शिक्षक तत्काल नई पदस्थापना ज्वाईन करते हैं? **(ख)** कितने शिक्षकों ने उक्त आदेश का पालन कर नई पदस्थापना ज्वाईन कर ली है एवं कितने शिक्षकों ने नई पदस्थापना ज्वाईन नहीं की है और क्यों? **(ग)** यदि इन्हें रिलिव नहीं किया गया तो सम्बन्धित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जा रही है एवं सम्बन्धित शिक्षक जो रिलिव नहीं हो रहा है उस पर क्या कार्यवाही की गई? अवगत करावे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टक अनुसार। जी हाँ। **(ख) जानकारी परिशिष्ट में उल्लेखित** शिक्षकों में से 57 शिक्षकों ने नवीन पदस्थापना पर ज्वाईन किया है तथा 27 शिक्षकों ने अभी तक ज्वाईन नहीं किया। **(ग)** स्थानांतरित सभी शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को डी.पी. उपलब्ध कराना

113. (क्र. 2511) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों की कितनी फाईलें आदिम जाति कल्याण विभाग को ट्रांसफार्मर (डी.पी.) लगाने हेतु प्राप्त हुई? **(ख)** उनमें से कितने किसानों के यहां डी.पी. लगा दी गई है एवं कितने किसान इस योजना में लंबित है? **(ग)** उन लंबित फाईलों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? लंबित किसानों को कब तक डी.पी. उपलब्ध करा दी जावेगी? समय-सीमा बताएं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्राप्त आवेदन पत्र की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में वर्णित अनुसार है। (ग)** अनुसूचित जाति के लंबित आवेदन पत्रों पर वर्ष 2015-16 में आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त किया जावेगा जबकि जनजाति के किसानों के आवेदन लंबित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

परिशिष्ट - "तीस"

पद का दुरूपयोग

114. (क्र. 2519) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय चिकित्सालय नागदा जिला उज्जैन में मुफ्त जाँच योजनान्तर्गत अनियमितता कर शास.चिकित्सक डॉ. लहरी द्वारा सोनोग्राफी मशीन का ठेका लिया था? **(ख)** क्या डॉ. लहरी के द्वारा शासकीय सेवा में रहते हुए पद का दुरूपयोग किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या तत्कालीन संभागायुक्त कार्यालय द्वारा डॉ. लहरी को दोषी मानते हुए पत्र क्र. 10347/एफ-01/13/वि-2 दिनाँक 11.11.2013 संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कलेक्टर के आदेश का क्रियान्वयन

115. (क्र. 2558) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर कलेक्टर ने सचिव म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल म.प्र. को पत्र क्रमांक 1018/शिका/आयोग/11 दिनाँक 03 एवं 04.03.2011 से भूमि विवाद पर शिकायतकर्ता के आवेदन पर जाँच समिति से जाँच कराकर प्रतिवेदन भेजा है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से अवगत कराएं? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** की जाँच प्रतिवेदन व तहसीलदार के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर अनूपपुर ने प्रकरण क्र. 06/स्वमेव निगरानी/10-11 के प्रकरण की सुनवाई कर निर्णय व आदेश पारित किया है? यदि हाँ, तो निर्णय के पालन में क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई है? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** कलेक्टर न्यायालय के निर्णय पर कोई अपर न्यायालय में निगरानी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया था? यदि हाँ, तो पक्षकारों का नाम, शासकीय कर्मचारी होने पर पद व पदस्थापना स्थल सहित स्पष्ट करें कि दोनों न्यायालयों के निर्णय पर समय-सीमा में कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** क्या जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर न्यायालय के निर्णय व आदेश का पालन न होना न्यायालय के अवमानना व प्रशासनिक अक्षमता का दस्तावेजी साक्ष्य है? यदि नहीं, तो आदेश पर कब

तक भौतिक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन भेजा जाएगा? **(ड.)** क्या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण व न्यायालय के निर्णय पर शासकीय कर्मचारी का परिवार प्रभावित है? यदि हाँ, तो उसका नाम, पद व विभाग की जानकारी देते हुए स्पष्ट करें कि दोषी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख)** जी हाँ। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 2557-दो/2012/दायर पर माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनाँक 12/2/2015 में कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया। तहसीलदार एवं कलेक्टर न्यायालय के मूल प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर में उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न थे। न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर से कलेक्टर न्यायालय का प.क्र. 06/स्व.निग./10-11 एवं न्यायालय तहसीलदार अनुपपूर के रा.स.प्र.क्रमांक-4/अ-3/08-09, दिनाँक 06/07/2015 को प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई हैं। **(ग)** जी हाँ। न्यायालय कलेक्टर अनुपपूर के राजस्व प्रकरण क्रं. 06/स्व.निग./10-11/में पारित आदेश दिनाँक 25/05/2012 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष निगरानी 2557-दो/12 बेलावती पत्नि श्री रमेश सिंह एवं रमेश सिंह पिता मोलई सिंह निवासी अनुपपूर द्वारा दायर की गई थी। रमेश सिंह वर्तमान में पटवारी पद पर तहसील अनुपपूर के पटवारी हल्का सेंदुरी में पदस्थ है एवं बेलावती सिंह पत्नी रमेश सिंह अध्यापिका के पद पर शासकीय हाईस्कूल खोंडा में पदस्थ हैं। न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर एवं न्यायालय कलेक्टर अनुपपूर के आदेशानुसार न्यायालय तहसीलदार अनुपपूर द्वारा कार्यवाही की जायेगी। **(घ)** कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रकरण निगरानी न्यायालय राजस्व मंडल में होने के कारण अवमानना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। वर्तमान में प्रकरण तहसीलदार न्यायालय अनुपपूर में विचाराधीन हैं। **(ड.)** न्यायालय के निर्णय से पीड़ित पक्ष द्वारा आज दिनाँक तक कोई आवेदन तत्संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतीस"

अनियमित प्रतिनियुक्ति व आदेशकर्ता पर कार्यवाही

116. (क्र. 2560) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर जिला अन्तर्गत कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी के आदेश पत्र क्र. 1128, दिनाँक 29.06.2011 व संकुल प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि.जैतहरि के पत्र क्र.स्थापना/2012/ 1313 दिनाँक 13.07.2012 में सहायक अध्यापक को जैतहरी कन्या उ.मा.वि. में कार्यमुक्त आदेश जारी किया गया? यदि हाँ, तो आदेश जारीकर्ता का पूरा नाम, मूल पद व आदेशकर्ता का प्रभार पद सहित जानकारी देवें कि सहायक अध्यापक का नाम, मूल पदस्थापना स्थल व आदेश के पालन में कितने दिन प्रतिनियुक्ति में रहे पूर्ण प्रतिवेदन व स्पष्ट जानकारी देवें? **(ख)** क्या आदेशकर्ता अधिकारी का आदेश शासन के दिशा-निर्देश अनुसार वैध है? यदि हाँ, तो शासन के प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश की वैधता से अवगत कराएं? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(क)** के सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति उपरांत उसके मूल पदस्थापना स्थल पर अतिथि शिक्षक नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो उसका नाम, पद व उसके प्रदत्त मानदेय/वेतन की माहवार जानकारी देते हुए स्पष्ट करें कि प्रभारी बी.ई.ओ. व प्रभारी प्राचार्य ने नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति कर दोनों आदेशकर्ता अधिकारी का मूल पद व नाम तथा प्रतिनियुक्ति में लेने वाले पुरूष या महिला सहायक अध्यापक का नाम स्पष्ट करते हुए अतिथि शिक्षक से हुए आर्थिक क्षति व अवैध आदेश पर समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित कर

आदेशकर्ता की सेवापुस्तिका में कार्यवाही व दण्ड दर्ज किया जायेगा? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के प्रभारी अधिकारी का नाम, जैतहरी कन्या या जैतहरी मुख्यालय में पदस्थापना तिथि की जानकारी देते हुए स्पष्ट करें कि कन्या उ.मा.वि.के प्रभारी प्राचार्य पद से हटाकर कन्या उ.मा.वि. में प्रशासनिक सुचिता बनाएंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। आदेश जारीकर्ता का नाम श्री एम.आई.राशदीन, मूल पद व्याख्याता एवं प्रभार का पद प्रभारी प्राचार्य एवं प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी, तैनात किये गये सहायक अध्यापक का नाम श्रीमती वर्षा लहंगीर मूल पदस्थापना स्थल शास.प्राथ.विद्यालय जुनहाटोला बलबहरा है। श्रीमती वर्षा लहंगीर दिनाँक 15.07.2011 से दिनाँक 13.07.2012 एवं 17.07.2012 से 28.02.2013 तक शैक्षणिक व्यवस्था अंतर्गत शा.कन्या उ.मा.वि. जैतहरी में अध्यापन कार्य किया। **(ख)** शैक्षणिक कार्य व्यवस्था अंतर्गत कार्यादेशित आदेश था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रकरण की जाँच कलेक्टर अनूपपुर से कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** उत्तरांश 'क' अनुसार। शा.कन्या उ.मा.वि. जैतहरी दिनाँक 10/08/994 से व्याख्याता के पद पद पदस्थ हैं,वर्ष 2006 से प्रभारी प्राचार्य के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। पदस्थापना परिवर्तन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>स्वास्थ्य केन्द्रों का समुचित संचालन</u>

117. (क्र. 2574) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला बैतूल में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहे है, संख्या दी जावे? संचालित केन्द्रों में नियमानुसार कर्मचारी/अधिकारी की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं? पदवार संख्या देते हुए पद पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** स्वास्थ्य एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण अंचलों में क्या नियमित एवं निर्धारित समय-सीमा में खुलते है, एवं तैनात स्वास्थ्य कर्मी का मुख्यालय नियत स्थानों में रखा गया है? यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा वेतन आहरण के पूर्व तैनात कर्मचारी नियत मुख्यालय पर रहता है या नहीं? कब-कब चैक किया गया है, सत्यापन दिनांकों का माहवार, वर्षवार ब्यौरा दिया जाये? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** अनुसार यदि तैनात स्वास्थ्य कर्मी नियत मुख्यालय पर नहीं रहते तो विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बालक/बालिका छात्रावासों में समुचित व्यवस्था</u>

118. (क्र. 2575) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला बैतूल के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक छात्रावास में कितने बालक/बालिका के रखे जाने का प्रावधान है? संख्या दी जावे साथ ही क्षमतानुसार प्रत्येक छात्रावास में वर्ष 2013-14, 2014-15 में कितने बालक/बालिका अध्ययनरत रहे छात्रावासवार संख्या दी जावे? **(ख)** वर्ष 2013-14, 2014-15 में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या के अनुरूप छात्रावासों की कितनी राशि प्रदान की गई है एवं गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, तेल इत्यादि खाद्यान्न की कितनी मात्रा की खपत हुई? छात्रावासवार क्रमश: मात्रा दी जावे? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** के अनुसार खपत खाद्यान्न क्रय नियमों के अनुसार निविदा एवं कोटेशन पद्धति से खरीद कर न्यूनतम दर पर क्रय किया गया

है? यदि हाँ, तो किस ऐजेन्सी द्वारा सामग्री प्रदाय की गई? **(घ)** क्रय नियमों को नजर अंदाज कर बिना कोटेशन आंमत्रण एवं निविदा के सामग्री क्रय करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर विभाग द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) बैतूल जिले के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक छात्रावासों में स्वीकृत सीट अनुसार बालक/बालिका के रखे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक छात्रावासों में वर्ष 2013-14, 2014-15 में बालक/बालिका अध्ययनरत रहे छात्रावास संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख)** शासकीय आदिवासी बालक/बालिका छात्रावास में वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 3,03,74,400/- एवं वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 3,28,58,000/' प्रदान की गई है वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' एवं 'द' अनुसार है।** एवं गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, तेल इत्यादि मात्रा की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु लगने वाली खाद्यान्न सामग्री आदि का क्रय अधीक्षकों के द्वारा आवश्याकतानुसार स्थानीय बाजार/दुकानों से न्यूनतम दरों पर ही किया जाता है एवं गेहूँ, चावल शासकीय उचित मूल्य दुकान से क्रय किया जाता है। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित स्थिति अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

<u>बड़वानी जिले में ग्रेन बैंक घोटाला</u>

119. (क्र. 2586) श्री बाला बच्चन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2008-09 में राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के तहत बड़वानी जिले के सेंधवा और पानसेमल में क्रमश: 44 व 50 ग्रामीण ग्रेन बैंक प्रारंभ किए गए थे। उन्हें कितना खाद्यान्न एवं कितनी राशि प्रश्न दिनाँक तक उपलब्ध कराई गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार इन ग्रामीण ग्रेन बैंकों से कितने हितग्राही को खाद्यान्न एवं राशि स्वीकृत की गई? सेंधवा और पानसेमल की पृथक-पृथक बतावें? **(ग)** जिन अधिकारियों ने हितग्राहियों को लाभ न पहुँचाकर भ्रष्टाचार किया शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में वर्णित अनुसार है। (ग) प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रचलन में है।

<u>**परिशिष्ट –**</u> ''बत्तीस''

चौरई एवं अमरवाड़ा में रोगी कल्याण समिति के राशि में अनियमितता

120. (क्र. 2614) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा व उसके अधीन प्रा.स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई व उसके अधीन प्रा.स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 2012-13 से अगस्त 2014 के मध्य डॉ.वाचक के बी.एम.ओ. के पद पर पदस्थ रहने के दौरान रोगी कल्याण समिति को कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में उक्त अवधि में खण्ड चिकित्साधिकारी चौरई एवं अमरवाड़ा के द्वारा कौन-कौन सी नियमानुकूल प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि कब और क्यों खर्च की गयी? इस संबंध में राशि खर्च हेतु शासनादेशों/निर्देशों की

प्रति सहित राशि खर्च करने हेतु अपनाई गयी प्रक्रियाओं की जानकारी दें? **(ग)** क्या उक्त दोनों खण्ड चिकित्साधिकारियों के द्वारा रोगी कल्याण समिति की राशि खर्च करने से पहले शासन द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का पालन किया गया है? यदि हाँ तो आदेश निर्देश की प्रति, रोगी कल्याण समिति की अनुमति की प्रति सहित खर्च राशि का विस्तृत ब्यौरा दें? **(घ)** क्या रोगी कल्याण समिति चौरई एवं अमरवाड़ा की उक्त वर्षों में प्राप्त धनराशि उक्त दोनों खण्ड चिकित्साधिकारियों के द्वारा शासन के आदेशों निर्देशों का पालन किये बिना ही मनमाने तौर पर खर्च करने, उसका व्यवस्थित हिसाब नहीं रखने एकल हस्ताक्षर प्रणाली से भुगतान करने तथा किये गये फर्जीवाड़े की, प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश क्या शासन देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा व उसके अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक रोगी कल्याण समिति को प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 530 दिनाँक 18/05/2010 के आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष आर.के.एस. से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत खर्च की गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई की जानकारी एकत्रित की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरवाड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई द्वारा रोगी कल्याण समिति की राशि खर्च करने से पहले शासन द्वारा जारी नियमों निर्देशों का पालन किया अथवा नहीं इसकी जाँच के निर्देश संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर को दिये गये हैं। शासन के निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** खर्च की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर को प्रकरण की जाँच के निर्देश दिये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>छिंदवाड़ा जिले में छात्रावासों के गुणवत्ताहीन निर्माण</u>

121. (क्र. 2615) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिंदवाड़ा जिले के बालिका छात्रावास चौरई, पौनार एवं खिरसाडोह के छात्रावास भवन निर्माण में खिड़की, दरवाजें, विद्युत सामग्री, वाटर सप्लायी, पंखे आदि सामग्री लगाये जाने हेतु शासन के क्या मापदण्ड है? किस स्तर की सामग्री उपयोग करने का टेंडर था? क्या शासन के मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार उक्त भवनों में सामग्री का उपयोग किया गया है अथवा नहीं? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता ने उक्त छात्रावास भवनों के दरवाजे, खिड़कियां, विद्युत सामग्री इत्यादि शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड का नहीं लगाये जाने, गुणवत्ताहीन निर्माण कराये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर मा. स्कूल शिक्षा मंत्री म.प्र. शासन को पत्र क्रमांक 1406 दिनाँक 20.07.2014 एवं पत्र क्रमांक 1386 दिनाँक 19.07.2014 आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र म.प्र. भोपाल को प्रस्तुत किया था? **(ग)** क्या परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा के द्वारा भी प्राथमिक निरीक्षण में प्रथम दृष्टया पायी गयी कमियों को दूर किये जाने के संबंध में कार्यपालन यंत्री गृह निर्माण मण्डल छिंदवाड़ा को पत्र क्रमांक 6500 दिनाँक

07.02.2014 प्रेषित किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** का उत्तर यदि हाँ, है तो उक्त पत्रों पर किस स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या शासन तकनीकी अधिकारियों का दल गठित कर प्रश्नकर्ता के उपस्थिति में छात्रावास भवनों एवं उसमें लगायी गयी गुणवत्ताहीन सामग्री की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा दोषियों से राशि वसूल कर गुणवत्तायुक्त निर्माण व सामग्री लगाये जाने का आदेश देगा यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) छिन्दवाड़ा जिले के बालिका छात्रावास चैरई, पौनार एवं खिरसाडोह के छात्रावास भवन निर्माण की निर्माण एजेंसी कार्यपालन यंत्री, गृहनिर्माण मंडल छिन्दवाड़ा है, छात्रावास भवन निर्माण के समस्त कार्य एवं भवन में लगाई जाने वाली सामग्री, अनुमोदित ड्राईंग में प्रावधानित मापदण्ड अनुसार कराये जाने का प्रावधान है। स्वीकृत प्राक्कलन एवं सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार मानक स्तर की सामग्री उपयोग करने का टेंडर कार्यपालन यंत्री, गृहनिर्माण मंडल छिन्दवाड़ा द्वारा लगाया गया था। प्रथम दृष्टया किया गया है। **(ख)** पत्र क्रमांक 1406 दिनाँक 20/07/2014 की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है, पत्र क्रमांक 1386 दिनाँक 19/07/2014 राज्य शिक्षा केन्द्र को प्राप्त हुआ था। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** कार्यपालन यंत्री गृह निर्माण मंडल, छिन्दवाड़ा को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र. 7949 दिनाँक 26/09/2014 से उक्त पत्र पर कार्यवाही कर उल्लेखित कमियों को दूर करने के लिये लिखा गया था। **संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** कार्यपालन यंत्री गृह निर्माण मंडल, छिन्दवाड़ा द्वारा भवनों की कमियों को सुधार कर दिये जाने के संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र छिन्दवाड़ा को एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कार्य का स्तर गुणवत्ता हीन होने की स्थिति में जिला स्तर पर तकनीकी अधिकारियों का दल गठित कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को बजट आवंटन

122. (क्र. 2649) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एसएफएल) को विगत 2 वर्ष पूर्व 5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एसएफएल) द्वारा इस राशि से कब-कब, क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है? **(ग)** क्या कारण है कि इन 2 वर्षों के बीत जाने के बावजूद उपरोक्त प्रयोगशाला अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाई है? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? नाम बतावें? **(घ)** फूड सेफटी एण्ड स्टेडर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डियॉ द्वारा (एफएसएसएआई) खाद्य सुरक्षा विभाग से मांगी गई प्रयोगशाला की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा यह प्रयोगशाला कब तक अपग्रेड होगी, समय-सीमा बतावें? **(ड.)** मोबाईल फूड लैब वाहन जिसे लेबोरेटरी में तब्दील किये जाने हेतु विगत वर्ष दिल्ली में भेजा गया था? कब तक तैयार होकर भोपाल आयेगा? इस मोबाईल वाहन पर कितनी राशि किस सामग्री के लिये व्यय की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पदोन्नतियों, नियुक्तियों, नियमितीकरण में अनियमिता

123. (क्र. 2667) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों एवं कर्मचारी संघ द्वारा दिनाँक 18.01.2012 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में हुई पदोन्नतियों, नियुक्तियों, नियमितिकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** क्या उपरोक्त शिकायत हेतु गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ स्थापना शाखा प्रभारी द्वारा विगत वर्षों में की गई अनेक नियमों विरूद्ध मची, पदोन्नति, नियमितिकरण, अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में कब तक जानकारी देते हुए जाँच की मांग की गई? किन्तु शिकायत पर प्रश्न दिनाँक तक संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या उपरोक्त शिकायत में उल्लेख अनुसार मुख्य रूप से स्थापना शाखा प्रभारी की विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से सांठगांठ एवं मिलीभगत होने के कारण आज दिनाँक तक कोई भी कार्यवाही नहीं करते हुये सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों की अवहेलना कर विगत कई वर्षों से स्थापना शाखा में ही कार्य किया जा रहा है एवं शाखा को गुमराह कर उनकी पदस्थापना अन्य जगह दर्शाई जा रही है क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं, अपितु महानिदेशक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को संबोधित पत्र दिनाँक 19/01/2015 की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है, शिकायत की जाँच अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा कराई जा रही है। **(ख)** एवं **(ग)** जाँचोपरान्त ही बताया जा सकेगा।

<u>2009 में निजी मेडिकल कालेजों पर आयकर के छापे</u>

124. (क्र. 2672) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 23 जुलाई 2009 को आयकर विभाग ने पीपुल्स तथा आरकेडीएफ तथा एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज के संचालक के यहां मारे गये छापे में एडमीशन में धोखाधड़ी के दस्तावेज जब्त किये थे? यदि हाँ, तो विभाग ने आयकर से उन दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु पत्र कब लिखा? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित छापे में हाल ही में SIT ग्वालियर द्वारा गिरफ्तार योगेश उपरीत के यहां भी कार्यवाही की गई थी? यदि हाँ, तो क्या इस संदर्भ में आयकर द्वारा भर्ती संबंधी दस्तावेज जो जब्त किये गये उनकी भी मांग की जावेगी या मांग कर दी गई है? **(ग)** क्या माननीय मुख्यमंत्री ने 29 जुलाई 2009 को विधान सभा परिसर में कहा कि डीमेट हमेशा संदेह के घेरे में रही है यदि हाँ, तो डीमेट पर निगरानी के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये? **(घ)** 2007 से 2014 की डीमेट परीक्षा केन्द्रों पर AFRC द्वारा नियुक्त आब्जरवरों की वर्ष अनुसार, केन्द्र अनुसार सूची, नाम, पद, उम्र, पता सहित प्रदान करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>थैलीसीमिया के मरीजों को सहायता</u>

125. (क्र. 2698) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सिहोर में 18 वर्ष से कम आयु के थैलसीमिया बीमारी से ग्रसित रोगियों की संख्या कितनी है? विधानसभा क्षेत्रवार ब्यौरा देवें? क्या यह बीमारी गंभीर बीमारी की श्रेणी में आती है एवं इसका उपचार महंगा है? **(ख)** क्या इस बीमारी को राज्य बीमारी सहायता राशि योजना

के अंतर्गत सम्मिलित किया है? यदि नहीं, तो इस बीमारी की गंभीरता एवं खर्चीले उपचार को देखते हुए मरीजों को सहायता हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** यदि नहीं, तो क्या विभाग इस बीमारी के उपचार हेतु मरीजों की सुविधा एवं आर्थिक मदद देने हेतु कोई योजना बनाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला सीहोर में 18 वर्ष से कम आयु के थैलसीमिया बीमारी से ग्रसित रोगियों की संख्या 20 हैं। विधानसभा क्षेत्रवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** यह बीमारी गंभीर बीमारी की श्रेणी में आती है एवं इसका उपचार महंगा है। **(ख)** जी नहीं। जी हाँ। **(ग)** विभाग द्वारा इस बीमारी का निःशुल्क उपचार जिला चिकित्सालयों में पीड़ित मरीजों को दिया जा रहा है।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>चौंतीस"

स्कूल भवन एवं किचन शेड की स्वीकृति

126. (क्र. 2711) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हरदा जिले में विगत 5 वर्षों में कितने स्कूल भवन, किचन शेड स्वीकृत हुए है? स्वीकृत भवनों की आज दिनाँक को क्या स्थिति है? कितने भवन पूर्ण है, कितने अपूर्ण हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में पूर्ण व अपूर्ण भवनों में क्या गुणवत्ता पूर्ण कार्य किया गया है? टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खारी में स्वीकृत भवन की क्या स्थिति है? जिले में ऐसी स्थिति वाले भवन कितने है एवं कितने भवन जर्जर स्थिति में है व उसके सुधार के लिये शासन द्वारा कोई कदम उठाया गया है? यदि हाँ, तो क्या?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला हरदा अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कुल 35 हाई स्कूल स्वीकृत हुये है, जिनमें से 22 पूर्ण हो चुके हैं, 13 अपूर्ण है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। हरदा जिले में विगत 5 वर्षों में 06 स्कूल भवन एवं 89 किचन शेड स्वीकृत हुये है। स्वीकृत भवनों की आज दिनाँक की स्थिति में 01 स्कूल भवन पूर्ण है 05 स्कूल भवन अपूर्ण है। 89 स्वीकृत किचिन शेड में से 59 किचिन शेड पूर्ण हैं एवं 30 किचिन शेड अपूर्ण हैं। **(ख)** जी हाँ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निर्माण एजेन्सी के साथ विभाग व्दारा संयुक्त निरीक्षण कर कमियों को पूर्ण कराया जाता है, गुणवत्ता संतोषजनक है। हरदा जिला अन्तर्गत कोई भी हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन जर्जर स्थिति में नहीं है। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खारी में स्कूल भवन स्वीकृत नहीं है, अपितु टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खारी में सेटेलाईट शाला संचालित है, जिसमें एक अतिरिक्त कक्ष वर्ष 2009-10 में इकाई लागत 2.64 लाख का स्वीकृत है, जो छत स्तर पर निर्माणाधीन है। जिले में ऐसी स्थिति वाले अन्य भवन नहीं है। 30 प्राथमिक एवं 14 माध्यमिक शाला भवन जर्जर है। जर्जर भवन के मरम्मत के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 हेतु भारत शासन को प्रेषित किया गये थे, जिनकी स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त हो चुकी है।

<u>निर्माणाधीन छात्रावास भवन</u>

127. (क्र. 2721) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हरदा जिले में कितने छात्रावास भवन निर्माधीन हैं? कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? समय-सीमा बताये? **(ख)** हरदा जिले के तहसील सिराली में वर्ष 2002 से स्वीकृत छात्रावास

भवन की आज दिनाँक तक स्थिति क्या है? क्या कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो कार्य एजेन्सी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जिले में ऐसे कितने छात्रावास भवन अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यवार विवरण देवें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) हरदा जिले में 04 छात्रावास भवन निर्माणाधीन है। समस्त कार्य फिनिशिंग स्तर पर है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करा लिया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आधिपत्य की कार्यवाही प्रचलन में है। जिले में 04 छात्रावास भवनों का कार्य अपूर्ण है। कार्यवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

हायर सेकण्ड्री एवं हाई स्कूल में रिक्त प्राचार्यों के पद

128. (क्र. 2735) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शाजापुर जिले में कितने हायर सेकेण्ड्री एवं हाई स्कूल शासन द्वारा संचालित है? **(ख)** जिले के कितने हा.से./हाई स्कूल में प्राचार्य के पद स्वीकृत है? कितने प्राचार्य पदस्थ हैं एवं कितने हा.से./हाई स्कूल में प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे है? **(ग)** जिले में रिक्त प्राचार्य के पद हा.से./हाई स्कूल में पदोन्नति से कब तक भर दिये जावेंगे? **(घ)** क्या पदोन्नति से शासन को वित्तीय भार होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला शाजापुर में कुल 53 हायर सेकेण्डरी एवं 43 हाईस्कूल शासन द्वारा संचालित है। **(ख)** शाजापुर जिला अंतर्गत हायर सेकेण्डरी प्राचार्य के 53 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 12 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नियमित प्राचार्य तथा 03 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पदविरूद्ध प्राचार्य हाईस्कूल पदस्थ है। इसी प्रकार जिला अंतर्गत 43 हाईस्कूल प्राचार्य के पद स्वीकृत है। इनमें से 6 हार्ईस्कूलों में नियमित प्राचार्य कार्यरत है तथा 37 हाईस्कूलों में प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहें है। **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल में प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। पदांकन की कार्यवाही काउंसिलिंग के माध्यम से की जा रही है। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। **(घ)** स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है अतः अतिरिक्त वित्तीय भार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

विभाग के सेटअप में सहा. ग्रेड-2 एवं लेखापाल पदनाम

129. (क्र. 2736) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप में सहायक ग्रेड-2 तथा लेखापाल (गणक) पदनाम अलग-अलग स्वीकृत हैं? क्या लेखापाल का पद पदोन्नति का पद होकर उच्च दायित्व का पद है? **(ख)** लेखापाल (गणक) का पद उच्चदायित्व का पद होने के बाद भी इस पद का वेतन निम्न दायित्व वाले पद (सहायक ग्रेड-2) के बराबर क्यों रखा गया है? **(ग)** क्या शासन इन वेतनमानों की विसंगति को दूर करने हेतु विचार कर रहा है? **(घ)** यदि हाँ, तो कब तक विसंगति दूर होगी? यदि नहीं, है तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। लेखापाल का पद पदोन्नति का पद है तथा सहायक ग्रेड-2 के समकक्ष है। लेखापाल पद पर पदोन्नत कर्मचारी से लेखा संबंधी कार्य लिया जाता है। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ़ में डाक्टरों की पदस्थापना

130. (क्र. 2739) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ़ में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने डॉक्टरों की संख्या कब से कम हैं? **(ख)** यदि कमी हैं तो स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टरों की पदस्थापना कब तक कर दी जाएगी? **(ग)** क्या जिला अस्पताल मुरैना में स्वीकृत पदों से डॉक्टरों की संख्या अधिक है? यदि हाँ, तो उन्हें सिविल अस्पताल सबलगढ़ में पदस्थ कब तक कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सिविल अस्पताल सबलगढ़ के डॉक्टरों के पद संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। चिकित्सा अधिकारी के 05 पदों के विरूद्ध 04 चिकित्सक पदस्थ है, तृतीय श्रेणी संवर्ग के अधिकांश पदों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉफ पदस्थ है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''छत्तीस''</u>

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद की विहित योग्यता एवं अर्हताएं

131. (क्र. 2770) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 (1) (2) में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति संबंधित उल्लेखित विहित योग्यता एवं अर्हता के अंतर्गत जो कर्मचारी/अधिकारी दिनाँक 05.08.2011 को खाद्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत नहीं था उसकी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता एम.एस.सी. (कैमेस्ट्री) उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा नियम 2.1.3 (एक) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूर्ण कालिक अधिकारी होगा? **(ख)** क्या मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल दिनाँक 22.01.2014 के द्वारा डॉक्टर सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है? यदि हाँ, तो डॉक्टर सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की प्रश्नांकित कौन-कौन सी विहित योग्यता एवं अर्हताएं धारित रखते हैं? **(ग)** क्या डॉ. सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव नगर निगम भोपाल में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर रहते हुए पूर्ण कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी हो सकते हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन प्रश्नांश **(ख)** में अधिसूचित अधिसूचना को निरस्त कर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिविल चिकित्सालय, राँझी, जबलपुर में स्वीकृत एवं पदस्थ स्टाफ

132. (क्र. 2774) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिविल चिकित्सालय राँझी जबलपुर को कब, कितने बिस्तरीय चिकित्सालय में अपग्रेड किया गया था तथा इसके लिए कौन-कौन से कितने-कितने नवीन पद स्वीकृत/सृजित

किये गये थे और उसमें चिकित्सा संबंधी कौन-कौन सी सुविधाएं/उपकरण आदि उपलब्ध कराये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांकित चिकित्सालय में वर्तमान में कौन-कौन सा कितना स्टॉफ स्वीकृत व पदस्थ है? कौन-कौन से कितने पद कब से रिक्त हैं एवं क्यों? शासन ने इन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या प्रयास किये हैं? चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती करने एवं उनके इलाज संबंधी कौन-कौन सी सुवधिाएं व उपरकण आदि नहीं हैं एवं क्यों? **(ग)** प्रश्नांकित चिकित्सालय में पदस्थ कौन-कौन से चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक कब से, किसके आदेश से, कहाँ पर अटैच हैं एवं क्यों? वर्ष 2014-15 में किन-किन चिकित्सकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है एवं क्यों? **(घ)** क्या प्रश्नांकित चिकित्सालय में चिकित्सकों/विशेषज्ञों चिकित्सकों की कमी के कारण गरीबों को 24 घंटे इलाज संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? यदि हाँ, तो शासन इन चिकित्सकों की पदस्थी करना कब तक सुनिश्चित करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नति</u>

133. (क्र. 2818) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पदों का पुर्नआवंटन दिनाँक 18.04.2011 को करने के कारण क्या मनोरोग विशेषज्ञों के पद समाप्त किये गये हैं? **(ख)** क्या कारण है कि पद समाप्त पश्चात् विभाग के आदेश क्र. एफ./5/2010/17मे-1 दिनाँक 05 मई 2011 द्वारा तीन चिकित्सा अधिकारियों के पदोन्नति आदेश प्रसारित किये गये? **(ग)** क्या कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मनोरोग विशेषज्ञों के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को नहीं किया गया क्या कारण थे? जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी छोड़ दिये गये हैं उनको कब तक पदोन्नति दी जावेगी? यदि उक्त प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी होगा तो क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** मनोरोग विशेषज्ञों की हुई पदोन्नति समिति (D.P.C.) में पात्र होने के पश्चात् भी आज तक पदोन्नति आदेश प्रसारित क्यों नहीं किये गये? वर्तमान में कितने मनोरोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरूद्ध कितने पदस्थ हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>रोगी कल्याण समिति चयन का आधार</u>

134. (क्र. 2825) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला स्तर पर रोगी कल्याण समिति के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है? **(ख)** समिति में राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जिला सीहोर में रोगी कल्याण समिति में ऐसे कितने सदस्य है जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा जिनके स्थान पर नये सदस्यों की नियुक्ति होना है? पद सहित जानकारी बतावें, इनमें से राज्य स्तर पर कितने तथा जिला स्तर पर कितने सदस्यों का मनोनयन होगा? **(ग)** रोगी कल्याण समिति की बैठक कितने समय में अनिवार्य रूप से आयोजित होनी चाहिये? जिला

सीहोर में रोगी कल्याण समिति की विगत बैठक कब हुई थी तथा आगामी बैठक के आयोजन में देरी का क्या कारण है तथा बैठक कब तक आयोजित की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला स्तर पर रोगी कल्याण समिति के सदस्यो के चयन हेतु म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक एफ 8-2/2009/सत्रह/मेडि-दो भोपाल दिनाँक 28 अक्टूबर 2010 मे दिए गए निर्देश के आधार पर किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार समिति मे जिला स्तर पर नामांकित सदस्यों का नामांकन 3 वर्ष होता है। जिला चिकित्सालय सीहोर मे रोगी कल्याण समिति में ऐसे 04 मनोनित सदस्य है जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जिला स्तर पर साधारण सभा में एक दान दाता, 02 सामाजिक कार्यकर्ता, एक जिले के प्रेस क्लब द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा कार्यकारी समिति में एक दान दाता, एक गेर सरकारी संगठन/रोटरी/लायन्स क्लब, एक सामाजिक कार्यकर्ता, नामांकित सदस्य होंगे। राज्य स्तर पर किसी सदस्य का नामांकन नहीं होता है। **(ग)** रोगी कल्याण समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित होनी चाहिए, साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होना चाहिए। जिला चिकित्सालय सीहोर की रोगी कल्याण समिति की बैठक दिनाँक 16/07/2015 को आयोजित की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सीहोर जिले में नवीन स्कूल भवनों का निर्माण

135. (क्र. 2828) श्री सुदेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकासखण्ड सीहोर जिला सीहोर में वर्तमान में किन-किन स्थानों पर नवीन स्कूल भवनों का (प्रा. शाला, मा. शाला, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी) निर्माण कार्य चल रहा है तथा कितने प्रस्तावित है? स्थान सहित शाला भवनों की जानकारी बतावें? **(ख)** विकासखण्ड सीहोर जिला सीहोर के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में शालाओं के उन्नयन के कितने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये है तथा इनमें प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला को हाईस्कूल तथा हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के प्रस्ताव की जानकारी स्थान सहित बतावें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये तथा कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये? यदि अस्वीकृत किये गये है तो क्या कारण है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्तमान में वर्ष 2015-16 में विकासखण्ड सीहोर, जिला सीहोर में दो शाला भवन शा.मा.शा. भवन रावन खेड़ा तथा शा.मा.शा. भवन कादराबाद का निर्माण कार्य चल रहा है। तथा 03 प्राथमिक तथा 04 माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में प्रस्तावित किया गया था। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर** है। सीमित बजट प्रावधान के कारण कोई नई स्वीकृति प्रस्तावित नहीं है। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। विवरण निम्नानुसार है-

स.क्र.	प्राथमिक शाला	स.क्र.	माध्यमिक शाला
1.	प्राथमिक शाला दोराहा जोड	1.	माध्यमिक शाला महुआखेड़ा
2.	प्राथमिक शाला बडनाला दोराहा	2.	माध्यमिक शाला बिजौरा
3.	प्राथमिक शाला पतलोना	3.	माध्यमिक शाला नौनीखेड़ा गोसाई
		4.	

			माध्यमिक कुलाँसखुर्द

(ख) विकासखण्ड सीहोर जिला सीहोर के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने का कोई प्रस्ताव, वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में प्राप्त नहीं हुआ है। हाईस्कूल तथा हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के प्रस्ताव की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर** है। **(ग)** वर्तमान में कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला चिकित्सालयों में शासन की शर्तों/नियम/मापदण्ड के विपरीत कार्य करना</u>

136. (क्र. 2840) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कामथेन सिक्युरिटी सर्विस, 23 राज प्लाजा, संयोगितागंज, इन्दौर (म.प्र.) के व्दारा शहडोल/कटनी/सागर/छिंदवाड़ा जिलों के जिला चिकित्सालयों में कितने-कितने सफाई कर्मचारियों एवं जिला चिकित्सालयों में साफ सफाई हेतु सामग्री स्वंय ठेकेदार को उपलब्ध कराये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रश्नतिथि तक कार्यादेश न्यूनतम शर्तों के साथ जारी किये थे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित जिलों में एवं वर्णित वित्तीय वर्षों में प्रश्नतिथि तक क्या-क्या सामग्री ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह किस-किस नाम की संस्था को कितनी मात्रा में किस दर पर जिला चिकित्सालयों में साफ सफाई हेतु उपलब्ध कराते हुये सफाई करवाई? **(ग)** क्या प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित टेंडर शर्तों के विपरीत कर्मचारियेां का बैंक एकाउन्ट के माध्यम से भुगतान नहीं करने/पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. एकाउन्ट में राशि जमा नहीं करने पर क्या कार्य निरस्त किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>मुर्दाघरों की समुचित व्यवस्था</u>

137. (क्र. 2890) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में दुर्घटनाओं आदि में मृत व्यक्तियों (जिनमें पोस्टमार्टम की आवश्यकता होती है) के शवों को सुरक्षित रखने व उनका पोस्टमार्टम किये जाने हेतु क्या नियम-नीति-निर्देश हैं और जिला तहसील स्तर पर इस हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई है? **(ख)** सागर जिले में प्रश्नांश **(क)** वर्णित व्यवस्था कहाँ-कहाँ पर है? प्रत्येक पोस्टमार्टम कक्ष/स्थल में क्या-क्या सुविधायें और उपकरण आदि हैं? **(ग)** सागर जिले में मुर्दाघरों/पोस्टमार्टम स्थलों में साफ-सफाई, जैविक अवशेषों के निष्पादन, उपकरणों की खरीदी में कितनी-कितनी राशि व्यय की जाकर क्या-क्या व्यवस्थायें कहाँ-कहाँ पर की गई हैं? **(घ)** सागर जिले में ऐसे स्थलों पर कहाँ-कहाँ शीतलन व विद्युत व्यवस्था है और कहाँ-कहाँ नहीं? क्यों? कब तक उक्त व्यवस्थायें पोस्टमार्टम स्थलों पर की जावेंगी? कब तक समुचित उपकरण क्रय कर लिये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) पोस्टमार्टम के संबंध में जारी **निर्देशों की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। तहसील स्तर तक पोस्टमार्टम भवन व उपकरण उपलब्ध है। जिला स्तर पर मॉर्चरी रेफ्रीजीरेटर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलन में

है। **(ख)** सागर जिले में प्रश्‍न न दिनाँक तक जिला चिकित्‍सालय, जैसीनगर, राहतगढ, खुरई, मालथौन, बीना, बण्‍डा, शाहगढ, रहली, देवरी केसली एवं गढ़ाकोटा संस्‍था में शवों के पोस्‍टमार्टम हेतु पोस्‍टमार्टम भवन व टूल किट उपलब्‍ध है। **(ग)** जानकारी एकत्र की जा रही है। **(घ)** वर्तमान में सागर जिले के पोस्‍टमार्टम कक्षों में शीतलन व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध नहीं है। जिला चिकित्‍सालय सागर, रहली, गढ़ाकोटा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में विद्युत व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध है, वर्तमान पोस्‍टमार्टम कक्ष में विद्युत व्‍यवस्‍था शेष संस्‍थाओं में नहीं है।

<u>**परिशिष्ट –**</u> ''सैंतीस''

प्राथमिक - माध्‍यमिक - हाईस्‍कूलों का उन्‍नयन

138. (क्र. 2908) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्‍या स्‍कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के नियमानुसार प्राथमिक, माध्‍यमिक व हाईस्‍कूल के उन्‍नयन हेतु क्‍या-क्‍या नियम व प्रक्रिया प्रचलन में है? **(ख)** जनवरी 2014 से जून 2015 तक प्रश्‍नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्‍य में चम्‍बल संभाग में कितने शालाओं का उन्‍नयन किया गया? जिलावार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्‍नांश **(क)** के संदर्भ में मुरैना जिला अंतर्गत विद्यालयों के उन्‍नयन हेतु किन-किन नियम/आदेशों का पालन किया गया? क्‍या उनमें जनप्रतिनिधियों के अनुशंसित पत्र शामिल हैं? यदि हाँ, तो यह जानकारी भी शाला वाइज विस्‍तार से दी जावे।

स्‍कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्‍द्र जैन) : (क) शासकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्‍यमिक विद्यालय के संबंध में उन्‍नयन हेतु निःशुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निःशुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में पड़ोस के तहत-'' (1) क्षेत्र या पड़ोस की सीमाएं जिनके भीतर राज्‍य सरकार द्वारा स्‍कूल स्‍थापित किया जाना है नियम 2 के उपनियम (1) के खण्‍ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी, परंतु यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा में एक किमी. की परिधि के भीतर प्रायमरी स्‍कूल की सुविधा नहीं है और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्‍चे उपलब्‍ध है तो राज्‍य सरकार ऐसी बसाहट में प्रायमरी स्‍कूल की सुविधा उपबंध करेगी, परंतु यह और कि यदि क्षेत्र के भीतर बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर तीन कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्‍कूल की सुविधा उपलब्‍ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्‍चे उपलब्‍ध है, तो राज्‍य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्‍कूल की सुविधा उपबंध करेगी।'' हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों हेतु निर्धारित **मापदण्‍ड संलग्‍न परिशिष्ट-एक पर** है। **(ख)** प्राथमिक से माध्‍यमिक शाला में उन्‍नत शालाओं की **जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-दो पर** है। भिण्‍ड एवं श्‍योपुर जिले में एक एक हाईस्‍कूल तथा भिण्‍ड जिले में 04, श्‍योपुर जिले में 01 व मुरैना जिले में 03 उमावि में उन्‍नयन आदेश जारी किये गये है। **(ग)** प्राथमिक से माध्‍यमिक शाला में उन्‍नत शालाओं की जानकारी निरंक है। हाईस्‍कूल बगपुरा, (परीक्षा) वि.खं. मुरैना एवं परसौटा वि.खं. पहाड़गढ़ को उन्‍नत किया गया है। हाईस्‍कूल केमाराकलां वि.खं. सबलगढ़ मापदण्‍ड अनुसार उन्‍नत किया गया है।

<u>**परिशिष्ट - ''**</u>अड़तीस''

अजा., अ.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में सामग्री का क्रय

139. (क्र. 2909) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अ.जा., अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में उपयोगार्थ सभी सामग्री के क्रय हेतु क्या-क्या नियम व प्रक्रिया निर्धारित हैं? नियमों की प्रति दी जावे। इसके साथ ही मुरैना जिले में कौन-कौन सी सामग्री किस प्रक्रिया अंतर्गत कितनी-कितनी मात्रा व राशि की क्रय की गई अथवा क्रय की जाना है? सम्पूर्ण ब्यौरा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का दिया जावे। **(ख)** क्या मुरैना जिला अंतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों में सामग्री क्रय हेतु नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं? **(ग)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में किन-किन आश्रम/छात्रावासों में क्या-क्या सामग्री, क्रय की गई? जानकारी, क्रय सामान, मूल्य वर्ष, क्रय संस्था का नाम-पता आदि सहित जानकारी दी जावे।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मुरैना जिले में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जिला मुख्यालय मुरैना में आवासीय विद्यालय (ज्ञानोदय) विद्यालय संचालित है। संभागीय आवासीय विद्यालय हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा नियम 2002 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार** समिति के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय की जाती है। संभागीय आवासीय विद्यालय एवं उससे सम्बद्ध बालक एवं कन्या छात्रावासों हेतु प्रश्नावधि में क्रय की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ख' अनुसार है।** आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के उपयोगार्थ सामग्री क्रय हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा क्रय नियम में प्रक्रिया निर्धारित है। क्रय नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।** मुरैना जिले में विभागीय विद्यालय संचालित नहीं है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में छात्रावास आश्रमों हेतु क्रय की गई सामग्री का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब', 'ग' एवं 'घ' अनुसार है।**

<u>शाला भवनों की जानकारी</u>

140. (क्र. 2923) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या डिण्डौरी जिले में सभी प्रा.शा. भवन या मा.शा. भवन उपयुक्त है? अगर नहीं है, तो कौन-कौन से शाला भवन उपयुक्त नहीं है? उनका नाम तथा भवन निर्माण वर्ष, मद, राशि बतावें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार जो भवन उपयुक्त नहीं है, उन्हें उपयुक्त बनाने हेतु क्या प्रयास किया गया? **(ग)** डिण्डौरी जिले के किस-किस प्रा.शा. एवं मा.शा. में बाउण्ड्रीवाल हैं? बाउण्ड्रीवाल कब बनायी गयी? वर्ष तथा राशि बतावें एवं किस-किस प्रा.शा. एवं मा.शा. में बाउण्ड्रीवाल नहीं है? क्या वहां भी बाउण्ड्रीवाल बनाने की कोई योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। कुल 1870 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में से 137 शाला भवन उपयुक्त नहीं है। विवरण पुस्तकालय में रखे **परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। **(ख)** वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में भारत शासन से 13 शालाओं के मरम्मत की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा 08 शालाओं के मरम्मत की स्वीकृति राज्य मद से की गई है। शेष 51 अनुपयुक्त शाला भवनों को डिस्मेंटल करने की कार्यवाही की जा रही है तथा 45 शाला भवनों की मरम्मत हेतु शाला प्रबंधन समिति को निर्देशित किया गया है। शेष 20 शालाओं के मरम्मत के प्रस्ताव भारत शासन को पूर्व वर्षों में स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। **(ग)** डिंडौरी जिले के 155

प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल है। निर्माण वर्ष एवं राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। 1715 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। जी हाँ, वार्षिक कार्य योजना 2015-16 हेतु भारत शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

<u>छात्रवास, छात्रावास एवं आश्रमों की जानकारी</u>

141. (क्र. 2924) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिलें में कुल कितने छात्रवास, छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं? कृपया छात्रावास, छात्रावास एवं आश्रम का नाम, स्थान का नाम, विकासखण्ड, जिला का नाम, प्रारंभ वर्ष, स्वीकृत सीट संख्या बतावें? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अनुसार क्या सभी छात्रवास, छात्रावास एवं आश्रमों में उपयुक्त भवन, पानी, बिजली, सफाई है? अगर नहीं है, तो उपयुक्त भवन, पानी, बिजली, सफाई हेतु क्या-क्या प्रयास किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जबलपुर जिले में आदिवासी मद से 09 पोस्ट मैट्रिक, 26 प्री-मैट्रिक एवं 09 आश्रम शाला संचालित हैं। **सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** जी हाँ। सुदृढ़ीकरण मद से प्रति वर्ष प्राप्त आवंटन से आवश्यक मरम्मत तथा अन्य कार्य कराये जाते हैं।

<u>परिशिष्ट - "</u>उनतालीस"

15 सूत्रीय समितियों का गठन

142. (क्र. 2925) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में जिला एवं प्रदेश स्तरीय 15 सूत्रीय समितियों के गठन का जिलेवार व प्रदेश का ब्यौरा क्या है? **(ख)** वर्ष 2013-2014 में कितनी प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैठकें आयोजित की गई, तथा बैठकों में की गई समीक्षा तथा निर्णयों का प्रदेश समिति एवं उज्जैन संभाग व भोपाल संभाग की जिला समितियों का ब्यौरा क्या है? **(ग)** कितने एवं किन-किन जिलों में अब तक जिला 15 सूत्रीय समितियों का गठन नहीं हुआ एवं किस कारण? कब तक गठन कर लिया जाएगा एवं गठन नहीं होने के लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से परिपत्र क्रमांक 3 (54) /2009-पीपी-11, दिनाँक 03 अगस्त 2010 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन के निर्देश दिए है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। प्रदेश में जिला एवं प्रदेश स्तरीय 15 सूत्रीय समितियों के गठन का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ख)** विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** प्रदेश के सभी जिलों में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** समितिया गठित है जिसमें से कुछ जिलों में समितियों के पुर्नगठन की कार्यवाही जारी है। जिलों में 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक समितियों के पुर्नगठन करने एवं समितियों की नियमित बैठके आयोजित करने हेतु समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>कर्मकार मंडल समितियों का गठन</u>

143. (क्र. 2928) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल की जिला एवं संभागीय समितियों का गठन

प्रदेश में हो चुका है? यदि हाँ, तो संभागवार एवं जिलेवार ब्यौरा क्या है? **(ख)** किन-किन जिलों में उक्त समितियों का अब तक गठन नहीं हुआ है एवं किस कारण? **(ग)** उपरोक्त जिलों में कब तक जिला समितियों का गठन किया जा सकेगा? साथ ही वर्ष 2013 एवं 2014 में किन-किन जिलों में बैठकें संपन्न नहीं हुई व क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट में** है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** में है।

परिशिष्ट - "चालीस"

अतिशेष, एवं यू.डी.टी., एल.डी.टी. शिक्षकों की जानकारी

144. (क्र. 2946) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सीधी में कितने शिक्षक एवं सहायक शिक्षक को वर्ष 2015 में अतिशेष घोषित किया गया था? कितने की काउन्सिलिंग हुई और कितनों ने पोर्टल में खाली जगह देखकर अपनी-अपनी सहमति दी थी? **(ख)** जिन्होंने खाली जगह देखकर सहमति दी थी, उन्हें उसी जगह क्यों पदस्थ नहीं किया गया? क्या अतिशेष शिक्षकों की युक्तिकरण प्रक्रिया में मनमानी हुई है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी बतायें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** में कितनों को यथावत रखा है और क्यों कारण बतायें? कितनों ने आपत्ति ली है? क्या आपत्ति का निराकरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? दिनाँक 10 जून 2015 को आदेश जारी किये गये जो कि 26 जून 2015 को मिले है ऐसा क्यों? स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 07 शिक्षक एवं 45 सहायक शिक्षक अतिशेष। 07 शिक्षक एवं 39 सहायक शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग में भाग लिये तथा 07 शिक्षक एवं 27 सहायक शिक्षकों द्वारा सहमति दी गई। **संलग्न परिशिष्ट के भाग 'क' अनुसार**। **(ख)** सीधी जिले में अतिशेष चिन्हाकिंत शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण के तहत चयनित शालाओं में पदांकन किया गया। जिले में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में मनमानी नहीं की गई है। संलग्न **परिशिष्ट के भाग 'ख' अनुसार**। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश ख में जिलान्तर्गत अतिशेष चिन्हांकित शिक्षक एवं सहायक शिक्षक द्वारा काउंसलिंग में सहमति के आधार पर ही पदांकन आदेश जारी किये गये तथा उन्हें चयनित/पदांकित शाला में यथावत रखा गया है। 03 सहायक शिक्षकों ने आपत्ति ली है, शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **संलग्न परिशिष्ट के भाग-ग अनुसार।**

परिशिष्ट - "एकतालीस"

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरदवास में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण

145. (क्र. 2962) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले के विकासखण्ड बदरवास के अंतर्गत 40 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीमांक संस्था) के रूप में पूर्व में स्वीकृत है? यदि हाँ, तो स्वीकृत पत्र की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें? 30 बिस्तरीय अस्पताल भवन निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा? **(ख)** क्या 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदरवास के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि का साईट प्लान सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर प्रस्तुत कर दिया है? **(ग)** क्या उक्त भवन

निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो प्रति संलग्न कर जानकारी दें? यदि नहीं, तो प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? **(घ)** उक्त 30 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण कार्य प्रारंभ होना कब तक संभावित है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं, बदरवास 40 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संस्था नहीं है बल्कि 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमांक संस्था के रुप में स्वीकृत है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। जी नहीं के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(घ)** कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

146. (क्र. 2963) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के 30 जून 2015 की स्थिति में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? रिक्त पद कब तक भरे जाएगें? **(ख)** विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों तथा कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगियों को हो रही अत्याधिक परेशानी से निजात दिलाने के लिए शासन क्या कार्यवाही/व्यवस्था कर रहा है? **(ग)** कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनाँक की स्थिति में चिकित्सक/विशेषज्ञ विहीन स्वास्थ्य केन्द्र कौन-कौन से है? इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक/विशेषज्ञों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? **(घ)** कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनाँक की स्थिति में विशेषज्ञों/चिकित्सकों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों के समस्त संवर्गों के कौन-कौन से पद कहाँ-कहाँ पर कब से रिक्त है? इनकी पूर्ति हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदपूर्ति संबंधी कार्यवाही की जावेगी। **(ख)** हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पैरामेडिकल संवर्ग के 900 रिक्त पदों हेतु म.प्र. व्यापमं द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, चयन सूची अप्राप्त है। स्टॉफ नर्सो की भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है, शेष उत्तरांश ''क'' अनुसार। **(घ)** उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>बयालीस"

सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत प्राथमिक, माध्यमिक शाला भवनों की स्वीकृति

147. (क्र. 2983) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सर्वशिक्षा अभियान के तहत छतरपुर जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक के दौरान कितने

प्राथमिक, कितने माध्यमिक शाला भवन स्वीकृत किये गये? क्या इनकी स्वीकृति राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त हुयी? यदि हाँ, तो आदेश, दिनाँक एवं जिला शिक्षा केन्द्र से जारी प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश दिनाँक क्या हैं? **(ख)** यदि राज्य शिक्षा केन्द्र से भवनों की स्वीकृति नहीं दी तो फिर जिला स्तर से कुछ चुनिन्दा ग्राम पंचायतों को शाला भवनों के निर्माण की स्वीकृति क्यों दी? बिना बजट के कितने भवन स्वीकृत किये गये? **(ग)** बिना बजट के स्वीकृत भवनों का भुगतान कहाँ से हुआ? इसके भुगतान में ग्राम पंचायतों को कितने समय तक टरकाया गया? इसमें कौन दोषी हैं? **(घ)** क्या ऐसा प्रावधान है कि राज्य शिक्षा केन्द्र की बिना स्वीकृति के जिला स्तर पर भवन स्वीकृत कर दिये जा सकते हैं? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों और इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है? उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सर्वशिक्षा अभियान के तहत छतरपुर जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक के दौरान 62 प्राथमिक 60 माध्यमिक शाला भवन स्वीकृत किये गये। जी हाँ, राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./निर्माण/2014/9811 दिनाँक 10/12/2014 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला शिक्षा केन्द्र से जारी पृथक-पृथक आदेश का **विवरण परिशिष्ट में संलग्न** है। **(ख)** वार्षिक कार्य योजना 2014-15 में भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त 62 प्राथमिक 60 माध्यमिक शाला भवनों की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./निर्माण/2014/5435 दिनाँक 23/06/2014 से जारी निर्देश के परिपालन में एवं पत्र क्र./निर्माण/2014/5435 दिनाँक 10/12/2014 से एक जाई संख्यात्मक स्वीकृति के परिपालन में जिला स्तर से कार्यवार पृथक-पृथक आदेश जारी किये गये हैं। **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। बिना बजट के भवन स्वीकृत करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं, वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र की अनुशंसा पर ही किया जाता है। वर्ष 2014-15 में भारत शासन से स्वीकृत भवनों की ही प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से जारी की गई है। अतः राज्य शिक्षा केन्द्र की बिना स्वीकृति के जिला स्तर पर भवन स्वीकृत नहीं किये गये। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "</u>तैंतालीस"

हमीदिया अस्पताल में गरीब रोगियों की प्रायवेट जाँच

148. (क्र. 2991) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या गांधी मेडिकल कॉलेज अंतर्गत हमीदिया अस्पताल भोपाल की विभिन्न प्रकार की जाँच मशीनें विगत काफी समय से खराब पड़ी है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी मशीने कब-कब से खराब पड़ी हैं और उनकी मरम्मत हेतु कब-कब, क्या-क्या प्रयास किए गए तथा 20000/- से अधिक कीमत की कौन-कौन सी मशीनें हैं जो वर्तमान में काफी समय से खराब पड़ी हैं? **(ख)** क्या तकनीशियनों की कमी एवं अनुपस्थिति के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को भी प्रायवेट जाँच कराना पड़ रही है? यदि हाँ, तो इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी है और प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** गांधी मेडिकल कॉलेज अंतर्गत हमीदिया अस्पताल परिसर में कौन-कौन से नये भवन किस-किस निधि से निर्मित किए गए है तथा कुछ भवन के निर्माण कार्य चल रहे है और जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका उद्घाटन कब किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। हमीदिया चिकित्सालय के विभिन्न विभागों मे स्थापित अधिकांश जाँच मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही है। खराब जाँच मशीने कब से खराब है की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान स्थान की एक जाँच मशीन VIsual 523-s Frequency Double Yeg Laser मशीन खराब है। उक्त मशीन 10 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रदायकर्ता कंपनी द्वारा विभाग को दिनाँक 07/07/2015 के सूचित किया गया है कि उक्त माडल आउटडेटेड हो गया है। एवं इसके पार्टस उपलब्ध नहीं है। अत: इस मशीन का सुधार कार्य किया जाना संभव नहीं है। विभाग में स्थापित जाँच मशीनों की खराब एवं सुधारने के प्रयास के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। तकनीशियनों के अभाव में रोगियों की जाँच प्रभावित नहीं हुई है। हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में आने वाले समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की जाँच चिकित्सालय में उपलब्ध जाँच मशीनों द्वारा नि:शुल्क की जाती है। इसमें लापरवाही एवं दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** 1. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में वायरोलाजी लैब के भवन का निर्माण 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। 2. गांधी मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत हमीदिया अस्पताल परिसर में राज्य योजना के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन ओ.पी.डी. भवन का निर्माण किया जा रहा है। विभाग द्वारा दिनाँक 5.2.2010 द्वारा राशि रूपये 1828.24 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों भवनों का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उदघाटन कार्य किया जावेगा।

<u>स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की पदस्थापना</u>

149. (क्र. 3000) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिला अंतर्गत कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केंद्र शासन द्वारा संचालित हैं? क्या इन सभी केंद्रों में स्वीकृत अमले के विरूद्ध चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी पदस्थ हैं? यदि नहीं, तो रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जायेगी? समय-सीमा बतायें? **(ख)** क्या कोतमा नगर में 1952 में दानदाता द्वारा एक सर्वसुविधायुक्त चिकित्सालय भवन निर्मित कर शासन को सौंपा गया था एवं वर्तमान में इसमें पोषण आहार केंद्र संचालित है? क्या शासन इस भवन का उपयोग सिटी डिस्पेंसरी हेतु कर सकता है? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतायें। **(ग)** कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 108 एंबूलेंस कब से संचालित है और वर्तमान में कोतमा क्षेत्र के रहवासियों को 108 एंबूलेंस की सुविधा मिल रही है? क्या पिछले 18 माह से अधिकांश समय 108 एंबूलेंस बिगड़ी रहने के कारण आपातकालीन सुविधा से क्षेत्रवासी वंचित रहते हैं? यदि नहीं, तो कब से पूर्णपूरेण 108 एंबूलेंस की सुविधा क्षेत्र के रहवासियों को उपलब्ध करा दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>शाजापुर जिला चिकित्सालय कार्यालय द्वारा औषधि एवं सामग्री का क्रय</u>

150. (क्र. 3002) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014-15 में जिला चिकित्सालय कार्यालय द्वारा नि:शुल्क सरदार

पटेल औषधि वितरण योजना के तहत कौन-कौन सी औषधि क्रय की गई? क्रय की गई दवाईयों की मात्रा (संख्या) गोली, केपसूल, इंजेक्शन, सायरप बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** उल्लिखित क्रय की गई दवाईयों की एक्सपायरी दिनाँक क्या है? दवाईयों का वितरण किस-किस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों को किया गया? **(ग)** वर्ष 2014-15 में अस्पताल संचालन हेतु सामग्री एवं उपकरण, वार्मर, चिकित्सकीय उपकरण पर कितनी राशि व्यय की गई? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोलायकलां एवं कालपिपला में वार्मर वितरण किये गये? वर्तमान में क्या उसकी आवश्यकता है? **(घ)** मलेरिया के लिये प्रयुक्त होने वाली खून स्लाईड जिलों में कितनी क्रय की गई वर्तमान में किस-किस अस्पताल में कितनी-कितनी संख्या में रखी है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं के पम्पों के ऊर्जीकरण</u>

151. (क्र. 3003) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कालापीपल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने कृषकों के कुओं के विद्युत पम्पों के ऊर्जीकरण के लिये वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कृषकों की ग्रामवार सूची देवें जिनके कुओं के विद्यु पम्पों का कार्य स्वीकृत हो गया? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कृषकों के और कितने प्रस्ताव पम्पों के ऊर्जीकरण के प्राप्त हुये है? क्या शतप्रतिशत् किसानों के पम्पों का ऊर्जीकरण हो जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत क्रमशः अनुसूचित जनजाति मद में रुपये 6.08 लाख एवं 53.63 लाख व्यय की गई है जबकि अनुसूचित जाति मद में रूपये 9.51 लाख एवं रूपये 175.34 लाख का व्यय किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'एक' अनुसार है। (ग)** अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रस्ताव लंबित नहीं हैं। अनुसूचित जाति के 22 कृषकों के प्रस्ताव लंबित हैं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>जिला अनूपपुर अंतर्गत उ.मा.वि. बालक, कोतमा परिसर के विभागीय भवनों की मरम्मत/निर्माण कार्य</u>

152. (क्र. 3014) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनूपपुर अंतर्गत उ.मा.वि. बालक कोतमा परिसर स्थित विभागीय आवासीय भवनों के मरम्मत कार्य के छत में ए.सी.शीट के स्थान पर पक्की छत निर्माण कराये जाने बाबत् (पुनरीक्षित प्राक्कलन) आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/निर्माण/1/2012-13/23331 भोपाल दिनाँक 9.11.2012 द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, अनूपपुर से पुनरीक्षित प्राक्कलन की मांग की गई थी? **(ख)** क्या उक्त संबंध में कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर के पत्र क्रमांक/आ.वि./निर्माण/2013-14/3166 अनूपपुर दिनाँक 3.6.2013 द्वारा रूपये 14.17 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन PWD से तैयार कराकर आयुक्त, आदिवासी विकास भोपाल को राशि स्वीकृत किये जाने बाबत् प्रस्ताव भेजा गया था? **(ग)** क्या उपरोक्त संबंध में विभागीय मंत्री द्वारा दिनाँक 6.8.2014 को राशि स्वीकृत बाबत पत्र आयुक्त आदिवासी विकास, भोपाल को पत्र लेख किया गया था? **(घ)** यदि हाँ, तो उपरोक्त कार्य हेतु प्राक्कलन अनुसार अभी तक राशि स्वीकृत क्यों नहीं की गई

तथा उक्त अपूर्ण निर्माण कार्य की राशि स्वीकृत कर कब तक पूरा कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से **(ग)** जी हाँ। **(घ)** प्राक्कलन आवासीय भवनों में ए.सी. सीट के स्थान पर पक्की छत निर्माण हेतु प्राप्त हुआ। भवन पुराना एवं बिना बीम कॉलम के होने से भवन की सुदृढ़ता का परीक्षण के साथ सक्षम स्तर से तकनीकी प्रतिवेदन चाहा गया है। जिस कारण राशि स्वीकृत नहीं की गई है। प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

<u>जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना</u>

153. (क्र. 3015) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में कितने आदिवासी विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत हैं, उनमें से कितने जनपदों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं तथा कितने जनपदों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ है तथा कितने जनपदों में कहाँ-कहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद रिक्त हैं? **(ख)** जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापना किये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रिक्त पदों पर पदस्थापना की जायेगी? **(ग)** क्या उपरोक्त संबंध में पदस्थापना की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है? सूची सहित जानकारी देवें? अभी तक पद स्थापना नहीं करने के क्या कारण रहे हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मध्यप्रदेश में 89 आदिवासी विकासखण्ड एवं 89 जनपद पंचायत है तथा 89 मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। 47 जनपदों में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ हैं तथा 32 जनपदों में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** प्रभारी पदस्थ हैं। रिक्त पदों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (ख)** मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के सेवा भर्ती नियम न होने के कारण रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापना की गई है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के सेवा भर्ती नियम न होने के कारण।

<u>जिला होशंगाबाद में नीति विरूद्ध युक्ति युक्तकरण</u>

154. (क्र. 3042) श्री विजयपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में युक्तियुक्तकरण नीति जारी की गई थी? **(ख)** क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/724/1552/दिनाँक 9.6.2015 द्वारा युक्तियुक्तकरण संबंधी नीति के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के कारण समस्त कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है? **(ग)** युक्तियुक्तकरण संबंधी नीति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये आपत्ति निराकरण समिति, काउन्सलिंग समिति सहित कौन-कौन अधिकारी दोषी है? उनके नाम बताये जाये। **(घ)** नीति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** युक्तियुक्तकरण अन्तर्गत जारी किये गये आदेश विभाग द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत होने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने के कारण जिला होशंगाबाद में युक्तियुक्तकरण संबंधी कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाने के

फलस्वरूप कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तर ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पदोन्नति समिति की बैठक एवं कार्यवाही

155. (क्र. 3043) श्री विजयपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभागीय पदोन्नति समिति के पश्चात पात्र पाये कर्मचारियों को लाभान्वित किये जाने संबंधी आदेश जारी करने हेतु क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई? **(ख)** मध्यप्रदेश शासन सा.प्र.वि. मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष कितनी बार करने के निर्देश दिये गये हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या संयुक्त संचालक लोक नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित बैठक में पात्र लोक सेवकों के समयमान एवं पदोन्नति आदेश पृथक-पृथक जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों? **(घ)** शासन द्वारा संभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के निर्धारण के संबंध में क्या निर्देश हैं? **(ङ.)** संयुक्त संचालक लोक नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद में क्या संभागीय पदोन्नति समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करायी जाये।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। समय-सीमा एक वर्ष निर्धारत है। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में 02 बार आयोजित करने के आदेश है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान दोनो ही शासन की पृथक-पृथक योजनायें है। अतः लाभान्वित लोक सेवकों के आदेश पृथक-पृथक ही जारी किये जाते है। **(घ)** स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत म.प्र. अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेतर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1973 की अनुसूची 4 अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यो का निर्धारण किया गया है। म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 3-18/2001/3/ एक, दिनाँक 6 जुलाई 2002 की कंडिका 2 (13) के अनुसार अनुजाति एवं अनु जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के निर्देश है। **(ङ.)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।**

शालाओं का उन्नयन

156. (क्र. 3052) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शाला से माध्यमिक, माध्यमिक से हाई स्कूल व हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन हेतु क्या गाईड लाईन निर्धारित है, उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष जनवरी 2014 से जून 2015 तक विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा, में कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया है? **(ग)** विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा, में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल में उन्नयन की आवश्यकता है? व क्या इन स्कूलों के उन्नयन हेतु जिला प्रशासन शिवपुरी द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त शालाओं का कब तक उन्नयन कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के संबंध में उन्नयन हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में पड़ोस के तहत-'' (1) क्षेत्र या पड़ोस की सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्थापित किया जाना है नियम 2

के उपनियम (1) के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी : परंतु यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा में एक किमी. की परिधि के भीतर प्रायमरी स्कूल की सुविधा नहीं है और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध है तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में प्रायमरी स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी : परंतु यह और कि यदि क्षेत्र के भीतर बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर तीन कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध है, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी।'' हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु निर्धारित मापदण्ड **संलग्न परिशिष्ट पर** है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नत शालाओं की जानकारी निरंक है। **(ग)** प्राथमिक से माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु कोई शाला प्रस्तावित नहीं है। वर्ष 2015-16 हेतु जिले से प्राप्त प्रस्ताव में से शास. माध्यमिक विद्यालय राजगढ, शास. हाईस्कूल छतरी एवं शास. हाईस्कूल मछावली निर्धारित मापदण्ड अनुसार <u>पात्र/आवश्यकता</u> है। शालाओं का उन्नयन बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट –**</u> ''चौवालीस''

परामर्शदात्री समिति का गठन

157. (क्र. 3053) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभागीय परामर्शदात्री समिति के गठन हेतु शासन स्तर पर कोई नीति प्रचलन में है? यदि हाँ, तो बताया जावे? **(ख)** क्या नीति अनुसार चौदहवें विधान सभा कार्यकाल हेतु परामर्शदात्री समितियों का गठन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी दी जावें? यदि नहीं, तो क्यों? व कब तक गठन हो जायेगा? **(ग)** क्या यह सच है कि परामर्शदात्री समिति वर्तमान विधानसभा की अधिसूचना के लगभग 19 माह बाद भी गठन न हो सका इस हेतु किस-किस स्तर पर कौन-कौन दोषी है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। परामर्शदात्री समितियों के गठन तथा कार्यकरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त में समस्त विभागों के लिए समितियां बनाने का प्रावधान है। **(ख)** जी नहीं। गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र गठन हो जायेगा। **(ग)** जी हाँ। प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण समितियों का गठन नहीं हो सका है, जिसके लिए कोई दोषी नहीं है।

<u>**सैलाना विधानसभा अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित स्कूल शालाओं का विवरण**</u>

158. (क्र. 3126) श्रीमती संगीता चारेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सैलाना विधानसभा अंतर्गत विभाग के कितने स्कूल एवं शालाएं संचालित है? स्कूल/शालावार विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में इन स्कूल/शालाओं में कितने-कितने शिक्षक के पद स्वीकृत है? कितने पद भरे हुए है तथा कितने रिक्त है? **(ग)** रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक हो पायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**सैलाना विधान सभा अंतर्गत वर्ष 2013-14 आदिवासी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य**</u>

159. (क्र. 3127) श्रीमती संगीता चारेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सैलाना विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2013-14 से आज दिनाँक तक आदिवासी विकास विभाग द्वारा कितने कार्य स्वीकृत किये गये? **(ख)** स्वीकृत कार्यों का कार्यवार/वर्षवार मय भौतिक स्थिति के विवरण प्रदान करें? **(ग)** विभाग द्वारा सैलाना विधानसभा में स्वीकृत छात्रावास एवं स्कूल भवन कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है वर्ष 2013-14 से आज दिनाँक तक की जानकारी उपलब्ध करावें? उक्तानुसार अपूर्ण कार्य के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) रतलाम जिले में सैलाना विधान सभा अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से आज दिनाँक तक कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** एवं आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं के अधीन संचालित योजनाओं के कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब', 'स' एवं 'क' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है।** कार्य छत स्तर पूर्ण होकर दिनाँक 21 अक्टूबर 2015 तक पूर्ण होना संभव है। अपूर्ण कार्य के लिए कोई दोषी नहीं है। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पन्ना जिले की आदिम जाति कल्याण विभाग की जानकारी</u>

160. (क्र. 3132) श्री महेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पन्ना जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग से कितने छात्रावास संचालित है? प्रत्येक छात्रावास में वर्ष 2013 से जून 2015 तक किस कार्य/सामग्री में कितनी राशि का व्यय किया गया है? **(ख)** क्या जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला पन्ना को कुछ समय पहले निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो किन कारणों से निलंबित किया गया है तथा कितने समय बाद कि अधिकारी द्वारा बहाली आदेश जारी किया गया? क्या विभागीय जाँच संस्थित है? क्या किसी निलंबित शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को बहाली के बाद पुन: उसी स्थान पदस्थ करने का प्रावधान है? **(ग)** जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला पन्ना द्वारा वर्ष 2013 से जून 2015 तक कितने छात्रावासों का निरीक्षण किया गया? उन छात्रावासों में स्टाक रजिस्टर से सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर क्या स्थिति पाई गई? **(घ)** यदि निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाई गई तो जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला पन्ना द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कार्यवाही कब तक की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। पन्ना जिले में आदिवासी छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली सामग्री पालक समिति के माध्यम से क्रय किये जाने के निर्देशों के विपरीत कार्यवाही करने से निलंबित किया गया था। निलंबन के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा विचारोपरांत निलंबन से बहाल किया गया। विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4532/2015/1/25 दिनाँक 02/07/2015 से श्री साबित खान को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। **(ग)** जिला संयोजक द्वारा वर्ष 2013 से जून 2015 तक सभी छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। जिला संयोजक द्वारा स्टॉक रजिस्टर में सामग्री का भौतिक सत्यापन निरीक्षण दौरान नहीं किया गया। **(घ)** निरीक्षण के

दौरान पाई गई कमियों एवं अव्यवस्था के संबंध में स्थल पर ही संस्था प्रभारियों को निर्देशित कर सुधार की कार्यवाही कराई गई।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>पैंतालीस"

राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा स्कूल भवन निर्माण की जानकारी

161. (क्र. 3133) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुनौर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14, 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक जनपद पंचायत पन्ना एवं गुनौर अन्तर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा कितने स्कूल भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृत कब और कितनी राशि की दी गई है? उनमें से किस भवन के निर्माण की कितनी अवधि निर्धारित थी? **(ख)** प्रश्न **(क)** के संबंध में स्वीकृत भवनों में से कितने भवनों में से कितने भवनों का कार्य पूर्ण किया गया एवं कितने भवनों का निर्माण कार्य अधूरा है? अधूरे भवनों में कितनी राशि का व्यय किया गया है? **(ग)** क्या निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण नहीं किया गया है और अपूर्ण निर्माण कार्य के बाद भी संपूर्ण राशि आहरण कर लिया गया है? **(घ)** शासकीय राशि के गबन के लिये जाँचकर्ता अधिकारी/निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध शासन कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक जनपद पंचायत पन्ना एवं गुन्नौर में राजीव गाँधी मिशन द्वारा कोई भी स्कूल भवन की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी गई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>सहायक वार्डनों का नियमितीकरण</u>

162. (क्र. 3138) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंव बालिका छात्रावास संचालित है? यदि हाँ, तो सिंगरौली जिले में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास हैं? ब्लाकवार, विवरण दें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में वार्डन (अधीक्षिका) व सहायक वार्डनों की नियुक्ति किस-किस सन् में की गई है? पदस्थापना दिनाँक से प्रश्न दिनाँक तक कितने वार्डनों व सहायक वार्डनों की नियुक्ति की गई है? **(ग)** क्या उक्त सहायक वार्डनों को नियमितीकरण के नियम हैं? यदि हाँ, तो कब तक करायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। सिंगरौली जिले में 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 4 बालिका छात्रावास संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर** है। **(ग)** जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>मुख्यमंत्री की घोषणा का अमल न होना</u>

163. (क्र. 3156) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला चिकित्सालय छतरपुर में 268 बिस्तर विस्तार की मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर क्या-क्या कार्य किये जा चुके हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में इस कार्य के लिये

कब-कब कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? आवंटन राशि, दिनाँक , खर्च की गई राशि, कार्य सहित बतायें? **(ग)** मुख्यमंत्री द्वारा 268 बिस्तर विस्तार का कार्य कब पूरा किया जायेगा बतायें? **(घ)** प्रश्नांश दिनाँक तक कार्य की क्या स्थिति है कार्य न होने के लिये कौन जवाबदार हैं बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिविल सर्जन, छतरपुर कार्यालय के वाहनों पर शासकीय राशि का दुरूपयोग

164. (क्र. 3157) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिविल सर्जन छतरपुर कार्यालय तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितने वाहन किराये पर लगाये गये हैं? वाहन का क्रमांक, वाहन स्वामी का नाम, दिनाँक, प्रकार एवं माहवार भुगतान राशि सहित बतायें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में लगाये गये वाहनों को कौन-कौन कब से उपयोग कर रहा है? **(ग)** किराये पर वाहन लगाने के आदेश की प्रति सहित बतायें? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में वाहनों में कितना डीजल, कितना मरम्मत पर खर्च किया गया प्रत्येक वाहन का विवरण माहवार बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नावधि में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छतरपुर द्वारा कोई भी वाहन किराये पर नहीं लगाये गये। प्रश्नावधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर द्वारा लगाये गये वाहनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश अवधि में लगाये गये वाहनों के उपयोगकर्ता अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ग)** किराये पर लगाये गये वाहनों के आदेश की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (घ)** वाहन के किराए में डीजल एवं मरम्मत पर होने वाले खर्च का व्यय भी अनुबंध की शर्तों अनुसार वाहन स्वामी द्वारा ही वहन किया जाता है।

दोषी पर कार्यवाही किए जाने बावत्

165. (क्र. 3172) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तारांकित प्रश्न क्रमांक 3554 उत्तर दिनाँक 25.07.2014 के बिन्दु **(क), (ख)** की जाँच कलेक्टर रीवा के नेतृत्व में जाँच दल गठित कर जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया गया, तथा कुल कितनी राशि नियम विरूद्ध भुगतान करना पाया गया? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** का उत्तर हां तो कलेक्टर रीवा ने जाँच उपरान्त अपने पत्र क्रमांक 141/सी/सर्तकता/2015 रीवा दिनाँक 31.03.2015 - 01.04.2015 से जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को नियम विरूद्ध एरियर राशि के भुगतान की वसूली एवं दोषियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने का आदेश दिया गया है? यदि उक्त आदेश का पालन नहीं हुआ तो क्यों? एवं इसमें कौन-कौन दोषी है, दोषी के विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेगें? तथा उक्त आदेश का पालन कब तक करा देगें? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य का प्रश्नांश **(क)** एवं तारांकित प्रश्न क्रमांक 1800, उत्तर दिनाँक 25 फरवरी 2015 एक ही बिन्दु से है? **(घ)** यदि प्रश्नांश **(क), (ख), (ग)** हां तो प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में नियम विरूद्ध एरियर्स भुगतान बताया गया, तथा प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर में एरियर्स भुगतान नहीं करना बताया गया है, ऐसा क्यों? इस गलत जानकारी देने में कौन-कौन दोषी है, उनके विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेगें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। जाँच प्रतिवेदन अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी., मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य को दोषी बताया है। रू0 1,62,17,910/- का अनियमित भुगतान किया गया है। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जाँच कर दोषी पर कार्यवाही किये जाने बावत्

166. (क्र. 3173) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय के भण्डार में कार्यरत फार्मासिस्ट किस-किस दिनाँक से निरन्तर कार्यरत हैं तथा 1 जनवरी 2010 से कौन-कौन फार्मासिस्ट भण्डार से हटाए गए हैं उनके नाम तथा दोबरा भण्डार में लाए गए उन फार्मासिस्टों के नाम व पद सहित दर्शायें? **(ख)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 9-1/86 क्र.-क/एफ, दिनाँक 12.11.1988, क्र. 1631/282/1/15/09, दिनाँक 01.11.1991, स्मरण पत्र क्र. 233/3652/1/5 दिनाँक 16.01.1993 एवं क्र. एफ-6/2/94/1/15, दिनाँक 02.06.1994 के अंतर्गत स्थापना, क्रय, एवं भण्डार शाखा में तीन वर्ष से अधिक या निरन्तर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिये गये हैं? **(ग)** क्या उपरोक्तानुसार निर्देशों की अनदेखी हो रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में छात्रवृत्ति की जाँच एवं कार्यवाही बाबत्

167. (क्र. 3182) श्री तरूण भनोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर में अभियांत्रिकीय महाविद्यालय (इंजीनियरिंग कॉलेज) में उजागर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति घोटाले में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग में शासन को कितनी राशि की हानि हुई है? घोटाले की राशि वसूली के संबंध में विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** वर्णित **(क)** की संख्या में छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच कौन सी एजेंसी द्वारा करवाई जा रही है? उक्त घोटाले में दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** छात्रवृत्ति घोटाले में वर्षवार 2008-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 एवं वर्ष 14-15 में प्राप्त आवंटन एवं भुगतान की जानकारी संस्थावार एवं छात्रवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलग-अलग दी जावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जबलपुर मुख्यालय के अभियांत्रिकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रहे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत/वितरित की गई छात्रव़त्ति के संबंध में जिला स्तर पर जाँच दल गठित किया गया है। जाँच उपरान्त तथ्यों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। शासन को राशि की हानि हुई अथवा नहीं यह जाँच उपरांत ही यह ज्ञात हो सकेगा तथा जाँच उपरान्त निष्कषों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। **(ख)** जाँच कराई जा रही है। जाँच उपरान्त निष्कषों के आधार पर अगामी कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** वर्षवार 2009-10, 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में संस्थावार इंजीनियरिंग कालेजों के स्वीकृति एवं भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

2009 की जाँच समिति की रिपोर्ट 20 माह में प्राप्त होना

168. (क्र. 3186) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्य वर्ष 2009 की पी.एम.टी परीक्षा में फर्जीवाड़े की जाँच के लिये गठित समिति ने अपनी पहली बैठक 6 माह बाद दूसरी 13 माह तथा 16 माह बाद की तथा रिपोर्ट 20 माह बाद दी यदि हाँ, तो इस विलंब के कारण बतावें? **(ख)** क्या कमेटी की बैठक के लिये चिकित्सा महाविद्यालय से प्रोफेसर स्तर के अधिकारी ही अधिकृत हो सकते थे यदि हाँ, तो बतावें कि इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर कॉलेज ने यह सह प्राध्यापक को कमेटी की बैठक हेतु कैसे अधिकृत किया? तथा सागर कॉलेज ने प्रशासकीय अधिकारी को कैसे भेजा? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कमेटी की बैठक से रीवा कॉलेज से तीनों बैठक में कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आया? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित कमेटी की तीनों बैठक में पुलिस विभाग से कोई फोरेन्सिक अधिकारी उपस्थित क्यों नहीं हुआ? फिर फोटो मिलान की प्रक्रिया कैसे प्रमाणित हुई? **(ड.)** रीवा और जबलपुर कॉलेज से तीनों बैठक में दस्तावेज ही नहीं प्रस्तुत किये गये फिर व्यापमं के दस्तावेजों से मिलान कैसा हुआ जाँच कैसे हुई कब हुई तथा कमेटी की अंतिम रिपोर्ट में बिना जाँच के फर्जियों के आंकड़े दोनों कॉलेज के कैसे उल्लेखित हो गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की वर्ष 2009 के फर्जियों की जाँच में धांधली**</u>

169. (क्र. 3187) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** व्यावसायिक परीक्षा मंडल की अक्टूबर 2010 की रिपोर्ट में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में वर्ष 2009 के चयनित विद्यार्थियों में 54 विद्यार्थियों के फोटो मिलान नहीं होने का उल्लेख है? उन 54 विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम, पता, उम्र पी.एम.टी 2009 का रोल नंबर, पी.एम.टी 2009 को प्राप्तांक, मेरिट के स्थान सहित सूची प्रस्तुत करें? **(ख)** क्या पी.एम.टी 2009 की जाँच हेतु बनायी गयी कमेटी की बैठक दिनाँक 28.01.2011 में भोपाल कॉलेज में फोटो मिलान न होने के 34 प्रकरण बताये गये? उन 34 विद्यार्थियों का नाम पिता का नाम पता सहित सूची देवे तथा बतावे कि पूर्व में 54 में से 20 किसके नाम हटाये गये तथा क्यों हटाये गये? **(ग)** क्या पी.एम.टी 2009 की जाँच हेतु गठित कमेटी की 07.04.2011 की बैठक में भोपाल कॉलेज में फोटो मिलान न होने के 26 प्रकरण बताये गये? यदि हाँ, तो पूर्व बैठक के 34 में से किन आठ के नाम हटाये गये और क्यों हटाये गये? **(घ)** विधान सभा में माननीय विधायक पारस सकलेचा के अतारांकित प्रश्न क्रं 3482 दिनाँक 21.03.2013 में भोपाल कॉलेज से संदिग्ध में 19 का उल्लेख किया गया? यदि हाँ, तो पूर्व बैठक के 7 नाम क्यों हटाये गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**वक्फ जाफर अली खां की जायदाद पर काम्पलेक्स निर्माण**</u>

170. (क्र. 3192) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनाँक 02 जुलाई 2015 की स्थिति में भोपाल स्थित वक्फ जाफर अली खां के मुतावल्ली की नियुक्ति नहीं की गई है? यदि हाँ, तो उक्त वक्फ जायदाद पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्माण अनुमति प्राप्त की है? यदि हाँ, तो कब प्रति सहित बतावें और वक्फ अधिनियम के विपरीत जाकर

वक्फ का मुतावल्ली नियुक्त किए बगैर और बोर्ड की बिना अनुमति के काम्प्लेक्स निर्माण के नाम पर किन-किन के द्वारा प्रिमियम के रूप में किस नियम के तहत करोड़ों रूपये वसूले जा रहे हैं बतावें? **(ख)** यदि हाँ, तो यह अवगत करावें कि वाकिफ के जीवनकाल में व्यस्क पुत्रियों के होते हुए अव्यस्क पुत्र को मुतावल्ली बनाया गया था? यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा इस परंपरा को अपनाया नहीं गया यदि हाँ, तो उक्त वक्फ जायदाद को अपने आधिपत्य में लेकर राजपत्र में कब प्रकाशन किया गया? यदि नहीं, तो काम्पलेक्स निर्माण के नाम पर राशि किस नियम के तहत अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रिमियम के रूप में राशि वसूल की जा रही है क्या शासन कोई वैधानिक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ,तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। दिनाँक 02 जुलाई 2015 की स्थिति में मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की गई। जी नहीं। वक्फ बोर्ड द्वारा निर्माण अनुमति नहीं दी गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। ऐसी जानकारी रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है। **(ख)** जी हाँ। वक्फ नामे के अनुसार वाकिफ की जीवनकाल में वयस्क पुत्रियों के होते हुये अवयस्क पुत्र को मुतवल्ली बनाया गया था। पंरपरा अनुसार कार्यालयीन आदेश क्र. 461-68 दिनाँक 22.01.2013 के द्वारा स्व. आफताब अली खान के अवयस्क पुत्र श्री जाफर अली खान को मुतवल्ली नियुक्त किया गया तथा उनके वयस्क होने तक उनकी माता श्रीमती मेहनाज खान को इस शर्त के साथ केयर टेकर नियुक्त किया गया था कि अवयस्क पुत्र के वयस्क होने पर उक्त केयरटेकर का आदेश उसी समय समाप्त हो जावेगा। राजपत्र में प्रकाशन नहीं कराया गया। प्रीमियम के संबंध में राशि वसूलने बावत जानकारी उपलब्ध नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बजट की जानकारी

171. (क्र. 3194) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हमीदिया चिकत्सालय भोपाल को 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न मदों में औषधियां/सर्जीकल सामग्रियां क्रय हेतु कितना-कितना बजट किस-किस मद में प्राप्त हुआ? **(ख)** उपरोक्तानुसार प्राप्त बजट के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि की दवाईयाँ एवं सर्जीकल सामग्रहियां खुली निविदाओं के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से एवं स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय की गई प्रदायकर्ता फर्म का नाम, सामग्री का नाम, क्रयादेश की राशि पृथक-पृथक बतावें? **(ग)** हमीदिया चिकित्सालय के भण्डार में कौन-कौन से फर्मासिस्ट कब-कब से पदस्थ हैं और क्या-क्या कार्य देख रहे हैं? उन फर्मासिस्टों के नाम, पदस्थापना दिनाँक बताएं? **(घ)** क्या शासन में प्रचलित एवं प्रतिपादित नियमों एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियमों में क्या क्रय शाखा एवं भण्डार शाखा का कार्य एक ही व्यक्ति से लिया जा सकता है? क्या शासन उपरोक्त नियमों का पालन करते सुनिश्चित करते हुए क्रय/भण्डार शाखा का प्रभार हमीदिया अस्पताल किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

डॉक्टरों एवं तकनीशियनों के रिक्त पदों की पूर्ति

172. (क्र. 3222) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों एवं तकनीशियनों के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक की जायेगी? **(ख)** रतलाम में संचालित

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की क्या स्थिति है? किराये के भवनों एवं अन्यत्र भवनों में संचालित केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण कब तक होगा? **(ग)** जिला चिकित्सालय के नियमित रख रखाव के क्या प्रावधान है? इस हेतु दी जाने वाली वार्षिक राशि की जानकारी उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) रतलाम जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के 33 एवं तकनीशियनों के 14 पद रिक्त हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3208 पदों के विरूद्ध मात्र 1233 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः शतप्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु आन लाईन काउंसलिंग में रतलाम जिला चिकित्सालय हेतु 08 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी, पदस्थापना आदेश जारी किए जा रहे हैं। पैरामेडिकल संवर्ग के 900 रिक्त पदों हेतु म.प्र. व्यापमं द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, चयन सूची अप्राप्त है। चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। **(ख)** रतलाम जिले में 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जिले में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित नहीं है। **(ग)** जिला चिकित्सालय रतलाम के रख-रखाव के लिए नियमित बजट आवंटन दिया जाता है एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु रूपये 5,80,300/- (रूपये पांच लाख अस्सी हजार तीन सौ रूपये) का बजट आवंटित किया गया है।

<u>बालाघाट जिले की तहसील बिरया के ग्राम कैण्डाटोला में गर्भवती महिला की मृत्यु</u>

173. (क्र. 3223) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले की तहसील बिरसा के ग्राम कैण्डाटोला की गर्भवती महिला श्रीमती प्रमिला पति श्री राकेश जाति गौड़ की गर्भावस्था के दौरान दिनाँक 4 दिसम्बर, 2014 को मृत्यु उपचार के दौरान हुई है? **(ख)** यदि हाँ, तो मृत्यु का कारण, महिला की मृत्यु के बाद लापरवाही, जाँच किस अधिकारी/चिकित्सक द्वारा किया गया? जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराये एवं उपचार में लापरवाही के लिए कौन जवाबदार है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** महिला की मृत्यु का कारण फेलसीपेरम मलेरिया की बीमारी से पीड़ित होना है। महिला दिनाँक 02.12.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में गर्भावस्था के सातवें महीने में बुखार की शिकायत से भर्ती हुई थी, जहां महिला का हिमोग्लोबिन एवं मलेरिया की जाँच उपरांत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला चिकित्सालय में दिनाँक 03.12.2014 को महिला भर्ती हुई जहां उसे 1 यूनिट ब्लड चढाया गया। महिला की मृत्यु की जाँच डॉ. ए.के. जैन, प्रभारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट द्वारा की गई। जाँच प्रतिवेदन की **प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है**। जाँच प्रतिवेदन के अभिमत अनुसार उपचार में कोई लापरवाही नहीं हुई है।

<u>परिशिष्ट - ''</u>छियालीस''

प्रावधानित राशि गैर आदिवासी उपयोजना में व्यय किया जाना

174. (क्र. 3227) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निधि मांग संख्या ए 1, ए 2, 52 एवं 68 के अन्तर्गत प्रावधानित राशि को गैर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में व्यय किया जा सकता है? **(ख)** यदि हाँ, तो इस संबंध में

शासन के नियम निर्देश, आदेश उपलब्ध करावे? **(ग)** यदि नहीं, किया जा सकता है तो ऐसे अधिकारी जो उपरोक्त राशि को गैर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में व्यय करने के लिए उत्तरदायी है। उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने के प्रावधान है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। यदि किसी कार्य का सीधा लाभ आदिवासी हितग्राही/समुदाय को पहुँच रहा हो तो प्रश्नांश अन्तर्गत प्रावधानित राशि को गैर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में भी व्यय किया जा सकता है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "सैंतालीस"</u>

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजनाएं</u>

175. (क्र. 3233) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा बालाघाट जिले के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा, जननी एक्सप्रेस, जननी शिशु सुरक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों में यथा बालशक्ति, आशा, संजीवनी योजना में क्या-क्या कार्यवाही कार्यक्रम कब-कब दिये गये? **(ख)** मिशन द्वारा दिये गये बजट फंड से कौन-कौन सी योजनाओं से किस-किस हितग्राही को क्या लाभ पहुंचा? **(ग)** मिशन द्वारा दिये गये कोष से कितनी-कितनी राशि का भुगतान पी.ओ.एल. भ्रमण, प्रशिक्षण, निर्माण, प्रचार-प्रसार, सामग्री क्रय में अभी तक खर्च किया गया? **(घ)** क्या उक्त व्यय, कार्यक्रम तथा सामग्री क्रय से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई? क्या-क्या?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अमानक दवाईयों का प्रदाय</u>

176. (क्र. 3234) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान सरकार के शासनकाल में अमानक दवाइयों की खरीदी या प्रदाय, अनुपयोगी, अमानक, सामग्री के प्रदाय भुगतान संबंधी कितने प्रकरण, विभाग की जानकारी में है? कितनी शिकायतें किस स्तर पर प्राप्त हुई? **(ख)** उपरोक्त अमानक दवाइयों किसने क्रय की, किस फर्म द्वारा प्रदय की गई, दवा का नाम, प्रदायकर्ता एजेन्सी फर्म का नाम, पता, भुगतान की राशि, क्रय हेतु क्रय समिति की अनुशंसा टीप तथा क्रय आदेश, जारी करने वाले सामग्री लेने वाले और दवाई फर्जी होने की सूचना देने वाले, अधिकारी का नाम पद बतायें? **(ग)** अमानक दवाइयों में से कितनी दवाईया बांटी गई हैं और उसके लिये कौन जिम्मेदार हैं? **(घ)** अमानक दवाइयों के संबंध में प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट की प्रति बतावे तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ग्राम पंचायत बम्हौरी में स्कूल भवन निर्माण में अनियमितता</u>

177. (क्र. 3241) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नरसिंहपुर जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत बम्हौरी (तिंदनी) में वर्ष 2013-14 में निर्मित हाईस्कूल भवन के निर्माण पर कितना व्यय किया गया है? **(ख)** क्या उक्त हाईस्कूल भवन का

निर्माण गुणवत्ताविहीन होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई हैं? **(घ)** क्या इस संबंध में राशि का दुरूपयोग करने वाले ठेकेदार का लायसेंस रद्द कर हुए नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार से की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ड.)** क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र प्रेषित किया गया था, यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) नरसिंहपुर जिलांतर्गत ग्राम पंचायत बम्होरी (तिंदनी) में वर्ष 2013-14 में निर्मित हाई स्कूल भवन के निर्माण पर रू. 34.26 लाख रूपये व्यय किए गए हैं। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** उक्त विद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में जाँच दल गठित किया गया व प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. को कमियों के निराकरण हेतु पत्र के माध्यम से लेख किया गया था। निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. द्वारा भी अपने विभाग से जाँच कराकर कमियों को दूर करवाया जा चुका है। **(घ)** जी नहीं। ठेकेदार द्वारा कार्य में की गई कमियों को पूरा करा दिया गया है, अतः ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ड.)** जी हाँ। इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के संदर्भ में परियोजना क्रियान्वयन इकाई नरसिंहपुर द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कमियों को पूर्ण करा लिया गया है।

<u>नरसिंहपुर सी.एम.एच.ओ. द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना</u>

178. (क्र. 3242) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा नरसिंहपुर सी.एम.एच.ओ द्वारा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार करने संबंधी पत्र कलेक्टर नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्र में उल्लेखित बिंदुओं पर आज दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण की जाँच, जिला कोषालय अधिकारी नरसिंहपुर से पूर्ण कराते हुये जाँच प्रतिवेदन, विभाग को प्रेषित किया तत्पश्चात प्राप्त जाँच प्रतिवेदन विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु संचालनालय को प्राप्त हुआ जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।

<u>उज्जैन जिले में श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाना</u>

179. (क्र. 3247) डॉ. मोहन यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को कम मजदूरी दिए जाने संबंधी कुल कतनी शिकायतें विगत तीन वर्षों में प्राप्त हुई हैं? **(ख)** उक्त शिकायतों के आधार पर किन-किन उद्योगों का निरीक्षण/परीक्षण विभाग के किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया है एवं तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** उक्त उद्योगों के अंतर्गत कितने श्रमिक कार्यरत हैं एवं उनमें से कितने श्रमिकों का पी.एफ. जमा किया जा रहा है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) 08 शिकायतें प्राप्त हुई। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ** में है। **(ग)** कार्यरत श्रमिकों की जानकारी उपरोक्त **संलग्न परिशिष्ट-अ** में दी गई है। शेष भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब** में है।

परिशिष्ट – ''अड़तालीस''

घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में चिकित्सकों की व्यवस्था

180. (क्र. 3250) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र घोड़ाडोगरी में कितने चिकित्सा खंड हैं? कितने सा.स्व. केन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र/उप. स्वा. केन्द्र हैं? **(ख)** सामु. स्वा. केन्द्र चिचोली में कितने चिकित्सक कार्यरत/रिक्त हैं? **(ग)** क्या आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सक के पद रिक्त हैं? **(घ)** म.प्र. शासन, घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में चिकित्सक के पद हेतु कोई योजना है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विधान सभा क्षेत्र घोड़ाडोगरी के अंतर्गत 03 विकास खण्ड, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 62 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। **(ख)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिचोली में 01 चिकित्सक कार्यरत है, एवं 05 पद रिक्त है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** जी हाँ, चिकित्सक विशेषज्ञ के पद पदोन्नति से भरा जाना है। पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति लोकसेवा आयोग द्वारा की जा रही है। चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर पदस्थापना की जावेंगी।

आदिवासी हाईस्कूल में परीक्षाफल के संबंध में

181. (क्र. 3251) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंड घोड़ाडोंगरी (आ.जा.क्र.) बैतूल में कितने हाईस्कूल/हा.सेकण्डरी संचालित हैं? **(ख)** वर्तमान सत्र 2015 में हाईस्कूल चिखली (पाठर) में कितने शिक्षक कार्यरत हैं? क्या प्राचार्य का पद रिक्त हैं। यदि नहीं, तो परीक्षा परिणाम क्या रहा है? **(ग)** शाहपुर खंड के प्राचार्य (क.उ.मा.वि.) शाहपुर में कब से किन-किन पदों पर कार्यरत हैं? कन्या उ.मा.वि. में प्राचार्य के पद पर पुरूष क्यों कार्यरत है? **(घ)** क.उ.मा.वि. प्राचार्य की शिकायत के बाद भी नहीं हटाने का क्या कारण है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) खण्ड घोड़ाडोंगरी (आ.जा.क.) बैतूल में 18 हाईस्कूल एवं 08 हायर सेकण्डरी संचालित है। **(ख)** हाईस्कूल चिखलीमाल (पाढर) में कुल 3 अध्यापक पदस्थ हैं। जी नहीं, प्राचार्य का पद भरा हुआ है। **(ग)** शाहपुर खण्ड के प्राचार्य शा.क.उ.मा. विद्यालय शाहपुर में 10.05.2005 से प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। कन्या उ.मा.वि. में पुरूष प्राचार्य को ही पदस्थ करने संबंधी पृथक से नियम/शासन निर्देश नहीं है। **(घ)** क.उ.मा.वि. शाहपुर के प्राचार्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। स्थानांतरण नीति अनुसार शिकायत की जाँच उपरान्ह ही नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उज्जैन जिले में दवा खरीदी

182. (क्र. 3260) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दि. 01.01.13 से 30.06.15 तक उज्जैन जिले को कौन-कौन सी दवाएं शासन द्वारा आवंटित की गई? ड्रग नाम, मात्रा सहित माहवार जानकारी देवे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में लोकल परचेस से किन फर्मों से कौन-कौन सी दवाएं खरीदी गई? टेंडर की समस्त प्रक्रिया की जानकारी देवे? **(ग)** C.H.M.O. द्वारा कितनी दवा, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य सामग्री खरीदी गई प्रश्नांश **(क)** अनुसार जानकारी देवे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>नगर निगम क्षेत्र उज्जैन में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण</u>

183. (क्र. 3261) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम क्षेत्र उज्जैन में शिक्षकों के सभी संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं? सभी प्रकार के स्कूलों के नाम, पद स्थिति सहित बतावे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार वर्तमान में रिक्त एवं भरे पदों की स्थिति स्कूलवार बतावें? **(ग)** अतिशेष शिक्षकों वाले स्कूलों से शिक्षकों का कब-तक स्थानांतरण कर कम शिक्षकों वाले स्कूल के पदों को भरा जाएगा? **(घ)** प्रश्नांश **(क), (ख), (ग)** अनुसार जानकारी अध्यापकों, गुरूजियों एवं अतिथि शिक्षकों के संबंध में भी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ग)** उज्जैन नगर निगम क्षेत्र के अतिशेष शिक्षकों का माह मई एवं जून, 2015 में स्थानान्तरण कर कम शिक्षकों वाले स्कूल के पदों को भरा गया है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। अध्यापक संवर्ग को निकाय से अन्यत्र नहीं भेजने के निर्देशानुसार अध्यापक संवर्ग का पदांकन नगर निगम क्षेत्र उज्जैन से बाहर नहीं किया गया है। नगरीय क्षेत्र उज्जैन में गुरूजी एवं अतिथि शिक्षकों की जानकारी निरंक है।

<u>दवा खरीदी में अनियमितता</u>

184. (क्र. 3268) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 01.01.2013 से 30.06.2015 तक सीधी, सिंगरौली, शहडोल, नरसिंहपुर जिलों में कितनी दवाएँ, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य सामग्री C.H.M.O द्वारा क्रय की गई? माहवार, सामग्रीवार, जिलावार बतावें? इसके लिए निकाले गए विज्ञापन का विवरण भी देवें? **(ख)** इसके लिए किन फर्मो में टेंडर भरे? जमा टेंडरों स्वीकृत फर्म के जमा टेंडर स्वीकृत फर्मों के पार्टनर/प्रोपायटर नाम, ड्रग लाइसेंस का विवरण देवें? **(ग)** C.H.M.O को कितनी खरीदी की पात्रता है? नियम/आदेश की छायाप्रति देवें? निर्धारित सीमा से अधिक खरीदी करने वाले सीधी, शहडोल, सिंगरौली के C.H.M.O पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? **(घ)** शहडोल C.H.M.O द्विवेदी द्वारा अपने पुत्र की फर्म को सप्लाई आर्डर देने की जाँच शासन कब तक करायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन</u>

185. (क्र. 3282) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र-छात्राओं से वसूली जा रही मनमानी फीस एवं डोनेशन इत्यादि तथा उनके अभिभावकों को किताब, कॉपी, बस्ता एवं स्कूल ड्रेस संबंधित स्कूल अथवा स्कूल प्रबंधन द्वारा निर्धारित दुकान से खरीदने हेतु बाध्य किये जाने पर रोकथाम लगाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिये थे? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के पालन में क्या-क्या कदम उठाए गए? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फीस नियामक कमेटी का गठन करने हेतु भी राज्य

सरकार को निर्देश दिए थे? यदि हाँ, तो माननीय न्यायालय के निर्देश के परिपालन में फीस नियामक कमेटी का गठन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक किया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) माननीय उच्च न्यायालय ने शासन से इस विषयक अपने पक्ष रखने की अपेक्षा की थी। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनाँक 30/4/2015 को मध्यप्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शुल्क निर्धारण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गये। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित छात्रावास</u>

186. (क्र. 3290) श्री नीलेश अवस्थी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान में विभाग द्वारा बालक बालिका आवासीय छात्रावास कहाँ-कहाँ संचालित है? इन छात्रावासों में वर्तमान में छात्र-छात्रा की संख्या बतलावें? **(ख)** उक्त छात्रावास क्या शासकीय भवन में संचालित हैं अथवा किराये के भवन में? शासकीय भवन निर्माण/विस्तार की क्या योजना है? **(ग)** उक्त छात्रावासों में विगत 5 वर्षों में किस-किस सामग्री का क्रय किन एजेंसियों से किन मापदण्डों के आधार पर किया गया? नियमों का पालन न होने का क्या कारण है? **(घ)** उक्त छात्रावासों का विगत 5 वर्षों में कब-कब किस-किस के द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या-क्या अनियमिततायें पायी गई और इन पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जबलपुर जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के 03 प्री मैट्रिक छात्रावास संचालित है। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख)** पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नांश **(क)** के उत्तर में संलग्न **परिशिष्ट** "अ" में उल्लेखित समस्त छात्रावास शासकीय भवन में संचालित है। **(ग)** विगत 05 वर्षों में सामग्री का क्रय शासन द्वारा समय समय जारी निर्देशों एवं विभागीय भण्डार क्रय नियम के परिपालन में शासकीय प्राधिकृत संसथाओं से नियमानुसार नियमों के परिपालन में किया गया है। छात्रावासों में प्रदाय सामग्री की वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ)** छात्रावासों के निरीक्षण समय समय पर विभागीय मण्डल संयोजक के द्वारा किया गया है। कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। निरीक्षण का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।**

अतारांकित प्रश्नोत्तर

<u>नकली दवा आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध</u>

1. (क्र. 284) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2012 के पश्चात् उज्जैन इन्दौर संभाग में नकली दवा आपूर्ति करने वाली कितनी कंपनियों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया? **(ख)** क्या औषधी नियंत्रण विभाग द्वारा उक्त कम्पनी द्वारा निर्मित दवाओं के नमूने लेकर जाँच हेतु भिजवाने थे? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** का उत्तर यदि हाँ, तो क्या जाँच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? **(घ)** नकली दवा आपूर्ति करने वाली इन कंपनियों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**मंदसौर जिले में उर्दू शिक्षकों की भर्ती**</u>

2. (क्र. 285) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मंदसौर विधान सभा में 1998 के बाद कितने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई? विद्यालयवार शिक्षकों एवं छात्रों की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार क्या उर्दू शिक्षक उर्दू के अलावा किसी भी अन्य विषय को पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है, यदि हाँ, तो किस नियम के अन्तर्गत? **(ग)** क्या यह सही कि कुछ निकायों में उर्दू शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान बनाया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत बनाया गया है? **(घ)** मंदसौर जिले में कितने-कितने व्यायाम शिक्षकों (शिक्षाकर्मी) को पदोन्नति में सहायक शिक्षक बनाया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) मंदसौर विधानसभा में वर्ष 1998 एवं इसके पश्चात् शिक्षाकर्मी/ संविदा शाला शिक्षक-वर्ग 01 में 02, वर्ग-02 में 00 एवं वर्ग-03 में 03 उर्दू विषय की नियुक्ति की गई थी। विद्यालयवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख)** जी नहीं। आवश्यकता अनुरूप अन्य विषयों का भी अध्यापन कार्य कराया जाता है। **(ग)** मंदसौर जिलान्तर्गत ऐसा कोई प्रकरण नहीं है और न ही कोई शासन प्रावधान है। **(घ)** व्यायाम शिक्षक (शिक्षाकर्मी) को पदोन्नति में सहायक शिक्षक बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जिलान्तर्गत ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

<u>**परिशिष्ट –**</u> ''उनचास''

<u>आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट छात्रावास</u>

3. (क्र. 314) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलों में उत्कृष्ट छात्रावास विकासखण्डवार संचालित हैं? यदि हाँ, तो कितने? **(ख)** कितने विकास खण्डों में उत्कृष्ट छात्रावास संचालित हैं एवं कितने विकासखण्ड में नहीं? **(ग)** अगर विकासखण्ड में उत्कृष्ट छात्रावास नहीं है, तो उसकी स्वीकृति कब तक की जावेगी? **(घ)** क्या उत्कृष्ट छात्रावासों में शासन द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है, यदि हाँ, तो क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। 89 विकासखण्डों में 01 बालक एवं 01 कन्या 50 सीटर कुल 178 उत्कृष्ट छात्रावास संचालित हैं। **(ख)** समस्त 89 विकासखण्डों में संचालित हैं। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। उत्कृष्ट छात्रावासों में दी जा रही विशेष सुविधायें निम्नानसुार है :- 1. पौष्टिक आहार रूपये 100/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह के मान से दस माह हेतु। 2. पुस्तक एवं स्टेशनरी रूपये 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष हेतु। 3. कोचिंग सुविधा।

<u>**विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम**</u>

4. (क्र. 315) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों/आश्रमों की संख्या कितनी है? **(ख)** शासकीय छात्रावास/आश्रम भवनों की संख्या कितनी है एवं भवनहीन छात्रावास/ आश्रमों की संख्या कितनी है? **(ग)** शासन द्वारा भवनहीन छात्रावास/आश्रमों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है तथा कितने आवासहीन भवनों के लिए भवन स्वीकृत किए गए है? कितने भवन के लिए

नहीं किए गए है तथा कितने भवन किराए पर चलाये जा रहे है? **(घ)** आवासहीन भवनों की व्यवस्था शासन द्वारा कब तक कर ली जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जबलपुर संभाग में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा 444 छात्रावास एवं 273 आश्रम संचालित है। **(ख)** 444 छात्रावास एवं 273 आश्रम है, जिनमें 39 छात्रावास एवं 17 आश्रम भवन विहीन है। **(ग)** शासन द्वारा भवन विहीन छात्रावास/ आश्रमों हेतु प्रति वर्ष राज्य आयोजना मद 30 छात्रावास एवं 20 आश्रम शालाओं के भवन स्वीकृति किये जाने की व्यवस्था है। जबलपुर संभाग में 405 छात्रावास तथा 205 आश्रमों के भवन है। 39 छात्रावास एवं 17 आश्रमों के भवन नहीं है। 17 छात्रावास एवं 07 आश्रम किराये के भवनों में चलाये जा रहे है। **(घ)** प्रति वर्ष राज्य मद से प्रदेश में 30 छात्रावास एवं 20 आश्रम शाला भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदाय की जाती है। सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>वार्डों के विकास हेतु राशि का आवंटन</u>

5. (क्र. 381) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के नगरीय निकायों को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वार्डों के विकास कार्यों हेतु राशि दी जाती है? **(ख)** यदि हाँ, तो सागर संभाग के पन्ना जिले के अंतर्गत निकायकों के बीच उक्त राशि वितरित करने का आधार/नियम क्या है? नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनाँक तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि जारी की गई है? **(ग)** क्या उक्त राशि गैर-अनुसूचित जनजाति वार्डों में व्यय की गयी है? उन निकायों की जानकारी देवें? इन नगरीय निकायों के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विभाग द्वारा नगरीय निकायों को सीधे राशि आवंटित नहीं की जाती है। **(ख)** प्रश्नांश अन्तर्गत राशि वितरित करने का कोई आधार/नियम नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>ट्रामा सेंटर में मशीनों की स्थापना</u>

6. (क्र. 427) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला चिकित्सालय भिण्ड में जनवरी 2015 को ट्रामा सेंटर प्रारंभ किया गया? यदि हाँ, तो 30 जून 2015 तक किन-किन लोगों का इलाज किया गया? किन लोगों का आपरेशन किया गया? किन लोगों को ग्वालियर उपचार के लिए रेफर किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में ट्रामा सेंटर के क्या उद्देश्य हैं क्या उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? यदि नहीं, तो क्या उपाए किए जा रहे है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में ट्रामा सेंटर में कौन-कौन सी मशीन उपलब्ध हैं, कौन सी मशीनों की आवश्यकता है, मशीनों को लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए है, कब तक समस्त मशीनें व्यवस्थित रूप से लग जायेगी? मशीनों को लगाने के लिए किस स्तर पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है? **(घ)** क्या जिला चिकित्सालय भिण्ड में लिफ्ट लगाया जाना प्रस्तावित है? क्या लिफ्ट के लिए राशि सुरक्षित रखी है? यदि हाँ, तो कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। जिला चिकित्सालय भिण्ड में जनवरी 2015 को ट्रामा सेन्टर प्रारंभ किया गया है। 30 जून 2015 तक ट्रामा सेन्टर में 918 मरीजों का इलाज एवं 175 मेजर ऑपरेशन व 395 मायनर ऑपरेशन तथा 242 गंभीर मरीजों को इलाज के

लिए ग्वालियर रिफर किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में ट्रामा सेंटर का उद्देश्य घायल (ट्रामा) इमरजेन्सी मरीजों का त्वरित इलाज एवं आपरेशन सुविधा उपलब्ध करवाना है। जी हाँ। उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में ट्रामा सेंटर में मशीनों की उपलब्धता एवं आवश्यकता की सूची संलग्न है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** नवीन 300 एम.ए. एक्सरे मशीन लगवा ली गई हैं तथा दो मल्टीपेरा मॉनीटर, एक ओटी टेबल, एक सी.आर्म, दो इन्फ्यूजन पम्प की क्रय आपूर्ति कर ली गई है। ट्रामा सेन्टर में अल्ट्रा सोनोग्राफी, पैथालॉजी व एक्सरे सुविधा उपलब्ध करावा दी गई है। आर्थोपेडिक फॉउलर बैड के क्रय आदेश एम.पी.एल.यू.एन. को दिए गए हैं। **(घ)** जिला चिकित्सालय भिण्ड में लिफ्ट लगाने का काई प्रस्ताव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>लेखापाल को अन्यत्र पदस्थ करने बाबत्</u>

7. (क्र. 458) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के आदेश क्र. 75 दिनाँक 31.05.2011 के द्वारा श्री शेषमणि मिश्रा सहायक ग्रेड-2 की पदोन्नति लेखापाल के पद पर की जाकर पदांकन कार्यालय प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हर्दीकपसा रीवा में की गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या श्री शेषमणि मिश्रा की पदोन्नति पदांकित स्थान में संशोधन करते हुए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा में लेखापाल के पद रिक्त नहीं होने के बावजूद भी पदस्थापना की गई है? **(ग)** क्या पद विरूद्ध पदस्थापना करने के शासनादेश हैं? यदि हाँ, तो शासनादेश प्रस्तुत करें। यदि नहीं, तो क्यों पदांकन किया गया है? **(घ)** क्या रीवा जिले में लेखापाल के पद रिक्त नहीं हैं, यदि हैं तो कितने संख्या बतायें? उक्त लेखापाल को अन्यत्र कब तक पदस्थ किया जावेगा, तिथि बताएं? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** म.प्र.राजपत्र क्रमांक-353, दिनाँक 25 जुलाई 2009 के अनुसार लेखापाल तथा कनिष्ट लेखा परीक्षक के पद पर वेतनमान 4000-6000 है। तद्नुसार संबंधीजन के अभ्यावेदन अनुसार तत्कालीन संयुक्त संचालक श्री के.के.पाण्डेय (मूल पद उप संचालक) द्वारा पदांकित संस्था शासकीय उ.मा.वि. हरदी कपसा के स्थान पर संशोधन करते हुये पदांकन कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग-रीवा किया गया है। **(ग)** जी नहीं। कनिष्ट लेखा परीक्षक का पद लेखापाल के पद (वेतनमान-4000-6000) के समकक्ष होने के कारण पदस्थापना की गई थी। **(घ)** जिला रीवा अंतर्गत लेखापाल अनारक्षित प्रवर्ग के 22, अ.ज.जा के 17 तथा अ.जा. के 13 पद रिक्त है। श्री शेषमणि मिश्रा, लेखापाल का संचालनालय के आदेश क्रमांक/ स्था0-4/बी/वि.स./पावससत्र/2015/1317-18, दिनाँक 24.07.15 द्वारा स्थानांतरण शासकीय एस.के.कन्या उ.मा.विद्यालय, रीवा कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण/उर्जीकरण कार्य</u>

8. (क्र. 650) श्री राजेश सोनकर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा अनुसूचित एवं आदिम जाति बस्तियों एवं कृषि पम्पों पर विद्युतीकरण/उर्जीकरण का कार्य विभाग के बजट से किया जाता है? **(ख)** यदि हाँ, तो सांवेर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल कितने ट्रांसफार्मर, पोल, केबल, कितने स्थानों पर कितनी राशि व्यय कर स्थापित कर विद्युतीकरण किया गया है एवं 31 मार्च 2015 तक कितने प्रस्तावित कार्य स्वीकृत होकर कार्यरूप में परिणित हो जावेंगे? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में

आवेदन/प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों में स्वीकृत होकर निविदाएं और कार्यादेश जारी हो जाते हैं? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में सांवेर विधान सभा क्षेत्र में प्रश्न दिनाँक तक कितने कार्यों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के पंपों के उर्जीकरण के 09 कार्य स्वीकृत किए गए है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** जिलों में आवंटन प्राप्त होने पर निविदा और कार्य आदेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। पृथक से समय-सीमा निर्धारित नहीं है। **(घ)** शत-प्रतिशत कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

<u>**परिशिष्ट –**</u> ''पचास''

<u>नसबंदी ऑपरेशन फैल होने पर सहायता</u>

9. (क्र. 849) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नसबंदी ऑपरेशन फैल हो जाने पर संबंधित व्यक्ति या महिला को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराने के शासन के निर्देश हैं, उनकी प्रति दें? **(ख)** रायसेन जिले में वर्तमान में नसबंदी ऑपरेशन फैल हो जाने के कारण सहायता राशि भुगतान करने के किन-किनके प्रकरण किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है? **(ग)** उक्त लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होकर संबंधित व्यक्ति को राशि का भुगतान होगा? इस संबंध में विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की? **(घ)** उक्त प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो इस संबंध में विभाग को किन-किनके पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** लंबित प्रकरणों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार (ग)** विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। निर्णय उपरांत त्वरित कार्यवाही करते हुये यथाशीघ्र निराकरण किया जा सकेगा। **(घ)** कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन</u>

10. (क्र. 883) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित अनुसूचित जाति कल्याण हेतु (1) विद्यार्थी कल्याण योजना (2) छात्र गृह योजना (3) म.प्र. विकास दर्शन योजना (4) विद्युतीकरण योजना (5) राहत योजना (6) छात्रवृत्ति योजना (7) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना (8) अंतर्जातीय विवाह योजना, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभागीय कार्यों को किये जाने हेतु कितना-कितना बजट उक्त वर्षों में प्राप्त होकर कितना व्यय किया गया? **(ग)** साथ ही उपरोक्त वर्षों में शासन/विभाग की विभिन्न क्रियान्वित योजनाओं/कार्यों हेतु प्राप्त बजट में से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों/योजनाओं पर व्यय की गई? **(घ)** कृपया ग्रामवार, स्थानवार, विकासखण्डवार भौतिक सत्यापन सहित क्रियान्वित योजनाओं एवं किये गये कार्यों की वस्तुस्थिति से अवगत कराए?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश विकास दर्शन योजना एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा

रहा है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** व्यक्तिगत मूलक योजनाओं में राशि खातों में जमा की गई है। विद्युतीकरण योजनांतर्गत किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है।

<u>तृतीय समयमान वेतनमान</u>

11. (क्र. 963) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन के वित्त विभाग के द्वारा आदेश क्र. एफ11/17/2014 नियम चार भोपाल दिनाँक 12 फरवरी 2015 के द्वारा राज्य के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में तृतीय समयमान (30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर) वेतनमान दिए जाने के आदेश दिए है? **(ख)** क्या उपरोक्त आदेश के क्र.2 पर तृतीय वर्ग के उन कर्मचारियों को भी तीसरी समयमान देने के बात कहीं है जिन्हें एक पदोन्नति एवं एक क्रमोन्नति प्राप्त हैं? **(ग)** यदि प्रश्नांश **(क)** एवं **(ग)** सत्य है तो आज तक उपरोक्त आदेश को न मानते हुए शालेय ग्रंथपालों को क्यों वंचित रखा गया? और यदि लाभ दिया जाना है तो कब तक दिया जावेगा समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, दिया जाना है तो क्यों, कारण स्पष्ट बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार/भोपाल दिनाँक 07/01/2009 के अनुसार शालेय ग्रंथपालों को समयमान वेतनमान का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पत्राचार के माध्यम से बीएड एवं डीएड</u>

12. (क्र. 1028) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पत्राचार के माध्यम से बीएड एवं डीएड पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि हाँ तो प्रायवेट संस्थाओं को किस आधार पर पत्राचार के माध्यम से बीएड कराने पर छूट दे रखी है? क्या प्रायवेट संस्थानों को बीएड कराने के व्यवसाय की छूट दी गयी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पाटन विधान सभा अन्तर्गत शिक्षकविहीन शाला</u>

13. (क्र. 1084) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसी कितनी शासकीय शालायें संचालित हैं जिनमें एक भी शासकीय शिक्षक पदस्थ नहीं है? सूची देवें। **(ख)** पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कितने हाई स्कूल, मीडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल है, जो क्रमश: हायर सेकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल में उन्नयन की पात्रता रखते हैं? सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित शिक्षकविहीन शालाओं में कब तक शासकीय शिक्षक नियुक्त कर दिये जावेंगे? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित उन्नयन हेतु पात्र शालाओं का कब तक उन्नयन किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 20 शालायें शिक्षक विहीन है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख)** प्राथमिक शाला का संबंध राज्य शिक्षा केन्द्र से है। माध्यमिक से हाई स्कूल एवं

हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु कोई शाला पात्र नहीं है। **(ग)** संविदा शाला शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति से पद पूर्ति की जायेगी। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - ''इक्यावन''</u>

<u>इन्दौर जिला अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के लिये गये नमूने</u>

14. (क्र. 1267) श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर जिले के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में खाद्य पदार्थों के कुल कितने नमूने लिये? **(ख)** उक्त लिये गये नमूनों में से कितने अमानक स्तर के पाये गये? उन संस्थाओं के नाम बतावें एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? उससे भी अवगत करावें। **(ग)** उपरोक्त प्रकरणों की वर्तमान में क्या स्थिति है? **(घ)** किन-किन खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक स्तर के पाये गये? उसकी जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) इन्दौर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला इन्दौर के द्वारा वर्ष 2013 से 15 जुलाई, 2015 तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कुल 1500 नमूने जाँच हेतु लिये गये। **(ख)** से **(घ)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का प्रदाय</u>

15. (क्र. 1295) श्री प्रहलाद भारती : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को चयनित होने पर संघ लोक सेवा आयोग की भांति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त चयनित छात्र-छात्राओं के पालकों की आय की सीमा राज्य सरकार द्वारा 75000/- रूपये वार्षिक तक सीमित रखी गयी है जबकि संघ लोक सेवा द्वारा चयनित छात्र-छात्राओं के पालकों की वार्षिक आय क्रीमलेयर की सीमा 600000/- (छ: लाख) रूपये वार्षिक रखी गयी है? **(ग)** क्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र. द्वारा भी संघ लोक सेवा आयोग की भांति राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित छात्र-छात्राओं के पालकों की आय सीमा 75000/- वार्षिक से बढ़ाकर क्रीमलेयर सीमा 600000/- (छ: लाख) रूपये वार्षिक करने का प्रावधान करेगा व उक्त प्रावधान में संशोधन कब तक कर दिया जावेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** शासन की वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखकर विचार किया जा सकता है। निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

<u>शासकीय स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था</u>

16. (क्र. 1301) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल मध्य भोपाल के अंदर शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्णत: शौचालय एवं पेयजल की उपलब्धता है? नहीं तो ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें शौचालय या पेयजल व्यवस्था का अभाव है? नामवार तथा क्षेत्रवार जानकारी देवें? **(ख)** जिन स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं हैं वहां विद्यालय स्तर पर या शासन स्तर पर क्या व्यवस्था की जा रही है या की गई हैं? जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्न **(क)** एवं **(ख)** के सदंर्भ में उक्त कार्य अन्य किन-किन

मदों/विभागों से कराया जा सकता है? **(घ)** भोपाल मध्य भोपाल के अंदर शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की नामवार क्षेत्रवार जानकारी मय दूरभाष नंबर के साथ देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भोपाल मध्य क्षेत्र के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालय एवं पेयजल की सुविधा है। विधानसभा क्षेत्र भोपाल मध्य भोपाल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्णतः शौचालय एवं पेयजल की उपलब्धता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एवं प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ)** शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दूरभाष की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।** भोपाल मध्य भोपाल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।**

परिशिष्ट – "बावन"

प्रा.शा. महगवां में भवन निर्माण के संबंध में

17. (क्र. 1328) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहोरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्रो के ग्राम महगवाँ में प्राथमिक शाला के भवन निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई? स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** कार्य अभी तक नहीं कराया गया? किस एजेन्सी के द्वारा कार्य कराया जाना है? कब तक कार्य कराया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) सिहोरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्रो के ग्राम महगवां में प्राथमिक शाला के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर के आदेश क्रमांक/1195 दिनाँक 13.08.2012 द्वारा प्रदान की गई थी। स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है। **(ख)** जी हाँ। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, जबलपुर द्वारा कार्य कराया जाना है। निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जावेगा। समय-सीमा बतया जाना संभव नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

विभागीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक न होने

18. (क्र. 1365) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन की विभागीय परामर्शदात्री समिति जिनमें विधायक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं कि बैठक समय-सीमा क्या है? **(ख)** विभागीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक निश्चित समय-सीमा में क्यों नहीं की जा रही है, इसकी जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों की है? **(ग)** क्या शासन इस नीति को जिसमें बैठकों की समय-सीमा निश्चित हो ऐसा निर्णय कराने का प्रयास करेगा, कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) परामर्शदात्री समितियों के गठन तथा कार्यकरण को विनियमित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त के पद 6 (1) में प्रावधान है कि सामान्यतया प्रत्येक समिति की बैठक वर्ष में चार बार रखी जाएगी, जिनमें से दो बैठकें अनिवार्य होंगी। **(ख)** परामर्शदात्री समितियों का गठन न होने से बैठक नहीं हो रही हैं। बैठक न होने के लिए

कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। **(ग)** भाग **(क)** के उत्तर के अनुसार बैठकों की समय-सीमा पूर्व से ही निश्चित है।

<u>शासकीय उच्चतर विद्यालयों की कक्षा 9वीं व 10वीं में विद्यार्थी संख्या में अंतर</u>

19. (क्र. 1367) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले के हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9 वी की नियमित अध्ययनरत छात्र संख्या एवं 10वीं की नियमित अध्ययनरत छात्र संख्या में भारी अंतर का क्या कारण है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार वर्ष 2013-2014 में कक्षा 9 वी तथा वर्ष 2014-15 में कक्षा 10 वीं की छात्र संख्या क्या थी? **(ग)** उक्त कक्षाओं में छात्र संख्या में आने वाले अंतर की तथ्यात्मक जानकारी दी जाये? क्या शासन ऐसी कोई नीति बना रहा है जिससे इस अंतर को कम किया जा सके?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 8वीं में परीक्षा न लिये जाने के कारण 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया जाता है। कक्षा 9वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बनाये गये प्रश्न पत्रों के आधार पर बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा ली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, जिससे कि कक्षा 9वीं की नियमित अध्ययनरत छात्र संख्या एवं कक्षा 10वीं की नियमित छात्र संख्या में अंतर आ जाता है। **(ख)** मुरैना जिलान्तर्गत वर्ष 2013-14 कक्षा 9वीं की छात्र संख्या 21084 एवं वर्ष 2014-15 में कक्षा 10वीं की छात्र संख्या 9494 थी। **(ग)** उपरोक्त 'ख' अनुसार। इस अंतर को कम करने के लिये 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाकर उनमें कमजोर छात्रों को छांटा जाता है तथा उनकी नियमित रूप से निदानात्मक कक्षायें लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त कमजोर विद्यार्थियों के लिये वर्ष भर विशेष कक्षायें भी लगाई जाती है।

<u>कई वर्षों से पदस्थ लिपिकों का स्थान परिवर्तन</u>

20. (क्र. 1389) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक पदस्थी कार्यालयों में कब से पदस्थ है? क्या उन्हें एक ही स्थान पर एक ही कार्यालय में लगातार कई वर्षों तक रखे जाने का नियम है? यदि नहीं, तो ऐसे पदस्थ लिपिकों को वहां से हटाकर अन्यत्र पदस्थ किया जावेगा? **(ख)** एक ही कार्यालय पर 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों का नाम एवं पद, प्रभारी पद एवं कब से पदस्थ है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्षों से पदस्थ लिपिकों का स्थानान्तरण किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों, कारण बतावें? **(घ)** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ लिपिकों की वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा प्राप्त हुई हैं? उनमें से किन-किन लिपिकों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही की गई है या कार्यवाही की जानी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है।** भण्डार, क्रय, स्थापना, में पदस्थ लिपिकों के सामान्यतः तीन वर्ष में स्थानातंरण किये जाने के निर्देश हैं। लगातार कई वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ लिपिको के अन्यत्र पदस्थ करने की कार्यवाही पृथक से प्रचलित है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो अनुसार है।** (ग) लगातार कई

वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थ लिपिकों के अन्यत्र पदस्थ करने की कार्यवाही पृथक से प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(घ)** प्रश्नांकित वर्षों में जि.शि.अ. कार्या. मुरैना के श्री दर्शनलाल शर्मा गणक के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में श्री राकेश सिंह हाउसिंग बोर्ड द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई जिसकी जाँच कार्यालयीन योजना अधिकारी श्री जी.सी.तिवारी द्वारा कराई गई, जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत असत्य एवं निराधार पाई गई। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कैलारस जिला मुरैना के श्री श्रीलाल गौड सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध वर्ष 2015 में गजेन्द्र सिंह से रिश्वत लिये जाने संबधी शिकायत मय सी.डी. के साथ की थी। जिसकी जाँच हेतु इस कार्यालय में गठित समिति द्वारा जाँच/परीक्षण करने पर शिकायत सत्य पाये जाने से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश क्रमांक/ शिकायत/अराज./2015/ 2401-2402 दि. 22.07.15 द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

लिपिक एवं भृत्यों के स्थानांतरण

21. (क्र. 1408) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अप्रैल 2015 से प्रश्नांकित दिनाँक तक आदिम जाति कल्याण विभाग बैतूल के किस स्थान पर पदस्थ किस लिपिक एवं किस भृत्य का किस दिनाँक को किस स्थान पर प्रशासकीय कारणों से या स्वेच्छा से स्थानांतरण किया गया इनमें से किसके स्थानान्तरण के संबंध में किस-किस के द्वारा अनुशंसा की गई? **(ख)** राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार एक ही कार्यालय में कितने वर्षों से पदस्थ लिपिक एवं भृत्यों के स्थानांतरण के निर्देश रहे है नीति में माननीय विधायकों की अनुशंसा के आधार पर स्थानांतरण के क्या निर्देश हैं? **(ग)** एक ही कार्यालय या स्कूल में लंबे समय से पदस्थ लिपिक एवं भृत्यों की सूची बनाई जाकर क्रम से स्थानांतरण न किए जाने का क्या कारण रहा है? लिपिक एवं भृत्यों की पदस्थापना दिनाँक की क्रमवार सूची सहित बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांकित अवधि में आदिम जाति कल्याण विभाग जिला बैतूल के 29 लिपिक एवं 25 भृत्यों के प्रशासकीय/स्वैच्छिक स्थानांतरण किये गये। स्थानांतरण आदेश दिनाँक 30.5.2015 को जारी किये गये है। **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख)** राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार एक ही स्थान पर 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर स्थानांतरण किये जाने के प्रावधान है। इसके अलावा न्यायालयीन निर्णय के पालन, गम्भीर शिकायतें, रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रकरण में 3 वर्ष से पूर्व भी स्थानांतरण किये जाने के प्रावधान है। स्थानांतरण नीति में माननीय विधायकों की अनुशंसा के आधार पर स्थानांतरण किये जाने का कोई आधार उल्लेखित नहीं है। **(ग)** बैतूल जिले में प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण नीति के अंतर्गत लिपिकों एवं भृत्यों के स्थानांतरण किये गये हैं। क्रमवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।**

सामग्री क्रय किये जाने हेतु भुगतान

22. (क्र. 1409) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में क्रीड़ा परिसर शाहपुर एवं बैतूल में खेलकूद से संबंधी कौन-कौन सी सामग्री क्रय किए जाने हेतु गत दो वर्षों में विभाग ने किस-किस दिनाँक को, किस-किस को, कितनी राशि का, किस खाता क्रमांक में भुगतान किया? **(ख)** उपरोक्त अवधि में खेलकूद से संबंधी सामग्री क्रय किए जाने के संबंध में किस-किस विक्रेता का चयन किया गया उस विक्रेता के द्वारा किस

दिनाँक को क्रीड़ा परिसर में खेल सामग्री का प्रदर्शन किया या दुकान लगाई? यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो उसका कारण बतावें? **(ग)** क्रीड़ा परिसर शाहपुर एवं बैतूल के लिए क्रय की गई खेलकूद सामग्री एवं बच्चों द्वारा क्रय की गई खेलकूद सामग्री का विभाग के किस अधिकारी या कर्मचारी ने सत्यापन किया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर शाहपुर एवं आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर बैतूल में खेलकूद से संबंधी (खेल किट) सामग्री क्रय किये जाने हेतु किया गया भुगतान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं दुकानों से सामग्री क्रय की गई। **(ग)** सामग्री का सत्यापन पी.टी.आई की समिति द्वारा किया गया।

<u>मेडीकल कालेजों में सुविधा</u>

23. (क्र. 1536) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में सरकारी मेडीकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सकों में ह्दय रोग से संबंधित ऑपरेशन, किडनी और लीवर ट्रांसप्लॉट करने के ऑपरेशन की क्या व्यवस्था और सुविधायें हैं? **(ख)** वर्ष 2014 में इन चिकित्सालयों में ह्दय रोग, किडनी और लीवर के कितने ऑपरेशन हुए? कृपया विवरण दीजिए।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश में विभाग द्वारा संचालित शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में से चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबंद्ध हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल को छोड़कर शेष किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सालय में हृदय रोग संबंधी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। किडनी एवं लीवर ट्रांसप्लान्ट के ऑपरेशन की व्यवस्था एवं सुविधा प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं हैं। **(ख)** चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबंद्ध हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल वर्ष 2014 में हृदय रोग (ओपन हार्ट सर्जरी) के किये गये ऑपरेशन की जानकारी निम्नानुसार हैं:-

ओपन हार्ट सर्जरी (ओ.एच.एस.)	143
अन्य कार्डियो सर्जरी	24
कुल	167

<u>जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी</u>

24. (क्र. 1566) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कब से अटैच है? **(ख)** क्या इन अटैच अधिकारी/कर्मचारी को उनके मूल पदस्थ स्थान पर भेजा जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** इन्हें वर्षों से अटैच रखने का औचित्य क्या था? **(घ)** क्या इन अटैच अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा शासन के नियमों को अनदेखा कर युक्तिकरण में अनेक गलतियां कर मनमानी की गई है? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई अधिकारी /कर्मचारी अटैच नहीं है। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत कार्यरत स्टॉफ नर्सों को समयमान व त्रिस्तरीय वेतनमान का लाभ</u>

25. (क्र. 1577) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग अंतर्गत कार्यरत स्टॉफ नर्सों को समयमान वेतन व त्रिस्तरीय वेतनमान का लाभ दिया जा रहा हैं? **(ख)** जिन जिलों में स्टॉफ नर्सों को लाभ नहीं दिया जा रहा है उन जिलों में कब तक लाभ प्रदान कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र. एफ. 11-1/2008/नियम 4 दिनाँक 1.4.2008 के पालन में संचालनालय के जारी पत्र क्र. 9/नर्सिंग/सेल 1/एफ. 29/2013/669 दिनाँक 15.7.2013 एवं पत्र क्र. 431 दिनाँक 12.9.2013 के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिनस्थ संस्थाओं में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग को समयमान वेतनमान (टाईम स्केल) स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ. 11-17/2014/नियम/चार भोपाल दिनाँक 30 सितंबर 2014 के द्वारा तृतीय समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** उत्तर **(क)** अनुसार लाभ दिया जा रहा है।

<u>स्कूलों का उन्नयन</u>

26. (क्र. 1583) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिलान्तर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे कितने और कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय व हाई स्कूल हैं जो क्रमश: हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन के मापदण्डों को पूरा करते हैं? **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा बार-बार मांग किये जाने व लेख किये जाने के बाद भी स्कूलों का उन्नयन न किये जाने के क्या कारण हैं? **(ग)** क्या विभाग द्वारा उन्नयन के मापदण्डों को पूरा करने वाले विद्यालयों का उन्नयन किया जावेगा? नहीं तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) देवरी विधानसभा श्रेत्र अतर्गत माध्यमिक शाला घाना हाई स्कूल में उन्नयन हेतु पात्र है। हाई स्कूल से हायर सेकेन्ड्री स्कूल में उन्नयन हेतु कोई शाला निर्धारित मापदंड अनुसार पात्र नहीं है **(ख)** एवं **(ग)** शालाओं का उन्नयन निर्धारित मापदंड अनुसार, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उ.मा. विद्यालयों की छात्र संख्या</u>

27. (क्र. 1628) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वि.स. बड़वारा क्षेत्र के विकासखण्ड ढीमरखेड़ा व कटनी के किन-किन ग्रामों में किन श्रेणी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** विद्यालयों में विज्ञान, गणित, वाणिज्य एवं कला विषयों की छात्र संख्या कितनी और समग्र विषयों की कुल कितनी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।**

<u>परिशिष्ट –</u> ''तिरपन''

<u>स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थी व रिक्त पद</u>

28. (क्र. 1629) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वि.स.क्षे. बड़वारा के वि.खं. बड़वारा, कटनी तथा ढीमरखेड़ा में किन स्थानों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र एवं मिनी स्वास्थ्य केंद्र हैं और किन-किन ग्रामों हेतु नवीन केंद्र स्वीकृत हुये हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में कौन से और कितने पद स्वीकृत और कितने रिक्त हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क) (ख)** में किन चिकित्सक, ए.एन.एम. व अन्य कर्मियों की पदस्थी हैं और वे वहां से अन्यत्र कहाँ पदस्थ हैं तथा रिक्त स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनायी गई है? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के किन पदों की पूर्ति कब तक करा दी जावेगी? पदवार विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**कटनी जिलान्तर्गत युक्तियुक्तकरण**</u>

29. (क्र. 1648) श्री संजय पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी जिले में शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया मई 2015 में की गई? यदि हाँ, तो उक्त के संबंध में शिक्षकों को जानकारी किस माध्यम से उपलब्ध कराई गई समाचार पत्रों से या विभागीय पत्र? और यदि सूचना अन्य किसी माध्यम से दी गई तो क्या ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिये यह माध्यम उपयुक्त था? **(ख)** क्या उक्त काउंसलिंग के दौरान दावा आपत्ति एवं उनके निराकरण के लिए पर्याप्त समय दिय गया? **(ग)** उक्त काउंसलिंग के दौरान छात्र गणना किस शैक्षणिक सत्र के आधार पर की गई तथा शासन के किन निर्देश के परिपालन में उक्त काउंसलिंग की कार्यवाही की गई एवं क्या उक्त निर्देश के समस्त बिन्दुओं खासकर 5.1 एवं 5.2 का पालन उक्त काउंसलिंग के दौरान किया गया? **(घ)** क्या काउंसलिंग के पूर्व स्वैच्छिक काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई? क्या माध्यमिक शाला में हिन्दी को भाषा संकाय माना गया? क्या अध्यापकों का पदांकन उच्चतर माध्यमिक शालाओं में किये जाने का प्रावधान है? क्या 100 से कम छात्र संख्या में माध्यमिक शाला में प्रधान अध्यापक अतिशेष नहीं है? क्या युक्तिकरण के पूर्व संलग्नीकरण समाप्त कर अतिशेष की गणना की गई? क्या एक शिक्षकीय शाला का अतिशेष हो सकता है? क्या पांच शिक्षकों के पदस्थ होते हुए भी शाला को शिक्षकविहीन किया जा सकता है? यदि नहीं, तो युक्तियुक्तकरण के नियमों को दरकिनार कर कटनी में जिले में काउंसलिंग की प्रक्रिया कराकर सैकड़ों शिक्षकों को बेवजह प्रताड़ित किया गया? **(ड.)** क्या प्रश्नकर्ता एवं जिले के अन्य जन प्रतिनिधियों तथा कर्मचारी संगठनों ने मनमाने तौर पर किये गये उक्त युक्तियुक्तकरण के संबंध में पत्र प्रेषित किये गये है? यदि हाँ, तो किन-किन के द्वारा प्रश्न दिनाँक तक इस हेतु कार्यवाही न किये जाने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाकर नियम विरूद्ध हुए इस युक्तियुक्तकरण को निरस्त किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। विभागीय माध्यम से संकुल प्राचार्यों की विशेष बैठक लेकर संबंधितों को सूचित करने हेतु निर्देश दिये गये तथा शासनादेश दिनाँक 08.09.2014 के अनुक्रम में जानकारी पोर्टल में भी अपलोड की गई। उक्त माध्यम शिक्षकों के लिये उपयुक्त था। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** छात्र गणना संकुल प्राचार्य से शाला की अद्यतन स्थिति के आधार पर शासनादेश दिनाँक 08.09.2014 के निर्देश के अनुक्रम में कार्यवाही की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। स्वैच्छिक काउंसलिंग कराई गई। माध्यमिक शाला में शासन आदेश 16.01.2012 के अनुसार

हिन्दी को भाषा संकाय नहीं माना गया हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार माध्यमिक शाला में 100 से अधिक दर्ज संख्या होने पर पूर्ण कालिक प्रधानाध्यापक की पदस्थापना के प्रावधान हैं अतः 100 से कम दर्ज संख्या वाली माध्यमिक शाला में प्रधानाध्यापक की पदस्थापना नहीं किये जाने का प्रावधान है। जी हाँ संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश दिये गये थे। एक शिक्षकीय शाला में अतिशेष होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। किसी भी शाला में शिक्षक (पांच) पदस्थ होने पर उसे शिक्षक विहिन मानने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं। जिले में शासनादेश के अनुरुप ही शासनादेश अनुसार ही अतिशेष की कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** जी हाँ। उत्तरांश अनुसार प्रश्नकर्ता माननीय विधायक सम्मानित जन प्रतिनिधि एवं कर्मचारी संगठन के अतिशेष की कार्यवाही के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त होने पर समस्त अतिशेष की कार्यवाही हेतु तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही निर्भर है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अशासकीय स्कूलों को मान्यता प्रदाय

30. (क्र. 1658) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेण्ड्री विद्यालय खोलने हेतु विद्यालय प्रबंधक को विधिवत मान्यता प्राप्त करनी होती है? यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार अशासकीय विद्यालय खोलने हेतु क्या-क्या मापदण्ड पूरे किये जाने होते हैं? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** अनुसार इंदौर जिले में अनेक अशासकीय विद्यालय निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करते हैं और उन्हें संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो जिला प्रशासन द्वारा इस हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। कक्षा 9वीं से 12वीं तक अशासकीय विद्यालय खोलने हेतु म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2015 अनुसार मापदण्ड पूरे करना आवश्यक है। नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार**। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के साथ संलग्न अनुसूची में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालन हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर में सिविल अस्पताल की स्थापना

31. (क्र. 1682) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा नगर में स्थित सिविल अस्पताल को मुख्यमंत्री द्वारा 100 बिस्तर वाला अस्पताल बनाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इस घोषणा पर अभी तक कितना अमल हुआ? **(ख)** अस्पताल की बिल्डिंग निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इसका कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा? **(ग)** अस्पताल हेतु कितना स्टाफ स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। दिनाँक 09.09.2008 को प्रशाकीय स्वीकृति की गई। आवश्यकतानुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण एवं उपलब्धता अनुसार

पदों की पूर्ति की गई है। **(ख)** भवन निर्माण हेतु 120.52 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। भवन निर्माण कार्य दिनाँक 04.02.2014 को पूर्ण हो चुका है। **(ग)** सिविल अस्पताल गाडरवारा में 95 पद स्वीकृत है, 64 पद भरे है तथा 31 पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

<u>अनूपपुर जिले में राज्य बीमारी सहायता निधि से लाभान्वितों की संख्या</u>

32. (क्र. 1705) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010 से अब तक कुल कितने मरीजों को लाभ मिला है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अवधि में जिले में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से कितने रोगियों को लाभ पहुंचाया गया है? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** योजना से लाभ लेने हेतु वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित है? लंबित प्रकरण का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) अनूपपुर जिले में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010 से अब तक कुल 208 मरीजों को लाभान्वित किया गया है। **(ख)** अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010 से अब तक कुल 26 मरीजों को लाभान्वित किया गया है। **(ग)** कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नियमित शिक्षकों की पदोन्नति</u>

33. (क्र. 1715) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग में ऐसे कितने जिले हैं, जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रधान पाठक, उच्च श्रेणी शिक्षक, सहायक शिक्षकों को पदोन्नति नहीं दी गई है? **(ख)** पदोन्नति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? अधिनियम के तहत पदोन्नति में विलंब हेतु कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी जवाबदेह हैं? **(ग)** क्या संबंधितों के विरूद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? अवधि बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) इन्दौर संभाग अन्तर्गत सभी जिलों में पदोन्नति की गई है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>शिक्षा विभाग द्वारा डाईट प्रशिक्षण केंद्र का संचालन</u>

34. (क्र. 1719) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में शिक्षा विभाग द्वारा कितने डाइट प्रशिक्षण केंद्र संचालित किये जा रहे हैं? **(ख)** इन प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य की शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? **(ग)** गुना जिले में डाइट प्रशिक्षण केन्द्र में पदस्थ प्राचार्य की शैक्षणिक योग्यता जन्मतिथि एवं आहरण के अधिकार किस अधिकारी द्वारा प्रदाय किये गये हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 45 डाइट **(ख)** प्रथम श्रेणी सहित स्नातकोत्तर एवं <u>एम.एड./एम.एड</u>. (प्रारंभिक) अथवा प्रथम श्रेणी सहित शिक्षा में एम.ए. तथा प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा में प्रथम श्रेणी सहित <u>डिप्लोमा/डिग्री</u>। **(ग)** शैक्षणिक योग्यता एम.ए. संस्कृत साहित्याचार्य एवं

बी.एड. एवं जन्मतिथि 19.10.1959 तथा आहरण के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गुना द्वारा प्रदाय किये गये हैं।

<u>वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद एवं पदोन्नति</u>

35. (क्र. 1731) श्री अंचल सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के तहत वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के स्वीकृत कितने पद भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? इनमें पदोन्नति के कितने पद हैं तथा आरक्षण नियमों के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के कितने-कितने पद हैं? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में वर्ष 2011-2012 से 2014-15 तक किस-किस वर्ग के कितने औषधि निरीक्षकों को वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद पर कब पदोन्नति किया गया? सूची देवें। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कब से आयोजित नहीं की गई एवं क्यों? इस संबंध में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के क्या निर्देश हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में कौन-कौन वरिष्ठ औषधि निरीक्षक कब से कहाँ-कहाँ पर पदस्थ हैं? सूची देवें। यह भी बताया जावे कि पदोन्नति के वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>औषधि एवं सौंदर्य प्रशाधन सामग्री निर्माण की जाँच</u>

36. (क्र. 1732) श्री अंचल सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** औषधि एवं सौंदर्य प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत प्रदेश में औषधि निर्माण इकाइयों के निरीक्षण हेतु औषधि निरीक्षकों की योग्यता क्या निर्धारित की गई है? **(ख)** प्रदेश में प्रश्नांक **(क)** में वर्णित निर्धारित योग्यताधारी कौन-कौन औषधि निरीक्षक हैं तथा कौन-कौन, कब से कहाँ-कहाँ पर पदस्थ हैं? **(ग)** प्रदेश में औषधि एवं सौंदर्य प्रशाधन सामग्री निर्माण की कितनी इकाईयां हैं एवं कहाँ-कहाँ पर कार्यरत हैं? सूची दें। जबलपुर जिलान्तर्गत विगत 3 वर्षों में किन-किन इकाईयों का निरीक्षण कब-कब, किन-किन अधिकारियों ने किया है एवं किन-किन सौंदर्य सामग्री के नमूने जाँच हेतु लिये है एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अधीक्षक के पद पर नियुक्ति</u>

37. (क्र. 1756) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनाँक 20.02.2015 विज्ञप्ति/क्रमांक/जेन्डर/2015/513 जिला शिक्षा केन्द्र अशोक नगर द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कदवाया विकासखण्ड ईसागढ़ जिला अशोक नगर के अधीक्षक पद पर अतिरिक्त प्रभार हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था? **(ख)** क्या उक्त विज्ञापन के संबंध में आज दिनाँक तक अतिरिक्त अधीक्षक के पद पर किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है? कारण सहित बतायें? **(ग)** उक्त विषय को कलेक्टर महोदय अशोक नगर द्वारा दिनाँक 23.08.2014 को टी.एल. बैठक में शामिल किया गया था। यदि हाँ, तो समय-सीमा में क्या कार्यवाही

की गई? यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश- क के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। प्रकरण की जाँच भी कराई गई जिसमें शिकायत गलत एवं निराधार पाई गई। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>संलग्नीकरण एवं पद के विरूद्ध वेतन आहरण</u>

38. (क्र. 1757) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन द्वारा संलग्नीकरण एवं पद के विरूद्ध वेतन आहरण पर रोक लगाई गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो दतिया जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत ऐसे कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं होते हुए भी अन्य पद के विरूद्ध वेतन आहरण किया जा रहा है? नाम एवं पद सहित बतावें? **(ग)** उक्त कर्मचारियों को कब तक पुराने पदस्थ स्थान हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाएगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) संलग्नीकरण नहीं करने के शासन निर्देश हैं, परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समकक्ष अथवा वरिष्ठ पद पर की गई पदस्थापना के फलस्वरूप वेतन आहरण करने पर रोक नहीं है। **(ख)** जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण दतिया में श्री राजेन्द्र कुमार भटनागर सहायक ग्रेड-3 एवं श्री रामजी लाल पंचौली सहायक ग्रेड-3 की पदस्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने से अन्य पद के विरूद्ध वेतन आहरण किया जा रहा है। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>अम्बेडकर मांगलिक भवन का निर्माण</u>

39. (क्र. 1758) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम कदवाया विकासखण्ड ईसागढ़ जिला अशोकनगर में शासन द्वारा अम्बेडकर मांगलिक भवन स्वीकृत हुआ है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त भवन के निर्माण हेतु भूमि आदि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त भवन का निर्माण कार्य कब शुरू होगा एवं उक्त कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी कौन होगी कार्य की समय-सीमा बतायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** भूमि चयन की कार्यवाही चलन में है। निर्माण एजेंसी आर.ई.एस. है। कार्य की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>अतिथि शिक्षकों को प्राध्यापक बनाया जाना</u>

40. (क्र. 1771) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. के स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं? यदि हाँ, तो, क्या नियुक्त अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 के पहले शिक्षा विभाग में स्थापित प्रदान किया जावेगा गुरूजी व अनुदेशकों की तरह? **(ख)** क्या अतिथि शिक्षकों को जो डी.एड./बी.एड. प्रशिक्षित है उनको अनुभव के आधार पर अध्यापक बनाया जावेगा? जो अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है उनको कार्यानुभव के आधार पर डी.एड./बी.एड. के समतुल्य माना जावेगा? **(ग)** प्रदेश में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में क्या 15 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी व उनकी सेवायें बारह माह ली जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** जी नहीं। जी नहीं। **(ग)** जी नहीं।

अध्यापक संवर्ग का शिक्षक संवर्ग में संविलियन

41. (क्र. 1772) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के अध्यापक संवर्ग को समान कार्य के लिए समान वेतन की तीसरी व चौथी किश्त एक मुश्त दिनाँक 01.09.2015 से देकर शिक्षक संवर्ग में संविलियन किया जावेगा? क्या पूरे प्रदेश में किसी भी निकाय में रिक्त पद हेतु अध्यापक संवर्ग के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति बनाई जावेगी? **(ख)** क्या अध्यापक संवर्ग के लिए शिक्षक संवर्ग के समान बीमा सुविधा का लाभ दिया जावेगा? क्या अध्यापक संवर्ग की अनुकंपा नियुक्ति में डी.एड/बी.एड की अनिवार्यता समाप्त की जावेगी? **(ग)** क्या अध्यापक सवंर्ग की अंशदायी पेंशन की राशि का कटौत्रा प्रतिमाह किया जाता है? शासन क्या अध्यापकों के एन.पी.एस. खाते में कटौत्री की राशि व शासन का अंशदान प्रतिमाह उनके खाते में जमा कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है। **(ख)** अध्यापक संवर्ग के लिये वर्तमान में समूह बीमा योजना का प्रावधान नहीं है। जी नहीं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रभावशील होने से शिक्षकों की नियुक्ति के लिये शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता डी.एड. / बी.एड. अनिवार्य है। जिसे समाप्त किया जाना राज्य शासन की अधिकारिता में नहीं है। **(ग)** जी हाँ। अध्यापक संवर्ग की जिस माह की अंशदान राशि कटोत्रा होती है, उस माह की अंशदान राशि 60 दिवस की समयावधि में एन.पी.एस. को अंशदान की राशि हस्तांतरण की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में वाणिज्य संकाय प्रारंभ किया जाना

42. (क्र. 1781) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मान्य समस्त संकायों की शिक्षा प्राप्त करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराना शासन की जवाबदारी है? **(ख)** यदि हाँ, तो धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलघाट में विगत 05 वर्षों से अध्ययनरत छात्रों को मात्र कला संकाय की सुविधा ही क्यों दी जा रही है? गत वर्ष मात्र विज्ञान संकाय ही प्रारंभ किया गया है वाणिज्य संकाय कब से प्रारंभ किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। **(ख)** धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलघाट में विगत 5 वर्षों से अध्ययनरत छात्रों को मात्र कला, विज्ञान, कृषि संकाय का अध्ययन कराया जा रहा है। विद्यार्थियों की उपलब्धता/मांग औचित्यपूर्ण होने पर अतिरिक्त संकाय सीमित वित्तीय संसाधनों अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

छात्रावास/आश्रमों हेतु क्रय सामग्री में अनियमितता

43. (क्र. 1793) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में विभाग अंतर्गत संचालित किन-किन छात्रावास आश्रमों के छात्र/छात्राओं के उपयोग के लिये विगत तीन वर्षों में पलंग, बिस्तर आदि

आवश्यक सामग्री किन-किन फर्मों से किस-किस दर पर क्रय की गई है, संस्थावार बतावें? **(ख)** शासन द्वारा सामग्री क्रय की राशि छात्र/छात्राओं के खातों में जमा करवाने के बावजूद किन संस्थाओं द्वारा एक ही संस्थान से सामग्री क्रय की गई है, तथा किस दर पर, संस्थावार, सामग्रीवार बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आश्रमों के छात्र/छात्राओं के उपयोग के लिये विगत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रय सामग्री की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** वर्ष 2014-15 में नवीन क्रय नीति निर्देश अनुसार छात्रावास/आश्रम पालक समिति द्वारा पलंग लघु उद्योग निगम से क्रय किया गया है, सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख)** नवीन क्रय नीति अनुसार छात्रावास/आश्रम में निवासरत छात्र/छात्राओं के उपयोग की सामग्री के लिये विद्यार्थियों के खाते में राशि जमा करने के बाद संबंधित छात्र-छात्रा द्वारा अपनी सुविधा अनुसार सामग्री क्रय की गई, सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - </u>"चउवन"

<u>मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की स्थापना</u>

44. (*क्र. 1798) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा शासकीय मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को ब्लड बैंक खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है? **(ख)** यदि हाँ, तो धार जिलान्तर्गत वर्ष 2012 से 2015 तक की अवधि में किन-किन अस्पतालों में ब्लड बैंक खोले गये हैं? वर्षवार खोले गये ब्लड बैंकों की सूची उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या शासकीय मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल अन्य अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ब्लड देने से इंकार कर सकता है? **(घ)** यदि नही तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है तथा क्या-क्या कार्यवाही प्रावधानित है? वर्ष 2012 से 2015 तक की अवधि में ऐसी कितनी शिकायत प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>छात्रावास भवनों की जानकारी</u>

45. (क्र. 1813) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में आदिवासी विकास जिला सागर द्वारा कुल कितने और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? और इन छात्रावासों के अधीक्षक कौन-कौन हैं, उनके नाम, पद एवं मूल विभाग की जानकारी विधान सभा क्षेत्रवार, छात्रावास के नाम वार, सीट संख्या सहित देवें? **(ख)** प्रश्नांश कंडिका **(क)** में वर्णित संचालित छात्रावासों में से कितने छात्रावास स्वयं के भवन में और कितने छात्रावास कितनी-कितनी मासिक दर पर, कहाँ-कहाँ किराये के भवनों में संचालित हैं? किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार छात्रावास के नामवार, सीट संख्या सहित देवें? क्या विभाग किराये के भवनों की जगह कहाँ-कहाँ स्वयं के छात्रावास भवन बनवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** सागर जिले के आदिवासी विकास के स्वयं के ऐसे कितने छात्रावास भवन कहाँ-कहाँ खाली पड़े हैं जिनमें छात्रावास संचालित नहीं हो रहे हैं और क्यों? क्या विभाग द्वारा अपने स्वयं के खाली पड़े छात्रावासों के रखरखाव का ध्यान न रखे जाने से पक्के निर्मित और अच्छी हालत में खाली पड़े छात्रावास के भवनों में तोड़फोड़ कर शासकीय

संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? तथा ये भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुँच रहे हैं? इसके लिये कौन जिम्मेवार है? **(घ)** प्रश्नांश कंडिका **(ग)** में परिप्रेक्ष्य में बतावें कि विभाग इन खाली पड़े छात्रावास भवनों की देखरेख एवं उनकी उपयोगिता बनी रहे, इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सागर जिले में आदिवासी विकास मद से कुल 14 छात्रावास, 11 प्री मैटिक एवं 03 पोस्ट मैटिक छात्रावास संचालित हैं। **विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** सागर जिले में आदिवासी मद के 10 छात्रावास स्वंय के भवन में तथा 04 छात्रावास किराये के भवन में संचालित हैं। किराये के भवन में संचालित छात्रावास का **विवरण विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निमार्ण कराया जाना संभव होगा। **(ग)** सागर जिले में आदिवासी मद से निर्मित भवन आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भैसा पहाडी भवन से महाविद्यालयों की दूरी अत्याधिक होने से छात्रावास भवन में छात्रों द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया। फलस्वरूप भवन रिक्त है। **(घ)** जी हाँ।

परिशिष्ट - "पचपन"

प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति

46. (क्र. 1814) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में नियमित प्राचार्य उ.मा.वि., प्राचार्य हाईस्कूल, व्याख्याता के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हुये हैं, तथा कितने पद रिक्त हैं, जिनको पदोन्नति द्वारा भरा जाना है? जानकारी जिलेवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश कंडिका **(क)** के अनुसार वर्णित पदों के लंबे समय से रिक्त रहने के कारण विद्यार्थियों के अध्यापन पर विपरित प्रभाव पड़ता है तथा शाला का मेनेजमेंट सिस्टम प्रभावित होता है? जिसके कारण वार्षिक परीक्षाफल भी प्रभावित होता है? **(ग)** क्या प्रश्नांश कंडिका **(क)** पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुये लगभग एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, परंतु पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुये हैं? यदि नहीं, तो पदोन्नति समिति की बैठक कब बुलायी गयी थी और कब तक पदोन्नति आदेश जारी कर लंबे समय से रिक्त पड़े पदों की पूर्ति की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्तमान में स्थानांतरण पश्चात ज्वाइनिंग तथ पदोन्नति पश्चात् काउंसलिंग की प्रक्रिया गतिशील होने से अपेक्षित जानकारी अंतिम स्वरूप में नहीं है। अत: जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी नहीं। प्राचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था हेतु प्रभारी प्राचार्य की व्यवस्था है एवं व्याख्याता पद रिक्त होने की स्थिति में अतिथि शिक्षकों से अध्यापन की व्यवस्था है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। प्राचार्य हाई स्कूल से प्राचार्य उ. मा. वि. पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 05.11.2014 एवं 30.01.2015 को एवं व्याख्याता से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 27.05.15 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। काउंसलिंग द्वारा पदांकन की कार्यवाही प्रचलन में है। शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 12.05.2014 को विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षित बैठक आयोजित की जाकर दिनाँक 12.12.2014 को पदोन्नति आदेश जारी किये जा चुके हैं। पद पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लंबित चिकित्सा देयकों का भुगतान

47. (क्र. 1815) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 106 (क्रं. 2795) दिनाँक 12.03.2008 में भोपाल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र एवं नरसिंहपुर जिले के सहायक शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान के संबंध में जानकारी दी गई थी, कि शेष चिकित्सा देयक का भुगतान वर्ष 2008-09 में उपलब्ध आवंटन के आधार पर यथाशीघ्र किया जावेगा? **(ख)** यदि हाँ, तो यह बताऐं कि किन-किन संबद्व सहायक शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के लंबित चिकित्सा देयकों का भुगतान कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है, किन-किन को भुगतान नहीं किया गया है, नामवार जानकारी दें तथा यदि भुगतान नहीं किया गया है तो यह भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** सभी संबंधित शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के लंबित देयकों का भुगतान किया जा चुका है। भोपाल दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के शेष सहायक शिक्षकों के चिकित्सा देयकों के भुगतान के लिये राशि रूपये 6000/- का बंटन दि. 24.7.15 को दिया जा चुका है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार।**

अनुसूचित एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की स्वीकृति

48. (क्र. 1837) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में हायरसेकण्डरी एवं हाईस्कूल में कितने छात्र/छात्राऍं अजा/अजजा के अध्ययनरत हैं, बताये? **(ख)** वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक विषयांकित स्कूल के कितने छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृत होकर उनके खातों में जमा कर दी गई है? यदि छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हुई है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के विरूद्व क्या कार्यवाही की जायेगी? **(ग)** अब कब तक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर छात्र/छात्राओं के खातों में जमा कर दी जावेगी? समय-सीमा स्पष्ट करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टों का वितरण

49. (क्र. 1851) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** झाबुआ जिले में वर्ष 2010-11 से मई 2015 तक वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकरण सामूहिक दावों हेतु एवं कितने प्रकरण एकल दावों के प्राप्त हुए थे? **(ख)** वन अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा कितने प्रकरणों को मान्य किया जाकर, कितने पट्टेधारियों को वन भूमि के पट्टे वितरण किये गये? **(ग)** वर्तमान में झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकरण विकासखण्ड स्तर पर, कितने प्रकरण अनुभाग स्तर पर और कितने प्रकरण जिला स्तर पर लंबित हैं? **(घ)** यदि प्रकरण लंबित हैं तो उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाकर वन भूमि पर आश्रित परिवार को दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत 4529 सामुदायिक एवं 4937 व्यक्तिगत दावे प्राप्त हुए। **(ख)** जिला स्तरीय समिति द्वारा 1151 व्यक्तिगत एवं 2725 सामुदायिक दावे मान्य किये गये तथा 888 व्यक्तिगत एवं 2725 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं। **(ग)** विकासखण्ड स्तर पर 01 एवं जिला स्तर पर 21 दावे लंबित हैं। **(घ)** दावों के निराकरण की प्रक्रिया अर्द्वन्यायायिक स्वरूप की होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

माध्यमिक विद्यालय व हाई स्कूल का उन्नयन

50. (क्र. 1854) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** झाबुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक कितनी माध्यमिक विद्यालय व हाई स्कूल का उन्नयन किया गया है? सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** यदि नहीं, किया गया है तो कब तक माध्यमिक विद्यालय व हाई स्कूल शालाओं का उन्नयन किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) उक्त अवधि में उन्नयन नहीं किया गया है। **(ख)** सीमित वित्तीय संसाधनों अंतर्गत उन्नयन की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आदिवासी उपयोजना के स्वीकृत कार्य

51. (क्र. 1876) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगौन जिले में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी कुल पुल/पुलियाओं/सड़कों का निर्माण हुआ है? निर्माण अवधि, लागत, नाम कहाँ निर्माण हुआ है? जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** उपरोक्त निर्मित पुल/पुलियाओं/सड़कों का कार्य किस एजेन्सी या ठेकेदार द्वारा किया गया है? इनकी पूर्ण होने की समयावधि क्या थी? ठेकेदार या एजेन्सी का नाम एवं कार्य कि पूर्णता दिनाँक बतावें? **(ग)** वर्ष 2012-13 व 2013-14 में खरगोन जिले में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत कितना बजट प्राप्त हुआ है, जिले अंतर्गत विधानसभावार कितना खर्च किया गया तथा भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये है? कृपया विधानसभावार व्यय कि जानकारी तथा भीकनगांव विधान सभा कार्यवार व्यय कि जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' में वर्णित अनुसार** है। **(ग)** राशि एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' तथा शेष जानकारी प्रपत्र-'स' अनुसार** है।

बालिका छात्रवासों में सुरक्षा व्यवस्था

52. (क्र. 1877) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों में संचालित कन्या छात्रावासों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक महिला सुरक्षा गार्ड तैनात किया जाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है? **(ख)** आने वाले शिक्षा सत्र में खरगोन जिले कि किन-किन छात्रावासों में यह व्यवस्था कि गई है? तथा व्यवस्था नहीं कि गई तो कारण बतावें या कब तक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी? **(ग)** क्या एस.टी./एस.सी. बालिका छात्रावासों में सुरक्षा की दृष्टि से महिला चौकीदार के रहने के लिए चौकीदार रूम का निर्माण तथा सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाने का कार्य शासन स्तर पर प्रस्तावित है? हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण होना है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जाति बालिकाओं हेतु संचालित छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड की कार्यवाही अभी विचाराधीन नहीं है। **(ख)** खरगोन जिले के किसी भी कन्या छात्रावास में महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था स्वरूप बालिका छात्रावासों में कार्यरत महिला कर्मचारियों से ही चौकीदार का कार्य लिया जा रहा है। समय-सीमा

बताना संभव नहीं है। **(ग)** कन्या छात्रावासों में चौकीदार आवास गृह का प्रावधान किया जा रहा है सी.सी.टी.वी. केमरे लगाने की कार्य योजना नहीं है समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>**मण्डला एवं सिवनी जिलों में सहायक आयुक्तों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच**</u>

53. (क्र. 1905) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहायक आयुक्त मण्डला एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी में पदस्थ सहायक आयुक्तों के विरूद्ध 01.01.2012 से 15.06.2015 तक कितनी शिकायतें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण, आयुक्त आदिवासी विकास एवं उपायुक्त आदिवासी विकास के पास जाँच के लिये दी गई तथा उक्त अधिकारियों द्वारा शिकायतों में कौन-कौन जाँच अधिकारी बनाये गये? **(ख)** बहुजन समाज पार्टी द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मण्डला एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी के विरूद्ध कितनी शिकायतें की गई तथा राज्य शासन ने शिकायतों पर कौन-कौन जाँच अधिकारी बनाये तथा जाँच अधिकारियों द्वारा कब तक मामले की जाँच रिपोर्ट दी जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>छप्पन"

<u>निजी चिकित्सालयों में ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना</u>

54. (क्र. 1922) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय को ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना हेतु शासन की कोई नीति है? **(ख)** यदि हाँ, तो, इस हेतु क्या प्रावधान निर्धारित किये गये है? **(ग)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिस प्रकार पिछड़े, आदिवासी जिलों में शासकीय मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग कॉलेज खोलने एवं चलाने हेतु वर्तमान में वर्णित नियमों एवं कानूनों में परिवर्तन एवं शिथिलता प्रदान की गई है? क्या उसके अनुरूप मध्यप्रदेश के शासकीय मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के लिये ब्लड़ स्टोरेज सेंटर/बैंक खोलने हेतु बनाये गये नियमों को शिथिल कर उपरोक्त के संबंध में स्वीकृति प्रदान करेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। ब्लड स्टोरेज सेंटर/ब्लड बैंक की अनुमति औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 123/122 शेडयूल 'के' में वर्णित शर्तों के अनुसार दी जाती है। जो कि केन्द्रीय अधिनियम है। इसी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य रक्ताधान परिषद की अनुमति पश्चात् ब्लड बैंक की अनुज्ञप्तियाँ औषधि महानियंत्रक, दिल्ली द्वारा जारी की जाती है।

<u>निजी चिकित्सालय को ब्लड उपलब्ध कराया जाना</u>

55. (क्र. 1923) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय अस्पतालों की ब्लड बैंक के इंचार्ज आफिसर की अनुपस्थिति अथवा पदस्थापना के अभाव में गंभीर मरीजों को ब्लड प्रदान किया जा सकता है? **(ख)** यदि हाँ, तो इस हेतु क्या प्रावधान निर्धारित किये गये है? क्या मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक निजी चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को भी ब्लड देने के लिये स्वतंत्र हैं तथा ऐसे निजी चिकित्सालय में

भर्ती मरीजों को आवश्यकता होने पर ब्लड उपलब्ध कराये जाने हेतु किस प्रकार के प्रावधान निर्धारित किये गये है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। शासकीय अस्पतालों में ब्लड बैंक प्रभारी की व्यवस्था रहती है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउन्सिल, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, एड्स कन्ट्रोल विभाग के पत्र क्रमांक एस.12016/01/2012-नॉको (एनबीटीसी) दिनाँक 12.2.2014 द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार राज्य रक्ताधान परिषद से निर्धारित प्रोसेसिंग चार्ज का भुगतान कर मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ब्लड प्राप्त कर सकते हैं।

<u>शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों की जाँच</u>

56. (*क्र. 1972) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2006 से 2012 में प्रवेशित विद्यार्थियों की जाँच का आदेश किस दिनाँक को दिया गया तथा जाँच रिपोर्ट किस दिनाँक को प्राप्त हुई? **(ख)** क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा वर्ष 2006 से 2012 की जाँच हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को 17 स्मरण पत्र लिखे गए? यदि हाँ, तो उन पत्रों का क्रमांक तथा दिनाँक बतावें? **(ग)** क्या पूर्व विधायक पारस सकलेचा की मा. हाईकोर्ट में दर्ज याचिका क्र. 21543/2013 में सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की 2006 से 2012 की जाँच रिपोर्ट का संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा परीक्षण किया गया या नहीं? सारी जाँच रिपोर्ट एक ही दिनाँक 03.12.13 को कैसे पूर्ण हुई? **(घ)** क्या प्रश्नांश **(ग)** में उल्लेखित रिपोर्ट व्यापम द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से मिलान कर बनायी गई? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस कॉलेज को किस-किस वर्ष के दस्तावेज किस दिनाँक को किस पत्र के माध्यम से प्राप्त हुए?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवनों की स्वीकृति</u>

57. (क्र. 1985) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खिलचीपुर विधान सभा क्षेत्र के हायर सेकेण्डरी स्कूल (1) - ब्राह्मणगांव (2) - मोहन (3) रामगढ़ (4) - पीपल्या कुलमी व (5) कन्या हायर सेकेण्डरी छापीहेडा आदि में भवन नहीं है एवं छात्र-छात्राओं को बैठने की काफी परेशानी है? क्या उक्त सभी विद्यालयों के भवन स्वीकृत है? **(ख)** अगर भवन स्वीकृत नहीं है तो कब तक स्वीकृत करा दिये जावेगे? **(ग)** क्या हायर सेकेन्ड्री स्कूल ब्यावरा कला का भवन भी अभी तक स्वीकृत नहीं है? कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) शासकीय हायर सेकेण्डरी ब्राह्मणगांव एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मोहन में स्वयं का भवन नहीं है, जबकि शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल रामगढ़, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल पिपल्याकुलमी और शासकीय कन्या उ.मा.वि. छापीहेड़ा में स्वनिर्मित भवन है, किन्तु विद्यार्थी संख्या के मान से पर्याप्त नहीं है, उक्त सभी विद्यालयों हेतु पृथक से भवन स्वीकृत नहीं है। **(ख)** वित्तीय सीमाओं के कारण समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है। **(ग)** जी नहीं। उक्त विद्यालय में 02 अतिरिक्त कक्ष 01 विज्ञान लैब 01 आर्टक्राफ्ट रूम एवं 01 लाइब्रेरी कक्ष का निर्माण किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रमिकों की सुरक्षा के समुचित प्रबंध

58. (क्र. 2009) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इप्का लेबोरेट्रीज फार्मस्युटिकल कंपनी दवाईयों का उत्पादन करने का कार्य करती है? साथ ही उत्पादन में रासायनिक सामग्रियों का उपयोग भी फैक्ट्री में उत्पादन हेतु किया जाता है? **(ख)** क्या इप्का लेबोरेट्रीज की इकाईयां ग्राम सेजावता जिला रतलाम इन्दौर औद्योगिक क्षेत्र इंदौर एवं पीथमपुर जिला धार में कार्यरत होकर विभिन्न रसायनों के माध्यम से उत्पादन का कार्य करती है? **(ग)** यदि हाँ, तो उत्पादन में प्रयोग होने वाले घातक रसायनों एवं उत्पादन के दौरान विषम एवं विकट परिस्थितियों में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों, श्रमिकों हेतु सुरक्षात्मक क्या-क्या प्रबंधन किये जाते है? **(घ)** साथ ही वर्ष 2012-13, 2013-14 वर्ष 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक उपरोक्त तीनों फैक्ट्रीयों में कितनी दुर्घटनाएं होकर कितनी मृत्यु एवं कितने घायल हुए? उनके लिये क्या-क्या किया गया? तथा क्या क्षतिपूर्ति राशि एवं पी.एफ भी सभी को दिया जाता है? यदि हाँ, तो अवगत कराएं?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये हेलमेट, सेफ्टी ग्वागल्स, सेफ्टी शूज, डस्ट मास्क, हेण्ड ग्लोब्स आदि उपकरण आवश्यकतानुसार प्रदाय किये जाते है। अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु वाटर हाईड्रेण्ट सिस्टम, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था है। कारखानों में सुरक्षा से संबंधित ऑन साईट आपात योजना तैयार की गई है, जिसका समय-समय पर पूर्वाभ्यास भी कराया जाता है। श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कारखाना प्रबंधन द्वारा कराया जाता है एवं कारखानों में प्रथमोपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। **(घ)** प्रश्नांकित अवधि में इप्का लेबोरेट्रीज लि., सेजावता जिला रतलाम एवं इप्का लेबोरेट्रीज लि. (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र) पीथमपुर जिला धार में घटित दुर्घटनाओं की जानकारी क्रमश: **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' में है**। शेष कारखानों की जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

छात्रावासों में समुचित सुविधाओं हेतु बजट प्रावधान

59. (क्र. 2010) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग द्वारा अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं हेतु रतलाम जिले में अनेक स्थानों पर छात्रावासों के माध्यम से व्यवस्थाएं की गई हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत कितने छात्रावास किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी संख्या के होकर कार्यरत हैं तथा कितने आगामी दिनों में प्रस्तावित होकर स्वीकृत किये जाने है? **(ग)** वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 के प्रश्न दिनाँक तक छात्रावासों के समुचित प्रबंधन हेतु, निर्माण हेतु, मरम्मत हेतु अन्य सुविधाओं हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर उपरोक्त स्थानों पर कितना-कितना व्यय किया गया? **(घ)** नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रीय विकासखंडवार, ग्रामवार स्थानवार उपरोक्तानुसार प्राप्त बजट में से व्यय कर किये गये कार्यों की भौतिक सत्यापन सहित तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराए?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। आगामी दिनों में छात्रावास स्वीकृत किये जाने की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (घ)** विभागीय संस्थाओं में मरम्मत एवं अन्य सुविधाओं हेतु दिये गये व्ययों/कार्यों का भौतिक सत्यापन

संस्था स्तर पर गठित समिति विभागीय उपयंत्री, मण्डल संयोजक के द्वारा समय समय पर किया जाता है।

<u>स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन में अनियमितता</u>

60. (क्र. 2036) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले के घट्टिया विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? इन स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में इन पदों पर कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ है? सूची उपलब्ध करावें? **(ख)** उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पद संख्या/आवश्यक पद संख्या के मान से कितने पद रिक्त हैं? विभाग द्वारा क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए इन पदों पर कब तक नियुक्ति की जावेगी? **(ग)** क्या अधिकारियों/कर्मचारियों की ठीक प्रकार से मानिटरिंग न होने के कारण बहुत से स्वास्थ्य केन्द्र नियमित नहीं हैं? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करने हेतु उच्च तकनीक का जैसे GPS अथवा Web आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने की योजना है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास की स्थापना</u>

61. (क्र. 2068) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 1326) दिनाँक 04 मार्च 2015 के उत्तर में बताया गया था कि ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बाल छात्रावास की स्वीकृति संबंधी विषय पर निर्णय अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा लिये जाने के कारण आदिम जाति विभाग के पत्र दिनाँक 27.08. 2014 द्वारा प्रेषित किया गया है? **(ख)** क्या उक्त विधानसभा प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण) जिला राजगढ़ के पत्र क्रमांक 287 दिनाँक 23.02.2015 द्वारा आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश, भोपाल के ग्राम सेमलापार में छात्रावास खोले जाने की अनुशंसा निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की गई है तथा सत्रावधि में ग्राम सेमलापार में हाईस्कूल भी प्रारंभ किया जा चुका है? जिससे अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या में प्रश्न दिनाँक तक वृद्धि हो गई है? **(ग)** उपरोक्तानुसार प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** में यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक उक्त प्रास्तावों में क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** नवीन छात्रावास खोले जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने से कार्यवाही नहीं की गयी। ग्राम सेमलापार में छात्रावास प्रारंभ किये जाने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>ब्यावरा नगर में अतिरिक्त कन्या हाईस्कूल की स्वीकृति</u>

62. (क्र. 2069) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत शासकीय कन्या हाईस्कूल ब्यावरा में वर्तमान में एक हजार से

अधिक छात्राओं की संख्या दर्ज है? ब्यावरा शहर की आबादी वर्तमान में 60 हजार है तथा नगर का क्षेत्रफल 6-7 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है? नगर में एक मात्र शासकीय कन्या हाईस्कूल है तथा वर्तमान कन्या हाईस्कूल तक पहुंचने के लिये छात्राओं को चार-पांच कि.मी दूर से आना पड़ता है? **(ख)** क्या नगर की दूरी व जनसंख्या के अनुपात में एक अतिरिक्त कन्या हाईस्कूल एक निश्चित दूरी पर दर्ज छात्राओं की संख्या के आधार पर खोलने की शासन की नीति है तो क्या ब्यावरा शहर में वर्तमान अथवा आगामी शैक्षणिक सत्र में ऐसे विद्यालय की स्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। ब्यावरा शहर में ही शा.क.उ.मा.वि., उत्कृष्ट उ.मा.वि. एवं शा. हाई स्कूल राजगढ़ ब्यावरा रोड संचालित हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

न्यूनतम वेतन दर से कम वेतन

63. (क्र. 2097) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार कर्मचारी को न्यूनतम वेतन दरों से कम वेतन देना अपराध माना गया है? **(ख)** क्या संविदा भृत्य का ड्यूटी समय सामान्य भृत्य के समान ही है लेकिन संविदा भृत्यों को प्रतिमाह रूपये एक हजार छह सौ मात्र वेतन दिया जा रहा है? जो कि शासन की अधिसूचना का उल्लंघन है या नहीं? **(ग)** इनका मासिक वेतन न्यूनतम मजदूरी दर के समान कब तक किया जावेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी नहीं। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा-22 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन से कम वेतन भुगतान किया जाना दण्डनीय अपराध है **(ख)** संविदाकर्मियों की सेवाशर्तें व वेतन श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित नहीं है। तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का भुगतान नहीं किया जाना उल्लंघन की श्रेणी में आता है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गुरूजियों की नियुक्ति

64. (क्र. 2102) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की शिक्षा गारंटी शालाओं एवं वैकल्पिक विद्यालयों के गुरूजियों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 596/2010 एवं इससे संबंधित अन्य आदेशों के तहत मंदसौर जिले के कितने गुरूजियों को वर्ष 2010 से 2015 तक एरियर्स एवं अध्यापक संवर्ग के समान वेतन का भुगतान किया गया है एवं बाद में जिन गुरूजियों के कोर्ट से आदेश हुए है? उन्हें नियुक्ति दिनाँक से शिक्षाकर्मी एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन करके एरियर्स का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ख)** इन्हें नियुक्ति दिनाँक से नियमित वेतनमान की स्वीकृति की जाकर एरियर्स का भुगतान एवं वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण किया जाकर पदोन्नति का लाभ दिया जाकर कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? **(ग)** यदि आज दिनाँक तक भुगतान नहीं किया गया है तो कारण बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर डबल बेंच द्वारा रिट अपील नं. 596/2010 श्री गोपाल चावला एवं अन्य में दिनाँक 15.12.2010 में पारित निर्णय के परिपालन में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक

<u>5-175/11/22/42</u> दिनाँक 28.11.11 के क्रम में प्रकरण परीक्षण प्रक्रिया में होने से कार्यवाही गतिशील है। **(ख)** उत्तरांश क अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उत्तरांश क अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>आदिम जाति विभाग द्वारा आवंटित राशि</u>

65. (क्र. 2103) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में विकास हेतु जिले में कितनी राशि आंवटित की गई है? **(ख)** विगत दो वर्षो में विभाग द्वारा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विकास हेतु कितनी राशि राज्य एवं केन्द्र व जिले से प्राप्त हुई है? **(ग)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा विधायक की अनुशंसा पर कितनी राशि किस कार्य के लिये दी गई है? **(घ)** वर्तमान में कितनी राशि विकास हेतु उपलब्ध है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मंदसौर जिले को बस्ती विकास अन्तर्गत 2013-14 में 6.53 एवं 2014-15 में 9.53 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख)** यद्यपि विधान सभा क्षेत्रवार आवंटन नहीं दिया जाता है। तथापि **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ग)** अनुशंसा प्राप्त न होने से जानकारी निरंक है। **(घ)** प्रश्नांश अन्तर्गत जनजाति विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत जिले में राशि रुपये 142.30 लाख उपलब्ध है, इसके अलावा वर्ष 2015-16 में जिलों को 11.49 लाख का आवंटन दिया गया है।

<u>परिशिष्ट - "</u>अट्ठावन"

<u>राज्य छात्रवृत्ति योजना</u>

66. (क्र. 2117) श्री प्रताप सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2012-13 से राज्य शासन ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जिला कार्यालय की स्थापना की है? **(ख)** दमोह जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत जबेरा विधानसभा में संचालित पाठशालाओं के कितने बालक एवं बालिकाओं को लाभांवित किया गया? कक्षा ग्यारहवी, बारहवी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी व्यवसायी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति किस दर पर प्रदान की गई? **(ग)** दमोह जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनाँक तक कितना ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया है, कार्य योजनावार बतलावें? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** अवधि में दमोह जिले के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि चरणवार स्वीकृत की गर्इ है? ऐसे छात्र/छात्राओं के नाम एवं पते सहित बतलावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। **(ख)** दमोह जिले में जबेरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में 18042 एवं 2014-15 में 40131 बालक एवं बालिकाओं को पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभांवित किया गया है। कक्षा 11वीं 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी व्यवसायी पाठ्यक्रमों में सस्थाओं को देय निर्धारित फीस के अतिरिक्त अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की निम्नानुसार दरों पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कक्षा 11वीं छात्रवृत्ति दर छात्र 50/- छात्रा 60/- प्रतिमाह, कक्षा 12 वीं छात्रवृत्ति दर छात्र 55/- छात्रा 70/- प्रतिमाह, स्नातक एवं

स्नातकोत्तर छात्र 100/- छात्रा 110/- प्रतिमाह, मेडिकल/इंजी/प्रौद्योगिकी छात्र 190/- छात्रा 190/- प्रतिमाह **(ग)** दमोह जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009-10 से प्रश्न दिनाँक तक बैंकों के माध्यम से राशि 5493000/- रूपये का ऋण उपलब्ध कराया है एवं इस ऋण पर विभाग के द्वारा राशि रूपये 1373250/-का अनुदान दिया गया है। **(घ)** दमोह जिले के पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर रू.3,25,000/- की राशि चरणबद्ध स्वीकृत की गई है। अभ्यर्थियों की सूची **संलग्न परिशिष्ट पर है।**

<u>परिशिष्ट - "</u>उनसठ"

<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का व्यवस्थापन</u>

67. (क्र. 2126) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दमोह जिले में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किस अवधि से किन-किन स्थानों पर संचालित हैं? क्या इन संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में जनसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हाँ, तो उन्हें संचालित करने के लिए अनुभवी स्टाफ है अथव नहीं? यदि नहीं, तो क्या कारण है? उपकरण क्या गैर तकनीशियन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, यदि हाँ, तो उनके नाम, पदनाम सहित बतलावें? **(ख)** दमोह जिले में संचालित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत स्टाफ एवं कार्यरत स्टाफ तथा रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति बतलावें? रिक्त पद यदि हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई? कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी, समय-सीमा बतलावें? **(ग)** वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा क्षेत्र अंतर्गत केन्द्रों का निरीक्षण किया है, यदि हाँ, तो कब-कब? अधिकारीवार एवं दिनाँकवार विवरण देवें? **(घ)** निरीक्षण में केन्द्रवार क्या-क्या अनियमितताएं परिलक्षित हुई तथा उनके सुधार के लिए जिला एवं शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? क्या ग्रामीण अंचलों के संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में आधुनिक उपकरण स्थापित कराये जाने तथा उन्हें संचालित किये जाने हेतु दक्ष स्टाफ की पदस्थापना के प्रयास किये गये है, यदि हाँ, तो विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बस्ती विकास योजना स्वीकृत राशि</u>

68. (क्र. 2170) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिले में वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना एवं परियोजना मद 275 (1) से कौन-कौन से कार्य, कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत किये गये? विकासखण्डवार बतायें। **(ख)** उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति किस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गयी? तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक दिनाँक बतायें? **(ग)** उक्त कार्यों का मापन, मूल्यांकन एवं सत्यापन किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया? नाम, पदनाम सहित बतायें? **(घ)** वर्ष 2015-16 के प्रथम त्रैमास में बस्ती विकास योजना में कितना आवंटन प्राप्त हुआ? उसमें से कौन-कौन से कार्य किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा से स्वीकृत किये गये?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत अनुसूचित जाति अन्तर्गत कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। अनुसूचित जनजाति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** एवं 275 (1) के कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ-1' अनुसार** है। **(ख)** तथा **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं प्रपत्र-'अ-1' में वर्णित अनुसार** है। **(घ)** जनजाति बस्ती विकास योजना में प्रथम त्रैमास में आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है जबकि अनुसूचित जाति बस्ती विकास अन्तर्गत 5.98 लाख की राशि आवंटित की गई है, परन्तु कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>नवरत्न स्कूल मण्डला का निर्माण</u>

69. (क्र. 2171) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिले में उत्कृष्ट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मण्डला (नवरत्न स्कूल) के बनाये जाने में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि व्यय की गयी? उक्त कार्यों की कार्य एजेंसी कौन-कौन है? **(ख)** क्या इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्ण करने के लिये निविदायें आमंत्रित की गयी? यदि हाँ, तो किन-किन समाचार पत्रों में, प्रत्येक कार्य के कितनी निविदायें प्राप्त हुई तथा स्वीकृत निविदाकार का नाम, राशि सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें? **(ग)** क्या परियोजना क्रियान्वयन के लिये क्रय समिति गठित की गयी थी, इसके सदस्य कौन-कौन है? क्या क्रय समिति में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को रखा गया है? क्या यह शासन के नियमाकूल समिति है? **(घ)** क्या नवरत्न स्कूल मण्डला में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रूपये व्यय किये गये व्यय करने वाले अधिकारी एवं नवरत्न स्कूल के मरम्मत कार्य की जाँच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) मण्डला जिले में उत्कृष्ट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मण्डला, (नवरत्न स्कूल) के बनाये जाने में आदिवासी विकास विभाग द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है। कार्यों को शाला प्रबन्धन एवं विकास समिति तथा जन सहयोग के माध्यम से लोगों के द्वारा कराया गया है। **(ख)** इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्ण कराने के लिये विभागीय मद से कार्य नहीं कराये जाने से विभाग द्वारा निविदा जारी करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ-12-11/2013/25-2/1472 दिनाँक 27.06.2013 के द्वारा क्रय समिति निर्धारित है, तथा शाला प्रबन्धन विकास समिति है। **(घ)** नवरत्न स्कूल मण्डला में मरम्मत कार्य शाला प्रबन्धन एवं विकास समिति तथा जन सहयोग के माध्यम से कराया गया है, जिसमें जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकार, पेंशनर, समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा राशि एवं आवश्यक सामग्री स्वेच्छा से दान दी जाकर निगरानी समिति के द्वारा कार्य हुआ है, जिसका अनुमोदन माननीय प्रभारी मंत्री, मण्डला के द्वारा दिया गया है।

<u>गोटेगांव विधानसभा में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं</u>

70. (क्र. 2182) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं एवं इनमें क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं? **(ख)** क्या इन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर पदस्थ हैं? सूची प्रदान करें। यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इनकी पदस्थापना के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं? **(ग)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटेगांव में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ की जानकारी प्रदान करें? **(घ)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटेगांव में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा (जैसे प्रसव, दुर्घटना, आपरेशन, शिशु

स्वास्थ्य, दवाई उपलब्धता एवं ओपीडी आदि) की सुविधाओं की जानकारी प्रदान करें? विगत माह की दैनिक ओपीडी एवं इसे संचालित करने वाले डॉक्टरों की संख्या बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 24 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर बाह्यरोगी, आंतरिक रोगी, जीवन रक्षक औषधियाँ, प्रसव, जाँच, शिशु स्वास्थ्य एवं जननी एक्सप्रेस आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। **(ख)** प्रश्नांश भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। चिकित्सक विशेषज्ञ के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाना है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। चिकित्सकों के चयन की सूची प्राप्त होने पर चिकित्सकों की पदस्थापना की जा सकेगी। **(ग)** प्रश्नांश भाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटेगांव में बाह्यरोगी, आंतरिक रोगी, प्रसव, आपरेशन, निशुल्क औषधियाँ, एम्बूलेंस, पैथलॉजी जाँच व एक्स-रे की सुविधायें उपलब्ध है। विगत माह की दैनिक ओ.पी.डी. लगभग 200 एवं चिकित्सकों की संख्या 03.

<u>परिशिष्ट - "</u>साठ"

<u>श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं</u>

71. (क्र. 2209) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खंडवा जिले में श्रम विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में विद्यालय संचालन में कौन-कौन सी संस्थाओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया? उनमें कितने बच्चे अध्ययनरत रहे? **(ख)** स्थानीय निकायों से विभाग को विगत 3 वर्षों में कर्मकार शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्ष एवं निकायवार जानकारी दी जाए? **(ग)** क्या निकायों द्वारा कर्मकार शुल्क श्रम विभाग को देने में लापरवाही की जा रही है, जिससे शासन को प्रतिवर्ष राजस्व की हानि हो रही है? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? **(घ)** कर्मकार शुल्क वसूली के लिये श्रम विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में क्या प्रयास किये गये? स्थानीय निकायों के साथ कब-कब बैठकें आयोजित की गई?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विभाग के प्रयासों से विगत तीन वर्षों में रूपये 3,53,97,081/- की उपकर राशि जमा कराई गई है तथा मण्डल की सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर, खण्डवा की अध्यक्षता में दिनाँक 06.03.2013 को आयोजित की गई।

<u>परिशिष्ट - "</u>इकसठ"

<u>सरदार वल्लभभाई पटेल नि:शुल्क दवा योजना</u>

72. (क्र. 2211) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम की कोई विशेष योजना है? **(ख)** क्या प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में सभी मरीजों को सरदार वल्लभभाई पटेल नि:शुल्क दवा वितरण का लाभ दिया जा रहा है? इससे प्रदेश सरकार का कितना सालाना खर्च हो रहा है? **(ग)** परिवार कल्याण कार्यक्रम/परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिये क्या प्रदेश हित में नि:शुल्क दवा का वितरण केवल दो बच्चों पर ही दिये जाने के

प्रावधान पर विचार किया जा रहा है? **(घ)** यदि हाँ, तो कब तक इसे अमल में लाया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश सरकार इस योजना में आंशिक संशोधन पर विचार करेगी? ताकि पात्रों को अधिक से अधिक नि:शुल्क दवा वितरण योजना का लाभ मिल सकें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। पूरे देश की तरह मध्यप्रदेश में भी राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम संचालित है। **(ख)** जी हाँ। औषधि मद अंतर्गत वर्ष 2014-15 में रूपये 103.56 करोड़ खर्च हुये। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>निजी अशासकीय बी.एड महाविद्यालयों में एससी,एसटी छात्र-छात्राओं को दी छात्रवृत्ति वितरण</u>

73. (क्र. 2233) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निजी बी.एड. महाविद्यालयों में एससी, एसटी के छात्र-छात्राओं को फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस के बराबर तथा ओबीसी के छात्र-छात्राओं को शासकीय बी.एड. महाविद्यालय में ली जाने वाली फीस के बराबर छात्रवृत्ति दी जाने संबंधी क्या राज्य शासन का कोई आदेश है? यदि हाँ, तो उस आदेश की एक प्रति उपलब्ध करावई जावें? **(ख)** क्या विभाग द्वारा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस की जानकारी के लिए बगैर न्यूनतम 25000/- (पच्चीस हजार) रू. छात्रवृत्ति एससी, एसटी के छात्र-छात्राओं को दी जा रहा है? **(ग)** क्या जिन एससी, एसटी के छात्र-छात्राओं को 25000/- छात्रवृत्ति दी गयी है? उन छात्र-छात्राओं को राज्य शासन के उक्त आदेश के परिपालन में आदेश दिनाँक के बाद से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ', 'ब' तथा 'स' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। निर्धारित न्यूनतम फीस 25000/- की राशि भुगतान की जाती है। **(ग)** यदि प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति राज्य के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए न्यूनतम शुल्क वृद्धि करेगी तो ही अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

<u>गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में कार्यरत कर्मचारी</u>

74. (*क्र. 2242) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में विगत 03 वर्षों से किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति, समयमान वेतनमान, वेतनवृद्धि नियमितीकरण की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग को किन-किन नियमों के तहत कब-कब की गयी जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट एवं अन्य तकनीकी तथा लिपिकीय संवर्ग के आरक्षण अनुसार कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के लिये आरक्षित हैं, एवं शासन के संवर्गवार आरक्षण अनुसार कौन-कौन से पद पर कौन-कौन से कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं? निम्न श्रेणी लिपिक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? आरक्षण अनुसार कितने-कितने कर्मचारी किस-किस श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत हैं व क्यों? आरक्षण नियमों की अनदेखी के लिये कौन जबावदेह है? **(ग)** स्थापना शाखा प्रभारी द्वारा विगत वर्षों में किये गये उपरोक्त कृत्यों की अनेकों शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत भी उनको निलंबित कर पारदर्शी जाँच क्यों नहीं की गयी? किस अधिकारी द्वारा इनको बचाया जा रहा है जबकि वर्तमान में 04 सेवा पुस्तिका गायब होने के प्रकरण लंबित है? **(घ)** क्या शासन

उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल नियमानुसार जाँच कराकर दोषियों को दण्डित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>बरगी में प्राथमिक स्वा. केन्द्र की स्थापना</u>

75. (क्र. 2263) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.7 पर स्थित ग्राम बरगी जिसके अंतर्गत 70-80 ग्राम हैं में चिकित्सा हेतु कोई उपयुक्त चिकित्सालय नहीं है? **(ख)** क्या शासन 70-80 ग्रामवासियों के उपचार हेतु ग्राम बरगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना करेगा? तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.7 पर 08 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी संचालित है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>एक शिक्षकीय एवं दो शिक्षकीय शालाओं से अध्यापकों के संविलियन हेतु अनापत्ति</u>

76. (क्र. 2264) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं जो एक शिक्षकीय एवं दो शिक्षकीय हैं, के किन-किन सहायक अध्यापकों, अध्यापकों की वर्ष 2014 एवं 2015 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य शालाओं में संविलियन हेतु जारी किये गये हैं? नाम, शाला सहित विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) वर्ष 2014 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये है। वर्ष 2015 में एक निकाय से अन्य निकाय में पारस्परिक संविलियन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। शेषांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर।**

<u>**परिशिष्ट - "**</u>बासठ"

<u>आदिमजाति कल्याण विभाग में अन्य विभाग/कनिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना</u>

77. (क्र. 2296) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग में किस स्तर (वर्ग) के अधिकारियों की पदस्थापना एकीकृत आदिवासी विकास (वृहत) परियोजनाओं में परियोजना प्रशासक एवं जिलों में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के पदों पर पदस्थ किये जाने का प्रावधान है? **(ख)** क्या विभाग में सक्षम अधिकारियों का अभाव है, जिसके कारण पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों व कनिष्ठ अधिकारियों को परियोजना प्रशासक व सहायक आयुक्त के पदों पर पदस्थ किया गया है? जिलेवार जानकारी दें। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को अन्य विभाग में पदस्थ करने पर क्या उनके मूल विभाग के कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं? **(ग)** पशु चिकित्सकों को उनके मूल पद पर वापस किया जाकर उक्त पदों पर विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एकीकृत आदिवासी विकास (वृहत) परियोजना में उपायुक्‍त स्तर एवं अनुसूचित जनजाति जिलों में सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्तर के) अधिकारी पदस्थ किये जाने का प्रावधान है। **(ख)** विभाग में पदों की रिक्तता के कारण, निर्धारित प्रक्रिया के तहत् प्रतिनियुक्‍ति पर सेवायें ली गई हैं विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। यह अस्थायी शासकीय व्यवस्था है। **(ग)** नियमित पदोन्नति पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बतलायी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

आदिम जाति कल्याण विभाग के तकनीकी निर्माण उपखण्डों का विभाजन

78. (क्र. 2309) श्री तरूण भनोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग के तकनीकी निर्माण उपखण्डों के कार्य क्षेत्र का विभाजन कब से नहीं किया गया है? **(ख)** क्या नये जिलों तथा नये संभाग के पुनर्गठन के पश्चात् नये संभाग एवं जिलों को निर्माण उपखण्ड में शामिल किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) राज्य विभाजन के पश्चात नहीं किया गया। **(ख)** परीक्षण उपरान्त आवश्यकता अनुरूप विचार किया जा सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्कूलों में शौचालय निर्माण

79. (क्र. 2324) श्री विश्वास सारंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल व रायसेन जिले के ऐ‍से कौन-कौन प्रायमरी/मिडिल/हाईस्कूल हैं जहां पर प्रश्न दिनाँक तक शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है? कारण सहित जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के तहत विगत तीन वर्ष में किन-किन स्कूलों की आर्थिक अनियमितताओं की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के तहत क्या प्रश्न दिनाँक तक शिकायतों का निराकरण हो गया है? यदि हाँ, तो स्कूलवार, निराकरणवार जानकारी दें? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा? **(घ)** प्रश्नांश **(क)** के तहत कब तक स्कूल में शौचालयों का निर्माण करा दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) भोपाल एवं रायसेन जिले के सभी हाईस्कूलों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है। भोपाल एवं रायसेन जिले की ऐसी कोई भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला नहीं है जहां प्रश्न दिनाँक तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। **(ख)** विगत तीन वर्षों में प्राथमिक/माध्यमिक एवं हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आर्थिक अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** एवं **(घ)** एवं प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारंभ करने बाबत्

80. (क्र. 2334) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्योपुर जिला मुख्यालय पर संचालित गर्ल्स हायर सेकण्ड्री स्कूल में वर्तमान तक वाणिज्य संकाय की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हैं एवं इस हेतु निरंतर नागरिक कई वर्षो से मांग भी करते आ रहे है? **(ख)** उक्त कारण से माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रतिवर्ष श्योपुर क्षेत्र की उन छात्राओं को जो वाणिज्य संकाय की पढ़ाई में रूचि रखती हैं वे आगे की शिक्षा से वंचित रह जाती है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या शासन श्योपुर क्षेत्र की छात्राओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए जिला

शिक्षा अधिकारी श्योपुर से प्रस्ताव मंगवाकर उसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर इसी शिक्षा सत्र से गर्ल्स हायर सेकण्ड्री स्कूल श्योपुर में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारंभ करवाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं, श्योपुर मुख्यालय पर ही संचालित शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. श्योपुर एवं शा. श्री हजारेश्वर उ.मा.वि.श्योपुर में वाणिज्य संकाय संचालित है, जिसमें छात्राएं अध्ययन हेतु जाती है। **(ग)** उत्तरांश ख के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>छात्रावास का संचालन</u>

81. (क्र. 2335) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्योपुर जिले में वर्तमान में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कहाँ-कहाँ बालक/बालिका छात्रावास संचालित हैं? शासन निर्देशानुसार इनमें क्या-क्या सुविधाएं होना चाहिए और क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध/अनुपलब्ध हैं? **(ख)** वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक उक्त छात्रावासों का किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कब-कब आकस्मिक निरीक्षण किया गया के दौरान क्या अनियमितताएं पाई गई इसके लिये उत्तरदायियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? इन अनियमितताओं को रोकने के लिये विभाग क्या कार्यवाही करेगा? **(ग)** क्या सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला श्योपुर द्वारा जिला मुख्यालय पर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के संचालन हेतु श्री ज्ञान सिंह तौमर पुत्र श्री जंडेल सिंह तौमर का भवन दिनाँक 10.08.13 से 37 हजार रूपये प्रतिमाह किराये पर आधिपत्य में लिया था? तब से इस भवन में छात्रावास के संचालित होने तक की अवधि के किराये का भुगतान न करने के क्या कारण हैं? इस हेतु कौन उत्तरदायी हैं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) अनुसूचित जनजाति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। अनुसूचित जाति की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** अनुसूचित जनजाति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। अनुसूचित जाति की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>परिशिष्ट -</u> ''चौंसठ''

<u>आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन का निर्माण</u>

82. (क्र. 2360) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हैं? क्या ये चिकित्सालय शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं और भवनविहीन चिकित्सालय कहाँ पर संचालित हो रहे हैं? **(ख)** क्या भवन विहीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण कराये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सक कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? रिक्त चिकित्सकों के पद की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सिवनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी ग्राम में कोई आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित नहीं है। 10 आयुष औषधालय

शासकीय भवनों में संचालित है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** सिवनी विधान सभा क्षेत्र में कोई चिकित्सालय संचालित नहीं है, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में प्राप्त आवंटन</u>

83. (क्र. 2361) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास योजना एवं छात्रवास मरम्मत मद योजना के तहत वर्ष 2013-14 में कितना बजट/आवंटन प्राप्त हुआ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में प्राप्त आवंटन के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि का स्वीकृत किया गया? कार्य स्वीकृति की दिनाँक/राशि सहित विवरण देवें? **(ग)** क्या जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन से अन्य निर्माण कार्य करवाये गये है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के करवाये गये है? क्या अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना में निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव लंबित है? **(घ)** अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रश्नांश **(क)** अवधि में किन-किन आवासीय छात्रावासों में मरम्मत कार्य करवाया गया तथा उस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) वर्ष 2013-14 में सिवनी जिले को अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना मद में राशि रूपये 74.72 लाख, छात्रावास आश्रम सुदृढ़ीकरण में राशि रूपये 100.00 लाख तथा छात्रावास आश्रम अनुरक्षण मद में राशि रूपये 16.77 लाख मद बजट/आवंटन प्राप्त हुआ है। सिवनी जिले को अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के तहत 2013-14 में 45.17 लाख तथा छात्रावास सुदृढ़ीकरण मद में रूपये 101.80 लाख एवं छात्रावास अनुरक्षण मद में रूपये 4.00 लाख का आवंटन दिया गया। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ', 'एक' तथा 'दो' अनुसार** है। (ग) जी नहीं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' एवं 'दो' अनुसार** है।

<u>टीकमगढ जिले के ग्राम दिगौड़ा में शासकीय हायर सेकण्ड्री स्कूल के निर्माण संबंधी</u>

84. (क्र. 2369) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिगौड़ा ग्राम में शासकीय हायर सेकण्ड्री स्कूल के भवन का निर्माण वी.आर.जी.एफ. योजना के तहत कराया गया था? उक्त भवन निर्माण में कार्य एजेंसी ठेकेदार कौन था तथा उक्त भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? **(ख)** क्या उक्त भवन निर्माण शासन के मापदण्डों के अनुरूप किया गया तथा उक्त भवन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित भी कर दिया गया? हां या नहीं? उक्त भवन के निर्माण बाद दीवारों में क्रेक (फट) गई है तथा ऊपर की पूरी छत क्षतिग्रस्त हैं पानी चूं रहा है? एवं खिड़की दरवाजे भी ठेकेदार द्वारा सही नहीं लगाये गये है ग्रामीणों ने कई बार इस संबंध में उच्च अधिकारियों से शिकायत की परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उक्त एवं घटिया स्तर की सामग्री उपयोग की किसी अधिकारी द्वारा उसकी कोई मॉनीटिरिंग नहीं की गई? **(ग)** क्या उक्त ठेकेदार की जाँच उच्च अधिकारियों से करायेंगे क्या यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण बताये एवं उक्त भवन को शिक्षा विभाग को हस्तातंरित करने से रोका जायेगा? तथा जाँच में दोषी पाये जाने वाले ठेकेदार के विरूद्ध राशि वसूली की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो समयावधि बताये यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ, उक्त भवन की निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा श्री राधारमण पस्तोर ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया था। उक्त भवन की स्वीकृत राशि रू. 50.00 लाख थी। **(ख)** हाईस्कूल भवन दिगोड़ा शासन के मापदण्डों के अनुसार अभी निर्माणाधीन है। शिक्षा विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। उक्त भवन की दीवारों में किसी भी प्रकार के क्रेक (दरारें) नहीं हैं, न ही भवन की छत क्षतिग्रस्त है। ठेकेदार द्वारा लगाए गए कुछ दरवाजे, खिड़कियां मानक स्तर से कम होने के कारण नए सिरे से लगाए जाने की कार्यवाही की गयी है। ग्रामीणों द्वारा कार्य की गुणवत्ता से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य का निरीक्षण किया गया है।

<u>खरगापुर विधानसभा के ग्राम लारौन में उत्कृष्ट मा.वि. (अंग्रेजी) संचालित करना</u>

85. (क्र. 2383) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन के नियमानुसार टीकमगढ़ जिले में कक्षा-8वीं तक अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाना है तथा शासन की नीति यह भी है कि वहीं पर हाईस्कूल या हायर सेकण्डरी भी हो तथा पर्याप्त भवन भी हो? क्या शासन के द्वारा एक समिति भी बनाई गई है जिसमें वी.ई.ओ./वी.आर.सी.सी./प्राचार्य तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शामिल है? **(ख)** क्या ग्राम लारौन जनपद पंचायत पलेरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भी है? एवं शासन के सभी नियमों की पात्रता भी पूर्ण हैं और मुख्य सड़क पर भवन भी पर्याप्त है हाईस्कूल भी है तथा आसपास के काफी ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुये है? क्या ग्राम लारौन जनपद पलेरा में अंग्रेजी मा.उत्कृष्ट शाला संचालित किये जाने की घोषणा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो समिति द्वारा प्रस्ताव देने का आदेश प्रसारित करेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** टीकमगढ़ जिले के ग्राम लारौन जनपद पंचायत पलेरा में शा. माध्यमिक शाला लारोन में जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ द्वारा आदेश क्र. <u>विद्या/2015/1988</u> दिनाँक 2.7.2015 के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम का उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किया जा चुका है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>माडल स्कूल जावरा की समस्याओं का निराकरण</u>

86. (क्र. 2404) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मॉडल स्कूल जावरा में कक्षा 1 से 12 तक हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम दोनों से पढ़ाई की जा रही है किन्तु विगत कुछ वर्षों में पहली से चौथी एवं छठवीं व सातवीं तक हिन्दी माध्यम की कक्षायें समाप्त कर दी गई हैं। प्राथमिक में भी अंग्रेजी माध्यम की कक्षायें भी समाप्त की जा रही है, क्यों कारण स्पष्ट करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** से संबंधित स्कूल में सिक्यूरिटी एजेंसी कौन है? स्कूल में सिक्यूरिटी प्रभारी कौन है? श्री राजेश राठौर क्या वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं तो कब से? या बंद हो गये है तो कब? **(ग)** स्कूल में स्वीकृत पदों का विवरण देते हुए बताये कि वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं व वर्तमान में प्राचार्य कौन है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी और इतने अधिक पद रिक्त होने के क्या कारण है? **(घ)** क्या वर्तमान में व्यायाम शिक्षक पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है? यदि हाँ, तो बतावें? व्यायाम शिक्षक के कितने पद है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) आदर्श उ.मा.वि.जावरा (रतलाम) में कक्षा 5 वीं से कक्षा 8 वीं तक (अंग्रेजी माध्यम) तथा कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) कक्षायें संचालित

है। हां, यह सही है कि विगत वर्षों में निचली कक्षाओं में छात्र संख्या कम होने तथा स्टॉफ कमी के कारण कक्षायें समाप्त कर दी गई। **(ख)** आदर्श उ.मा.वि.जावरा (रतलाम) में मे. सिंह इण्टरनेशनल सिक्यूरिटी सर्विसेस, भोपाल सिक्यूरिटी एजेंसी है। विद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य ही सिक्यूरिटी प्रभारी हैं। श्री राजेश राठौर वर्तमान में दिनाँक 02-05-15 से कार्य पर नहीं हैं। **(ग)** विद्यालय में शिक्षकीय स्टॉफ हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है, वर्तमान में विद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त है, उक्त रिक्त पदों में ज्यादातर पद पदोन्नति हेतु निर्धारित हैं, जिन पर पदोन्नति हेतु पात्रताधारी उपलब्‍ध नहीं होने के कारण वर्तमान में रिक्त हैं। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ती हेतु समय-समय पर व्यवसायिक परीक्षा मंडल को लिखा जा रहा है, रिक्त आवश्यक पदों की पूर्ति अंशकालीन शिक्षकों एवं प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है :-

क्र.	पदनाम	नियमित स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्राचार्य	01	01
2	व्याख्याता	08	03
3	उच्च श्रेणी शिक्षक	05	03
4	शारीरिक शिक्षक (पीटीआई)	01	-
5	सहायक शिक्षक	23	17

(घ) विद्यालय में अंशकालीन व्यायाम शिक्षक हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अंशकालीन आवश्यकता पर योग/व्यायाम शिक्षक के 01 पद की स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विकास कार्य</u>

87. (क्र. 2405) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोक नगर एवं रतलाम जिले में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु विगत 5 वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? **(ख)** कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य किये गये विकासखण्डवार विवरण देवें? **(ग)** विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष उपयोग नहीं करने के कारण शासन को वापस की गई एवं वापस करने के क्या कारण रहे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स', 'द' एवं 'ई' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

<u>एरिया ऐजुकेशन आफीसर की भर्ती</u>

88. (क्र. 2410) कुंवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** एरिया ऐजुकेशन आफिसर की भर्ती परीक्षा 2013 में शामिल होने की अर्हताएं/योग्यताएं विज्ञापन के समय क्या थी? परीक्षा पश्चात् इनमें क्या परिवर्तन हुआ? अनुभव के संबंध में परिवर्तित प्रावधान का लाभ किनकों होगा सूची दें? क्या जिन्हें ये लाभ होगा वे 2013 में जारी विज्ञापन के आधार पर परीक्षा में शामिल होने के पात्र थे? यदि हाँ, तो क्यों और किस आधार पर? यदि नहीं, तो क्या उन्हें संशोधित प्रावधानों के कारण अनुभव के अंकों का लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ, तो इस प्रावधान के कारण पात्र हो गये और 2013 में विज्ञापन के प्रावधानों के कारण परीक्षा में शामिल न हो सकें शेष

अध्यापकों/शिक्षकों को अवसर कैसे दिया जावेगा? ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्हें तत्समय निर्धारित पद का पांच वर्ष का अनुभव नहीं था? सूची देवें। क्या अनुभव के संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णय में ऐसे कोई निर्देश में ऐसे कोई निर्देश हे कि परिवर्तित प्रावधानों का लाभ सभी के लिये नहीं है? बतावें? यदि नहीं, तो क्या निर्णय सभी पर सामान्य रूप से लागू किये जावेंगे यदि हाँ, तो कैसे? क्या परिवर्तित प्रावधानों के अनुरूप परीक्षा आयोजित कर सभी को सामान अवसर दिया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक? क्या अनुभव एवं इस हेतु दिये जाने वाले अंकों के संबंध में राजपत्र, विज्ञापन एवं निर्देशों में पूर्व में एवं वर्तमान में अंतर तथा विरोधाभास है यदि हाँ, तो क्या इसे ठीक किया जावेगा? **(ख)** ए.ई.ओ. परीक्षा का विज्ञापन कब जारी हुआ इसमें परिणाम घोषित करने की तिथि क्या थी अब तक चयन सूची घोषित क्यों नहीं हुई एवं परिणाम के प्राप्तांक क्यों नहीं जारी किये गये, कब तक जारी किये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जबलपुर की डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1440/2015 में पारित निर्णय दिनाँक 21.04.2015 में डब्ल्यू.पी.क्र. 14833/2013 एवं 99 अन्य याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पारित निर्णय दिनाँक 08.09.2014 का उल्लेख करते हुए, ए.ई.ओ. (एरिया एजुकेशन आफिसर) की नियुक्ति के संबंध में निर्णय दिया है कि ए.ई.ओ. की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव का लाभ दिया जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुये उनको आगामी ए.ई.ओ. परीक्षा में शामिल होने पर अनुभव का लाभ दिये जाने के निर्देश है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।** न्यायालयीन निर्णयों के संदर्भ में शेष उत्तरांश का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। **(ख)** उत्तरांश ''क'' के उत्तर अनुसार। प्रक्रिया प्रचलन में है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

<u>दवाइयों के नमूनों की जाँच</u>

89. (क्र. 2418) कुंवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आयुक्त/नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म.प्र. भोपाल के तहत वर्तमान में पदस्थ कटनी जिले के किन-किन औषधि निरीक्षकों/वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों के द्वारा अपने प्रभार के क्षेत्रों में स्थित किन-किन दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल कंपनियों की कितनी दवाइयों के नमूने जाँच में अमानक गुणवत्ताविहीन असरहीन पाये गये है? इनमें से कितने के विरूद्ध कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कितने के विरूद्ध न्यायालीन कार्यवाही की गई है? वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक की जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के जिले में शासन ने प्रश्नांकित किन-किन दवा निर्माताओं/फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कब घोषित किया है तथा किन-किन की कौन-कौन सी दवाईयों की बिक्री पर रोक लगाई है और कितने दवा लाईसेंस कब निरस्त किये गये? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के जिले में एवं अवधि में किन-किन औषधि निरीक्षकों/वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों के द्वारा किन-किन दवा निर्माता/फार्मास्यूटिकल कंपनियों, ब्लड बैंकों का कब-कब औचक निरीक्षण किया है तथा निरीक्षण में कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई और तत्संबंध में कब, किस पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित आरोन बालिका छात्रावास की व्यवस्था</u>

90. (क्र. 2431) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आरोन में शासकीय बालिका छात्रावास की स्थापना कब हुई थी तथा उसकी क्षमता कितनी है? **(ख)** आरोन शासकीय बालिका छात्रावास में कितनी छात्राएं भर्ती है तथा वर्तमान में कितनी सीटे रिक्त हैं? क्या सभी बालिकाओं को पलंग उपलब्ध है या नहीं? यदि नहीं, तो इसकी व्यवस्था कब तक की जावेगी? **(ग)** आरोन शासकीय बालिका छात्रावास में बाउण्ड्रीवाल है अथवा नहीं है? सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल होना चाहिए यदि नहीं, है तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) आरोन में बालिका छात्रावास की स्थापना वर्ष 2005-06 में हुई थी। वर्तमान में छात्रावास में क्षमता 100 सीट है। **(ख)** 100 बालिकाएं भर्ती है, वर्तमान में सीट रिक्त नहीं है। जी नहीं। बालिका छात्रावासों में भारत सरकार द्वारा पलंग हेतु राशि का कार्ययोजना में प्रावधान नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। जी हाँ। बालिका छात्रावास की स्वीकृति में बाउंड्रीवाल का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. की राशि का दुरूपयोग</u>

91. (क्र. 2479) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक जनवरी 2010 से जून 2015 तक भारत सरकार से आर.सी.एच. व एन.आर.एच.एम. के तहत कितनी राशि भिण्ड जिले को प्राप्त हुई? कितनी राशि किस सामुदायिक स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किन-किन कार्यों पर व्यय की गई? **(ख)** भिण्ड जिले के अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं कब तक भवन पूर्ण हो जायेंगे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में वर्णित अवधि में भिण्ड जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि में कितनी राशि सामग्री क्रय करने पर खर्च की गई? सामग्री क्रय और व्यय की गई राशि का विवरण दें? **(घ)** भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी आशा कार्यरत हैं? उन्हें योजना के अंतर्गत कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या भुगतान की राशि नगद/चेक से भुगतान की गई? **(ड.)** भिण्ड जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, विशेषज्ञ, सहायक चिकित्सक, पेरा मेडिकल, स्टाफ, स्टाफ नर्स, डेसर, ए.एन.एम., एल.एच.बी के पद रिक्त है? यदि हाँ, तो कब तक पद पूर्ति हो जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) दिनाँक जनवरी 2010 से जून 2015 तक आर.सी.एच. व एन.आर.एच.एम. के तहत भिण्ड जिलो को प्राप्त राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार की गई व्यय राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' (पृष्ठ क्र. 1 से 11) अनुसार** है। **(ख)** भिण्ड जिले के अन्तर्गत 189 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 31 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** दिनाँक जनवरी 2010 से जून 2015 तक भिण्ड जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि में से राशि रू.1,45,91,364/- सामग्री क्रय करने पर खर्च की गई। सामग्री क्रय और व्यय की राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' (पृष्ठ क्र. 1 से 7) अनुसार** है। **(घ)** भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 141 ग्रामीण आशायें एवं 59 शहरी आशायें कार्यरत हैं। जिन्हें 20950102 राशि का

भुगतान प्रश्नांश **(क)** में दर्शित अवधि में वर्ष 2014 के पूर्व तक चैक के माध्यम से एवं वर्ष 2014 से ई-पेमेंट के माध्यम से किया गया। **(ड.)** जी हाँ। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

<u>कैलारस नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी</u>

92. (क्र. 2491) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जौरा विधानसभा क्षेत्र के कैलारस नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार है, नहीं तो क्यों? **(ख)** यदि कैलारस नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यदि हाँ, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पट्टिका अंकित क्यों की गई? **(ग)** यदि कैलारस नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो उनके स्वीकृति अनुसार चिकित्सक स्टाफ एवं 30 बिस्तर की व्यवस्था की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>फूड सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत दूध से बने पदार्थों की जाँच</u>

93. (क्र. 2501) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला होशंगाबाद में माह फरवरी 2012 में फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत दूध एवं दूध से बने पदार्थों के कुल कितने नमूने जाँच हेतु लिये और जाँच में उन नमूने के क्या-क्या परिणाम रहे? **(ख)** उक्त जाँच प्रतिवेदनों के विरूद्ध कितने व्यवसायिकाओं द्वारा फूड सेफ्टी एक्ट की धारा 46 (4) के अंतर्गत खाद्य नमूने का दूसरा भाग रेफरल लेबोरेटरी से जाँच कराने हेतु आवेदन किया गया, यदि हाँ, तो रेफरल लेबोरेटरी को नमूना जाँच हेतु किस दिनाँक को भेजा गया? **(ग)** क्या खाद्य नमूना की प्रथम जाँच रिपोर्ट जो लोक विश्लेषक भोपाल से अवमानक पायी गई और उसके विरूद्ध रेफरल लेबोरिटी को जब अभिहित अधिकारी होशंगाबाद द्वारा दूसरा भाग जाँच के लिये भेजा तो वह जाँच हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया, ऐसी स्थिति में उक्त नमूने का अंतिम परिणाम क्या माना गया? **(घ)** क्या उक्त दोनों जाँच प्रतिवेदनों में विरोधाभास होत हुये जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उस दशा में अभिहित अधिकारी होशंगाबाद द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या दी गई अभियोजन स्वीकृति न्यायोचित है अथवा नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>गांधी मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में विभागाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदस्थापना</u>

94. (*क्र. 2502) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्तमान में शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र विभाग में किस विभागाध्यक्ष की पदस्थापना की गई है? नाम बताएं? अन्य संकाय सदस्यों (Facaulty) के नाम भी बताएं जिनकी पदस्थापना इस विभाग में की गई है? **(ख)** क्षेत्रीय नेत्र संस्थान भोपाल के संचालक पद पर किस व्यक्ति की पदस्थापना की गई है? अन्य संकाय के सदस्यों के नाम भी बताएं जिनकी

पदस्थापना इस संस्थान में की गई है? **(ग)** क्या संचालक, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान को प्रायवेट प्रेक्टिस करने की पात्रता है अथवा नहीं? स्पष्ट करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

यू.डी.टी. एवं एल.डी.टी. का स्थानांतरण

95. (क्र. 2543) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, भोपाल के अंतर्गत वर्ष 2010 सितंबर में कितने यू.डी.टी. एवं एल.डी.टी. को अतिशेष मानकर युक्तिकरण के अंतर्गत स्थानांतरण किया गया था, विषयवार बतायें? **(ख)** क्या जिनकों अतिशेष मानकार स्थानांतरण किया गया उनको इस बार भी अतिशेष मानकर स्थानांतरण कर दिया गया है तो ऐसे कितने है? **(ग)** दोबारा अतिशेष मानकर किये गये स्थानांतरण आदेश को क्या निरस्त करेंगे यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या किन्हीं शालाओं में पुरूष अध्यापक के होते हुये भी महिलाओं को अतिशेष मानकर स्थानांतरण किया गया है? यदि हाँ, तो कितनों को? और ऐसा क्यों किया गया है? **(ड.)** उपरोक्त नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर सुधार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) 50 शिक्षक एवं 123 सहायक शिक्षक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार**। **(ख)** वर्ष सितम्बर 2010 की छात्र संख्या तथा वर्ष 2015 की छात्र संख्या के आधार पर युक्तियुक्तकरण किया गया है। वर्ष 2010 में जो अतिशेष थे उन में से 10 को वर्ष 2015 में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में स्थानान्तरित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार**। **(ग)** जी नहीं। युक्तियुक्तकरण नीति में इस प्रकार का प्रवधान नहीं है। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना

96. (क्र. 2562) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना किस दिनाँक से लागू की गई है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** की योजना की नि:शुल्क औषधि का वितरण विगत दो वर्ष में किन-किन फार्मासिस्टरों द्वारा किन-किन चिकित्सालयों में किया जा रहा है? तालिका में चिकित्सालयवार जानकारी दीजिए? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के फार्मासिस्ट के चयन के लिए क्या प्रक्रिया का पालन किया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) शहडोल जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना दिनाँक 17.11.2012 से लागू की गई थी। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार शहडोल जिले में विगत 2 वर्षो में जिन फार्मास्टिरों द्वारा चिकित्सालयों में औषधि वितरण का कार्य किया जा रहा है उनकी सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना के फार्मासिस्ट के चयन राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिलो द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं भर्ती की कार्यवाही संपादित की गई थी।

परिशिष्ट – ''पैंसठ''

छिंदवाड़ा जिले के नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

97. (क्र. 2624) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के शालाओं में कार्यरत सहायक अध्यापकों, अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों की वरीयता सूची किसके द्वारा कब-कब तैयार करने और उसका किस प्रकार से कहाँ-कहाँ पर प्रकाशन करने का नियम निर्देश है? नियम निर्देशों की प्रति संलग्न करते हुए जानकारी दें? **(ख)** क्या स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन छिंदवाड़ा जिले के नगर पालिका चौरई में कार्यरत सहायक अध्यापकों, अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों की वरीयता सूची नगरपालिका परिषद चौरई के द्वारा तैयार किया जाना और प्रकाशन किया जाना है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या नगरपालिका परिषद चौरई द्वारा वरिष्ठता सूची शासन के नियमों निर्देशों के अधीन प्रतिवर्ष तैयार की जा कर प्रकाशन की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या नगरपालिका चौरई के द्वारा सहायक अध्यापकों, अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार नहीं करने, उसका नियमित प्रकाशन नहीं करने के चलते उनकी पदोन्नत नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन उनकी नियमित तौर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने, प्रकाशन कराने व तदनुसार पदोन्नत आदेश जारी करने का आदेश देगा, यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। **(ग)** वर्ष 2007, वर्ष 2010 वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 (प्रावधित) की पदक्रम सूची जारी की जा चुकी है। **(घ)** जी नहीं। उत्तरांश **(ग)** अनुसार पदक्रम सूची जारी की गई है। पदोन्नति की कार्यवाही रिक्त पदों की उपलब्धता एवं लोकसेवकों की योग्यता/वरिष्ठता पर निर्भर करती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई में इंजेक्शन लगाने से शिशु की मौत

98. (क्र. 2625) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई में वार्ड नं. 6 चौरई निवासी श्रीमती वेदवती का प्रसव के पश्चात् ड्यूटी पर कार्यरत धुर्वे नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाते ही शिशु की मृत्यु होने की शिकायत प्राप्त होने पर पत्र क्रमांक 173 दिनाँक 25.02.2015 कलेक्टर छिंदवाड़ा को प्रस्तुत किया है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** क्या शिकायत की जाँच की गयी है, यदि हाँ, तो जाँच में क्या पाया गया है? **(घ)** क्या शिशु के मृत्यु का कारण धुर्वे नर्स है? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, की गयी है तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। **(ख)** कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा से शिकायती पत्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा को प्राप्त होने पर उनके द्वारा प्रकरण की जाँच डॉ. अशोक सेन, ब्लाक मेडिकल आफिसर चौरई जिला छिन्दवाड़ा को जाँचकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हुये कराई गई जिसमें जाँचकर्ता अधिकारी डॉ.सेन ने श्रीमती अनसुईया धुर्वे, ए.एन.एम./स्टाफ नर्स को जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये जाँच प्रतिवेदन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा को प्रेषित किया। **(ग)** जी हाँ। जाँच में श्रीमती अनसुईया धुर्वे, स्टाफ नर्स द्वारा टीकाकरण पश्चात्, शिशु को कम से कम एक घंटे तक अपनी

निगरानी में रखना था किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया का दोषी पाया। **(घ)** जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच पूर्ण करने के पश्चात श्रीमती धुर्वे नर्स को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने की अनुशंसा की गई संबंधी तथ्य संचालनालय के संज्ञान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा के माध्यम से प्राप्त होने पर उनसे प्राप्त सहपत्र संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर संचालनालय के पत्र क्रमांक1905/दिनाँक 23.07.2015 द्वारा भेजते हुये श्रीमती अनसुईया धुर्वे, स्टाफ नर्स के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा गया है। संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवायें से श्रीमती धुर्वे नर्स के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र अवगत कराया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिवनी जिले में संचालित छात्रावास

99. (क्र. 2638) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली तहसीलों व जिला मुख्यालय के आश्रम शालाओं, छात्रावासों में बालक बालिकाओं को क्या-क्या सुविधायँ उपलब्ध करवायी जा रही हैं एवं शासन की क्या-क्या योजनाएं इस हेतु संचालित है? **(ख)** उपरोक्त अनुसार किस-किस छात्रावास में कितने-कितने छात्र-छात्राओं की संख्या है एवं कितने छात्रावास के अधीक्षक छात्रावास परिसर में ही अधीक्षक आवास गृह में निवासरत हैं? वर्ष 2013 एवं 2014 से अब तक छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि का तहसीलवार ब्यौरा क्या है? **(ग)** किन-किन छात्रावास के भवन जर्जर अथवा मानव निवस योग्य हैं शासन ने उन्हें दुरूस्त करने हेतु क्या-क्या कदम उठायें है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सिवनी जिले में आदिवासी मद अन्तर्गत संचालित आश्रम शाला/छात्रावासों में नि:शुल्क आवास, बिजली, पानी, भोजन हेतु शिष्यवृतित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। **(ख)** छात्र/छात्राओं की संख्या एवं अधीक्षक आवास गृह में निवासरत का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार** है। वर्ष 2013-14 में छात्रावासों के आवंटन एवं व्यय राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार** है। **(ग)** सिवनी जिले में संचालित कोई भी छात्रावास के भवन जर्जर नहीं है। समस्त छात्रावास मानव निवास योग्य हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को एच.आर.ए. का भुगतान

100. (क्र. 2641) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन द्वारा 4 प्रतिशत एच.आर.ए. देने की घोषणा की गई है यदि हाँ, तो आदिम जाति विभाग के शिक्षकों का विभाग से घोषित एच.आर.ए. क्यों नहीं मिला है? **(ख)** क्या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को एच.आर.ए प्राप्त हो रहा है? क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी नहीं। वित्त विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार, दिनाँक 01/09/12 द्वारा आबादी के आधार पर वेतन के साथ 10,7,5 एवं 3 प्रतिशत गृहभाडा भत्ता स्वीकृत किया गया है। वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/चार, दिनाँक 06 नवम्बर, 2012 अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को गृहभाडा भत्ता वित्त विभाग के ज्ञापन दिनाँक 01 सितम्बर, 2012 में उल्लेखित दर से एक प्रतिशत अधिक देय है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शासन नियम निर्देशों के तहत् शिक्षकों को

एच.आर.ए. का भुगतान किया जा रहा है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। वित्त विभाग का ज्ञाप शासन के समस्त विभागों हेतु जारी किया गया है।

परिशिष्ट - "छियासठ"

खाद्य वस्तुओं के नमूना की जाँच

101. (क्र. 2650) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इंदौर जिले में खाद्य वस्तुओं की जाँच किये जाने हेतु कितने खाद्य अधिकारी (इन्सपेक्टर) नियुक्त है? **(ख)** विभाग द्वारा इंदौर शहर में दि. 01.01.13 से 15.06.15 तक कौन सी संस्था से किन-किन उत्पादों के कितने नमूने जाँच हेतु लिये गये हैं? उत्पाद का नाम, संस्था का नाम, नमूना लेने वाले अधिकारी का नाम, बतावें? **(ग)** प्रत्येक प्रकरण की जाँच किस लेबोरेटरी में की गई एवं उसके क्या निष्कर्ष निकले? प्रकरणवार जानकारी देवें? **(घ)** उपरोक्त अवधि के जिन प्रकरणों में मिलावट अथवा अन्य गलतियॉं पाई गई उन संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? ऐसी संस्थाओं के नाम बतावें तथा ऐसे प्रकरणों की जानकारी पृथक से देवे जिनकी जाँच अभी तक लंबित है? **(ड.)** दोषी संस्थाओं या व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विमुक्त जाति के आवास का आवंटन

102. (क्र. 2682) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले के घाटीगांव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पाटई को विमुक्त जाति आवास प्रदाय किये जाने को केंद्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री महोदय एवं अन्य मंत्रियों द्वारा कब-कब पत्र सहायक विकास आयुक्त, ग्वालियर को लिखे गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई है? कब तक पाटई पंचायत को 2014-15 एवं 2015-16 के विमुक्त आवास प्रदाय किये जावेंगे? **(ख)** वर्ष 2013-14 में ग्वालियर जिले में कितने-कितने विमुक्त आवास किन-किन ग्राम पंचायतों को प्रदाय किये गये हैं? क्या विमुक्त आवास आवंटन में पाटई पंचायत की उपेक्षा की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) ग्वालियर जिले के घाटीगॉंव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पाटई को विमुक्त जाति आवास प्रदाय किये जाने के संबंध में अपर निजी सचिव, केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 129/के.आ./ग्वालियर, दिनाँक 04.06.2015 प्राप्त हुआ था। जिसे सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1377 दिनाँक 13.07.2015 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी बरई (घाटीगॉंव) को नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लिखा गया है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के नियमानुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। **(ख)** वर्ष 2013-14 में विमुक्त जाति आवास योजना अंतर्गत कोई आवास स्वीकृत नहीं किये गये। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पाटई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ कर्मचारी एवं डाक्टर/ कम्पाउण्डर की पदस्थी

103. (क्र. 2683) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले के पाटई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कौन-कौन

कर्मचारी कब-कब से पदस्थ है? इनकी पदस्थापना दिनाँक व नियुक्ति दिनाँक बतावें? **(ख)** क्या वर्तमान में डॉक्टर एवं कम्पाउण्डर का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो कब से? इनकी पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>संविदा शिक्षकों की फर्जी अंकसूची द्वारा नियुक्ति</u>

104. (क्र. 2699) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 1 जनवरी,2006 से 31 दिसम्बर 2011 में संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 में कब-कब भर्ती की गई? किस-किस जिले में कितने पद वर्ग 1, 2 और 3 में भरे गए? **(ख)** उक्त अवधि में कितने जिलों में जाली अंकसूची से नौकरी पाने के प्रकरण सामने आए? ऐसे प्रकारणों पर क्या कार्यवाही की गई? इनमें से कितने मामलों में एफ.आई.आर दर्ज की गई? **(ग)** उक्त अवधि में जिलों में कितने प्रकरणों में व्यापम ने आवेदकों की अंकसूची जाली मानी थी? फर्जी अंकसूची से नौकरी पाने वाले कितने लागों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है? **(घ)** क्या सभी जिलों में उक्त अवधि में नियुक्त संविदा शिक्षकों की अंकसूचियों का व्यापम से सत्यापन कराया गया था? किस जिले में सत्यापन नहीं कराया गया? सत्यापन न कराने वाले नियुक्तिकर्ता पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक ऐसे नियुक्तिकर्ताओं पर कार्यवाही की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>गैस राहत एवं पुर्नवास के कर्मचारियों का नियमितीकरण</u>

105. (क्र. 2706) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र.शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एव पुर्नवास विभाग के पत्र क्र.6/42/2011/47 दिनाँक 06/02/2015 में यह उल्लेखित है कि कार्य भारित एवं नैमेत्तिक व्यय पर कर्मचारियों के नियमितिकरण का कोई निर्देश नहीं है। सिर्फ तदर्थ/दै.वे.भोगी को ही नियमित करने के निर्देश हैं? क्या गैस राहत के चिकित्सा इकाईयों में कार्यरत कार्यभारित एवं नैमेत्तिक व्यय के कर्मचारियों को संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत के आदेश दिनाँक 10/05/2000 एवं दिनाँक 05/10/2000 कितने एवं किन-किन कर्मचारियों को नियमित किया गया हैं? यदि हाँ, तो शेष कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जाएगा? **(ख)** 12/12/14 के अतांराकित प्रश्न संख्या 125 (क्र.1382) के संदर्भ में बताएं की जब संचालनालय में कार्यरत कार्यभारित एवं नैमेत्तिक व्यय के कर्मचारियों को वार्षिक नियमित बजट से वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान किया जाता है तो इनको कार्यभारित एवं नैमेत्तिक श्रैणी में क्यों लाया गया? जबकि इनके वेतन भत्ते आदि का पद, प्रवर्तन संचालनालय एवं अधिनस्थ चिकित्सा इकाईयों का एक ही समान है? क्या संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास के पत्र दिनाँक 29/10/2005 (A-5) को शासन के पास नियमितीकरण का सुझाव भेजा गया था? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या संचालनालय ने पत्र क्र. एफ.के.159/ 2015/1818 दिनाँक 27/05/2015 में नीति निर्धारण के प्रकरण होने के कारण शासन को भेजा था एवं उस पर आज दिनाँक तक क्या निर्णय लिया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 16/1188/1/वेआप्र/89, दिनाँक 09/01/1990

तथा विभागीय आदेश क्रमांक एफ-5-59/94/47-1, दिनाँक 10/02/2000 के अनुपालन में गठित विभागीय समायोजन की समिति की बैठक दिनाँक 26/09/2000 की अनुशंसा पर तत्कालीन संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, गैस राहत, भोपाल के आदेश क्रमांक 2697-2700 दिनाँक 05/10/2000 द्वारा 04 सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गैस राहत के आदेश क्रमांक 9889-97 दिनाँक 05/10/2000 द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के एक-एक अलिपिकीय कर्मचारी को,जिन्हे वर्ष 1998 में कार्यभारित वेतनमान दिये जाने के पश्चात् भी अतिशेष मानते हुए नियमित स्थापना के रिक्त पदों पर क्रमश: श्री चन्द्र किरण सिंह कौरव, श्रीमती मर्सरत कुरैशी, श्रीमती अलका मनूजा, श्रीमती संध्या मिश्रा, लैब टेक्नीशियन तथा श्री महेश कुमार मालवीय, श्री अनिल कुमार चन्द्राकर को लेब सहायक के पद पर समायोजित कर नियुक्ति प्रदान की गई है।मध्यप्रदेश शासन,कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 16/1188/1/वेआप्र/89, दिनाँक 09/01/1990 को राज्य शासन के परिपत्र दिनाँक 12/04/2005 द्वारा निरस्त किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** संचालनालय, गैस राहत एवं इसके अधीनस्थ चिकित्सा इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग (वेआप्र) के परिपत्र क्रमांक 477/एफ 5-4-1-वेआप्र/92 दिनाँक 15/12/1992 के परिपालन में कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि सेवा का वेतनमान दिया गया है। जी हाँ। संचालक, गैस राहत से प्राप्त प्रस्ताव स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में स्पष्ट प्रस्ताव चाहा गया है। **(ग)** प्राप्त प्रस्ताव स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में संचालक, गैस राहत से पुन:स्पष्ट प्रस्ताव चाहा गया है।

<u>दसवीं एवं बारहवीं परीक्षा के पुर्नमूल्यांकन एवं पुनर्गणना</u>

106. (क्र. 2707) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के कितने छात्रों ने 10वीं एवं 12वीं के परिणाम आने के उपरांत पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना के आवेदन भरे? **(ख)** पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना हेतु निर्धारित शुल्क क्या था? कितने विद्यार्थियों के परिणामों में पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के उपरांत प्राप्तांकों में अंतर आया? क्या प्राप्त अंकों में अंतर आना मूल्यांकन एवं गणना में लापरवाही का घोतक है? यदि हाँ, तो दोषी मूल्यांकनकर्ताओं एवं गणनाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? **(ग)** लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो इस और विभाग क्या कदम उठाने जा रहा है, ब्यौरा देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल में पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान न होने के कारण प्रकरण निरंक है। वर्ष 2015 की मण्डल परीक्षाओं में पुर्नगणना के हाईस्कूल में 33951 एवं हायर सेकेण्डरी में 62790 कुल 96741 प्रकरण प्राप्त हुये। **(ख)** हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा के लिये पुनर्गणना शुल्क रूपये 200/- प्रति विषय निर्धारित है। इनमें से हाईस्कूल में 412 एवं हायर सेकेण्डरी में 633 प्रकरणों के अंकों में परिवर्तन हुये। जी नहीं प्राप्तांकों में अन्तर मानवीय त्रुटि है इस हेतु त्रुटिकर्ता परीक्षक, उपमुख्य परीक्षक एवं मुख्य परीक्षक से अर्थदण्ड के रूप में रूपये 20/- प्रति अंक के मान से वसूला जाता है। **(ग)** लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो इस ओर विभाग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित कर शिक्षकों को समस्याओं से अवगत कराया जाता रहा है एवं मूल्यांकन पूर्व सावधानी बरतने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

<u>मारू कुमावत जाति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र</u>

107. (क्र. 2728) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा सरदारपुर में मारू कुमावत जाति के लोग रहते हैं? **(ख)** क्या संपूर्ण धार जिले व मध्यप्रदेश में मारू कुमावत जाति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में मारू कुमावत जाति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है? **(ग)** क्या पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा मारू कुमावत जाति को पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक दिया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ। **(ख)** धार जिला जिसमें सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित है में केवल कुमावत जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे है। म.प्र. शासन आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चींस 84, दिनाँक 26 सितम्बर 1984 द्वारा कुमावत जाति राज्य पिछडा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक-5 पर बरई, तमोली, तम्बोली के साथ अधिसूचित भी है, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** मारू कुमावत जाति पिछडा वर्ग की अधिसूचित सूची में सम्मिलित नहीं होने से जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे है। **(ग)** मामला विचाराधीन है समयावधि दिया जाना संभव नहीं है।

<u>भवन विहीन शालाएं</u>

108. (क्र. 2737) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकेण्ड्री/हाई स्कूल शालाएँ भवन विहीन होकर अन्य शालाओं के भवन में संचालित की जा रही है? **(ख)** क्या शिक्षा विभाग की कार्य योजना में भवन विहीन शालाओं के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव है? **(ग)** क्या शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.वि. शाजापुर के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई है? **(घ)** क्या जिला मुख्यालय का एकमात्र कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल 60 वर्षों से भवन विहीन है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण हेतु विभाग की क्या पहल हुई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जिला शाजापुर अंतर्गत शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में 11 उच्चतर माध्यमिक एवं हाई स्कूलों के स्वभवन नहीं है। **(ख)** सीमित बजट प्रावधान के अनुसार शाला भवन निर्माण के प्रस्ताव समय-समय पर स्वीकृत किए जाते हैं। **(ग)** जी नहीं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाजापुर के भवन निर्माण हेतु वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है। **(घ)** जी हाँ। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय के भवन में संचालित है। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की स्वीकृति पर तथा बजट उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

<u>चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण नीति</u>

109. (क्र. 2743) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण स्थाई रूप से एक से दूसरे चिकित्सा महाविद्यालय में मांग करने पर किया जाता है? यदि नहीं, तो इस संबंध में शासन कोई नियम नीति बनाने जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक नियम/नीति बनाये जायेगे? **(ख)** क्या राजस्व विभाग की तरह स्थानान्तरण नीति चिकित्सा विभाग में भी स्वयं के व्यय पर आपसी अदला-बदली एक ही श्रेणी के तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यह सुविधा देने पर विचार किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक शासन ऐसे प्रकरण

में स्वीकृति देगा? **(ग)** क्या तृतीय श्रेणी कर्मचारी आपसी अदला बदली चाहते है तो उन्हें स्थायी रूप से एक दूसरे जैसे समान वेतन वाले कर्मचारी को भी चिकित्सा महाविद्यालय में जाने पर शासन अनुमति देगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के संवर्धन एवं संविलियन संबंधी नियम (चिकित्सा, दन्त, नर्सिंग महाविद्यालय तथा मानसिक आरोग्य शाला के लिए), 1998 में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष परिस्थितियों में पारस्परिक प्रतिनियुक्ति की गई है। स्थानांतरण के संबंध में कोई नियम एवं नीति विभाग के अधीन विचाराधीन नहीं है। **(ख)** एवं **(ग)** ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>अ.ज. जाति वर्ग के कल्याण की योजनायें</u>

110. (क्र. 2752) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अ.ज. जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है तथा इस हेतु क्या-क्या शर्तें, मापदण्ड हैं, पूर्ण विवरण दें? **(ख)** वर्ष 2013-14, 2014-15 में रायसेन एवं देवास जिले में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाले कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान क्यों नहीं हुआ? कब तक होगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** कक्षा 11वीं-12वीं की छात्रवृत्ति लोक शिक्षण विभाग द्वारा समग्र पोर्टल द्वारा वितरित की जाती है। आयुक्‍त, लोक शिक्षण विभाग की जानकारी अनुसार वर्ष 2013-14 में रायसेन जिले में शासकीय विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान शेष नहीं है एवं जिला देवास में 366 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान शेष है। वर्ष 2014-15 में जिला रायसेन में 1292 विद्यार्थियों को एवं जिला देवास में 1018 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान शेष है। समग्र पोर्टल के डाटा तैयार किये जाने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>सड़सठ"

<u>संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती</u>

111. (क्र. 2753) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** डिप्लोमा इन एजूकेशन (D.Ed) करने के लिए छात्र-छात्राओं को क्या-क्या करना पड़ता है? रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ उक्त सुविधा उपलब्ध है? **(ख)** क्या संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती में बी.एड. तथा डी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो गरीब अ.जा./अ.ज.जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित करवाने हेतु विभाग क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है? **(ग)** संविदा शाला शिक्षक वर्ग एक, दो तथा तीन के कुल कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा का आयोजन कब तक होगा? **(घ)** शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो जाने के बाद छात्र-छात्राओं के अध्यापन हेतु शिक्षकों की व्यवस्था हेतु विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की? पूर्ण विवरण दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रायसेन जिले में शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) एवं राजीव गांधी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन अशासकीय डी.एल.एड. संस्थान में उक्त सुविधा उपलब्ध है। **(ख)** जी हाँ। ऐसा कोई प्रस्ताव

विचाराधीन नहीं है। **(ग)** जिला रायसेन में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के 91, श्रेणी-2 के 50 तथा श्रेणी-3 के 314 पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** विभागीय आदेश क्र. एफ 44-15 /2010/20-2, दिनाँक 16.7.2015 द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु शाला विशेष में शिक्षकों की नियुक्ति होने तक अथवा 31 दिसम्बर 2015 तक जो भी पहले हो, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आदेश प्रसारित किये जा चुके है।

शौचालय एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं

112. (क्र. 2776) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में ऐसे कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं जिनमें छात्र/छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, क्यों? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** जबलपुर जिले में ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं जिनमें शौचालय एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, क्यों? विकासखंडवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांकित कितने स्कूलों में शुद्ध पेय जल, शौचालयों की साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है तथा चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, क्यों? **(घ)** प्रश्नांकित कितने स्कूलों के शौचालय अक्रियाशील हैं, खण्डहर हो गये हैं या उपयोग लायक नहीं हैं? प्राथमिक, माध्यमिक, हाई व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की विकासखंडवार जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जबलपुर जिले में समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था है। **(ख)** जबलपुर जिले के समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय, शुद्ध पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विकासखण्डवार जिन हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्युत व्यवस्था नहीं है उनकी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। समस्त प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शौचालय एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जबलपुर जिले के समस्त शासकीय स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। शालाओं में साफ-सफाई की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है। जिले के 163 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से 34 स्कूलों में चैकीदार कार्यरत हैं। जिन स्कूलों में चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, वहां पर स्कूल प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा अस्थाई रूप से चौकीदार रखने का प्रावधान है। विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जबलपुर जिले में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। शालाओं के शौचालय साफ-सफाई की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय द्वारा कराने की व्यवस्था है तथा प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में चौकीदार का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। समस्त हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में क्रियाशील शौचालय उपलब्ध है। जबलपुर जिले में कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शौचालय अक्रियाशील नहीं है।

परिशिष्ट - "अड़सठ"

निजी स्कूलों को मान्यता देने में अनियमितता

113. (क्र. 2786) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्री सुरेश तिवारी, की ग्रेड-3 प्राचार्य, संस्कार विद्या मंदिर, सीहोर एवं संचालक कमला

मेमोरियल स्कूल, कस्तूरबा नगर, भोपाल द्वारा नवीन मान्यता एवं मान्यतावृद्धि की नामजद शिकायत प्राप्त हुई थी? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के संबंध में प्राप्त शिकायत में यह गंभीर श्रेणी के आरोप लगाये गये थे कि भोपाल संभाग के निजी स्कूलों के संचालकों से नवीन मान्यता एवं मान्यतावृद्धि देने में भरी लेन-देन किया गया? तथ्यात्मक जानकारी देवें? **(ग)** वर्ष 2012-13 में भोपाल संभाग के निजी स्कूल को नवीन मान्यता एवं मान्यतावृद्धि देने के प्रकरणों में मान्यता विनियम, 2010 के विपरीत कार्य किये जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मण्डल द्वारा क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएं? **(घ)** संबंधित कर्मचारी की मण्डल में गंभीर श्रेणी की शिकायतें लंबित होने पर इनका स्थानांतरण संभागीय कार्यालय में किया जायेगा जिससे जाँच प्रभावित न हो और क्या मण्डल द्वारा इसको संरक्षण दिया गया रहा है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** संचालक संस्कार विद्या मंदिर सीहोर की शिकायत पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है, जो वर्तमान में प्रचलन में है। संचालक कमला मेमोरियल कस्तूरबा नगर भोपाल द्वारा प्राप्त शिकायत संस्था संचालक द्वारा न करते हुए किसी अन्य शरारती व्यक्ति द्वारा की जाना बताया गया है। संचालक द्वारा मण्डल को पत्र दि. 27.5.13 द्वारा प्रेषित कर बताया गया है। **(ग)** वर्ष 2012-13 में भोपाल संभाग के निजी स्कूलों को नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि के प्रकरणों में मान्यता विनियम, 2010 अनुसार ही मान्यता प्रदान की कार्यवाही की गई है। **(घ)** श्री सुरेश तिवारी का स्थानांतरण आदेश दि. 21.10.14 के द्वारा संभागीय कार्यालय रीवा किया गया, जिसके अनुक्रम में मण्डल द्वारा श्री तिवारी को पत्र दि. 21.10.14 को एकपक्षीय कार्यमुक्त किया गया। याचिका क्रमांक-17542/14 में पारित आदेश के अनुक्रम में श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दि. 25.11.14 अमान्य किये जाने से श्री तिवारी को मण्डल कार्यालयीन आदेश क्रमांक-स्था/ए-2/1802/15, दि. 8.6.15 द्वारा संभागीय कार्यालय रीवा हेतु कार्यमुक्त किया गया। मण्डल द्वारा इनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

विधायकों को विधान सभा तथा जिला मुख्यालय में आवास उपलब्धता

114. (क्र. 2797) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधायक को उसके विधान सभा मुख्यालय या जिला मुख्यालय में शासकीय आवास की सुविधा प्रदान करने का नियम है? यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने विधायकों को आवास की सुविधा विधान सभा मुख्यालय या उनके गृह जिला मुख्यालय में उपलब्ध करायी गई है? **(ख)** क्या विधायकों को उनके विधानसभा मुख्यालय तहसील एवं जिला स्तर पर शासकीय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी? जिससे वे सरलता से जनहित कार्य कर सकेंगे और क्षेत्रीयजनों को विधायकों से मुख्यालय में भेंट करने में परेशानी उत्पन्न न हो? यदि हाँ, तो उपरोक्त संबंध की व्यवस्था कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के वेतन-भत्तों के पुनरीक्षण के संबंध में गठित समिति ने अपने प्रतिवेदन में तत्संबंधी अनुशंसा की है, जिस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।

बैगा जनजाति की विशेष भर्ती

115. (क्र. 2799) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी जिला-शहडोल (म.प्र.) के आदेश क्र./स्था./अवि./2013/3506 दिनाँक 17.04.2013, क्र./स्था./अवि./2013/2654 दिनाँक 12.03.2013 एवं क्र./स्था./अवि./2013/2367 दिनाँक 28.02.2013 के द्वारा आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध अंतर्गत बैगा जनजातियों के उम्मीदवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था? **(ख)** क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-शहडोल (म.प्र.) द्वारा उपरोक्त खण्ड **(क)** में नियुक्त कर्मचारियों को आदेश क्र./मु.लि./2014/3946 दिनाँक 03.03.2014, क्र./मु.लि./2014/3933 दिनाँक 03.03.2014 एवं क्र./मु.लि./2014 दिनाँक 03.03.2014 के द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त किया गया था? यदि हाँ, तो जिन कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त की गयी थी, उन कर्मचारियों से 24 जनवरी 2015 तक काम किस आधार पर लिया गया है, तथा कुछ कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अक्टूबर 2014 तथा कुछ का वेतन भुगतान नबंवर 2014 तक क्यों किया गया है? **(ग)** क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-शहडोल (म.प्र.) द्वारा आदेश क्र./स्था./2015/618 दिनाँक 13.01.2015, क्र./स्था./2015/591 दिनाँक 13.01.2015 तथा क्र./604 दिनाँक 13.01.2015 के द्वारा पुन: खण्ड **(ख)** में दर्शित निरस्तगी आदेश के बाद पुन: नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो जब दिनाँक 03.03.2014 को नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया था, तो पुन: आदेश जारी करने का क्या औचित्य था? **(घ)** क्या उपरोक्त समस्त मामले की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>कंवर जाति के जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध</u>

116. (क्र. 2801) श्री रामपाल सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ता.प्रश्न संख्या-9 दिनाँक 18/07/2014 के माध्यम से शहडोल जिले के विभिन्न तहसीलों में निवासरत कंवर जाति के लोक जिन्हें स्थानीय बोली भाषा में कमर कहा जाता है, को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र में व्याप्त विसंगति के संबंध में मौखिक चर्चा में विभागीय मंत्री महोदय, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था कि मै माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ और बहुत जल्दी ही प्रयास किया जायेगा ताकि इस समाज के होनहार नव जवानों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो कठिनाइयां आती है, वह सुलभता से प्राप्त हो सके? **(ख)** उपरोक्त आश्वासन पर क्या कार्यवाही हुई? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में कितने लोगों को जाति प्रमाण पत्र शहडोल जिले में प्रदान किये गये और नहीं तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सीहोर जिले में नवीन स्वास्थ्य भवन का निर्माण</u>

117. (क्र. 2830) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विकासखण्ड सीहोर जिला सीहोर के अंतर्गत ग्राम खण्डवा में नवीन स्वास्थ्य भवन का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा इसका निर्माण किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? **(ख)** नवीन स्वास्थ्य भवन का निर्माण किसी खाली स्थान पर किया जा रहा है या पुराने स्वास्थ्य केन्द्र के आसपास ही किया जा रहा है? **(ग)** क्या

प्रस्तावित नक्शे एवं टेंडर की शर्तों के अनुसार ही निर्माण किया जा रहा है? या पुराने भवन को ही बीच में से मरम्मत कर आसपास नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है? क्या यह उचित है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** अभी तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है, कितना कार्य शेष है तथा कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>जिला चिकित्सालय सीहोर के प्रांगण में नये भवन का निर्माण</u>

118. (क्र. 2832) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला चिकित्सालय सीहोर के प्रांगण में नये भवन का निर्माण कार्य किया जाना है? यदि हाँ, तेा किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है तथा भवन का निर्माण कितनी अवधि में पूर्ण हो जाना था? यदि नहीं, हुआ है तो विलंब होने के क्या कारण हैं? **(ख)** अभी तक भवन का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है एवं निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा इसकी कुल कितनी लागत होगी? **(ग)** नये भवन में मरीजों को क्या-क्या सुविधा प्राप्त होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>संचालनालय के आदेशों के उपरांत भी सी.एम.एच.ओ. हरदा द्वारा वसूली नहीं करना</u>

119. (क्र. 2834) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सत्य है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें ने विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 2835 के संबंध में पत्र क्र. 2/अवि./सेल-वि.स./2011/68-ए दिनांकित 21 जनवरी 2011 एवं क्र. 2/अवि./सेल-वि.स./2011/128-बी दिनांकित 05.02.2011 समस्त सी.एम.एच.ओ. को लिखकर निर्देशित किया था कि यदि उनके संभाग में खजांची, स्टुवर्ड, संगणक के पद पर पदस्थ कर्मचारी को दिनाँक 01.04.1997 से वेतनमान 4000-6000 का लाभ दिया गया हो तो उसकी समस्त जानकारी देते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्र के प्रति उत्तर में क्या सी.एम.एस.ओ. हरदा द्वारा पत्र क्र. वि.स./2011/1252 दिनाँक 11.02.2011 द्वारा संचालनालय को संबंधित जानकारियां भेज दी गई थी? **(ग)** क्या इसी तारतम्य में अपर संचालक (प्रशासन) शैलबाला मार्टिन द्वारा अंतिम स्मरण पत्र क्र.2/अवि/सेल-वि.स./2012/696-ई दिनाँक 21.05.2012 सी.एम.एच.ओ. हरदा को लिखकर कहा गया था कि विधानसभा आश्वासन क्र. 260 लंबित है अत: संबंधित कर्मचारियों की वसूली के आदेश मय गणना पत्रक सहित दो दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें? **(घ)** यदि हाँ, तो, क्या यह भी सत्य है कि उक्त आदेशों का पालन आज दिनाँक तक नहीं किया गया है? इस हेतु कौन-कौन जवाबदेह है? क्या शासन उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वसूली कराया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>सफाई कर्मचारियों का पी एफ एवं ई एस आई सी एकाउण्ट ना होना</u>

120. (क्र. 2839) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कामथेन सिक्युरिटी सर्विस, 23 राज प्लाजा, संयोगितागंज, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा जिला चिकित्सालय सतना/पन्ना/उमरिया/सिंगरौली में कितनी संख्या में साफ सफाई का ठेका वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लिया है? वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ठेके के लिये क्या-क्या न्यूनतम शर्तें शासन ने रखी थी? **(ख)** क्या प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ठेके श्रमिकों का शोषण रोकने ठेकेदारों को लिखित में (टेंडर में) निर्देश दिये थे कि सफाई कर्मचारियों को बैंक एकाउन्ट के माध्यम से ई-पेमेंट की जाये? पी एफ एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) की कटौती हर माह उनके पी एफ एवं ई एस आई सी के एकाउन्ट में जमा किया जाये? न्यूनतम योग्यता कक्षा आठवी पास होना चाहिये? क्या ये तीनों शर्तों को कामथेन सिक्युरिटी सर्विस द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में चारों जिला चिकित्सालयो में पूरी की गई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित जिलों में उक्त वर्णित संस्था के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान प्रश्नतिथि तक कितने सफाई कर्मचारियों को उनके बैंक के एकाउन्ट क्रमांकों/पी एफ एवं ई एस आई सी एकाउन्ट क्रमांकों से भुगतान किया गया? जिलेवार विवरण दें? **(घ)** क्या कार्यवाही राज्य शासन उक्त संस्था के विरूद्ध कब तक करेगा? बिन्दुवार/नियमवार विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जिला चिकित्सालय सतना एवं सिंगरौली में कामथेन सिक्युरिटी सर्विस को प्रश्नावधि में कोई कार्यादेश नहीं दिया गया। जिला चिकित्सालय पन्ना एवं उमरिया की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। पत्र व उमरिया, पन्ना जिले में कामथेन सिक्युरिटी सर्विसेस को दिए गए कार्य की जाँच करने के निर्देश संभागीय संयुक्त संचालक रीवा एवं सागर को दिए गए है। **(ग)** प्रश्न तिथि तक की शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा एवं सागर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

<u>**परिशिष्ट –**</u> ''उनहत्तर''

<u>जिला चिकित्सालयों में साफ सफाई के शिकायतों पर कार्यवाही</u>

121. (क्र. 2842) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कामथेन सिक्युरिटी सर्विस, 23 राज प्लाजा, संयोगितागंज, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012 से 2015 तक के दौरान प्रदेश के किन-किन जिला चिकित्सालयों में किस प्रकार का ठेका क्या प्रतिशत दर डाल कर लिया गया? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित संस्था के द्वारा जिन-जिन जिला चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में साफ सफाई का कांट्रेक्ट लिया उनमें से कहाँ-कहाँ से क्या-क्या शिकायतें राज्य शासन/जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को प्राप्त हुई? **(ग)** उक्त शिकायतों पर किस आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से क्या-क्या कार्यवाही किन-किन सक्षम कार्यालयों के द्वारा कब-कब की गई? जारी आदेशों की प्रकरणवार प्रति उपलब्ध करायें? **(घ)** राज्य शासन उक्त अवैध कार्य

करने वाली संस्था के विरूद्ध क्या कार्यवाही किन नियमों के तहत कब तक करेगा? प्रकरणवार/बिन्दुवार जानकारी दें? अगर नहीं तो क्यों कारण दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति</u>

122. (*क्र. 2901) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में विगत 3 वर्षों में किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती पदोन्नति अनुकम्पा नियुक्ति, समयमान, वेतनवृद्धि नियमितीकरण की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के किन-किन नियमों के तहत कब-कब की गई? **(ख)** गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं अन्य तकनीकी तथा लिपिकीय संदर्भ के आरक्षण अनुसार कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के लिये आरक्षित हैं तथा शासन के संवर्गवार आरक्षण अनुसार कौन-कौन से पद पर कौन-कौन कर्मचारी, कब-कब से कार्यरत हैं? निम्न श्रेणी लिपिक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? आरक्षण अनुसार कितने-कितने कर्मचारी किस-किस श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत हैं एवं क्यों? आरक्षण नियमों की अनदेखी के लिये कौन जवाबदेह है? **(ग)** स्थापना शाखा प्रभारी श्रीमती रेखा चौहान द्वारा विगत वर्षों में किये गये उपरोक्त कृत्यों की अनेक शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत भी उनको निलंबित कर पारदर्शी जाँच क्यों नहीं की गई? क्या वर्तमान में 4 सेवा पुस्तिका गायब होन के प्रकरण लंबित हैं? **(घ)** क्या शासन उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल नियमानुसार जाँच करवाकर दोषियों को निलंबित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>अन्त्योदय उपचार योजना से संबंधित</u>

123. (क्र. 2911) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अन्त्योदय उपचार योजना जिला मुरैना में कब से प्रारंभ होकर इसके संचालन हेतु शासन स्तर से क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं व इस हेतु किस-किस श्रेणी के मरीज आते हैं? **(ख)** उपरोक्त **(क)** के संदर्भ में विकासखण्ड अंबाह व मुरैना जिला मुरैना में कितने मरीजों को किस-किस प्रकार की सहायता/उपचार व आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जानकारी वर्ष 2012-13 से जून 2015 तक विकासखण्ड व वर्ष वाइज दी जावे? **(ग)** क्या उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन से संबंधित चार्ट रूट संबंधित ग्रामीण समुदाय व संबंधित माननीय विधायकों को दी जाती है? यदि हाँ, तो विधायक दिमनी 07 जिला मुरैना को कब-कब जानकारी दी यदि नहीं, तो क्यों? इसके क्या कारण हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्राथ. माध्य., हाई स्कूल व हा. सेकण्डरी विद्यालयों में देय सुविधा</u>

124. (क्र. 2917) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन की नीति अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूलों (बालक, बालिकाएं) में क्या-क्या मूलभूत व अन्य आवश्यक सुविधाऐं देने का प्रावधान है? **(ख)** क्या विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कहाँ-कहाँ देय सुविधा में से सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं? तथा उनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? **(ग)** क्या उपरोक्त प्रश्नांश **(ख)** से संबंधित सुविधा देने हेतु शाला प्रधान, बी.आर.सी. बी.ई.ओ., डी.ई.ओ. आदि अधिकारियों द्वारा पत्र व्यवहार किया गया? यदि हाँ, तो पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विद्यालयों में शाला भवन, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, बाउंड्रीवाल, पुस्तकालय एवं विद्युत व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधायें देने का प्रावधान है। **(ख)** दिमनी विधान सभा क्षेत्र में कुल 372 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में से 213 प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में बाउंड्रीवाल की सुविधा नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है**। जिले की वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत पूर्ति की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश- ख के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>निर्माण श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं</u>

125. (क्र. 2929) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्ष 2004-2012 एवं 2013 से लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? **(ख)** उज्जैन संभाग के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विगत दो वर्षों में निर्माण श्रमिकों के लिए लागू उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का जिलेवार ब्यौरा क्या है? **(ग)** उज्जैन संभाग के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी हेतु एवं प्रचार-प्रसार हेतु की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है, तथा पंजीकृत श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** योजनाओं की जानकारियों का प्रचार-प्रसार नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों द्वारा समय-समय पर आयोजित शिविरों तथा अंत्योदय मेलों के माध्यम से किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

<u>अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति</u>

126. (क्र. 2930) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रतलाम में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विशेष केंद्रीय सहायता केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वर्ष 2011 से दिसंबर 2014 तक स्वीकृत प्रकरणों की संख्या क्या है तथा उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों की संख्या क्या है? **(ख)** विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन प्रक्रिया की जानकारी एवं इसके सरलीकरण हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में वर्ष 2011,

2012, 2013 एवं 2014 तक भारत सरकार को भेजे गये आवेदनों एवं स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जिला रतलाम में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विशेष केंद्रीय सहायता केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत वर्ष 2011 से दिसम्बर 2014 तक स्वीकृत प्रकरणों/प्राप्त आवेदनों की संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख)** विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है तथा विभागीय वेबसाइट पर भी विज्ञापन को अपलोड किया जाता है साथ ही विभाग की ओर से छात्रवृत्ति योजना की पुस्तिका भी जिला कार्यालयों को प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराई गई है, छात्रवृत्ति आवेदनों को हिन्दी भाषा में भी साईट पर अपलोड किया गया है ताकि विद्यार्थियों को आवेदन करने में सुविधा हो। **(ग)** वर्ष 2011,2012,2013 एवं 2014 तक भारत सरकार को प्री मैट्रिक,पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत कुल 5,31,275 आवेदन भेजे गये, जिसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा कुल 5,31,170 आवेदन स्वीकृत किये गये।

<u>**परिशिष्ट - "**सत्तर</u>"

<u>राज्य में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण</u>

127. (क्र. 2953) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य में कितने अतिथि शिक्षक है? **(ख)** क्या इन्हें नियमित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्रदेश की शालाओं में शिक्षकों के पद रिक्त होने, पदस्थ शिक्षकों के 07 दिवस से अधिक समय तक अवकाश पर रहने/अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की स्थिति में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अतिथि शिक्षकों की निश्चित संख्या बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>विधानसभा क्षेत्र पनागर जबलपुर की शालाओं के परीक्षा परिणाम</u>

128. (क्र. 2960) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पनागर विधानसभा क्षेत्र के शा.बा.उ.मा. विद्यालय पड़वार एवं अन्य विद्यालयों के परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन विद्यालयों में स्वीकृत सेटअप अनुसार शिक्षक पदस्थ नहीं है? **(ख)** क्या परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु स्वीकृत सेटअप अनुसार शिक्षक पदस्थ किये जायेंगे? अथवा कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी एवं कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। शासकीय उमाविसोनपुर, बलखाड़, कुशनेर, सालीबाडा को छोडकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत सेटअप अनुसार शिक्षक पदस्थ नहीं है। **(ख)** पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है। विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य कराये जाने हेतु विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे जाने संबंधी आदेश दिनाँक 16/07/2015 को जारी किया गया है। शेषांश का प्रशन उपस्थित नहीं होता।

<u>**कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्कूलों का उन्नयन**</u>

129. (क्र. 2968) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 20 जून 2015 की स्थिति में कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिडिल से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी (10+2) में उन्नयन हेतु प्रस्ताव शासन स्तर लंबित थे? यदि हाँ, तो कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित है? लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? **(ख)** क्या बदरवास विकासखण्ड के हाईस्कूल खतौरा को हायर सेकेण्डरी स्कूल (10+2) में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में स्वीकृत प्रदाय कर कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) एवं **(ख)** कोलारस विधान सभा क्षेत्र के माध्यम से हाई स्कूल में उन्नयन के प्राप्त प्रस्तावों में कोई भी शाला निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र नहीं है। हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु हाई स्कूल खतौरा एवं एजवारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र है। बजट एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>रजिस्ट्रार फार्मेसी कौंसिल के स्वीकृत पद</u>

130. (क्र. 2979) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. रजिस्ट्रार फार्मेसी कौंसिल में कुल कितने पद, किस श्रेणी के स्वीकृत हैं व उन पदों पर कितने लोग कब से कार्यरत हैं? नियुक्ति, पदोन्नति सहित सूची दें। **(ख)** क्या कुछ कर्मचारियों को पद न रहते हुए पदोन्नति के साथ-साथ 10-20 वर्ष सेवा उपरांत प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है तथा कुछ कर्मचारियों को 10-20 वर्ष सेवा उपरांत भी क्रमोन्नति वेतन का लाभ नहीं दिया गया है तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में जिन कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है, उन्हें कब तक क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा? समय-सीमा दें? **(घ)** क्या क्रमोन्नति से वंचित कर्मचारियों के लिये कौन उत्तरदायी है व उस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा दें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) म.प्र. फार्मेसी कौन्सिल (परिषद) द्वारा 22 पदों की स्वीकृति दी गई है। उक्त पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन में परीक्षणाधीन है। **जो संलग्न परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है। (ख) से (घ) कौन्सिल की सुचारू व्यवस्था हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति दी गई है। पदों की स्वीकृति के अभाव में क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - ''</u>इकहत्तर''

<u>अनु. जाति/जनजाति छात्रावासों के संबंध में</u>

131. (क्र. 2986) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में कितने अनु.जाति/जनजाति छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं? **(ख)** छात्रावासों में आवास एवं भोजन की क्या व्यवस्था रहती हैं तथा क्या-क्या सुविधायें प्रदाय की जाती है? **(ग)** क्या छतरपुर जिले के चन्दला विधानसभा क्षेत्र में कितनी प्राईवेट भवन किराये पर लिये गये हैं? क्या निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उनमें सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो उनका एग्रीमेंट

निरस्त कर दूसरे भवन कब तक लिये जायेंगे? **(घ)** क्या यह सही है कि छात्रावासों और आश्रमों के वार्डन अनुसूचित जाति/जनजाति के ही नियुक्त होना चाहिये? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं और इसके लिये कौन दोषी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) छतरपुर जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 05 छात्रावास एवं 08 आश्रम तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 66 छात्रावास एवं 06 आश्रम संचालित है। **(ख)** अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में आवास एवं भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था है। आवास हेतु भवन, बिजली, पानी एवं भोजन हेतु शिष्यवृत्ति की सुविधा दी जाती है तथा छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं से मुक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मैस संचालन हेतु बालकों को 1000-/ रू.एवं बालिकाओं को 1040-/ रू. प्रतिमाह शिष्यवृत्ति का प्रावधान किया गया है। **(ग)** आदिवासी वर्ग के छात्रावास किराये के भवन में संचालित नहीं है। छतरपुर जिले चंदला विधान सभा क्षेत्र में 06 प्राईवेट भवन किराये पर लिये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :- **1.** अनुसूचित जाति नवीन प्री-मै.बालक छात्रावास लवकुश नगर में स्वीकृत सीट 50 भवन मालिक का नाम श्रीमती शबनम खातून, **2.** अनुसूचित जाति प्री-मै.बालक छात्रावास गौरीहार में स्वीकृत सीट 50 भवन मालिक का नाम श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, **3.** अनुसूचित जाति प्री-मै.बालक छात्रावास चंदला में स्वीकृत सीट 50 भवन मालिक का नाम श्रीमती लीलावती तिवारी, **4.** अनुसूचित जाति प्री-मै.बालक छात्रावास सिजई में स्वीकृत सीट 50 भवन मालिक का नाम श्री राजेन्द्र सिंह, **5.** अनुसूचित जाति प्री-मै.कन्या छात्रावास सिजई में स्वीकृत सीट 50 भवन मालिक का नाम श्री सिद्धस्वरूप महाराज, **6.** अनुसूचित जाति नवीन प्री-मै.कन्या छात्रावास बारीगढ. में स्वीकृत सीट 50 भवन मालिक का नाम श्री जगदीश चौरसिया। उक्त प्राईवेट भवनों में समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है, इस लिये एग्रीमेंट निरस्त करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। छात्रावास/आश्रमों में वार्डन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीक्षक प्राथमिकता से पदस्थ किये जाने के शासन निर्देश है। वर्तमान में अधीक्षक की नियुक्ति संविदा शिक्षक वर्ग-दो से किये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी उपलब्ध न होने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग से भी अधीक्षक नियुक्त किये जाते है।

अधिकारियों की मनमानी के चलते अल्पसंख्यक स्कालरशिप की राशि लेप्स

132. (क्र. 2996) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण हेतु प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक, मेरिट कम मीन्स स्कालरशिप वितरित करने हेतु प्रदेश सरकार को राशि प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो कब से यह योजना प्रारंभ की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि भोपाल संभाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14,2014-15 एवं 2015-16 में राज्य सरकार को कुल कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी-कितनी राशि स्कालरशिप के रूप में वितरित की तथा कितनी-कितनी राशि लेप्स हुई? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनाँक की स्थिति में भोपाल संभाग के किस-किस जिले से कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदनकर्ताओं को स्कलारशिप प्रदान की गई तथा कितने आवेदन निरस्त किए गए जिलेवार, वर्षवार बतावें?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) जी हाँ, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई है। पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है। **(ख)**

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत संभागवार राशि की स्वीकृति नहीं दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 26.10 करोड़ राशि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स तीनों प्रकार की छात्रवृत्तियों अंतर्गत प्राप्त हुई। वर्ष 2014-15 में 21.20 करोड़ की राशि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत प्राप्त हुई, प्राप्त राशि का वितरण भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को कर दिया गया है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत स्वीकृत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान अपने स्तर से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदन आमंत्रित किये गये है निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमों के अंतर्गत परीक्षण कराया जाकर भारत सरकार द्वारा प्रदेश को दिये गये कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजें जायेगें। योजना में कोई राशि लेप्स नहीं हुई है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।**

परिशिष्ट - "बहत्तर"

स्थानांतरण एवं अटैचमेंट आदेश जारी किया जाना

133. (क्र. 2997) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन उपरांत राज्यमंत्री स्तर से विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विगत एक वर्ष प्रतिबंध अवधि में स्थानान्तरण एवं अटैचमेंट किए गए है? **(ख)** यदि नहीं, तो यह अवगत करावें कि स्थानान्तरण एवं अटैचमेंट पर प्रतिबंध कब से कब तक रहा और अभी तक किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं अटैचमेंट किए गए?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुरूष अध्यापक संवर्गों के स्थानान्तरण

134. (क्र. 3001) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति उपरांत महिला विकलांग एवं परस्पर एक निकाय से अन्य निकाय में जिला अन्तर्गत संविलियन के अलावा कोई स्थानांतरण नीति अध्यापक पुरूष वर्ग के लिए बनाई गई है? **(ख)** संविदा शाला शिक्षक/अध्यापक की नियुक्ति शाला विशेष के लिए अनुबंध आधार पर की जाती है तो पुरूष अध्यापक संवर्ग को जिला स्तरीय स्थानान्तरण बोर्ड के अनुमोदन से अतिशेष मानते हुए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत क्या स्थानान्तरण किया जा सकता है? **(ग)** सागर जिले में ऐसे कितने पुरूष अध्यापकों के स्थानान्तरण अतिशेष या युक्तियुक्तकरण मानते हुए नीति विरूद्ध किए गए हैं? सूची उपलब्ध कराई जाए? **(घ)** यदि नियम विरूद्ध पुरूष अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गए हैं तो इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं। **(ख)** केवल संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति संविदा के आधार पर शाला विशेष के लिये की जाती है। जी नहीं। अपितु शालाओं में स्वीकृत

शैक्षणिक पदों के अनुसार अतिशेष होने पर अध्यापक संवर्ग को निकाय के भीतर अन्य शालाओं पदस्थापना किये जाने का प्रावधान है। **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मार्गों का निर्माण बाबत

135. (क्र. 3016) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन ग्रामों में मुरूम-गिट्टी मार्ग का निर्माण किया गया? मार्ग का नाम, मार्ग की दूरी (किलोमीटर-मीटर) तथा इन मार्गों पर कितनी राशि का खर्चा आया? **(ख)** मुरूम-गिट्टी की सड़कों का किन-किन गांव में कितने किलोमीटर में डामरीकरण किया जा चुका है तथा कितने गांव में कार्य शेष है? सड़क का नाम, निर्माण कार्य की स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य पूर्ण होने का वर्ष एवं प्रशासकीय स्वीकृति की तिथि बतायें? **(ग)** क्या किसी सड़क का निर्माण आवंटन के अभाव में अपूर्ण है? यदि हाँ, तो किस-किस सड़क मार्ग का, प्रशासकीय स्वीकृति, व्यय राशि सहित विवरण दें? **(घ)** क्या पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राजेन्द्रग्राम, घोघंटी, दूधीमार्ग के निर्माण हेतु तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा भूमि पूजन किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण किया जायेगा? जिन अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उनके खिलाफ विभाग क्या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विभाग अंतर्गत मुरूम गिट्टी मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

व्याख्याताओं को क्रमोन्नति

136. (क्र. 3044) श्री विजयपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** संयुक्त संचालक लोक नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद को कौन-कौन से अधिकार सौंपे गया है? **(ख)** संयुक्त संचालक लोक नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक कितने व्याख्याताओं को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया? संख्या बताएं? **(ग)** संयुक्त संचालक लोक नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद में कितने व्याख्याताओं के क्रमोन्नत वेतनमान के प्रकरण लंबित है? **(घ)** संयुक्त संचालक लोक नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद एवं जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद के विरूद्ध कोई जाँच शासन स्तर पर प्रचलित है? यदि हाँ, तो जाँच कब तक पूर्ण होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-109/ 20-2/2007, दिनाँक 22.08.2008 द्वारा संयुक्त संचालको (लोक शिक्षण) को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर। (ख)** 42 व्याख्याताओं को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया। **(ग)** बैतूल जिले में 09 एवं होशंगाबाद जिले में 42 व्याख्याताओं के क्रमोन्नत वेतनमान के प्रकरण लंबित हैं। **(घ)** जी नहीं।

परिशिष्ट - ''तिहत्तर''

पदोन्नति अनियमितता

137. (क्र. 3045) श्री विजयपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोक सेवकों की पदोन्नति के नियम बताये गये हैं? **(ख)** क्या संयुक्त संचालक लोक नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा लिपिक संवर्ग के उपलब्ध पदों से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है? यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावे? **(ग)** क्या नियम विरूद्ध पदोन्नति प्रमाणित होने पर तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा लिपिक संवर्ग के पदों पर नियमानुसार जिलों के आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों पर ही पदोन्नति की गई है। **(ग)** उत्तरांश "ख" के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>शासन की स्वीकृति के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग की जातियों की जानकारी</u>

138. (क्र. 3055) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा जनजाति विभाग में किन-किन जातियों को जनजाति की मान्यता दी है? **(ख)** क्या प्रारंभ में मान्य जातियों को समय-समय पर हटाया व जोड़ा गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कौन-कौन जाति अनुसूचित जन जाति वर्ग की श्रेणी में शामिल हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार।

<u>अ.जा., अ.ज.जा. कल्याण हेतु सर्वांगीण विकास कार्य प्रारंभ</u>

139. (क्र. 3056) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण 25 फरवरी 2015 के दौरान बिन्दु क्रमांक 85 से 88 तक अनुसूचित जाति कल्याण को लेकर हमारी सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास हेतु कृत-संकल्पित है तथा इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिये अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे है जैसे- नवीन प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की स्वीकृति छात्रावासों में अतिरिक्त सीटों में वृद्धि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये प्रावीण्य उन्नयन छात्रावास प्रारंभ, अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आदि विकास कार्यों का उल्लेख है? **(ख)** यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई है व आवंटित राशि में से विधान सभा क्रमांक 23 करैरा जिला शिवपुरी को दी जा कर क्या-क्या गतिविधियां कहाँ-कहाँ, किस-किस प्रकार की संचालित है, की जानकारी दें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** वर्ष 2015-16 में आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं हेतु राशि रू.1574.83 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। बजट आवंटन विधानसभावार जारी नहीं किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा में 04 खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बालक एवं कन्या तथा 05 प्री.मैट्रिक बालक छात्रावास, 03 कन्या आश्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें आवास, स्टेशनरी, कोचिंग एवं भोजन की निशुल्क सुविधा प्रदाय की जा रही है। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना एवं पोस्ट

मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। **संचालित गतिविधियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट –</u> **"चौहत्तर"**

<u>मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में विभागीय आदेश पारित करने बावत्</u>

140. (क्र. 3093) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 82-83 से पूर्व के तथा 94-95 के बाद में नियुक्त उपशिक्षक, सहा. शिक्षक तथा शिक्षकों को नियुक्ति दिनाँक से ही पूर्ण वेतनमान मय एरियर के प्रदान करने के आदेश जारी किये गये है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या स्कूल शिक्षा विभाग उक्त आदेश के पालन में विभागीय आदेश जारी करेगा, यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दायर सिविल अपील क्रमांक 930/2008 में टैग अन्य 20 सिविल अपीलों में पारित आदेश दिनाँक 19.02.2015 में निर्णय दिया गया है। **(ख)** विधिक अभिमत प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी में शौचालय निर्माण के संबंध में</u>

141. (क्र. 3095) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माध्यमिक शिक्षा स्वच्छता अभियान के तहत खातेगांव विधान सभा क्षेत्र की हायर सेकेण्डरी हाई स्कूलों में शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? **(ख)** खातेगांव विधान सभा क्षेत्र की कुल कितने हायर सेकेण्डरी हाई स्कूलों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है? विद्यालय वार जानकारी देवे? **(ग)** क्या उक्त शौचालय निर्माण शाला प्रबंध समिति (S.M.D.C.) के द्वारा किया जाना है? अगर हां तो खातेगांव विधान सभा क्षेत्र की किन-किन शालाओं द्वारा शौचालय निर्माण किया जावेगा? **(घ)** खातेगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत की शाला निर्माण ऐजेन्सी द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य किया जाना था किन्तु वरिष्ठ कार्या. से ठेका पद्धति द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? ऐसी शालाओं की सूची देवे एवं अधिकारी द्वारा ऐसा क्यों किया गया?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** खातेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शौचालय निर्माण का कार्य शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "</u>पचहत्तर"

<u>प्रभारी प्राचार्य के सम्बन्ध में</u>

142. (क्र. 3096) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कितने हायर सेकेण्डरी हाई स्कूल है जो प्राचार्य विहीन है एवं संस्था का संचालन प्रभारी प्राचार्य द्वारा किया जा रहा है? संख्यावार नाम बतावे? **(ख)** खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने हायर सेकेण्डरी हाई स्कूल है जहां पर व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के कार्यरत होते हुए उ.श्रे.शि. अध्यापक एवं विज्ञान सहा. के पास प्राचार्य पद का प्रभार है? **(ग)** खातेगांव विधान सभा क्षेत्र की हाई सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल में व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के कार्यरत होते हुए उ.श्रे.शि. अध्यापक एवं विज्ञान सहा. को प्राचार्य पद का प्रभार किस अधिकारी

द्वारा दिया गया नाम व पद बतावे? **(घ)** उ.श्रे.शि. अथवा अध्यापक व विज्ञान सहा. को प्राचार्य पद का प्रभार दिया जाना न्याय संगत है? अगर नहीं तो आदेश कर्ता अधिकारी के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

युक्त-युक्तिकरण के संबंध में

143. (क्र. 3097) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी कितनी शालाये है जो युक्त-युक्तिकरण योजना के कारण शिक्षक विहीन हो गई है, नाम बतावे? **(ख)** युक्त-युक्तिरण के अंतर्गत पदों के अनुरूप शिक्षकों/अध्यापकों की (सभी वर्ग) पदस्थापना विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से खातेगांव विधान सभा क्षेत्र की शालाओं में शैक्षणिक व्यवस्था शासन कैसे करेगा? **(ग)** खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में युक्त-युक्तिकरण का पालन प्रक्रिया अनुसार किया गया है एवं प्रक्रिया अनुसार ही आदेश जारी किये गये है? अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या उक्त प्रक्रिया में शासन, विषय शिक्षक द्वारा ही रिक्त पदों की भरपाई करेगा? अगर खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में विषय शिक्षक नहीं मिला तो प्रक्रिया का पालन कैसे सुनिश्चित होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत युक्तियुक्तकरण योजना के तहत कोई भी शाला शिक्षक विहीन नहीं हुई है। **(ख)** अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पद पूर्ति की जाकर शैक्षणिक व्यवस्था की जायेगी। **(ग)** जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** अतिथि शिक्षकों के माध्यम से विषय शिक्षक के रिक्त पदों की भरपाई की जाएगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दी जाने वाली कोचिंग विषयक

144. (क्र. 3103) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को म.प्र. लोक सेवा आयोग तथा केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दी जाने वाली कोचिंग परफारमेंस को आधार बनाकर बंद कर दी है? यदि हाँ, तो कुछ छात्र-छात्राओं की परफार्मेंस को आधार मानकर समस्त एस.सी./एस.टी. छात्र-छात्राओं को इस सुविधा से वंचित करना क्या उचित है? **(ख)** समस्त एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए विषयांकित कोचिंग पुन: चालू करने पर क्या शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो क्या जबलपुर तथा नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट को कोचिंग केन्द्र बनाया जाएगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) एवं **(ख)** जी नहीं।

100 बिस्तरों के अस्पताल के संदर्भ में

145. (क्र. 3118) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़नगर विधानसभा में स्वीकृत 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिये कौन-कौन सी भूमि चिन्हित की गई है? यदि नहीं, की गई है, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? उक्त कार्य में विलम्ब का कारण क्या रहा और इसके संदर्भ में अधिकारियों द्वारा आज दिनाँक तक कौन-कौन सी शासकीय भूमि का अवलोकन किया गया गया? **(ख)** आज दिनाँक तक कोई भूमि चिन्हित नहीं

होने का कारण क्या है? **(ग)** बड़नगर नगर में इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा तथा कहाँ किया जायेगा? **(घ)** 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिये कुल भूमि कितनी चाहिये उसका क्या मापदण्ड है? नियमानुसार कितनी भूमि की आवश्यकता है? वर्तमान में शासकीय चिकित्सालय के पास कितनी भूमि उपलब्ध है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजनान्तर्गत विद्यार्थियों से प्राप्त राशि का विवरण</u>

146. (क्र. 3119) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत कितनी राशि एक वर्ष में विद्यार्थी से प्राप्त की जाती है? बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय विद्यालयों में यह राशि प्राप्त की जा रही है? **(ख)** पिछले 5 वर्षों में कितनी राशि विद्यार्थियों से प्राप्त की गई है तथा उनमें से कितनी राशि का व्यय हुआ तथा किन कार्यों में किया गया एवं कितनी राशि खाते में जमा हैं? **(ग)** जमा राशि के संदर्भ में विद्यालयों की क्या योजना है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजनांतर्गत प्रति छात्र 1 रू. प्रतिमाह के मानसे 10 रूपये वार्षिक शुल्क प्राप्त किया जाता है। बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में संचालित 31 शासकीय हाई स्कूल / उ.मा.वि. में से मात्र 15 संस्थाओं द्वारा ही यह शुल्क लिया जा रहा है। **(ख)** बड़नगर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विद्यालयवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग)** जमा राशि व्यय विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजनांतर्गत निर्धारित उद्देश्यों जैसे विद्यार्थियों के स्वआंकलन के लिए एप्टीट्यूट टेस्ट तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता को पूर्ण करना, शैक्षणिक संस्थाओं में कैरियर शिविरों तथा जाब फेयर की आयोजन करने कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बच्चों को विषय चयन हेतु अभिक्षमता परीक्षण द्वारा उनकी रूचि एवं क्षमता के आधार पर विभिन्न विषयों में से एक विषय के चयन में उनकी सहायता करने, विद्यार्थियों के प्लेसमेंट हेतु अध्ययन के दौरान ही व्यवहारिक प्रशिक्षण देने, स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा हेतु प्रभावी कार्यक्रम करने आदि कार्यों के लिए किया जावेगा।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>छिहत्तर"

<u>प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों/विद्यार्थियों की स्थिति</u>

147. (क्र. 3120) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** युक्ति युक्त करण की प्रक्रिया, मध्यप्रदेश में किन-किन जिलों में संचालित की गई तथा इस प्रक्रिया में किस विषय को मापदण्ड माना गया? क्या छात्र संख्या को मापदण्ड माना गया? उज्जैन जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में कितने शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया? **(ख)** वर्तमान में उज्जैन जिले में कितने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन हैं तथा जिन शालाओं में पर्याप्त शिक्षक नहीं है उनमें शिक्षकों की क्या व्यवस्था की जा रही है? **(ग)** उज्जैन जिले में छात्र विहीन कितने विद्यालय है और उनमें शिक्षकों की क्या स्थिति है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की गई है तथा इस प्रक्रिया में छात्र संख्या अनुपात को मापदण्ड माना गया है। उज्जैन

में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में 534 शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया। **(ख)** 17 प्राथमिक एवं 21 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विहीन है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षण व्यवस्था की जा रही है। **(ग)** 04 विद्यालय छात्र विहीन है जिनमें प्रत्येक में 02-02 शिक्षक कार्यरत है।

जननी एक्सप्रेस संचालन हेतु अनुबंध अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देश

148. (क्र. 3121) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश शासन ने आर.सी.एच./ एन.आर.एच.एम. प्रोग्राम के तहत जननी एक्सप्रेस संचालन करने हेतु अनुबंध के अंतर्गत क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये है? **(ख)** उज्जैन जिले में कितनी अनुबंधित जननी एक्सप्रेस संचालित है वर्ष 2013-14, 2014-15 में जिले में कौन-कौन से वाहन किन शर्तों में और कितनी अवधि के लिये मासिक दर पर अनुबंधित किये गये है? किन-किन अनुबंधित वाहनों को वाहन नम्बर सहित किराये की कितनी राशि का भुगतान किया गया है? **(ग)** एन.आर.एच. योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले में 2013-14, 2014-15 में कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा बड़नगर विधानसभा में माहवार कितनी राशि वाहन क्रमांक और वाहन मालिकों को भुगतान की गयी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सैलाना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र

149. (क्र. 3129) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने-कितने सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र है? **(ख)** क्या इन सभी सामुदायिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टर की पदस्थापना है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक पदस्थ किये जायेंगे? **(ग)** वर्तमान में इन केन्द्रों पर हुई मरीजों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या दोषी के विरूद्ध लापरवाही की जाँच की गई तथा क्या कार्यवाही गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्रांतर्गत 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र है। **(ख)** दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की पदस्थापना है एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं होते है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक विशेषज्ञ के पद रिक्त है। यह पद पदोन्नति से भरे जाना है। वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। **(ग)** 02 महिलाओं की नसबंदी आपरेशन के दौरान हुई मृत्यु की विभागीय स्तर से जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विभाग द्वारा मलेरिया की जाँच सही तरीके से न किये जाने

150. (क्र. 3134) श्री महेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मलेरिया विभाग द्वारा वर्ष 2013 से जून 2015 तक कितने मरीजों की मलेरिया की जाँच की गई? उनमें से कितने मरीजों को मलेरिया पॉजिटिव पाय गया? नामवार बतावें? **(ख)** क्या जिस मरीज को शासकीय पैथालॉजी में मलेरिया या अन्य किसी भी जाँच में निगेटिव बताया गया है, प्राइवेट पैथालॉजी में उसी मरीज की उसी दिन की वहीं जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है? **(ग)** क्या

विभाग में पदस्थ शासकीय सेवक मरीजों की सही रिपोर्ट नहीं देते है जिससे मरीज को सही उपचार नहीं मिल पाता है और उसकी बीमारी जाँच रिपोर्ट सही न मिलने से बढ़ जाती है? **(घ)** क्या मरीज की सही पैथालॉजिकल जाँच न किया जाना प्रदेश के मरीजों के साथ धोखा नहीं है? शासन इसमें कब तक और क्या कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पदस्थ सहायक अध्यापकों की पदोन्नति</u>

151. (क्र. 3145) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गुना जिले में सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत द्वारा पदोन्नति की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के अनुसार पदोन्नति की गई है तो कला, वाणिज्य, विज्ञान संकाय पर कितने कितने पदों पर पदोन्नति की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी नहीं, अपितु पदोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सीएचसी में चिकित्सकों की पदस्थापना</u>

152. (क्र. 3153) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग के सभी सीएचसी में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हैं और कितने रिक्त हैं? रिक्तियों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की प्रस्तावित है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित स्थानों में सीएचसी में स्थानांतरित किए गए सभी चिकित्सकों ने क्या पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण कर लिया है? किस-किस चिकित्सक ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है नाम, स्थान सहित बताएं? ऐसे चिकित्सकों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** क्या ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी में पदस्थ करने के लिए विभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती की गई है? यदि हाँ, तो बताएँ कि भर्ती किए गए सभी आयुष चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों की सीएचसी में पदस्थ हैं या कहीं और पदस्थ हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है, म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के 1896 पदों हेतु भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। **(ख)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उपकरणों का लाभ मरीजों को न मिलना</u>

153. (क्र. 3160) श्रीमती ललिता यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी, सीटी स्केन एवं पैथोलाजी की मशीनें कब स्थापित की गई थीं? दिनाँक, व्यय राशि सहित बतायें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में यह मशीनें क्रियाशील हैं या बंद हैं? **(ग)** इन मशीनों का संचालन करने वाले कौन-कौन हैं? पदवार बतायें। **(घ)** अगर मशीनें क्रियाशील नहीं हैं, तो विभाग द्वारा इनका संचालन कब से शुरू कराया जायेगा ताकि मरीजों को लाभ प्राप्त हो सके?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भवन विहीन स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई

154. (क्र. 3161) श्रीमती ललिता यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में ऐसे कितने शासकीय प्राथमिक माध्यमिक स्कूल हैं, जो एक कमरा या एक भी भवन न होने के कारण खुले में लगाये जा रहे हैं? स्थान सहित बतायें। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के प्रकाश में यह स्कूल कब से संचालित हैं और अब तक स्कूल के लिये विभाग द्वारा भवन का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? **(ग)** छतरपुर जिले में ऐसे भी स्कूल हैं, जो श्मशान या कब्रिस्तान के पास में संचालित हो रहे हैं। अगर हां, तो कौन-कौन बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) छतरपुर जिले में कोई भी शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक स्कूल खुले में नहीं लगाया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में स्वीकृत 62 प्राथमिक एवं 60 माध्यमिक शाला भवन विहीन है जिनका संचालन निजी अथवा शासकीय भवनों में किया जा रहा है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में यह स्कूल वर्ष 2013-14 से संचालित हैं जिसमें भारत शासन से भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2014-15 में प्राप्त हुई। गत वर्ष राशि का अभाव रहा, इस वर्ष राशि प्राप्त हो चुकी है, निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति वितरण

155. (क्र. 3168) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पैरामेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है, यदि हाँ, तो शासन के नियमों/प्रावधानों की प्रतियां देवे? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बताये कि कटनी जिला अंतर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन पैरामेडिकल कॉलेज, कहाँ-कहाँ संचालित रहे है एवं किन-किन छात्रों को कब-कब, कितनी-कितनी, छात्रवृत्तियां, विभाग/शासन द्वारा प्रदाय की गई, विद्यार्थियों के नाम, पता सहित संस्थावार, वर्षवार बतायें? **(ग)** क्या जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदाय की गई, वह वास्तविक तौर पर संबंधित संस्थान में अध्ययनरत नहीं थे? एवं क्या यह भी सही है कि शासन द्वारा इस संबंध में जाँच की गई थी? यदि हाँ, तो कार्यवाही की जानकारी उपलबध कराये? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में बताये कि क्या इन विद्यार्थियों के विवरण को समग्र पोर्टल पर दर्ज किया गया है, यदि हाँ, तो कितने विद्यार्थियों का विवरण कब-कब दर्ज किया गया, कितनों का दर्ज होना क्यों शेष है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' एवं 'अ' अनुसार** है। पिछड़ा वर्ग कल्याण की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** कटनी जिला अन्तर्गत वर्षवार निम्नानुसार संस्थाएं संचालित रही हैं।

संस्था	स्थान	वर्ष
बारडोली पैरा मेडिकल महाविद्यालय	बरगवां कटनी	2011-12 2012-13 2013-14
जय सरस्वती पैरा मेडिकल	नई बस्ती कटनी	2011-12 2012-13

महाविद्यालय		2013-14
जे.एम. पैरा मेडिकल महाविद्यालय	कटनी	2012-13
कटनी पैरा मेडिकल महाविद्यालय	कटनी	2012-13

अनुसूचित जनजाति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ग)** पैरा मेडिकल कालेजों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा समस्त छात्रों की वर्षवार जाँच की गई है। विभाग को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त उपरान्त संबंधित संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की भुगतान छात्र के व्यक्तिगत बैंक खातों में बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय की गई है। जाँच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ख' अनुसार** है। अनुसूचित जनजाति की जानकारी- जी नहीं। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। **(घ)** योजना के लिये विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 संचालित किया गया है। वर्ष 2014-15 में किसी भी पैरामेडिकल महाविद्वालय से छात्रवृत्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति स्वीकृति वितरण की कार्यवाही नहीं की गई है।

दुकानों के आवंटन की जाँच कराये जाने बावत्

156. (क्र. 3176) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिला दीनदयाल चिकित्सालय बिछिया में 2011 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी दुकानें एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं का निर्माण किया गया है, सूची उपलब्ध कराएँ? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में बताएं कि उक्त दुकानें एवं अन्य लाभ कितने हितग्राहियों को आवंटित किया गया है तथा अनु.जाति/जनजाति के लिए कितनी दुकानें प्रदान की गई है, हितग्राहीवार एवं वर्गवार सूची देवें? **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के आवंटन में कौन से नियम का पालन किया गया है नियम की प्रतियां उपलब्ध कराएं? **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के परिपालन में कौन अधिकारी दोषी है एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जाँच प्रतिवेदन का पालन कराया जाना

157. (क्र. 3177) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तारांकित प्रश्न क्र. 780 उत्तर दिनाँक 18/7/2014 के बिन्दु **(ख)** एवं **(ग)** का उत्तर दोषियों से राशि वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने तथा बिन्दु **(घ)** की जाँच संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से कराने एवं जाँच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही किये जाने का उत्तर दिया गया है? **(ख)** यदि प्रश्नांश **(क)** हां, तो बिन्दु **(ख)** एवं **(ग)** के संदर्भ में कुल कितनी राशि की वसूली दोषियों से की गई तथा उनके विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या बिन्दु **(घ)** की जाँच में फर्जी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान पाया गया है? क्या उक्त बिन्दु में विभागीय जाँच एवं पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने की अनुशंसा की गई है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन के अनुरूप दोषियों पर कार्यवाही हुई की नहीं? की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं हुई तो कब तक कार्यवाही करा दी जायेगी? **(घ)** क्या उक्त दोषी प्रभारी प्राचार्य शैक्षणिक सत्र 2015 में सेवानिवृत्ति हो रहा है? जिस कारण दोषी को लाभ देने के लिये उक्त कार्यवाही में विलंब किया जा रहा है, क्या उक्त

राशि की वसूली उसके सेवानिवृत्त उपरांत मिलने वाले स्वत्वों से की जायेगी? क्या उक्त प्रकरण की जाँच लोकायुक्त संगठन से करायेगें? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। **(ख)** संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अनुसार श्री राजेश्वरी प्रसाद मिश्रा, व्याख्याता एवं तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, श्री उमाकान्त द्विवेदी, व्याख्याता एवं तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर आरोप पत्रादि जारी किए जा चुके है। श्री शिवलाल अहिरवार, प्रधानाध्यापक को निलंबन उपरांत आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय जाँच संस्थित की गई है। श्री रामनरेश तिवारी, सहायक ग्रेड-3 शा.उ.मा.वि. पुरौना जिला रीवा को निलंबित किया जाकर आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके है। श्री राघवेन्द्र उपाध्याय, प्रभारी प्राचार्य, चैतन्य धर्म संस्कृति उ.मा.वि. गोबरा संकुल केन्द्र पुरौना के विरूद्ध अशासकीय शालाओं के अनुदान नियमों के तहत कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक रीवा संभाग रीवा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को निर्देशित किया गया है। जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय संभव हो सकेगा। **(ग)** जाँच प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** श्री उमाकान्त द्विवेदी, व्याख्याता एवं तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. पुरौना जिला रीवा की सेवानिवृत्ति तिथि 31 जुलाई 2015 हैं जो कि वर्तमान में निलंबित है। जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षो पर ही निर्णय संभव हो सकेगा।

<u>जबलपुर जिले में अनुसूचित जाति-जनजाति बस्ती विकास मद से विद्युतीकरण कार्य</u>

158. (क्र. 3183) श्री तरूण भनोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति-जनजाति बस्ती विकास मद अंतर्गत मजरा-टोला में विद्युतीकरण कार्य हेतु जबलपुर जिले में वर्ष 10-11, 11-12, 12-13 एवं वर्ष 13-14, में किये गये कार्यों की वर्षवार, राशिवार पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** वर्णित **(क)** के मद से विद्युतीकरण कार्य कौन-कौन सी एजेंसी से करवाया गया? क्या उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी अथवा नहीं? कार्य की स्वीकृति एवं कार्य आदेश एवं निर्माण एजेंसी, ठेकेदार को भुगतान की गई राशि का पूर्ण विवरण देवें। **(ग)** वर्णित **(क)** के वर्षों में पनागर एवं सिहोरा में स्वीकृति के आधार पर कार्य हुये अथवा नहीं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** पनागर एवं सिहेारा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। कार्यों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>विधि विशेषज्ञों की सलाह बिना संदिग्धों की काउंसलिंग में शामिल करना</u>

159. (*क्र. 3190) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या P.M.T. प्रवेश परीक्षा 2013 के नियमों में प्रावधिक प्रवेश को कोई प्रावधान नहीं है? यदि हाँ, तो बतावें कि P.M.T. 2013 में फर्जियों को शपथपत्र के साथ प्रावधिक प्रवेश किस नियम से दिया गया? **(ख)** चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2013 की P.M.T. की मेरिट सूची में शामिल संदिग्ध अभ्यार्थियों को किसके निर्देश पर किस विधि विशेषज्ञ की राय पर शपथ पत्र के साथ काउंसलिंग में शामिल किया? **(ग)** P.M.T. 2013 की व्यापम से प्राप्त मेरिट सूची तथा संदिग्ध की सूची की प्रतिलिपी देवें तथा काउंसलिंग में 317 संदिग्धों में शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय

का आवंटन प्राप्त करने वालों की महाविद्यालय अनुसार सूची प्रस्तुत करें? **(घ)** P.M.T. 2013 के निरस्त किये गये 415 अभ्यार्थियों की व्यापम से प्राप्त सूची देवें तथा 2013 के चयनित में से अभी तक जितने अभ्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया गया है? उनके नाम, पिता का नाम, आवंटित महाविद्यालय का नाम प्रवेश निरस्त करने की दिनाँक सहित सूची प्रस्तुत करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में छात्रवृत्ति में घोटाला**</u>

160. (*क्र. 3191) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 2007 से 2014 तक गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रवेशित किस-किस आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया वर्ष अनुसार विद्यार्थी का नाम पिता का नाम पता कक्षा छात्रवृत्ति की राशि भुगतान की दिनाँक अनुसार सूची प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित छात्रों की सूची में बतावे कि ऐसे कितने छात्र है जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तथा वे वार्षिक विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल नहीं हुये है उनके नाम बतावे? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित सूची में ऐसे कितने छात्र है जो वार्षिक विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुये उनके नाम तथा कक्षा बतावे? **(घ)** क्या छात्रवृत्ति में घोटाले अनियमितता की पिछले पांच साल में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायत कर्ता का नाम तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**नियमितिकरण के नियम की जानकारी**</u>

161. (क्र. 3195) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिक्षा विभाग के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जुन्नारदेव में दिनाँक 02.03.1990 से आकस्मिकता निधि के अंतर्गत कितने भृत्य कब से कार्यरत हैं? इन्हें नियमित पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु शासन की क्या योजना है? **(ग)** क्या सन् 2003 के बाद खोले गये हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल में कुछ भृत्य के पद स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने पद रिक्त हैं? रिक्त भृत्य के पदों पर शासन कब तक नियुक्ति कर देगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार है। नियमित पद पर नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** सन 2003 के बाद खोले गये स्कूलों में 31 कलेक्टर दर पर भृत्य, 03 नियमित भृत्य, 44 अंशकालीन भृत्य, 02 नियमित भृत्य एवं 43 अंशकालीन भृत्य के पद रिक्त है। नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>**परिशिष्ट - "**</u>सतहत्तर"

<u>आगर जिले में सेवा निवृत कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान की जानकारी</u>

162. (क्र. 3201) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आगर जिले में वर्ष 2013 से कितने कर्मचारी किस दिनाँक को सेवानिवृत्त/मृत हुए है सूची देवें?

(ख) आगर जिले में सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों के पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. जारी किये गये है यदि हाँ, तो कितने कर्मचारियों को किस दिनाँक को जारी किये गये है यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दिये जायेंगे? **(ग)** आगर जिले में सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों को कौन-कौन से स्वत्वों को भुगतान किस दिनाँक को कितना-कितना किया गया है जानकारी देवें? सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों को भुगतान नहीं किया गया तो कब तक कर दिया जायेगा? **(घ)** आगर जिले में आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कितने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पारित करा लिये है सूची देवे यदि शेष कर्मचारी है तो उनके वेतन निर्धारण कब तक पारित करा लिये जायेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। यथाशीघ्र। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। यथाशीघ्र। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कुपोषण दूर करने हेतु प्राप्त राशि का विवरण

163. (क्र. 3209) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सतना, रायसेन व सागर में वर्ष 2011 से 2014-15 तक की अवधि में वर्षवार कुपोषण दूर करने हेतु किस मद में कितनी राशि ब्लॉकवार प्राप्त हुई है? वर्षवार विवरण दें? प्राप्त राशि को किन-किन कार्यों में व्यय किया गया? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित जिलों में कुल कितनी रोगी कल्याण समितियां है? कहाँ-कहाँ? इन समितियों प्रश्नांश **(क)** वर्णित अवधि में वर्षवार किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और इस राशि को किन-किन कार्यों में व्यय किया गया? **(ग)** रोगी कल्याण समितियों द्वारा वर्षवार कितनी-कितनी राशि कर्मचारियों, दवाइयों, डीजल, वाहनों के किराये, निर्माण आदि पर क्रय की? क्या इस संबंध में किन्हीं के द्वारा शिकायतें शासन/विभाग को की गई? शिकायतवार कार्यवाही व निराकरण की स्थिति बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियम विरूद्ध पदस्थापना

164. (क्र. 3215) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग में ब्लॉक मेडीकल ऑफीसरों की पदस्थापना हेतु क्या मापदण्ड, नियम, निर्देश हैं? क्या यह सही है कि सागर जिले के कुछ विकासखण्डों में कुछ चिकित्सकों की सेवावृद्धि कर उन्हें ब्लॉक मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ किया गया है? किन-किन विकासखण्डों में ऐसा किया गया है और किस आधार पर? कारण व नियम बतावें? **(ख)** क्या किसी चिकित्सक की सेवा में वृद्धि कर उसे बी.एम.ओ. के रूप में पदस्थ किया जा सकता है? कौन से नियमों के अंतर्गत? **(ग)** प्रश्नांश **(क)** वर्णित नियम विरूद्ध पदस्थापना हेतु कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) विभाग में प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी नाम से प्रथम श्रेणी पद स्वीकृत है। उक्त पद पर चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की है, पदोन्नति हेतु पात्र होते है। नियमित प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पदस्थ न होने की स्थिति में सामान्यतः संस्था में पदस्थ वरिष्ठतम चिकित्सक को प्रभार सौंपा जाता

है। जी नहीं, सागर जिले में किसी चिकित्सक को सेवावृद्धि कर पदस्थ नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी</u>

165. (क्र. 3216) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश से कक्षा एक से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समग्र पोर्टल के माध्यम से आनलाईन व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो व्यवस्था में क्या-क्या प्रावधान हैं? **(ख)** क्या व्यवस्था आरंभ होने से अब तक सागर जिले में छात्रों को आनलाईन व्यवस्था द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है? यदि नहीं, तो किन-किन माध्यमों से छात्रवृत्ति प्रदत्त की गई है? **(ग)** क्या प्रदेश के सागर जिले में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संकुल केन्द्र प्राचार्य के खातों में जमा कराई गई? यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 व 2014-15 में किस संकुल प्राचार्य के खाते में वर्षवार कितनी राशि जमा कराई गई और उनके द्वारा कितनी कितनी छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में छात्रवृत्ति वितरण का माध्यम क्या रहा और खातों में इस मद की शेष बची राशि का क्या किया गया? विवरण दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ, समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रदेश के <u>शास/अशासकीय</u> विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की समग्र पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की डाइसकोडवार शाला से मेपिंग की जाकर छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य) द्वारा ऑनलाइन स्वीकृत कर कोषालय द्वारा हितग्राही के खाते में सीधे भुगतान की जा रही है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल एवं म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की छात्रवृत्ति योजनाओं की स्वीकृति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन की जा रही है परन्तु हितग्राही को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** जी हाँ, सागर जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है, जिन छात्रों के बैंक एकाउन्ट नम्बर <u>गलत/त्रुटिपूर्ण</u> होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया से उपलब्ध कराई गई राशि अवितरित होने से संबंधित बैंक द्वारा बैंकर्स चैक बनवाकर राशि संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य) को वापस की गई जो संबंधित आहरण वितरण <u>अधिकारी/संकुल</u> प्राचार्य द्वारा संस्था के प्राचार्य के खाते में जमा की गई, छात्रों के सही बैंक एकाउन्ट नम्बर प्राप्त होने पर आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य) ने राशि का वितरण चैक से एवं बैंक को राशि अंतरित कर छात्रवृत्ति वितरण किया गया। **(ग)** जी नहीं, सागर जिले में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति की राशि संकुल केन्द्र प्राचार्यो के खातों में जमा नहीं कराई गई, जिन छात्रों के बैंक एकाउन्ट नम्बर <u>गलत/त्रुटिपूर्ण</u> होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन प्रक्रिया से उपलब्ध कराई गई राशि अवितरित होने से संबंधित बैंक द्वारा बैंकर्स चैक बनवाकर राशि संबंधित आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य) को वापस की गई जो संबंधित आहरण वितरण <u>अधिकारी/संकुल</u> प्राचार्य द्वारा संस्था के प्राचार्य के खाते में जमा की गई, उपरोक्त कारण से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य के खाते में जमा राशि एवं वितरित राशि का संकुल केन्द्रवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** उत्तरांश ख अनुसार। आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य) के

खाते में शेष रही छात्रवृत्ति राशि संबंधित छात्रों के सही एकाउन्ट नम्बर की जानकारी प्राप्त कर वितरण किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट – ''अठहत्तर''

निम्न क्रय की गई सामग्री की जानकारी चाहने हेतु

166. (क्र. 3229) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में वर्ष 2012-13 से आज दिनाँक तक जिले स्तर पर कार्यालयों के उपयोग हेतु खरीदी गई सामग्री, अस्पतालों के लिये खरीदे गए उपकरण, मशीनें, फर्नीचर, वाटर कूलर आदि लघु उद्योग निगम से छोड़कर अन्य किस-किस फर्म/एजेंसी से किस-किस दर पर खरीदी की गई? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में खरीदी हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गई सफल निविदाकार एवं निविदा दर क्या-क्या रही? **(ग)** सरदार वल्लभ भाईपटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना अंतर्गत बालाघाट जिले को प्राप्त एवं व्यय राशि की वर्षवार कितनी-कितनी रही एवं इसमें से जिले द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल अस्पतालों की कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्रदान की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) बालाघाट जिले में वर्ष 2012-13 से आज दिनाँक तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा जिले स्तर पर कार्यालयों के उपयोग हेतु लघु उद्योग निगम से छोड़कर तमिलनाडू कार्पोरेशन से खरीदे गए सामग्री, अस्पतालों के लिये उपकरण, मशीनें फर्नीचर, वाटर कूलर आदि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** पर तथा स्थानीय स्तर पर क्रय सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार है।** कार्यालय सिविल सर्जन बालाघाट द्वारा क्रय की सामग्री की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश **(क)** के संबंध में निम्नानुसार दिनाँक को निविदा आमंत्रित की गई :-

क्रमांक	**वर्ष**	**क्रमांक एवं दिनाँक**
1	2012-13	क्र. 839 दिनाँक 21.02.2012
2	2013-14	क्र. 1516 दिनाँक 26.03.2013
3	2014-15	क्र. 2033 दिनाँक 15.05.2014
4	2015-16	क्र. 1467 दिनाँक 17.04.2015 (ई निविदा)

वर्षवार जिन फर्मों द्वारा निविदायें डाली गयी थी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। एवं दरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार है। (ग)** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पतालों को औषधियां प्रदान की जाती है।

वर्ष	**प्राप्त आवंटन**	**व्यय**
2012-13	24252000	17241124
2013-14	31017300	16648233

2014-15	25023432	13808395
2015-16	26851318	958908

कार्यालय सिविल सर्जन को प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय
2012-13	14277700	10957216
2013-14	10609300	10420771
2014-15	10593600	7101476
2015-16	11251600	4636108

भ्रष्ट कर्मचारियों की संख्या

167. (क्र. 3237) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सत्र 2010-11 के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अशासकीय फर्जी संस्थाओं को मंडल की संबद्धता प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो किसे-किसे? **(ख)** क्या तत्कालीन सचिव, अतिरिक्त सचिव को अध्यक्ष द्वारा सागर संभाग के प्रकरणों में निर्णय लेने के अधिकार अपने पास दिनाँक 28.09.2010 द्वारा दिये थे? इसके विरूद्ध तत्कालीन सचिव ने कार्यवाही की थी? यदि हाँ, तो अधीनस्थ स्टाफ को, क्या आरोप पत्र दिये गये और यदि दंड दिया गया, तो क्या वह इतनी बड़ी साजिश अपराध के लिये पर्याप्त है? **(ग)** क्या दोषी के विरूद्ध, वर्गीकरण नियम 1966 (29) के तहत मामले का पुनर्वलोकन दिया जायेगा, क्या उनके विरूद्ध पुलिस के रिपोर्ट दर्ज की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सागर संभाग की मान्यता, संबंधता का, कार्य सौपा गया था, जबकि वरिष्ठ लिपिक थे?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जी हाँ। प्रदेश में जिला टीकमगढ़ में चार संस्था 1. कोलार लोकहित शैक्षणिक एवं सामाजिक समिति पृथ्वीपुर 2. दानिस जन कल्याण शैक्षणिक एवं सामाजिक कल्याण समिति पृथ्वीपुर 3. जनसेवा शिक्षा समिति पृथ्वीपुर 4. माँ गायत्री डी.एड. कॉलेज, पृथ्वीपुर। **(ख)** जी हाँ। अधीनस्थ स्टाफ को आरोप पत्र जारी किया जाकर विभागीय जाँच उपरांत आदेश दिनाँक 10.01.2014 द्वारा दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है। **(ग)** संबंधित का पुनर्विलोकन आवेदन विचाराधीन है। संबंधित संस्था संचालक के विरूद्ध थाना श्यामलाहिल्स भोपाल में दिनाँक 05.04.2011 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। **(घ)** जी नहीं।

स्कूल शिक्षा में पद रिक्त

168. (क्र. 3238) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले में विभाग के अंतर्गत किस-किस कार्यालय में कितने शासकीय सेवक पदस्थ हैं, संलग्न है? प्रतिनियुक्ति पर है? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में कितने, कौन-कौन से पद स्वीकृत है, रिक्त हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''दो'' अनुसार।

प्रभारी जिला संयोजक द्वारा अनियमितता की जाना

169. (क्र. 3245) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत प्रभारी जिला संयोजक द्वारा

अनियमितताएं किए जाने संबंधी शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर बिंदुवार क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) जी हाँ। **(ख)** कलेक्टर नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक /9389/शिका./2015 नरसिंहपुर दिनाँक 4.7.2015 के परिप्रेक्ष्य में शिकायत की जाँच हेतु डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर दिनाँक 15.7.2015 को अदेश जारी किया गया है।

सिविल सर्जन द्वारा सामग्री का क्रय

170. (क्र. 3246) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन कार्यालय नरसिंहपुर द्वारा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में विभिन्न मदों अंतर्गत क्या-क्या सामग्री किस-किस दर पर किस-किस एजेंसी से क्रय की गई है? **(ख)** क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आदिम जाति विभाग में अपर संचालकों के स्वीकृत पद

171. (क्र. 3248) डॉ. मोहन यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत प्रश्न दिनाँक तक की स्थिति में अपर संचालकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उक्त पदों पर कौन-कौन अधिकारी किस-किस स्थान पर कब-कब से पदस्थ हैं? **(ख)** अपर संचालक के पद पर अनुसंधान संवर्ग के कौन-कौन अधिकारी कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं एवं उनके द्वारा नियुक्ति के समय कौन-कौन से प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किए गए थे एवं उन प्रमाण पत्रों की जाँच किस स्तर पर किस अधिकारी द्वारा की गई अधिकारीवार जानकारी दें? **(ग)** अपर संचालक के कितने पद रिक्त हैं? उनको भरने हेतु क्या कार्यवाही कब तक की जा रही है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विभाग में अपर संचालाकों के 11 पद स्वीकृत हैं। **शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** अपर संचालक के पद पर अनुसंधान संवर्ग के श्री एस.एस. भण्डारी, अपर संचालक पदस्थ हैं। उनके द्वारा नियुक्ति के समय हाईस्कूल, इंटर, स्नातक (बी.ए.), एम.ए. (भूगोल), कार्टोग्राफर के पद पर कार्य करने का अनुभव, स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन कार्टोग्राफी, शोध अनुभव प्रमाण-पत्र, एन.सी.सी. एवं खेलकूद के प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किये थे एवं उनकी जाँच संयुक्त संचालक, आदम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा की गई थी। **(ग)** अपर संचालक के 04 पद रिक्त हैं, उनके भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

<u>परिशिष्ट –</u> ''उन्यासी''

उज्जैन जिले में भवनविहीन शालाएं

172. (क्र. 3249) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले में भवन विहीन शालाएं कितनी है (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं हाई स्कूल श्रेणी की जानकारी दें? **(ख)** उक्त भवन विहीन शालाओं हेतु भवन की व्यवस्था हेतु शासन की क्या योजना है, कब तक भवन उपलब्ध कराए जाएंगे? **(ग)** कितनी शालाओं में खेलकूद मैदान/ बाउण्ड्रीवाल की व्यवस्था नहीं है, कब तक उक्त सुविधा प्रदान कर दी जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) उज्जैन जिले के अंतर्गत कुल 23 हाईस्कूल, 17 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के स्वयं के भवन नहीं है। उज्जैन जिले में 58 प्राथमिक एवं 30 माध्यमिक शालाएं भवन विहीन है। **(ख)** हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए राज्य बजट में प्रावधान राशि की सीमा तक निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति की समय-सीमा नियत की जाना संभव नहीं है। 88 प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों में से 29 नवीन प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन वर्ष 2014-15 में स्वीकृत की गई है। 36 शाला भवन के निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध नहीं होने से प्रारंभ नहीं हो पाये, अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर शालायें संचालित की जा रही है। शेष 23 शाला भवन हेतु अतिरिक्त कक्ष के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2015-16 हेतु भारत शासन को प्रेषित किया गया था, स्वीकृति जारी नहीं हुई है। भवन उपलब्ध कराने हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ग)** जिले के अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के 50 विद्यालयों में खेल मैदान एवं 66 विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल नहीं है। सीमित बजट प्रावधान के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 673 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में खेलकूद के मैदान नहीं है एवं 1384 शालाओं में बाउन्ड्रीवाल की व्यवस्था नहीं है। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त सुविधा प्रदान कर दी जायेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

छात्रावास/आश्रम में सीटों की वृद्धि

173. (क्र. 3254) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में विभागीय छात्रावास (बालक/बालिका) आश्रम कितने संचालित हैं? **(ख)** खंड, शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली के छात्रावास/आश्रम में कब से सीटों की वृद्धि नहीं हुई, जानकारी देवें? **(ग)** भौरा, शाहपुर, घोड़ाडोंगरी, चिचोली में वर्ष 2014-15 में छात्रावास में कितने छात्र/छात्रायें निवासरत थे, कितने उत्तीर्ण हुये हैं? **(घ)** वर्ष 2015-16 में छात्रगृह योजना में छात्रवृत्ति में कोई वृद्धि की जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के चिचौली, शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में निम्नलिखित विभागीय छात्रावास/आश्रम संचालित है:-

	बालक	बालिका	योग
छात्रावास	15	05	20
आश्रम	12	05	17
कुल			**37**

(ख) संकल्प-2010 के तहत प्रदेश की समस्त प्री मैट्रिक छात्रावासों को 50 सीट में परिवर्तन किया गया है। अत: सीट वृद्धि का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** वर्ष 2014-15 में छात्रावास में 400 छात्र/छात्रायें निवासरत थे, जिसमें से 288 छात्र/छात्रायें उत्तीर्ण हुये हैं। **(घ)** वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति वृद्धि के प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किये गये हैं।

बैतूल एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

174. (क्र. 3255) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आ.ज.क.वि. बैतूल द्वारा कितने ग्राम में विद्युत व्यवस्था की गई है? **(ख)** आ.जा.क.वि. बैतूल द्वारा आदिवासी योजना (I.T.D.P.) से कितने हितग्राहियों को राशि खाते में डाली गई है? पूर्ण जानकारी वर्तमान सत्र का देवें? **(ग)** एंजिन का भुगतान हितग्राही के खाते एवं हितग्राही द्वारा नहीं किया गया? बैंक (चौपना) (यू.बी.आई.) ने कोई घोटाला किया है? **(घ)** क्या परियोजना अधिकारी बैतूल की शिकायत की जाँच लंबित हैं? बताईये।

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री ज्ञान सिंह) : (क) विभाग द्वारा विद्युत व्यवस्था नहीं की जाती है **(ख)** वर्तमान सत्र में 28 हितग्राहियों की राशि उनके खातों में डाली गई। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ।

नगर निगम उज्जैन क्षेत्र में रिक्त पदों की पूर्ति

175. (क्र. 3262) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम क्षेत्र उज्जैन में विभाग के सभी संवर्गो के कितने पद स्वीकृत हैं? उनके समक्ष कितने रिक्त हैं? कितने भरे गए हैं? अस्पतालवार जानकारी देवे? **(ख)** रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** विभाग के अधीन पद पूर्ति की कार्यवाही, लोक सेवा आयोग एवं व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं विभागीय भर्ती नियमो के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही सक्षम स्तर से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

वक्फ बोर्ड समिति महिदपुर को प्राप्त आवंटन

176. (क्र. 3263) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर तहसील में वक्फ बोर्ड समिति को दि. 01.01.08 से 30.06.15 तक कितने कार्यों के लिए कितना आवंटन प्राप्त हुआ? वर्षवार, कार्यवार बतावे? **(ख)** कार्य नाम, आवंटित राशि सहित बतावे? इसमें कितनी राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई?

श्रम मंत्री (श्री अंतरसिंह आर्य) : (क) महिदपुर तहसील में वक्फ बोर्ड समिति को दिनाँक 01.01.2008 से 30.06.2015 तक कोई आवंटन नहीं दिया गया है और न ही वक्फ बोर्ड में किसी प्रकार की राशि के आवंटन का प्रावधान है। **(ख)** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दवा खरीदी में अनियमितता

177. (क्र. 3269) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनाँक 01-01-13 से 03-06-15 तक बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला जिलों में कितनी दवाएं, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य सामाग्री C.H.M.O. द्वारा क्रय की गई? इसके लिए आवंटित बजट दिनाँक सप्लाई दिनाँक, सप्लाई फर्म नाम, फर्म पार्टनर/प्रोपयटर नाम सहित देवें? **(ख)** किन फर्मों ने टेंडर भरे जमा टेंडरों की स्वीकृत फर्म के जमा टेंडर की तथा टेंडर के लिए दिये गये विज्ञापनों का विवरण देवें? **(ग)** उक्त अवधि में सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिलों को कितना बजट आवंटित किया गया? क्या इनके द्वारा तय बजट से अधिक खरीदी गई? यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(घ) (क)** अवधि अनुसार शहडोल में स्वीकृत फर्मों के नाम, उनके पार्टनर/प्रोप्रायटर नाम, ड्रग लाइसेंस का विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियमित छात्रों को स्वाध्यायी किया जाना

178. (क्र. 3275) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के प्राथ./माध्य./हाईस्कल/हायर सेकण्डरी शासकीय शालाओं में कुल कितने रू. प्रतिमाह फीस ली जाती है? विभिन्न स्कूलों में ली जा रही फीस की जानकारी उपलब्ध करावें? जिन स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा देने के स्थान पर पालक शिक्षक संघ द्वारा छात्र/छात्राओं से अलग-अलग काम के लिये फीस वसूल की जा रही है, क्या उन पर रोक लगायी जावेगी? क्या फीस लेने के संबंध में विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये जायेंगे? **(ख)** जिन शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा दी जानी चाहिये वहां स्कूल के बाहर ट्यूशन कर रहे शिक्षकों पर क्या पाबंदी लगाई गई है और यदि नहीं, तो कब तक लगाई जायेगी? **(ग)** क्या शासकीय शालाओं के शिक्षक ट्यूशन कर सकते हैं? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत नियम का उल्लेख किया जावे। यदि नहीं, तो इन पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है? नहीं की गई, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** शासकीय शालाओं के शिक्षक छात्र/छात्राओं पर स्कूलों में ट्यूशन का दबाव बनाते हैं, ऐसे शिक्षक/ शिक्षिकाओं एवं प्राचार्य पर क्या कार्यवाही की जाती है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के बच्चों से किसी भी

प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाओं के संबंध में **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।** अलग अलग काम के लिये फीस वसूली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 28 के अनुसार शिक्षकों द्वारा प्रायवेट ट्यूशन अथवा प्रायवेट रूप से पढ़ाने के कार्य को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है। अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा की जाने वाली ट्यूशन के संबंध में कोई नियम निर्देश नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र. विद्या/पी/54/04-05/205, दिनाँक 4.2.2005 अनुसार। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – "अस्सी"

खाद्य औषधि प्रशासन विभाग में Fss Act 2006 के तहत पदोन्नति/नियुक्ति

179. (क्र. 3286) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के अता.प्र.क्र.4436, दिनाँक 17 मार्च 2015 की जानकारी एकत्र कर ली गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 4436 की कंडिका **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध तरीके से निर्मित और विलोपित PFA Act 1954 के भर्ती नियमों में पदोन्नति, नियुक्ति क्या विभाग भविष्य में करेगा? यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग वर्तमान में प्रभावशील FSS Act 2006 के भर्ती नियमों में ही पदोन्नति/नियुक्ति करेगा? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक नांदघाट में अतिथि शिक्षकों का चयन

180. (क्र. 3291) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला नांदघाट तहसील मझौली जिला जबलपुर में शिक्षा सत्र 2014-15 में अतिथि शिक्षकों के कितने पद रिक्त थे एवं शासन के किन नियमों के तहत इन्हें कब तक भरा जाना था? नियमों की छाया प्रति देवें? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पदों हेतु कुल कतने आवेदन प्राप्त हुये नाम सहित सूची देवें? इन प्राप्त आवेदनों में से किन-किन का चयन, अतिथि शिक्षक के रूप में किया गया? प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित पदों में से कितने पद, किन कारणों से शेष रहे? **(ग)** क्या प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित अतिथि शिक्षकों के चयन में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल में पत्र क्र.रा.शि.क/मानिट/2014/5931 दिनाँक 10/07/2014 में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर में यदि हाँ, तो यह बतलावें कि इस संबंध में आवेदिका श्रीमती विमलेश खम्परिया की आपत्ति क्या थी एवं इस संबध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मझौली एवं अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा, के क्या दिशा-निर्देश थे? उक्त आदेशों का पालन न करने एवं अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री पारस चन्द्र जैन) : (क) प्राथमिक शाला में 5 एवं माध्यमिक शाला में 4 पद रिक्त थे। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो एवं तीन अनुसार** है। प्राथमिक शाला हेतु प्राप्त आवेदनों में से एक अभ्यर्थी श्रीमती विमलेश खम्परिया को उनके अतिथि शिक्षक के रूप में पूर्व के कार्यकाल में उपस्थिति अनियमित होने, शिक्षकीय कार्य एवं व्यवहार से शाला प्रबंधन समिति सहमत नहीं होने के कारण इनका चयन नहीं होने के कारण एक पद रिक्त रहा। **(ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश ख के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।